



CA FOUNDATION • PAPER 2 • BUSINESS LAWS

विद्यार्थी नोट्स

विषय-दर-विषय • अक्टूबर 2026 संस्करण • हिन्दी



7 अध्याय • 20 इकाइयाँ • 143 विषय • 617 वर्गीकृत प्रश्न

ICAI Study Material 2026 July + Scanner Pre CRC V13 (2026 October)

यह पुस्तिका कैसे काम करती है

प्रत्येक विषय के लिए सबसे पहले “पहले पढ़ें” पंक्ति में बताए गए Study Material के अनुच्छेद पढ़िए। इसके बाद कौशल-स्तरों पर क्रम से उतरिए — प्रत्येक स्तर वह कौशल बताता है जो परीक्षक ने उस विषय पर वास्तव में माँगा है, और उसी स्तर पर अभ्यास के लिए Scanner के ठीक वही प्रश्न देता है।

विषय-सूची के बाद आने वाला खंड — **इन नोट्स का उपयोग कैसे करें** — प्रश्न-पंक्ति, ICAI की Manner of Assessment, और कौशल-मिश्रण आपकी तैयारी में क्या बदलेगा, यह समझाता है। आरम्भ करने से पहले उसे एक बार अवश्य पढ़िए।

विषय-सूची

इन नोट्स का उपयोग कैसे करें.....	6
विषय रैंकिंग — परीक्षा भारांक मार्गदर्शिका.....	9
अध्याय 1: भारतीय नियामक ढाँचा (Indian Regulatory Framework) (महत्त्व: C).....	21
विषय 1: परिचय — अवधारणा आधार.....	21
विषय 2: विधि क्या है? (What Is Law?) — अवधारणा आधार.....	22
विषय 3: विधि के स्रोत (Sources of Law).....	22
विषय 4: विधि बनाने की प्रक्रिया (The Process of Making A Law).....	23
विषय 5: विधि का प्रवर्तन (Enforcing The Law).....	24
विषय 6: भारतीय न्यायपालिका की संरचना (Structure of the Indian Judicial System).....	26
अध्याय 2: भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872) (महत्त्व: B).....	28
इकाई 2.1: संविदा का स्वरूप (Nature of Contract) (महत्त्व: B).....	28
विषय 1: संविदा क्या है? (What is Contract?).....	28
विषय 2: वैध संविदा के अनिवार्य तत्त्व (Essentials of Valid Contract).....	29
विषय 3: संविदाओं के प्रकार (Types of Contracts).....	31
विषय 4: प्रस्थापना/प्रस्ताव [Section 2(a)].....	33
विषय 5: प्रतिग्रहण (Acceptance).....	35
विषय 6: प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण की संसूचना.....	36
विषय 7: पालन की संसूचना (Communication of Performance) — अवधारणा आधार.....	38
विषय 8: प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण.....	38
इकाई 2.2: प्रतिफल (Consideration) (महत्त्व: D).....	40
विषय 1: प्रतिफल क्या है? (What is Consideration?).....	40
विषय 2: प्रतिफल सम्बन्धी विधिक नियम.....	41
विषय 3: संविदा के तीसरे पक्ष द्वारा वाद.....	42
विषय 4: प्रतिफल रहित करार की वैधता.....	44
इकाई 2.3: वैध संविदा के अन्य अनिवार्य तत्त्व (Other Essential Elements of Valid Contract) (महत्त्व: C).....	46
विषय 1: संविदा करने की क्षमता (Capacity to Contract).....	46
विषय 2: स्वतन्त्र सम्मति (Free Consent).....	48
विषय 3: स्वतन्त्र सम्मति को दूषित करने वाले तत्त्व.....	49
विषय 4: उद्देश्य एवं प्रतिफल की विधिपूर्णता.....	52
विषय 5: शून्य करार (Void Agreements).....	54
इकाई 2.4: संविदा का पालन (Performance of Contract) (महत्त्व: C).....	57
विषय 1: संविदा का पालन (Performance of Contract).....	57
विषय 2: वैध निविदा/प्रयत्नित पालन की शर्तें — अवधारणा आधार.....	58
विषय 3: संविदा का पालन कौन कर सकता है (Sections 40, 41 एवं 42).....	59
विषय 4: उत्तराधिकार एवं समनुदेशन में अन्तर — अवधारणा आधार.....	60
विषय 5: संयुक्त वचनदाता एवं वचनगृहीता का दायित्व.....	60
विषय 6: वचन के पालन का समय एवं स्थान — अवधारणा आधार.....	62
विषय 7: पारस्परिक वचनों का पालन.....	63
विषय 8: भुगतानों का विनियोजन (Appropriation of Payments).....	64
विषय 9: वे संविदाएँ जिनका पालन आवश्यक नहीं — दोनों पक्षकारों की सम्मति से.....	65
विषय 10: संविदा का उन्मोचन (Discharge of a Contract).....	66
इकाई 2.5: संविदा-भंग एवं उसके उपचार (Breach of Contract and its Remedies) (महत्त्व: C).....	68
विषय 1: संविदा का पूर्वप्रत्याशित भंग (Anticipatory Breach).....	68
विषय 2: संविदा का वास्तविक भंग (Actual Breach).....	69

विषय 3: नुकसानी का वाद (Suit for Damages).....	70
विषय 4: शास्ति एवं परिनिर्धारित नुकसानी (Section 74).....	72
इकाई 2.6: समाश्रित एवं कल्पित संविदाएँ (Contingent and Quasi Contracts) (महत्त्व: D).....	74
विषय 1: समाश्रित संविदाएँ (Contingent Contracts).....	74
विषय 2: प्रवर्तन सम्बन्धी नियम (Rules Relating to Enforcement).....	75
विषय 3: कल्पित संविदाएँ (Quasi Contracts).....	77
इकाई 2.7: क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति की संविदा (Contract of Indemnity and Guarantee) (महत्त्व: C).....	79
विषय 1: क्षतिपूर्ति की संविदा (Contract of Indemnity).....	79
विषय 2: प्रत्याभूति की संविदा (Contract of Guarantee).....	80
विषय 3: प्रत्याभूतियों के प्रकार (Types of Guarantees) — अवधारणा आधार.....	82
विषय 4: क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति की संविदा में अन्तर.....	82
विषय 5: प्रतिभू के दायित्व का स्वरूप एवं विस्तार [Section 128].....	84
विषय 6: प्राथमिक रूप से दायी दो व्यक्तियों का दायित्व — उनके आपसी प्रबन्ध से अप्रभावित (Section 132) — अवधारणा आधार.....	85
विषय 7: प्रतिभू का उन्मोचन (Discharge of a Surety).....	85
विषय 8: प्रतिभू के अधिकार (Rights of a Surety).....	87
इकाई 2.8: उपनिधान एवं गिरवी (Bailment and Pledge) (महत्त्व: D).....	89
विषय 1: उपनिधान क्या है? (What is Bailment?).....	89
विषय 2: उपनिधाता के कर्तव्य (Duties of a Bailor).....	91
विषय 3: उपनिहिती के कर्तव्य (Duties of a Bailee).....	92
विषय 4: उपनिधाता के अधिकार (Rights of a Bailor).....	94
विषय 5: उपनिहिती के अधिकार (Rights of a Bailee) — अवधारणा आधार.....	94
विषय 6: किसी दोषकर्ता (तीसरे पक्ष) के विरुद्ध उपनिधाता एवं उपनिहिती के अधिकार.....	95
विषय 7: उपनिधान की समाप्ति (Termination of Bailment).....	96
विषय 8: खोए हुए माल का पाने वाला (Finder of Lost Goods).....	97
विषय 9: धारणाधिकार (Right of Lien).....	98
विषय 10: गिरवी (Pledge).....	99
विषय 11: अ-स्वामी द्वारा गिरवी (Pledge by Non-Owner).....	100
विषय 12: उपनिधान एवं गिरवी में अन्तर.....	102
इकाई 2.9: अभिकरण (Agency) (महत्त्व: C).....	103
विषय 1: अभिकरण क्या है? (What is Agency?) — अवधारणा आधार.....	103
विषय 2: अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं प्राधिकार — अवधारणा आधार.....	103
विषय 3: अभिकरण का सृजन (Creation of Agency).....	104
विषय 4: अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार.....	106
विषय 5: उप-अभिकर्ता (Sub-Agents).....	107
विषय 6: प्रतिस्थापित अभिकर्ता (Substituted Agent).....	108
विषय 7: उप-अभिकर्ता एवं प्रतिस्थापित अभिकर्ता में अन्तर.....	109
विषय 8: अभिकर्ता के कर्तव्य एवं बाध्यताएँ.....	110
विषय 9: अभिकर्ता के अधिकार (Rights of an Agent) — अवधारणा आधार.....	111
विषय 10: तीसरे पक्षों के प्रति मालिक का दायित्व.....	112
विषय 11: तीसरे पक्षों के प्रति अभिकर्ता का व्यक्तिगत दायित्व.....	113
विषय 12: प्राधिकार का प्रतिसंहरण (Revocation of Authority).....	114
अध्याय 3: माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930) (महत्त्व: B).....	117
इकाई 3.1: विक्रय-संविदा का गठन (Formation of the Contract of Sale) (महत्त्व: D).....	117
विषय 1: अधिनियम का विस्तार (Scope of the Act) — अवधारणा आधार.....	117
विषय 2: परिभाषाएँ (Definitions).....	118
विषय 3: विक्रय तथा विक्रय का करार (Sale and Agreement to Sell — Section 4).....	119
विषय 4: विक्रय तथा विक्रय के करार में अन्तर.....	121
विषय 5: विक्रय तथा अन्य समरूप संविदाओं में अन्तर.....	122

विषय 6: विक्रय-संविदा कैसे की जाती है (Section 5) — अवधारणा आधार.....	123
विषय 7: विक्रय-संविदा की विषय-वस्तु (Subject Matter of Contract of Sale).....	124
विषय 8: मूल्य का अभिनिश्चयन (Sections 9 एवं 10).....	125
इकाई 3.2: शर्तें एवं आश्वासन (Conditions and Warranties) (महत्त्व: B).....	127
विषय 1: समय सम्बन्धी शर्त (Section 11) — अवधारणा आधार.....	127
विषय 2: परिचय — शर्तें एवं आश्वासन (Conditions and Warranties).....	127
विषय 3: शर्त को आश्वासन कब माना जाए (Section 13).....	128
विषय 4: व्यक्त एवं विवक्षित शर्तें तथा आश्वासन (Sections 14-17).....	130
विषय 5: क्रेता सावधान (Caveat Emptor).....	133
इकाई 3.3: स्वामित्व का अन्तरण एवं माल की सुपुर्दगी (Transfer of Ownership and Delivery of Goods) (महत्त्व: C).....	134
विषय 1: सम्पत्ति का अन्तरण (Sections 18-26).....	135
विषय 2: जोखिम प्रथम-दृष्टया सम्पत्ति के साथ जाता है (Section 26).....	138
विषय 3: अ-स्वामियों द्वारा हक का अन्तरण (Sections 27-30).....	138
विषय 4: विक्रय-संविदा का पालन (Sections 31-44).....	140
इकाई 3.4: अदत्त विक्रेता (Unpaid Seller) (महत्त्व: C).....	143
विषय 1: अदत्त विक्रेता (Unpaid Seller — Section 45) — अवधारणा आधार.....	143
विषय 2: अदत्त विक्रेता के अधिकार (Section 46) — अवधारणा आधार.....	143
विषय 3: माल के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार.....	144
विषय 4: क्रेता के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार (Sections 55-61).....	147
विषय 5: विक्रेता के विरुद्ध क्रेता के उपचार.....	148
विषय 6: नीलामी विक्रय (Auction Sale — Section 64).....	149
विषय 7: विक्रय-संविदा में बड़े या घटे करों का समावेश (Section 64A) — अवधारणा आधार.....	151
अध्याय 4: भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932) (महत्त्व: A).....	152
इकाई 4.1: साझेदारी की सामान्य प्रकृति (General Nature of a Partnership) (महत्त्व: D).....	152
विषय 1: 'Partnership', 'Partner', 'Firm' तथा 'Firm Name' की परिभाषा (Section 4) — अवधारणा आधार.....	152
विषय 2: साझेदारी के तत्त्व (Elements of Partnership).....	153
विषय 3: साझेदारी की असली कसौटी (True Test of Partnership).....	154
विषय 4: साझेदारी तथा अन्य संगठन-रूपों में अन्तर (Partnership Distinguished from Other Forms of Organisation).....	156
विषय 5: साझेदारी के प्रकार (Kinds of Partnerships).....	159
विषय 6: साझेदारों के प्रकार (Types of Partners).....	160
इकाई 4.2: साझेदारों के पारस्परिक सम्बन्ध (Relations of Partners) (महत्त्व: A).....	162
विषय 1: साझेदारों का परस्पर सम्बन्ध (Relation of Partners to One Another).....	162
विषय 2: साझेदारी सम्पत्ति (Partnership Property — Section 14).....	164
विषय 3: साझेदारों द्वारा अर्जित व्यक्तिगत लाभ (Personal Profit Earned by Partners — Section 16).....	166
विषय 4: फर्म में परिवर्तन के पश्चात् साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य (Section 17) — अवधारणा आधार.....	167
विषय 5: तीसरे पक्षों के साथ साझेदारों का सम्बन्ध (Relation of Partners to Third Parties).....	167
विषय 6: किसी साझेदार द्वारा की गई स्वीकृति का प्रभाव (Section 23) — अवधारणा आधार.....	169
विषय 7: कार्यरत साझेदार को दी गई सूचना का प्रभाव (Section 24).....	170
विषय 8: तीसरे पक्षों के प्रति दायित्व (Sections 25 से 27).....	170
विषय 9: साझेदार के हित के अन्तरिती के अधिकार (Section 29).....	172
विषय 10: साझेदारी के लाभों में प्रविष्ट अवयस्क (Section 30).....	173
विषय 11: साझेदार के आने और जाने के विधिक परिणाम (Sections 31-35).....	174
विषय 12: निवर्तमान साझेदार का प्रतिस्पर्धी व्यवसाय चलाने का अधिकार (Section 36).....	177
विषय 13: कुछ दशाओं में निवर्तमान साझेदार का बाद के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार (Section 37).....	178
विषय 14: फर्म में परिवर्तन से चालू प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण (Section 38).....	179
इकाई 4.3: फर्म का पंजीकरण एवं विघटन (Registration and Dissolution of Firm) (महत्त्व: B).....	180
विषय 1: फर्मों का पंजीकरण (Registration of Firms).....	180
विषय 2: पंजीकरण न कराने के परिणाम (Section 69).....	181

विषय 3: फर्म का विघटन (Sections 39-47).....	182
विषय 4: विघटन के परिणाम (Sections 45-55).....	185
अध्याय 5: सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 (The Limited Liability Partnership Act, 2008) (महत्त्व: B).....	188
विषय 1: सीमित दायित्व साझेदारी — अर्थ एवं अवधारणा (LLP: Meaning and Concept).....	188
विषय 2: LLP के लक्षण (Characteristics of LLP).....	190
विषय 3: LLP का निगमन (Incorporation of LLP).....	192
विषय 4: अन्य संगठन-रूपों से अन्तर (Differences With Other Forms of Organisation).....	194
अध्याय 6: कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013) (महत्त्व: A).....	196
विषय 1: कम्पनी का अर्थ एवं उसके लक्षण (Company: Meaning & its Features).....	196
विषय 2: निगमित आवरण का सिद्धान्त (Corporate Veil Theory).....	198
विषय 3: अधिनियम के अधीन कम्पनियों के वर्ग (Classes of Companies).....	199
विषय 4: कम्पनी के पंजीकरण/निगमन की रीति (Mode of Registration/Incorporation).....	203
विषय 5: पूँजी का वर्गीकरण (Classification of Capital).....	204
विषय 6: अंश (Shares).....	205
विषय 7: पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association).....	206
विषय 8: शक्ति-बाहुता का सिद्धान्त (Doctrine of Ultra Vires).....	207
विषय 9: पार्षद अन्तर्नियम (Articles of Association).....	209
विषय 10: आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त (Doctrine of Indoor Management).....	210
अध्याय 7: परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881) (महत्त्व: B).....	213
विषय 1: परक्राम्य लिखतों का अर्थ (Meaning of Negotiable Instruments).....	213
विषय 2: वचन-पत्र (Promissory Note).....	214
विषय 3: विनिमय-पत्र (Bills of Exchange).....	215
विषय 4: चेक (Cheque).....	217
विषय 5: परक्राम्य लिखतों का वर्गीकरण (Classification of Negotiable Instruments).....	218
विषय 6: परक्राम्य लिखतों का परक्रामण/अन्तरण (Negotiation of Negotiable Instruments).....	220
विषय 7: खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेकों का अनादर (Sections 138 से 142).....	222
विषय 8: लिखतों की प्रस्तुति (Presentment of Instruments).....	224
विषय 9: प्रतिकर के नियम (Rules of Compensation) — अवधारणा आधार.....	226

शुरू करने से पहले

इन नोट्स का उपयोग कैसे करें

Scanner का प्रत्येक प्रश्न पढ़ा और वर्गीकृत किया गया है — **इस पेपर में 617 प्रश्न** — उसी कौशल-ढाँचे पर जिसे ICAI स्वयं प्रकाशित करता है। ये नोट्स syllabus के क्रम पर नहीं, इसी वर्गीकरण पर बने हैं। इस पृष्ठ पर दिए गए दस मिनट पूरी पुस्तक के उपयोग का तरीका बदल देंगे।

1. एक विषय का ढाँचा

इसे इस प्रकार पढ़िए	
पहले पढ़ें	Study Material के ठीक वही अनुच्छेद जिन पर विषय टिका है। नोट्स पढ़ने से पहले Study Material खोलकर उन्हें पढ़िए — नोट्स यही मानकर लिखे गए हैं।
नोट्स	विषय वास्तव में जिस बात पर टिकता है — coverage के लिए नहीं, परीक्षा के लिए लिखा गया। संक्षिप्त, और परीक्षा से एक रात पहले दोबारा पढ़ने योग्य।
कौशल-स्तर	प्रत्येक स्तर वह कौशल है जो परीक्षक ने उस विषय पर वास्तव में माँगा है; साथ में कुछ पंक्तियों का मार्गदर्शन और अभ्यास के लिए Scanner के ठीक वही प्रश्न। स्तरों को छपे हुए क्रम में ही पढ़िए — ये कम माँग वाले कौशल से अधिक माँग वाले कौशल की ओर बढ़ते हैं।
अवधारणा आधार	वह विषय जहाँ तक परीक्षक अभी पहुँचा नहीं है। यह वैकल्पिक नहीं है — केवल अभी तक पूछा नहीं गया है, और परीक्षा-योग्य है। इस पेपर में ऐसे 22 विषय हैं।

2. प्रश्न-पंक्ति कैसे पढ़ें

PQ 5.24 • PYQ 2026-Sep [2] (b) • 10M • Pg 173		LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	कठिन
पंक्ति का अंश	वह आपको क्या बताता है		
PQ 5.24	Scanner का अपना प्रश्न-क्रमांक। PQ व्यावहारिक प्रश्न, TQ सैद्धान्तिक प्रश्न।		
PYQ 2026-Sep [2] (b)	कहाँ पूछा गया — PYQ विगत परीक्षा, MTP mock test paper, RTP revision test paper — फिर वह sitting, और उस पेपर में उसका क्रमांक।		
{C}	Case-scenario प्रश्न।		
DESC • TF • SN • DB	सैद्धान्तिक प्रश्न का प्रकार: वर्णनात्मक, सत्य/असत्य, संक्षिप्त टिप्पणी, अन्तर बताइए। व्यावहारिक प्रश्नों पर ऐसा कोई tag नहीं होता।		
10M	अंक, जैसे Scanner में छपे हैं। जहाँ स्रोत अंक नहीं छापता वहाँ रिक्त — RTP प्रायः नहीं छापते।		

पंक्ति का अंश	वह आपको क्या बताता है
Pg 173	Scanner का वह पृष्ठ जहाँ प्रश्न और उसका उत्तर छपा है।
LEVEL II अनुप्रयोग	ICAI का कौशल-स्तर, और उसके भीतर का कौशल। खंड 3 इन्हें समझाता है।
8× पूछा गया	वही प्रश्न विगत परीक्षाओं, mock tests और revision tests में इतनी बार पूछा जा चुका है। इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दीजिए।
कठिन	प्रश्न कितना माँग वाला है — उसके अंकों और उसमें पूछी गई अलग-अलग बातों की संख्या के आधार पर।

3. आकलन की रीति — प्रत्येक कौशल आपसे क्या माँगता है

ICAI एक **Skill Assessment Specification Grid** प्रकाशित करता है। उसमें तीन कौशल-स्तर दिए गए हैं, और **Manner of Assessment of Skills** स्तम्भ में प्रत्येक स्तर को दो अलग-अलग कौशलों के रूप में वर्णित किया गया है। वही छह कौशल इस पुस्तक में चलने वाले बैंड-शीर्षक हैं।

कौशल	स्तर	परीक्षक आपसे क्या कराना चाहता है	ध्यान देने योग्य directive verbs
स्मरण (Remembering)	Level I	जो सीखा है उसे उसी रूप में प्रस्तुत कीजिए।	Define • List • State • Name • Enumerate • Recognise
समझ (Understanding)	Level I	उसे समझाइए और सन्दर्भ में रखिए — यह दिखाइए कि नियम जैसा है वैसा क्यों है, यह आपने समझा है।	Describe • Explain • Distinguish • Identify • Illustrate • Outline
अनुप्रयोग (Application)	Level II	ज्ञान, अवधारणा अथवा तकनीक का प्रयोग कीजिए अथवा उसे दिखाइए। प्रश्न हल कीजिए।	Apply • Calculate • Determine • Prepare • Reconcile • Record • Perform • Use • Conduct • Demonstrate
विश्लेषण (Analysis)	Level II	मूल कारण पहचानने के लिए अलग-अलग क्षेत्रों के पारस्परिक सम्बन्ध जाँचिए और निर्णय का समर्थन करने वाला प्रमाण खोजिए।	Analyse • Discuss • Compare and Contrast • Examine • Develop • Monitor • Prioritise • Align • Communicate
मूल्यांकन (Evaluation)	Level III	समस्या का आकलन कीजिए और विवेक से निष्कर्ष तक पहुँचिए।	Advise • Evaluate • Recommend • Review • Select • Assess
संश्लेषण (Synthesis)	Level III	आँकड़ों और सूचनाओं को जोड़िए, प्रासंगिक तथ्यों को अप्रासंगिक से अलग करते हुए।	संश्लेषण के लिए ICAI कोई verb नहीं देता।

ICAI **Application** और **Analysis** के verbs दो अलग सूचियों में छापता है, इसलिए वह विभाजन स्वयं Institute का है। Level I और Level III के लिए वह एक-एक संयुक्त सूची छापता है — अतः **स्मरण और समझ** के बीच तथा **मूल्यांकन और संश्लेषण** के बीच की रेखा verbs की प्रकाशित सूची पर नहीं, ICAI के Manner of Assessment के वर्णन पर

आधारित है।

CA Foundation का आकलन केवल Level I और Level II पर होता है — Prospectus इस पाठ्यक्रम के लिए Level III स्तम्भ नहीं छापता, इसीलिए ऊपर की अन्तिम दो पंक्तियाँ धूसर हैं। मूल्यांकन और संश्लेषण Final से आरम्भ होते हैं।

4. कौशल-मिश्रण आपकी तैयारी में क्या बदलेगा

ICAI इस पेपर को अंकों के आधार पर **Level I 5-20%** और **Level II 80-95%** श्रेणीबद्ध करता है। इससे दो बातें निकलती हैं, जिन्हें चूक जाना आसान है।

- **पढ़ लेना तैयारी नहीं है।** पाँच में से चार अंक प्रश्न हल करने के लिए हैं, उसका वर्णन करने के लिए नहीं। जिस विषय को आप समझा तो सकते हैं पर कभी हल नहीं किया, वह विषय तैयार नहीं है।
- **पेपर का सन्तुलन प्रत्येक अध्याय का सन्तुलन नहीं है।** प्रत्येक अध्याय अपने ICAI कौशल प्रोफ़ाइल पैनेल से आरम्भ होता है, जो बताता है कि उस अध्याय के अंक वास्तव में कैसे बँटे हैं और उसकी तैयारी के लिए इसका क्या अर्थ है। कुछ अध्याय लगभग पूरे सैद्धान्तिक हैं; कुछ में सिद्धान्त नाममात्र है। अध्याय आरम्भ करने से पहले वह पैनेल पढ़िए।

5. पुस्तक के आरम्भ में दो मार्गदर्शिकाएँ

यह किसलिए है	
विषय रैंकिंग	वर्गीकृत Scanner प्रश्नों में अपने हिस्से के आधार पर प्रत्येक परीक्षित विषय की रैंकिंग, और संचयी coverage पर A, B अथवा C श्रेणी। श्रेणी A कुल प्रश्नों के पहले 60% को समेटती है — पहले उन्हें पूर्ण अधिकार तक तैयार कीजिए।
महत्त्व ग्रेड	विषय-सूची में प्रत्येक अध्याय और इकाई के सामने छपा A-D ग्रेड। यह ICAI का syllabus भारांक संकेत है जैसा Scanner उसे प्रकाशित करता है, और प्रश्न-आवृत्ति की रैंकिंग से अलग है। जहाँ दोनों असहमत हों, वहाँ दोनों में से ऊँचे मानक पर तैयारी कीजिए।

अध्ययन प्राथमिकता मार्गदर्शिका

विषय रैंकिंग — परीक्षा भारांक

पहले पढ़ें: इस पुस्तिका का प्रत्येक वह विषय जिसे परीक्षक ने वास्तव में पूछा है, नीचे 617 वर्गीकृत Scanner प्रश्नों में अपने हिस्से के आधार पर — सभी 20 इकाइयों को मिलाकर — रैंक किया गया है, और संचयी coverage पर A, B अथवा C श्रेणी दी गई है। **श्रेणी A (रैंक 1-32)** सभी वर्गीकृत प्रश्नों के पहले 60% को समेटती है। **श्रेणी B (रैंक 33-51)** अगले लगभग 15% जोड़ती है, जिससे coverage लगभग 75% हो जाता है। **श्रेणी C** शेष 25% है: एक लम्बी पूँछ, जिससे अंक निकालना धीमा है और जिसका बहुत-सा भाग A और B की तैयारी करते समय स्वतः तैयार हो जाता है। **पृष्ठ** स्तम्भ बताता है कि उस विषय के नोट्स किस पृष्ठ पर आरम्भ होते हैं।

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
1	A	कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)	अधिनियम के अधीन कम्पनियों के वर्ग (Classes of Companies)	6.3%	6.3%	199
2	A	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	व्यक्त एवं विवक्षित शर्तें तथा आश्वासन (Sections 14-17)	4.2%	10.5%	130
3	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	स्वतन्त्र सम्मति को दूषित करने वाले तत्त्व	3.6%	14.1%	49
4	A	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	सम्पत्ति का अन्तरण (Sections 18-26)	2.8%	16.9%	135
5	A	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881)	खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेकों का अनादर (Sections 138 से 142)	2.8%	19.6%	222
6	A	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदार के आने और जाने के विधिक परिणाम (Sections 31-35)	2.6%	22.2%	174
7	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रतिभू का उन्मोचन (Discharge of a Surety)	2.1%	24.3%	85
8	A	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The	फर्म का विघटन (Sections 39-47)	1.9%	26.3%	182

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
		Indian Partnership Act, 1932)				
9	A	सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 (The Limited Liability Partnership Act, 2008)	LLP का निगमन (Incorporation of LLP)	1.9%	28.2%	192
10	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	शून्य करार (Void Agreements)	1.8%	30.0%	54
11	A	सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 (The Limited Liability Partnership Act, 2008)	सीमित दायित्व साझेदारी — अर्थ एवं अवधारणा (LLP: Meaning and Concept)	1.8%	31.8%	188
12	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रतिफल रहित करार की वैधता	1.6%	33.4%	44
13	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	संविदा करने की क्षमता (Capacity to Contract)	1.6%	35.0%	46
14	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	कल्पित संविदाएँ (Quasi Contracts)	1.6%	36.6%	77
15	A	कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)	निगमित आवरण का सिद्धान्त (Corporate Veil Theory)	1.6%	38.2%	198
16	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	संविदाओं के प्रकार (Types of Contracts)	1.5%	39.7%	31
17	A	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	माल के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार	1.5%	41.2%	144
18	A	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदारी की असली कसौटी (True Test of Partnership)	1.5%	42.6%	154
19	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	उद्देश्य एवं प्रतिफल की विधिपूर्णता	1.3%	43.9%	52

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
20	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	नुकसानी का वाद (Suit for Damages)	1.3%	45.2%	70
21	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	उपनिहिती के कर्तव्य (Duties of a Bailee)	1.3%	46.5%	92
22	A	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	तीसरे पक्षों के साथ साझेदारों का सम्बन्ध (Relation of Partners to Third Parties)	1.3%	47.8%	167
23	A	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881)	परक्राम्य लिखतों का वर्गीकरण (Classification of Negotiable Instruments)	1.3%	49.1%	218
24	A	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881)	लिखतों की प्रस्तुति (Presentment of Instruments)	1.3%	50.4%	224
25	A	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	अ-स्वामियों द्वारा हक का अन्तरण (Sections 27-30)	1.1%	51.5%	138
26	A	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	विक्रय-संविदा का पालन (Sections 31-44)	1.1%	52.7%	140
27	A	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदारों का परस्पर सम्बन्ध (Relation of Partners to One Another)	1.1%	53.8%	162
28	A	कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)	कम्पनी का अर्थ एवं उसके लक्षण (Company: Meaning & its Features)	1.1%	54.9%	196
29	A	कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)	आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त (Doctrine of Indoor Management)	1.1%	56.1%	210
30	A	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881)	परक्राम्य लिखतों का परक्रामण/अन्तरण (Negotiation of Negotiable Instruments)	1.1%	57.2%	220

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
31	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	संयुक्त वचनदाता एवं वचनगृहीता का दायित्व	1.0%	58.2%	60
32	A	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्राधिकार का प्रतिसंहरण (Revocation of Authority)	1.0%	59.2%	114
33	B	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	मूल्य का अभिनिश्चयन (Sections 9 एवं 10)	1.0%	60.1%	125
34	B	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदारी के प्रकार (Kinds of Partnerships)	1.0%	61.1%	159
35	B	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदार के हित के अन्तरिती के अधिकार (Section 29)	1.0%	62.1%	172
36	B	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881)	विनिमय-पत्र (Bills of Exchange)	1.0%	63.0%	215
37	B	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881)	चेक (Cheque)	1.0%	64.0%	217
38	B	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	वैध संविदा के अनिवार्य तत्त्व (Essentials of Valid Contract)	0.8%	64.8%	29
39	B	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रस्थापना/प्रस्ताव [Section 2(a)]	0.8%	65.6%	33
40	B	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण की संसूचना	0.8%	66.5%	36
41	B	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	संविदा का उन्मोचन (Discharge of a Contract)	0.8%	67.3%	66

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
42	B	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रतिभू के अधिकार (Rights of a Surety)	0.8%	68.1%	87
43	B	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	नीलामी विक्रय (Auction Sale — Section 64)	0.8%	68.9%	149
44	B	कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)	शक्ति-बाह्यता का सिद्धान्त (Doctrine of Ultra Vires)	0.8%	69.7%	207
45	B	कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)	पार्षद अन्तर्नियम (Articles of Association)	0.8%	70.5%	209
46	B	भारतीय नियामक ढाँचा (Indian Regulatory Framework)	विधि बनाने की प्रक्रिया (The Process of Making A Law)	0.6%	71.2%	23
47	B	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण	0.6%	71.8%	38
48	B	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	संविदा के तीसरे पक्ष द्वारा वाद	0.6%	72.4%	42
49	B	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	संविदा का पालन कौन कर सकता है (Sections 40, 41 एवं 42)	0.6%	73.1%	59
50	B	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	पारस्परिक वचनों का पालन	0.6%	73.7%	63
51	B	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	संविदा का पूर्वप्रत्याशित भंग (Anticipatory Breach)	0.6%	74.4%	68
52	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	शास्ति एवं परिनिर्धारित नुकसानी (Section 74)	0.6%	75.0%	72
53	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रत्याभूति की संविदा (Contract of Guarantee)	0.6%	75.7%	80
54	C	भारतीय संविदा अधिनियम,	उपनिधान क्या है? (What is	0.6%	76.3%	89

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
		1872 (The Indian Contract Act, 1872)	Bailment?)			
55	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	अ-स्वामी द्वारा गिरवी (Pledge by Non-Owner)	0.6%	77.0%	100
56	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार	0.6%	77.6%	106
57	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	परिभाषाएँ (Definitions)	0.6%	78.3%	118
58	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	विक्रय तथा विक्रय का करार (Sale and Agreement to Sell — Section 4)	0.6%	78.9%	119
59	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	क्रेता सावधान (Caveat Emptor)	0.6%	79.6%	133
60	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदारी के तत्त्व (Elements of Partnership)	0.6%	80.2%	153
61	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदारों के प्रकार (Types of Partners)	0.6%	80.9%	160
62	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	तीसरे पक्षों के प्रति दायित्व (Sections 25 से 27)	0.6%	81.5%	170
63	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदारी के लाभों में प्रविष्ट अवयस्क (Section 30)	0.6%	82.2%	173
64	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	पंजीकरण न कराने के परिणाम (Section 69)	0.6%	82.8%	181

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
65	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	विघटन के परिणाम (Sections 45-55)	0.6%	83.5%	185
66	C	सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 (The Limited Liability Partnership Act, 2008)	LLP के लक्षण (Characteristics of LLP)	0.6%	84.1%	190
67	C	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881)	वचन-पत्र (Promissory Note)	0.6%	84.8%	214
68	C	भारतीय नियामक ढाँचा (Indian Regulatory Framework)	विधि का प्रवर्तन (Enforcing The Law)	0.5%	85.3%	24
69	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	संविदा का पालन (Performance of Contract)	0.5%	85.7%	57
70	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	भुगतानों का विनियोजन (Appropriation of Payments)	0.5%	86.2%	64
71	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	समाश्रित संविदाएँ (Contingent Contracts)	0.5%	86.7%	74
72	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	खोए हुए माल का पाने वाला (Finder of Lost Goods)	0.5%	87.2%	97
73	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	गिरवी (Pledge)	0.5%	87.7%	99
74	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	अभिकरण का सृजन (Creation of Agency)	0.5%	88.2%	104
75	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	विक्रय-संविदा की विषय-वस्तु (Subject Matter of Contract of Sale)	0.5%	88.7%	124
76	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	शर्त को आश्वासन कब माना जाए (Section 13)	0.5%	89.1%	128

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
Goods Act, 1930)						
77	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदारी तथा अन्य संगठन-रूपों में अन्तर (Partnership Distinguished from Other Forms of Organisation)	0.5%	89.6%	156
78	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदारी सम्पत्ति (Partnership Property — Section 14)	0.5%	90.1%	164
79	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	कुछ दशाओं में निवर्तमान साझेदार का बाद के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार (Section 37)	0.5%	90.6%	178
80	C	भारतीय नियामक ढाँचा (Indian Regulatory Framework)	भारतीय न्यायपालिका की संरचना (Structure of the Indian Judicial System)	0.3%	90.9%	26
81	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रतिग्रहण (Acceptance)	0.3%	91.2%	35
82	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रतिफल सम्बन्धी विधिक नियम	0.3%	91.6%	41
83	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	स्वतन्त्र सम्मति (Free Consent)	0.3%	91.9%	48
84	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	वे संविदाएँ जिनका पालन आवश्यक नहीं — दोनों पक्षकारों की सम्मति से	0.3%	92.2%	65
85	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	क्षतिपूर्ति की संविदा (Contract of Indemnity)	0.3%	92.5%	79
86	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	उपनिधान की समाप्ति (Termination of Bailment)	0.3%	92.9%	96
87	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	अभिकर्ता के कर्तव्य एवं बाध्यताएँ	0.3%	93.2%	110

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
88	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	परिचय — शर्तें एवं आश्वासन (Conditions and Warranties)	0.3%	93.5%	127
89	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	क्रेता के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार (Sections 55-61)	0.3%	93.8%	147
90	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	साझेदारों द्वारा अर्जित व्यक्तिगत लाभ (Personal Profit Earned by Partners — Section 16)	0.3%	94.2%	166
91	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	निवर्तमान साझेदार का प्रतिस्पर्धी व्यवसाय चलाने का अधिकार (Section 36)	0.3%	94.5%	177
92	C	सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 (The Limited Liability Partnership Act, 2008)	अन्य संगठन-रूपों से अन्तर (Differences With Other Forms of Organisation)	0.3%	94.8%	194
93	C	कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)	कम्पनी के पंजीकरण/निगमन की रीति (Mode of Registration/Incorporation)	0.3%	95.1%	203
94	C	कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)	पूँजी का वर्गीकरण (Classification of Capital)	0.3%	95.5%	204
95	C	कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)	अंश (Shares)	0.3%	95.8%	205
96	C	भारतीय नियामक ढाँचा (Indian Regulatory Framework)	विधि के स्रोत (Sources of Law)	0.2%	95.9%	22
97	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	संविदा क्या है? (What is Contract?)	0.2%	96.1%	28
98	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रतिफल क्या है? (What is Consideration?)	0.2%	96.3%	40
99	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian	संविदा का वास्तविक भंग (Actual	0.2%	96.4%	69

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
		Contract Act, 1872)	Breach)			
100	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रवर्तन सम्बन्धी नियम (Rules Relating to Enforcement)	0.2%	96.6%	75
101	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति की संविदा में अन्तर	0.2%	96.8%	82
102	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रतिभू के दायित्व का स्वरूप एवं विस्तार [Section 128]	0.2%	96.9%	84
103	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	उपनिधाता के कर्तव्य (Duties of a Bailor)	0.2%	97.1%	91
104	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	उपनिधाता के अधिकार (Rights of a Bailor)	0.2%	97.2%	94
105	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	किसी दोषकर्ता (तीसरे पक्ष) के विरुद्ध उपनिधाता एवं उपनिहिती के अधिकार	0.2%	97.4%	95
106	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	धारणाधिकार (Right of Lien)	0.2%	97.6%	98
107	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	उपनिधान एवं गिरवी में अन्तर	0.2%	97.7%	102
108	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	उप-अभिकर्ता (Sub-Agents)	0.2%	97.9%	107
109	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	प्रतिस्थापित अभिकर्ता (Substituted Agent)	0.2%	98.1%	108
110	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	उप-अभिकर्ता एवं प्रतिस्थापित अभिकर्ता में अन्तर	0.2%	98.2%	109
111	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	तीसरे पक्षों के प्रति मालिक का दायित्व	0.2%	98.4%	112

#	श्रेणी	अध्याय	विषय	हिस्सा	संचयी	पृष्ठ
112	C	भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)	तीसरे पक्षों के प्रति अभिकर्ता का व्यक्तिगत दायित्व	0.2%	98.5%	113
113	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	विक्रय तथा विक्रय के करार में अन्तर	0.2%	98.7%	121
114	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	विक्रय तथा अन्य समरूप संविदाओं में अन्तर	0.2%	98.9%	122
115	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	जोखिम प्रथम-दृष्टया सम्पत्ति के साथ जाता है (Section 26)	0.2%	99.0%	138
116	C	माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)	विक्रेता के विरुद्ध क्रेता के उपचार	0.2%	99.2%	148
117	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	कार्यरत साझेदार को दी गई सूचना का प्रभाव (Section 24)	0.2%	99.4%	170
118	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	फर्म में परिवर्तन से चालू प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण (Section 38)	0.2%	99.5%	179
119	C	भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)	फर्मों का पंजीकरण (Registration of Firms)	0.2%	99.7%	180
120	C	कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)	पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association)	0.2%	99.8%	206
121	C	परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881)	परक्राम्य लिखतों का अर्थ (Meaning of Negotiable Instruments)	0.2%	100.0%	213

हिस्सा % Scanner से लिया गया प्रश्न-आवृत्ति संकेत है — अर्थात् वास्तव में क्या पूछा गया है। प्रत्येक अध्याय और इकाई के सामने छपा

महत्त्व ग्रेड (A-D) ICAI का अपना भारांक संकेत है, जैसा Scanner की front matter में प्रकाशित होता है। दोनों अलग-अलग बातें मापते हैं; जहाँ वे भिन्न हों, वहाँ दोनों में से ऊँचे मानक पर तैयारी कीजिए। इनके अतिरिक्त **22 विषय** Scanner की frequency tables में घोषित हैं पर उन पर अभी कोई प्रश्न नहीं है; नोट्स में उन्हें **अवधारणा आधार** का बैज दिया गया है और यहाँ रैंक नहीं किया गया।

अध्याय 1

भारतीय नियामक ढाँचा (Indian Regulatory Framework)

6 विषय • 10 वर्गीकृत प्रश्न • महत्त्व: C

ICAI कौशल प्रोफ़ाइल Level I 5-20% • Level II 80-95% — यह अध्याय है **सिद्धान्त-प्रधान**

Level I — स्मरण एवं समझ

100.0%

51 में से 51 अंक

Level II — अनुप्रयोग एवं विश्लेषण

0.0%

51 में से 0 अंक

विषय 1: परिचय

P2-C1-U1-T01

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें अध्याय 1 का §1 ('Introduction') पढ़िए: Chartered Accountant को विधिक जागरूकता क्यों चाहिए, नियामक ढाँचे का प्रयोजन, तथा Study Material में उद्धृत दो प्राचीन संहिताएँ।

नोट्स

CA विधि क्यों पढ़ता है: पूर्ण Chartered Accountant बनने के लिए विधि की जागरूकता अनिवार्य है — अनेक विधिक मामलों में CA ही सम्पर्क का पहला स्तर होता है, और उसे प्रबन्धन तथा ग्राहकों को आधारभूत या प्रारम्भिक स्तर पर विधिक विषयों में परामर्श देने योग्य होना चाहिए।

नियामक ढाँचे का प्रयोजन: ऐसे एकरूप नियमों एवं विनियमों का समुच्चय देना जो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक — दोनों सम्बन्धों में परस्पर व्यवहार करते लोगों के आचरण को शासित करें; मानव-समाज जैसे-जैसे शिकारी-संग्राहक अवस्था से कृषि एवं औद्योगिक क्रान्तियों से होता हुआ जटिल सामाजिक ढाँचे तक पहुँचा, विधियों की आवश्यकता सदैव बनी रही — उचित आचरण का मार्ग दिखाने के लिए भी, और उल्लंघनों की पहचान कर दंड देने के लिए भी।

प्राचीन संहिताएँ: "Code of Hammurabi" लिखित रूप में सबसे पुरानी विधि मानी जाती है — King Hammurabi ने 1792 BC से 1758 BC तक Babylon पर शासन किया, संहिता को भारी पत्थर-पट्टियों पर उत्कीर्ण कराकर सारे नगर में लगवाया ताकि जनता उसे जान सके, और यह देखने के लिए न्यायाधीश नियुक्त किए कि जनता विधियों का पालन कर रही है या नहीं; 450 BC में Rome में 12 काँसे की पट्टियों पर विधियों का समुच्चय उत्कीर्ण हुआ — Twelve Tables — जिसे किसी भी सभ्यता की पहली सर्वाधिक विस्तृत संहिता माना जाता है; इसका उद्देश्य जनता के अधिकारों की रक्षा तथा अन्यायों का उपचार देना था, और Rome के प्रत्येक नागरिक से इन्हें जानने की अपेक्षा थी।

विषय 2: विधि क्या है? (What Is Law?)

P2-C1-U1-T02

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं · पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें अध्याय 1 का §2 ('What Is Law?') पढ़िए: Study Material की एक-पंक्ति परिभाषा तथा भारत का विधिक ढाँचा किसे प्रतिबिम्बित करता है।

नोट्स

परिभाषा (SM): "Law is a set of obligations and duties imposed by the government for securing welfare and providing justice to society." — यह शब्दावली अक्षरशः याद कीजिए; 'Define Law' वाले किसी भी उत्तर की पहली पंक्ति परीक्षक यही अपेक्षा करता है।

भारतीय सन्दर्भ: भारत का विधिक ढाँचा हमारे विशाल एवं विविधतापूर्ण देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को प्रतिबिम्बित करता है।

परीक्षा में कहाँ: Scanner में इस विषय पर स्वतन्त्र रूप से कोई प्रश्न अभिलिखित नहीं है, किन्तु यह परिभाषा विषय 3 (Sources of Law) के TQ 3.1 का पहला भाग है — 'Define Law and explain various sources of Law', PYQ 2025-Sep, 6 अंक।

विषय 3: विधि के स्रोत (Sources of Law)

P2-C1-U1-T03

पहले पढ़ें अध्याय 1 'Indian Regulatory Framework' के अनुच्छेद 2 ('What is Law?') तथा 3 ('Sources of Law') पढ़िए: विधि की परिभाषा, चार मुख्य स्रोत, संविधान के पूर्ववर्ती Government of India Act, 1935, तथा तीन विधायी सूचियाँ।

नोट्स

विधि (SM): "Law is a set of obligations and duties imposed by the government for securing welfare and providing justice to society" — भारत का विधिक ढाँचा एक विशाल, विविधतापूर्ण देश के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक पक्षों को प्रतिबिम्बित करता है।

चार मुख्य स्रोत: (1) संविधान, (2) Parliament तथा State Assemblies द्वारा बनाए गए statutes, (3) न्यायालयों के precedents/न्यायिक निर्णय, (4) स्थापित रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ; Parliament ही अन्तिम विधि-निर्माता निकाय है — उसकी विधियाँ सम्पूर्ण भारत अथवा उसके किसी भाग पर लागू हो सकती हैं, जबकि राज्य की विधियाँ केवल उसी राज्य के भीतर।

भारत का संविधान, 1950: सर्वोपरि विधि, सभी विधियों का आधार एवं स्रोत; यह लोकतान्त्रिक व्यवस्था का ढाँचा रखता है, मूल अधिकार देता एवं उनकी रक्षा करता है, मूल कर्तव्य तथा केन्द्र एवं राज्य सरकारों की शक्तियाँ/कर्तव्य

निर्धारित करता है — भारतीय विधियाँ परस्पर जुड़ी हुई हैं और एक hybrid विधिक प्रणाली बनाती हैं।

Gol Act, 1935 (UK Parliament): संविधान का पूर्ववर्ती; इसने शासन का स्वरूप “unitary” से “federal” में बदला और केन्द्र एवं राज्यों के बीच शक्तियाँ बाँटीं; Federal Court (1937 — अपीलीय, आरम्भिक तथा सलाहकारी अधिकारिता; 12 वर्षों में लगभग 151 मामले) के स्थान पर आगे चलकर Supreme Court of India आया।

तीन विधायी सूचियाँ: Central, State तथा Joint List तय करती हैं कि विधि कौन बनाएगा — Income Tax केन्द्रीय विषय है (पूरे भारत के लिए एक ही विधि, जिसे Ministry of Finance लागू करता है); stamp duty लगाना Joint-List का उदाहरण है — इस पर केन्द्र तथा राज्य, दोनों सरकारों की विधियाँ हैं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- हर उत्तर परिभाषा से आरम्भ कीजिए: विधि सरकार द्वारा अधिरोपित उन बाध्यताओं एवं कर्तव्यों का समुच्चय है जो समाज का कल्याण सुरक्षित करने तथा न्याय देने हेतु हों।
- चार मुख्य स्रोत समझाइए: संविधान (सर्वोपरि विधि; मूल अधिकार एवं कर्तव्य), Parliament/State Assemblies द्वारा बनाए गए statutes (Parliament ही अन्तिम विधि-निर्माता निकाय), न्यायिक precedents, तथा स्थापित रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ।
- संघीय योजना से जोड़िए: Central, State तथा Joint (Concurrent) Lists तय करती हैं कि विधि कौन बनाएगा — Income Tax केन्द्रीय विषय है; stamp duty केन्द्र तथा राज्य, दोनों लगा सकते हैं।
- पृष्ठभूमि जोड़ने को तैयार रहिए: Gol Act, 1935 ने व्यवस्था को unitary से federal किया; Federal Court (1937) के स्थान पर Supreme Court आया।

TQ 3.1 · PYQ 2025-Sep [4] (c) · Descriptive · 6M · Pg 2

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 4: विधि बनाने की प्रक्रिया (The Process of Making A Law)

P2-C1-U1-T04

पहले पढ़ें अध्याय 1 का अनुच्छेद 4 पढ़िए: Bill से Act तक की प्रक्रिया तथा ‘Types of laws in the Indian Legal System’ (Criminal, Civil, Common Law, Principles of Natural Justice)।

नोट्स

Bill से Act तक: Parliament में प्रस्तावित विधि एक Bill होती है → चर्चा एवं वाद-विवाद के बाद Lok Sabha में पारित → Rajya Sabha में पारित → भारत के President की अनुमति → Official Gazette of India में अधिसूचित → अधिसूचना में दी गई प्रभावी तिथि से लागू → अधिसूचित एवं प्रभावी होते ही वह Parliament का Act है।

Criminal law: विधि-शासन के उल्लंघनों/लोक-अपकारों तथा उनके दंड से सम्बन्धित; IPC, 1860 अपराध, उसकी प्रकृति एवं दंड परिभाषित करती है; CrPC, 1973 दंड के निष्पादन की विस्तृत प्रक्रिया देती है; उदाहरण — हत्या, बलात्संग, चोरी, कपट, छल, हमला।

Civil law: व्यक्तियों/संगठनों के बीच के विवाद, जो civil suit द्वारा प्रवर्तित होते हैं; इसका बल दंड पर नहीं, विवाद-

समाधान पर है; प्रक्रिया CPC, 1908 से शासित; वर्गीकरण — Law of Contract, Family Law, Property Law तथा Law of Tort; उदाहरण — संविदा-भंग, माल की असुपुर्दगी, बकाया का भुगतान न होना, मानहानि, भू-स्वामी-किरायेदार विवाद।

Common law: न्यायिक precedent अथवा case law; Art. 141 के अधीन Supreme Court का निर्णय भारत के सभी न्यायालयों पर आबद्धकर है; इसे stare decisis का सिद्धान्त सहारा देता है — “to stand by that which is decided” — जहाँ तथ्य समान हों/“on all four legs” बैठते हों, वहाँ न्यायालय पूर्व निर्णयों का अनुसरण करते हैं।

नैसर्गिक न्याय (Jus Natural): लिखित विधि से परे न्याय के मूल सिद्धान्त — nemo judex in causa sua (कोई अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं; पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम), audi alteram partem (दूसरे पक्ष को सुनना/उचित सुनवाई) तथा सकारण निर्णय; कोई निर्णय common law को अधिक्रान्त या परिवर्तित कर सकता है, किन्तु statute को अधिक्रान्त या परिवर्तित नहीं कर सकता।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 4 प्रश्न

- क्रम ज्यों-का-त्यों दोहराइए: Parliament में Bill प्रस्तावित → Lok Sabha में पारित → Rajya Sabha में पारित → President की अनुमति → Official Gazette में अधिसूचना → अधिसूचित तिथि से प्रभावी → Parliament का Act; प्रश्न प्रायः यह भी जोड़ते हैं कि ‘प्रवर्तन कौन करता है’ — कार्यपालिका, केन्द्र/राज्य के मंत्रालयों के माध्यम से।
- चारों प्रकार की विधि उदाहरण सहित समझाइए: Criminal (IPC, 1860 अपराध एवं दंड परिभाषित करती है; CrPC, 1973 प्रक्रिया देती है) तथा Civil (CPC, 1908; contract, family, property, tort — दंड नहीं, विवाद-समाधान)।
- Common Law = न्यायिक precedent; Art. 141 के अधीन Supreme Court के निर्णय सभी न्यायालयों पर आबद्धकर; stare decisis का सिद्धान्त — ‘to stand by that which is decided’।
- नैसर्गिक न्याय (Jus Natural): nemo judex in causa sua (पूर्वाग्रह के विरुद्ध नियम), audi alteram partem (उचित सुनवाई) तथा सकारण निर्णय; कोई निर्णय common law बदल सकता है, पर statute को कभी अधिक्रान्त नहीं कर सकता।

TQ 4.1 · PYQ 2024-Sep [4] (c) · Descriptive · 6M · Pg 3	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 4.2 · MTP 2024-Dec S1 [4] (c) · Descriptive · 6M · Pg 5	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 4.3 · MTP 2025-Aug S1 [4] (c) · Descriptive · 6M · Pg 5	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 4.4 · PYQ 2026-May [4] (c) · Descriptive · 6M · Pg 6	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

विषय 5: विधि का प्रवर्तन (Enforcing The Law)

P2-C1-U1-T05

पहले पढ़ें अध्याय 1 का अनुच्छेद 5 पढ़िए: कार्यपालिका द्वारा प्रवर्तन — Ministry of Finance, Corporate Affairs, Home Affairs, Law and Justice — तथा नियामक SEBI, RBI एवं IBBI।

नोट्स

प्रवर्तन कौन करता है: विधि पारित होने के बाद कार्यपालिका उसका प्रवर्तन करती है — विधि के अनुसार केन्द्र अथवा राज्य सरकार — Ministries के माध्यम से, जो civil servants से बनी होती हैं और किसी मंत्री के माध्यम से राजनीतिक रूप से उत्तरदायी होती हैं (Cabinet Minister, जिनकी सहायता Ministers of State करते हैं); जैसे Income Tax Act का प्रवर्तन Ministry of Finance, CBDT (Department of Revenue) के माध्यम से करता है, जिसका प्रशासन Indian Revenue Service के अधिकारी करते हैं।

Ministry of Finance (वित्त मंत्रालय): भारत का कोषागार — कराधान, वित्तीय विधान, वित्तीय संस्थाओं, पूँजी बाजारों, केन्द्र एवं राज्यों के वित्त तथा Union Budget प्रस्तुत करने से सम्बन्धित; छह विभाग: Economic Affairs, Expenditure, Revenue, Financial Services, Investment and Public Asset Management, Public Enterprises; यह चार केन्द्रीय सिविल सेवाओं (Indian Revenue, Indian Audit & Accounts, Indian Economic, Indian Civil Accounts) तथा Indian Cost and Management Accounts Service का शीर्ष नियंत्रक प्राधिकारी है।

MCA: Companies Act, 2013/1956, LLP Act, 2008 तथा IBC, 2016 का प्रशासन करता है; औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र के भारतीय उद्यमों का विनियमन करता है; इसे ICLS संवर्ग के अधिकारी चलाते हैं (चयन UPSC Civil Services Examination से); सर्वोच्च पद — Director General of Corporate Affairs (DGCoA), Apex Scale में। **Ministry of Home Affairs (गृह मंत्रालय):** आन्तरिक सुरक्षा एवं घरेलू नीति का उत्तरदायी आन्तरिक मंत्रालय, जिसका प्रमुख Union Minister of Home Affairs होता है; विभाग — Internal Security, Border Management, Home, States, Official Language, J&K and Ladakh Affairs।

Ministry of Law and Justice: Cabinet मंत्रालय, तीन विभागों सहित — Department of Legal Affairs (केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों को परामर्श), Legislative Department (केन्द्र सरकार के लिए मुख्य विधान का प्रारूपण), Department of Justice (भारत में न्याय-प्रशासन)।

नियामक: SEBI — प्रतिभूति एवं जिन्स बाजार का नियामक निकाय, स्वामित्व Ministry of Finance का, 12.4.1988 को कार्यपालक निकाय के रूप में स्थापित, वैधानिक शक्तियाँ 30.1.1992 को SEBI Act, 1992 द्वारा; RBI — भारत का केन्द्रीय बैंक, जो बैंकिंग प्रणाली का विनियमन करता है, रुपये की आपूर्ति नियंत्रित/निर्गत/बनाए रखता है तथा मुख्य भुगतान-प्रणालियों का प्रबन्ध करता है; इसके प्रभाग — BRBNM (Nashik तथा Dewas की मुद्रा-मुद्रणशालाएँ), NPCI (भुगतान एवं निपटान प्रणालियाँ), DICGC (जमा बीमा एवं प्रत्यय प्रत्याभूति); IBBI — दिवाला कार्यवाहियों तथा IPAs, IPs एवं IUs की देखरेख करने वाला नियामक, 1.10.2016 को स्थापित, वैधानिक शक्तियाँ Insolvency and Bankruptcy Code से (Lok Sabha में 5.5.2016 को पारित), जिसके दायरे में व्यक्ति, companies, LLPs तथा साझेदारी फर्म आती हैं, और जो मामले NCLT तथा Debt Recovery Tribunal के माध्यम से निपटाता है।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 2 प्रश्न

- Ministry of Home Affairs: आन्तरिक सुरक्षा एवं घरेलू नीति का उत्तरदायी आन्तरिक मंत्रालय; प्रमुख Union Home Minister; विभागों में Internal Security, Border Management, Home, States, Official Language, तथा J&K and Ladakh Affairs।
- Ministry of Finance: छह विभाग — Economic Affairs, Expenditure, Revenue, Financial Services, DIPAM, Public Enterprises; IRS, Indian Audit & Accounts, Indian Economic तथा Indian Civil Accounts Services पर शीर्ष प्राधिकार।

- नियामकों के कंठस्थ तथ्य: SEBI — प्रतिभूति/जिन्स बाज़ार का नियामक, गठन 12.4.1988, वैधानिक शक्तियाँ 30.1.1992 को SEBI Act, 1992 से; RBI — केन्द्रीय बैंक, रुपये का निर्गमन/नियंत्रण, प्रभागों में NPCI, DICGC तथा BRBNM मुद्रणशालाएँ (Nashik, Dewas); IBBI — स्थापना 1.10.2016, Insolvency and Bankruptcy Code के अधीन, IPAs, IPs एवं IUs का विनियमन, कार्य NCLT तथा DRT के माध्यम से।

TQ 5.1 · MTP 2024-Jun [4] (c) (ii) · Descriptive · 3M · Pg 7

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

TQ 5.3 · PYQ 2026-Jan [4] (c) · Descriptive · 6M · Pg 9

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Ministry of Finance के कार्य समझाइए: कराधान, वित्तीय विधान, वित्तीय संस्थाएँ, पूँजी बाज़ार, केन्द्र-राज्य वित्त तथा Union Budget प्रस्तुत करना।
- MCA: Companies Act, 2013/1956, LLP Act, 2008 तथा IBC, 2016 का प्रशासन; औद्योगिक/सेवा क्षेत्र के उद्यमों का विनियमन; संचालन ICLS अधिकारियों द्वारा, सर्वोच्च पद DGCIA।
- Ministry of Law and Justice: तीन विभाग — Legal Affairs (केन्द्रीय मंत्रालयों को परामर्श), Legislative (मुख्य विधान का प्रारूपण), Justice (न्याय-प्रशासन)।
- उत्तर का ढाँचा: विधि पारित → कार्यपालिका प्रवर्तन करती है → मंत्रालयवार कार्य (6 अंकों का प्रश्न प्रायः तीन मंत्रालय एक साथ पूछता है)।

TQ 5.2 · PYQ 2025-May [4] (c) · Descriptive · 6M · Pg 8

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 6: भारतीय न्यायपालिका की संरचना (Structure of the Indian Judicial System)

P2-C1-U1-T06

पहले पढ़ें अध्याय 1 का अनुच्छेद 6 पढ़िए: न्यायपालिका के कार्य तथा उसका सोपान — Supreme Court, High Courts, District Courts एवं Metropolitan Courts, सम्बद्ध संवैधानिक अनुच्छेदों सहित।

नोट्स

न्यायपालिका के तीन कार्य: (1) Acts एवं Codes की व्याख्या का विनियमन, (2) विवाद-समाधान, (3) देश के नागरिकों के बीच निष्पक्षता का संवर्धन।

सोपान: शीर्ष पर Supreme Court, फिर High Courts तथा District Courts; किसी High Court के निर्णय उसी राज्य पर आबद्धकर होते हैं और अन्य राज्यों में केवल प्रेरक (persuasive); Art. 141 के अधीन Supreme Court के निर्णय सभी High Courts पर आबद्धकर हैं — उस विषय पर अन्तिम शब्द।

Supreme Court: न्यायपालिका का शीर्ष निकाय, 26.1.1950 को स्थापित; Chief Justice of India सर्वोच्च प्राधिकारी, नियुक्ति Art. 126 के अधीन; मूल पीठ C.J. सहित सात की थी, जो बढ़ते मुकदमों के कारण अब बढ़कर 34

न्यायाधीश है; Art. 32 के अधीन रिट याचिका से अनुतोष।

High Courts: प्रत्येक राज्य/संघ राज्यक्षेत्र का सर्वोच्च अपील न्यायालय; Art. 214 प्रत्येक राज्य में High Court अनिवार्य करता है; इसकी अपीलीय, आरम्भिक तथा पर्यवेक्षी अधिकारिता है — पर्यवेक्षी शक्ति Art. 227 से सीमित; कुल पच्चीस High Courts, जिनमें छह राज्य एक ही High Court साझा करते हैं; मूल अधिकारों के उल्लंघन पर Art. 226 के अधीन रिट; सबसे पुराना — Calcutta High Court (2.7.1862)।

District तथा Metropolitan न्यायालय: District Judge के न्यायालय civil विषय देखते हैं (संविदात्मक विवाद, नुकसानी के दावे); Courts of Sessions आपराधिक विषय; धन-सम्बन्धी अधिकारिता — civil judge ₹2 करोड़ से अनधिक मूल्य के वाद सुनता है; प्रादेशिक अधिकारिता उन स्थानीय सीमाओं से जहाँ पक्षकार रहते हों अथवा विवादित सम्पत्ति स्थित हो; Metropolitan न्यायालय दस लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों में High Court से परामर्श करके स्थापित होते हैं — Chief Metropolitan Magistrate को Chief Judicial Magistrate की तथा Metropolitan Magistrate को प्रथम वर्ग Magistrate की शक्तियाँ प्राप्त हैं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- न्यायपालिका के तीन कार्य बताइए: Acts एवं Codes की व्याख्या का विनियमन, विवाद-समाधान, तथा नागरिकों के बीच निष्पक्षता का संवर्धन।
- मुख्य तथ्यों सहित सोपान: Supreme Court — शीर्ष, स्थापना 26.1.1950, CJI की नियुक्ति Art. 126 के अधीन, अब 34 न्यायाधीश, रिट Art. 32 के अधीन, निर्णय सभी न्यायालयों पर आबद्धकर (Art. 141); High Courts — Art. 214, 25 High Courts (छह राज्य एक साझा करते हैं), रिट Art. 226, पर्यवेक्षी शक्ति Art. 227 से सीमित; सबसे पुराना Calcutta HC (2.7.1862)।
- ज़िला स्तर: District Judge के न्यायालय (civil — संविदात्मक विवाद, नुकसानी; धन-सीमा ₹2 करोड़) तथा Courts of Sessions (आपराधिक); Metropolitan न्यायालय दस लाख या अधिक जनसंख्या वाले नगरों में।
- अधिकारिता समझाइए: प्रादेशिक (जहाँ पक्षकार रहते हों अथवा सम्पत्ति स्थित हो) तथा धन-सम्बन्धी; HC के निर्णय केवल उसी राज्य पर आबद्धकर, अन्यत्र प्रेरक।

TQ 6.1 • RTP 2024-Jun [1] • Descriptive • ---- • Pg 11

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 6.2 • PYQ 2025-Jan [4] (c) • Descriptive • 6M • Pg 12

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अध्याय 2

भारतीय संविदा अधिनियम, 1872 (The Indian Contract Act, 1872)

66 विषय • 234 वर्गीकृत प्रश्न • महत्त्व: B

ICAI कौशल प्रोफाइल Level I 5-20% • Level II 80-95% — यह अध्याय है **सिद्धान्त-प्रधान**

Level I — स्मरण एवं समझ	44.7%	778 में से 348 अंक
Level II — अनुप्रयोग एवं विश्लेषण	55.3%	778 में से 430 अंक

इकाई 2.1: संविदा का स्वरूप (Nature of Contract)

Nature of Contract

P2-C2-U2.1 • महत्त्व B • अध्याय में Rank 2 • श्रेणी A • अध्याय के 13.2% प्रश्न • 31 प्रश्न

विषय 1: संविदा क्या है? (What is Contract?)

P2-C2-U2.1-T01

पहले पढ़ें Indian Contract Act, 1872 की Unit 1 (Nature of Contracts) का अनुच्छेद 1.1 पढ़िए: Sec. 2(h) संविदा, Sec. 2(e) करार, Sec. 2(b) वचन, तथा करार बनाम संविदा की अन्तर-तालिका।

नोट्स

Sec 2(h) संविदा (SM): “an agreement enforceable by law” — इसके दो अनिवार्य तत्त्व हैं: (i) एक करार तथा (ii) उसकी विधि द्वारा प्रवर्तनीयता; अर्थात् Contract = Agreement + Enforceability by law।

Sec 2(e) करार (SM): “every promise and every set of promises, forming the consideration for each other”; **Sec 2(b) वचन (SM):** “when the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted, becomes a promise”; अतः Agreement = प्रस्ताव/प्रस्थापना + प्रतिग्रहण + प्रतिफल।

सभी संविदाएँ करार हैं, पर सभी करार संविदाएँ नहीं: सामाजिक/घरेलू करारों में विधिक सम्बन्ध बनाने का आशय नहीं होता — पिता का ₹500 मासिक जेबखर्च का वचन वसूली योग्य नहीं; पत्नी पति द्वारा वचनबद्ध भरण-पोषण वसूल न कर सकी (Balfour v. Balfour); प्रास्थिति (status) से उत्पन्न बाध्यताएँ (पत्नी एवं सन्तानों का भरण-पोषण, न्यायालय के आदेश) Contract Act से बाहर हैं।

करार बनाम संविदा: चार-बिन्दु अन्तर; कोई करार संविदा तभी बनता है जब वह Sec 10 की कसौटी पूरी करे — स्वतन्त्र

सम्मति, सक्षम पक्षकार, विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य, तथा व्यक्त रूप से शून्य घोषित न होना।

करार (Agreement)	संविदा (Contract)
वचन/वचनों का समुच्चय जो परस्पर प्रतिफल बनें (वचन + प्रतिफल)	विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार (करार + विधिक प्रवर्तनीयता)
व्यापक पद — इसमें विधिक एवं सामाजिक, दोनों करार आते हैं	संकीर्ण अर्थ — केवल विधितः प्रवर्तनीय करार
विधिक बाध्यता उत्पन्न करे यह आवश्यक नहीं; सदैव अधिकार नहीं देता	अनिवार्यतः विधिक बाध्यता उत्पन्न करती है; प्रत्येक पक्षकार को अधिकार देती है
सभी करार संविदाएँ नहीं होते	सभी संविदाएँ करार होती हैं

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- 'सभी संविदाएँ करार हैं, पर सभी करार संविदाएँ नहीं': Contract = Agreement + विधिक प्रवर्तनीयता [Sec. 2(h)]; Agreement = प्रस्ताव + प्रतिग्रहण + प्रतिफल [Secs. 2(a), 2(b), 2(e)]।
- कारण दीजिए: सामाजिक/घरेलू करारों (पिता का जेबखर्च का वचन; Balfour v. Balfour) में विधिक सम्बन्ध बनाने का आशय नहीं होता, अतः वे कभी संविदा नहीं बनते।
- 4-बिन्दु अन्तर-तालिका दोहराइए — अर्थ, विस्तार (करार व्यापक), विधिक बाध्यता, स्वरूप — और अन्त में Sec. 10 की वे शर्तें बताइए जो करार को संविदा में बदलती हैं।

TQ 1.1 • MTP 2022-Jun [2] (i) • Descriptive • 4M • Pg 18

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

विषय 2: वैध संविदा के अनिवार्य तत्त्व (Essentials of Valid Contract)

P2-C2-U2.1-T02

पहले पढ़ें अनुच्छेद 1.2 पढ़िए: Sec. 10 के अनिवार्य तत्त्व (स्वतन्त्र सम्मति, Sec. 11 के अधीन सक्षमता, Sec. 23 के अधीन विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य, Secs. 24-30 तथा 56 के अधीन व्यक्त रूप से शून्य न होना) तथा Sec. 10 से बाहर के अनिवार्य तत्त्व — दो पक्षकार, विधिक सम्बन्ध बनाने का आशय, निश्चितता, पालन की सम्भाव्यता, विधिक औपचारिकताएँ।

नोट्स

Sec 10 (SM): "all agreements are contracts if they are made by the free consent of the parties competent to contract, for a lawful consideration and with a lawful object and are not expressly declared to be void"।

Sec 10 के अनिवार्य तत्त्व: (1) करार — प्रतिफल के लिए प्रस्ताव + प्रतिग्रहण [Secs 2(e), 2(b)]; (2) स्वतन्त्र सम्मति —

consensus ad idem (लाल कार/काली कार: कोई संविदा नहीं), सम्मति प्रपीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, दुर्व्यपदेशन अथवा भूल से कारित न हो (बन्दूक की नोक पर तय किया गया ऋण = प्रपीड़न, वैध नहीं); (3) सक्षमता [Sec 11] — वयस्कता की आयु (18) का हो, स्वस्थचित्त हो, और अन्यथा निरर्ह न हो (minor, विकृतचित्त, जड़, मद्यप, शत्रु विदेशी, विदेशी प्रभुसत्ताधारी, सिद्धदोष असक्षम); (4) प्रतिफल — quid pro quo, 'बदले में कुछ'; (5) विधिपूर्ण प्रतिफल एवं उद्देश्य [Sec 23] — विधि द्वारा प्रतिषिद्ध न हो, किसी विधि को विफल न करे, कपटपूर्ण न हो, व्यक्ति/सम्पत्ति को क्षति न पहुँचाए, अनैतिक अथवा लोकनीति के विरुद्ध न हो (100 किलो cocaine के बदले मकान = अवैध; डकैती का अभियोजन छोड़ना = शून्य); (6) व्यक्त रूप से शून्य घोषित न हो [Secs 24-30, 56] — जैसे व्यापार, विवाह अथवा विधिक कार्यवाहियों पर रोक लगाने वाले करार।

Sec 10 से बाहर के अनिवार्य तत्त्व: दो पक्षकार — कोई स्वयं से संविदा नहीं कर सकता (State of Gujarat v. Ramanlal S & Co.: partners के बीच firm की परिसंपत्तियों का विभाजन कोई विक्रय नहीं); **विधिक बाध्यताएँ बनाने का आशय** — सामाजिक करार विफल होते हैं (Balfour v. Balfour; CA परीक्षा पास करने पर पिता का ₹5 लाख का वचन प्रवर्तनीय नहीं, किन्तु 30 दिन की अवधि वाला उधार-विक्रय संविदा है); **विधिक औपचारिकताएँ** — बीमा लिखित होना चाहिए, अचल सम्पत्ति में पंजीकरण आवश्यक; **अर्थ की निश्चितता** — “एक सौ टन तेल” अथवा अनिश्चित वर्षों का पट्टा अस्पष्टता के कारण शून्य; **पालन की सम्भाव्यता** — जादू से खज़ाना खोजने का करार प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता।

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 4 प्रश्न

- प्रारूप का अभ्यास कीजिए: Sec. 10 उद्धृत कीजिए → तथ्यों पर जो अनिवार्य तत्त्व अनुपस्थित है उसे पकड़िए → वैध/शून्य/शून्यकरणीय का निष्कर्ष दीजिए।
- पति-पत्नी/पारिवारिक वचन वाली परिस्थितियाँ बार-बार आती हैं: लिखित एवं पंजीकृत घरेलू वचन भी विधिक सम्बन्ध बनाने के आशय के अभाव में विफल हो जाता है (Balfour v. Balfour)।
- सामाजिक आमंत्रण (रेस्तराँ में जन्मदिन की दावत) कोई संविदा नहीं बनाते — किया गया व्यय वसूली योग्य नहीं।
- विफल होने वाला तत्त्व तुरन्त पहचानिए: अस्पष्ट शर्तें ('100 टन तेल') = निश्चितता नहीं; 'जादू से खज़ाना खोजना' = असम्भवता; Sec. 11 के अधीन असक्षम पक्षकार = शून्य।

CSQ 2.1 · PYQ 2018-Nov [3] (b) (i) · Case Scenario · 3M · Pg 19	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 2.5 · PYQ 2025-Sep [4] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 23	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 2.3 · PYQ 2023-Jun [1] (a) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 21	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 2.4 · MTP 2023-Nov [1] (a) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 22	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 1 प्रश्न

- बहु-खंडीय वैधता वाले प्रश्नों में प्रत्येक खंड एक भिन्न अनिवार्य तत्त्व की परीक्षा लेता है: गोली मारने की धमकी → प्रपीड़न, संविदा शून्यकरणीय; 100 किलो cocaine के बदले मकान → Sec. 23 के अधीन अविधिपूर्ण प्रतिफल, शून्य/अवैध — पहले सम्मति देखिए, फिर विधिपूर्णता।

- प्रत्येक खंड पर परिणामी स्थिति (वैध / शून्य / शून्यकरणीय / अवैध) तथा व्यथित पक्ष के अधिकार — दोनों बताइए, क्योंकि अंक खंडवार मिलते हैं।

CSQ 2.2 · RTP 2023-Jun [1] · Case Scenario · --- · Pg 21

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

मध्यम

विषय 3: संविदाओं के प्रकार (Types of Contracts)

P2-C2-U2.1-T03

पहले पढ़ें अनुच्छेद 1.3 पढ़िए: वैधता के आधार पर वर्गीकरण (वैध; शून्य Sec. 2(j); शून्यकरणीय Sec. 2(i); अवैध; अप्रवर्तनीय), गठन के आधार पर (व्यक्त/विवक्षित Sec. 9, मौन-अनुमानित, कल्पित, e-contracts) तथा पालन के आधार पर (निष्पादित, निष्पाद्य, एकपक्षीय, द्विपक्षीय)।

नोट्स

वर्गीकरण के तीन आधार: वैधता/प्रवर्तनीयता — वैध, शून्य [Sec 2(j)], शून्यकरणीय [Sec 2(i)], अवैध, अप्रवर्तनीय; गठन — व्यक्त, विवक्षित (मौन-अनुमानित सहित), कल्पित, e-contracts; पालन — निष्पादित, निष्पाद्य (एकपक्षीय एवं द्विपक्षीय निष्पाद्य के ही प्रकार हैं)।

वैधता के प्रकार: शून्य संविदा (SM) [Sec 2(j)] — “A contract which ceases to be enforceable by law becomes void when it ceases to be enforceable” (लेखक पुस्तक लिखने से पहले मर जाए; 10 टन चीनी की आपूर्ति से पूर्व कारखाना जल जाए); **शून्यकरणीय (SM) [Sec 2(i)]** — “an agreement which is enforceable by law at the option of one or more parties thereto, but not at the option of the other or others” — यह तब उत्पन्न होती है जब सम्मति स्वतन्त्र न हो (बन्दूक की नोक पर बेचा scooter), जब एक पक्ष पालन रोक दे, अथवा जब काम तय समय में न हो (31-3-2022 तक मकान न बना — B के विकल्प पर शून्यकरणीय); **अवैध** — विधि द्वारा प्रतिषिद्ध, आरम्भ से ही शून्य, इसके संपार्श्विक करार भी शून्य; सभी अवैध करार शून्य हैं, पर सभी शून्य करार अवैध नहीं (brown sugar का क्रय); **अप्रवर्तनीय** — सार रूप में ठीक, पर तकनीकी दोष वाला, जैसे तीन वर्ष से अधिक अचुकता ऋण जो Limitation Act से वर्जित हो गया, अथवा अचल सम्पत्ति का अलिखित अन्तरण।

शून्य बनाम शून्यकरणीय — मानक अन्तर:

शून्य संविदा [Sec 2(j)]	शून्यकरणीय संविदा [Sec 2(i)]
विधि द्वारा प्रवर्तनीय नहीं रह जाती	एक या अधिक पक्षकारों के विकल्प पर प्रवर्तनीय, दूसरों के विकल्प पर नहीं
बिल्कुल प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती	केवल व्यथित पक्ष के विकल्प पर प्रवर्तनीय
कारण: विधि में परिवर्तन अथवा पक्षकारों की कल्पना से परे परिस्थितियों में परिवर्तन	कारण: किसी पक्षकार की सम्मति स्वतन्त्र नहीं थी
पालन नहीं किया जा सकता	युक्तियुक्त समय में अकृत न की जाए तो कोई भी पक्षकार

	पालन का वाद ला सकता है
किसी पक्षकार को कोई विधिक उपचार नहीं	व्यथित पक्ष युक्तियुक्त समय में विखंडन कर सकता है; न करे तो वह वैध हो जाती है

गठन के प्रकार: व्यक्त — शर्तें बोले या लिखे शब्दों में [Sec 9] (टेलीफोन पर मकान का प्रस्ताव एवं स्वीकृति); **विवक्षित** — कार्य/आचरण अथवा व्यवहार-क्रम से (वर्दीधारी कुली का सामान उठाना; रेस्तराँ में कॉफी पीना); **मौन-अनुमानित (tacit)** — बिना शब्दों के आचरण से अनुमानित, विवक्षित संविदाओं के भीतर ही (ATM से नक़दी निकालना; नीलामी में हथौड़ा गिरने पर विक्रय); **कल्पित (quasi)** — विधि द्वारा सृजित एवं अधिरोपित, जहाँ कोई वास्तविक संविदा नहीं, न प्रस्ताव न सम्मति (खोया माल पाने वाला उसे लौटाए; भूल से छोड़ा गया व्यापारी का माल अपना मानकर प्रयोग करने पर C को मूल्य देना होगा); **e-contracts** — इलेक्ट्रॉनिक साधनों/EDI networks से की गई संविदाएँ, जिन्हें EDI, cyber अथवा mouse-click संविदा भी कहते हैं।

पालन के प्रकार: निष्पादित — दोनों पक्ष अपना-अपना काम कर चुके (पंसारी की नक़द चीनी-बिक्री); **निष्पाद्य** — प्रतिफल ऐसा पारस्परिक वचन है जो भविष्य में पूरा होना है (G अगले माह से tuition देगा, H ₹1,000 मासिक चुकाएगा); **एकपक्षीय** — एकतरफ़ा: एक पक्ष पालन कर चुका, दूसरे की बाध्यता शेष (₹50,000 के इनाम का विज्ञापन, B ने खोया बालक खोज निकाला); **द्विपक्षीय** — दोनों पक्षों पर बाध्यता शेष (₹10 लाख में बिका भूखंड, ₹2,50,000 बयाना चुका, कब्ज़ा दे दिया, विक्रय-विलेख तथा शेष राशि बाक़ी)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- शून्य बनाम शून्यकरणीय की तालिका साधिए [Secs. 2(j)/2(i)]: अर्थ, प्रवर्तनीयता, कारण (विधि/परिस्थिति में परिवर्तन बनाम सम्मति स्वतन्त्र न होना), पालन, अधिकार — यह 5 अंकों का मानक 'अन्तर बताइए' प्रश्न है।
- गठन के आधार पर प्रकार, SM के उदाहरणों सहित: व्यक्त (शब्दों में, Sec. 9), विवक्षित (कुली, कॉफी), मौन-अनुमानित (ATM से निकासी, हथौड़ा गिरना), कल्पित (विधि द्वारा अधिरोपित — खोया माल पाने वाला), e-contracts (EDI/cyber/mouse-click)।
- शून्य बनाम अवैध: प्रत्येक अवैध करार शून्य है, उलटा नहीं; अवैध करारों के संपार्श्विक करार भी शून्य होते हैं।

TQ 3.1 · PYQ 2023-Jun [6] (a) · Distinguish Between · 5M · Pg 24

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

TQ 3.3 · MTP 2025-Aug S2 [3] (c) · Descriptive · 6M · Pg 26

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 5 प्रश्न

- तथ्यों को कारण सहित वर्गीकृत कीजिए: आपूर्ति से पहले कारखाना जल गया → संविदा शून्य हो जाती है (असम्भवता); 2015 का माल 2019 तक अचुकता → अप्रवर्तनीय (Limitation Act); अगले माह से tuition → निष्पाद्य/द्विपक्षीय।
- हाथी मर चुका, दोनों को पता नहीं → शून्य (भूल/असम्भवता); काम तय तिथि तक न हुआ → वचनगृहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय।

CSQ 3.1 • RTP 2021-May [1] (ii) • Case Scenario • --- • Pg 27	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 3.2 • RTP 2021-May [1] (iii) • Case Scenario • --- • Pg 28	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
TQ 3.2 • RTP 2024-Sep [2] • Descriptive • --- • Pg 25	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.3 • RTP 2022-Nov [1] • Case Scenario • --- • Pg 28	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.6 • RTP 2025-Sep [3] • Case Scenario • --- • Pg 30	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाए • 2 प्रश्न

- मिश्रित प्रश्नों में प्रत्येक खंड पर भिन्न नियम चाहिए: असम्भव वचन (मृत को जीवित करना) → शून्य; मार्ग में नष्ट माल; विवाह-ब्यूरो का भुगतान — पहले तय कीजिए कि वर्गीकरण किस आधार पर पूछा गया है, फिर खंडवार लगाइए।
- अतिव्यापन पर ध्यान दीजिए: एक ही तथ्य-प्रतिरूप एक साथ विवक्षित, निष्पादित तथा एकपक्षीय हो सकता है — उत्तर केवल उसी वर्गीकरण पर दीजिए जो पूछा गया है।

CSQ 3.4 • RTP 2024-Sep [5] • Case Scenario • --- • Pg 29	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 3.5 • PYQ 2025-Jan [1] (a) {C} • Case Scenario • 7M • Pg 29	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन

विषय 4: प्रस्थापना/प्रस्ताव [Section 2(a)]

P2-C2-U2.1-T04

पहले पढ़ें अनुच्छेद 1.4 पढ़िए: Sec. 2(a) की परिभाषा, वैध प्रस्ताव के अनिवार्य तत्त्व, प्रस्ताव के प्रकार (सामान्य, विशिष्ट, प्रति-प्रस्ताव, cross, चालू) तथा प्रस्ताव बनाम प्रस्ताव का आमंत्रण — Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co., Lalman Shukla v. Gauri Dutt, Harvey v. Facie एवं Harris v. Nickerson सहित।

नोट्स

Sec 2(a) (SM): “when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a proposal” — करने वाला promisor/offeror, जिसे किया जाए वह offeree, और स्वीकार करने वाला promisee; प्रस्ताव धनात्मक (कुछ करना) अथवा ऋणात्मक (कुछ न करना — B न्यायालय न जाए तो मरम्मत-व्यय देने का वचन) हो सकता है, तथा व्यक्त या विवक्षित (यातायात-संकेत पर बालक का कार साफ़ करना)।

वैध प्रस्ताव के अनिवार्य तत्त्व: (1) विधिक सम्बन्ध बनाने में समर्थ हो — सामाजिक आमंत्रण स्वीकार होने पर भी कोई सम्बन्ध नहीं बनाता (जन्मदिन की दावत का अतिथि यात्रा-व्यय वसूल नहीं कर सकता); (2) निश्चित, सुनिश्चित एवं अस्पष्ट न हो — “100 क्विंटल तेल” प्रतिग्रहण योग्य नहीं, जब तक A केवल सरसों तेल का ही व्यापार न करता हो; (3) offeree को संसूचित हो — प्रस्ताव से अनजान रहते हुए किया गया कार्य कोई अधिकार नहीं देता (Lalman Shukla v. Gauri Dutt: सेवक ने इनाम जाने बिना भतीजे को खोजा, अतः हक़दार नहीं); (4) सम्मति प्राप्त करने की दृष्टि से किया जाए,

मात्र आशय का कथन न हो (पिता का अपनी इच्छा बताने वाला पत्र; छात्रवृत्ति की घोषणा); (5) शर्तयुक्त हो सकता है (RTGS/NEFT से भुगतान); (6) उसमें ऐसी शर्त न हो जिसका पालन न करना ही प्रतिग्रहण बन जाए — “एक सप्ताह में उत्तर न मिला तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा” से कोई संविदा नहीं बनती।

प्रस्ताव के पाँच प्रकार: सामान्य — जनसाधारण के प्रति, जिसकी शर्तें पूरी करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे स्वीकार कर लेता है [Sec 8] (Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co.: निर्देशानुसार smoke balls प्रयोग करने वाली Mrs Carlill £100 का इनाम वसूल कर सकी); **विशिष्ट** — किसी निश्चित व्यक्ति के प्रति, जिसे केवल वही स्वीकार कर सकता है (Boulton v. Jones); **cross** — एक-दूसरे से अनजान रहते हुए विनिमय किए गए समरूप प्रस्ताव, इनसे कोई आबद्धकारी संविदा नहीं बनती; **प्रति-प्रस्ताव** — परिवर्तनों सहित शर्तयुक्त प्रतिग्रहण, जो मूल प्रस्ताव की अस्वीकृति/समाप्ति के तुल्य है (₹10 लाख के भूखंड पर ₹8 लाख का उत्तर — A बाद में ₹10 लाख पर भी मना कर सकता है); **चालू/निरन्तर/खुला** — जो एक अवधि तक प्रतिग्रहण हेतु खुला रखा जाए, जैसे माल की आपूर्ति के tenders।

प्रस्ताव बनाम प्रस्ताव का आमंत्रण: कसौटी आशय है — जो दूसरे के स्वीकार करते ही आबद्ध होना चाहता है वह प्रस्ताव करता है; जो बातचीत हेतु शर्तें रखता है या प्रस्ताव पाना चाहता है वह केवल आमंत्रण देता है; आमंत्रणों में आते हैं — (i) company का prospectus, (ii) दुकान की खिड़कियों में माल का प्रदर्शन, (iii) नीलामी विक्रय का विज्ञापन — auctioneer किसी उपस्थित व्यक्ति से संविदा नहीं करता, रद्द होने पर यात्रा-व्यय वसूली योग्य नहीं (Harris v. Nickerson), (iv) मूल्य-उद्धरण — “lowest price for Bumper Hall Pen £900” ने केवल मूल्य के प्रश्न का उत्तर दिया, कोई प्रस्ताव नहीं (Harvey v. Facey; Mac Pherson v. Appanna में अनुसरित); आमंत्रण के स्वीकार होने से केवल प्रस्ताव बनता है, संविदा नहीं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 2(a) के अधीन प्रस्ताव परिभाषित कीजिए और अनिवार्य तत्त्व गिनाइए: विधिक सम्बन्ध बनाने में समर्थ, निश्चित एवं सुनिश्चित, offeree को संसूचित, सम्मति पाने की दृष्टि से किया गया, शर्तयुक्त हो सकता है, तथा ऐसा न हो कि मौन/उत्तर न देना ही प्रतिग्रहण बन जाए।
- प्रस्ताव बनाम प्रस्ताव का आमंत्रण: कसौटी है स्वीकार होते ही आबद्ध होने का आशय; आमंत्रणों में आते हैं company का prospectus, दुकान की खिड़की में माल का प्रदर्शन, नीलामी का विज्ञापन तथा मूल्य-उद्धरण (Harvey v. Facey — ‘lowest price’ वाला telegram कोई प्रस्ताव नहीं था)।
- प्रस्ताव के पाँचों प्रकार एक-पंक्ति अर्थ सहित जानिए; प्रति-प्रस्ताव मूल प्रस्ताव को समाप्त कर देता है, और cross प्रस्तावों से कोई संविदा नहीं बनती।

TQ 4.1 · RTP 2019-Nov [1] · Descriptive · --- · Pg 31

LEVEL I

समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 4 प्रश्न

- इनाम-विज्ञापन वाली परिस्थितियाँ: यह सामान्य प्रस्ताव है (Carlill); प्रस्ताव की जानकारी रखते हुए उसकी शर्तें पूरी करना प्रतिग्रहण है (Sec. 8), किन्तु अनजान रहते हुए कार्य करने वाला इनाम का दावा नहीं कर सकता (Lalman Shukla v. Gauri Dutt)।
- मूल्य-पर्ची/self-service mall का प्रदर्शन = प्रस्ताव का आमंत्रण; ग्राहक counter पर प्रस्ताव करता है और दुकानदार मना कर सकता है — निष्कर्ष यह कि अंकित मूल्य पर कोई संविदा नहीं।

- रद्द हुई नीलामी: विज्ञापन मात्र आमंत्रण था, अतः उपस्थित व्यक्ति यात्रा-व्यय वसूल नहीं कर सकता (Harris v. Nickerson)।

CSQ 4.1 · RTP 2022-May [4] · Case Scenario · --- · Pg 32	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.2 · PYQ 2023-Dec [3] (b) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 33	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.3 · PYQ 2025-Sep [4] (a) (I) · Case Scenario · 4M · Pg 34	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.4 · RTP 2026-Jan [2] · Case Scenario · --- · Pg 35	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विषय 5: प्रतिग्रहण (Acceptance)

P2-C2-U2.1-T05

पहले पढ़ें अनुच्छेद 1.5 पढ़िए: Sec. 2(b) की परिभाषा, वैध प्रतिग्रहण के सात विधिक नियम (Secs. 7 एवं 8) तथा Anson की बारूद वाली उपमा; मामले — Boulton v. Jones, Neale v. Merret, Brogden v. Metropolitan Rly. एवं Felthouse v. Bindley।

नोट्स

Sec 2(b) (SM): “When the person to whom the proposal is made signifies his assent thereto, proposal is said to be accepted. The proposal, when accepted, becomes a promise”।

Anson (SM): “Acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gun powder” — प्रस्ताव अपने-आप में निष्क्रिय है और प्रतिग्रहण से पूर्व वापस लिया जा सकता है (तीली लगाने से पहले बारूद की लड़ी हटाई जा सकती है); प्रतिग्रहण ही विधिक सम्बन्ध बनाता है, और एक बार प्रस्ताव स्वीकृत हो जाने पर वह वचन बन जाता है जिसे वापस या प्रतिसंहत नहीं किया जा सकता।

वैध प्रतिग्रहण के विधिक नियम: (1) केवल उसी व्यक्ति द्वारा जिसे प्रस्ताव किया गया हो — विशिष्ट प्रस्ताव (Boulton v. Jones: Brocklehurst को दिया गया आदेश Boulton स्वीकार नहीं कर सकता था, कोई संविदा नहीं), सामान्य प्रस्ताव उसकी जानकारी रखने वाला कोई भी स्वीकार कर सकता है (Carlill); (2) आत्यन्तिक एवं अनर्हित [Sec 7] — £280 के प्रस्ताव के विरुद्ध £80 का cheque तथा किशतों का वचन प्रतिग्रहण नहीं था (Neale v. Merret); ₹30 लाख के मकान पर “₹24 लाख” प्रति-प्रस्ताव है, और बाद में ₹30 लाख पर सहमति भी नया प्रति-प्रस्ताव ही है (Union of India v. Bahulal); (3) किसी बोधगम्य रूप में संसूचित — draft पर “Approved” लिखकर दराज़ में रख देने से कोई संविदा नहीं बनी (Brogden v. Metropolitan Rly. Co.); A की बहन को बताया गया प्रतिग्रहण, A को नहीं, प्रतिग्रहण नहीं; (4) विहित रीति से — अन्यथा प्रस्थापक आपत्ति कर सकता है; न करे तो यह माना जाता है कि उसने सम्मति दे दी; (5) विनिर्दिष्ट अथवा युक्तियुक्त समय के भीतर — नाशवान केलों के लिए चार दिन बहुत अधिक, मकान की बिक्री के लिए युक्तियुक्त; (6) मात्र मौन प्रतिग्रहण नहीं है (Felthouse v. Bindley: “If I hear no more I shall consider the horse mine” — भतीजे का उत्तर न देना किसी को आबद्ध नहीं करता), जब तक पूर्व आचरण मौन को सम्मति का साक्ष्य न बना दे (अभिदान समाप्त होने के बाद भी पत्रिका का प्रयोग जारी रखना); (7) आचरण द्वारा प्रतिग्रहण [Sec 8] — प्रस्ताव की शर्तों का पालन ही प्रतिग्रहण है (व्यापारी का ग्राहक का आदेश माल भेजकर पूरा करना)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 2(b) के अधीन प्रतिग्रहण परिभाषित कीजिए और नियम गिनाइए: केवल उसी व्यक्ति द्वारा जिसे प्रस्ताव किया गया (Boulton v. Jones); आत्यन्तिक एवं अनर्हित [Sec. 7]; संसूचित (Brogden); विहित रीति से; विनिर्दिष्ट/व्यक्तियुक्त समय में; मात्र मौन प्रतिग्रहण नहीं (Felthouse v. Bindley); आचरण द्वारा प्रतिग्रहण [Sec. 8]।
- Anson समझाइए: 'Acceptance is to offer what a lighted match is to a train of gun powder' — प्रस्ताव प्रतिग्रहण तक प्रतिसंहरणीय है; स्वीकृत होते ही वह वचन बन जाता है और वापस नहीं लिया जा सकता।
- आंशिक/शर्तयुक्त प्रतिग्रहण (मूल्य के एक भाग का cheque — Neale v. Merret) प्रति-प्रस्ताव है, प्रतिग्रहण नहीं।

TQ 5.1 · PYQ 2021-Jan [2] (a) · Descriptive · 7M · Pg 36

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 1 प्रश्न

- 'यदि आपने एक सप्ताह में उत्तर नहीं दिया तो प्रस्ताव स्वीकृत माना जाएगा' — अवैध: प्रस्थापक मौन को प्रतिग्रहण नहीं बना सकता; और नियत समय के बाद किया गया प्रतिग्रहण प्रतिग्रहण नहीं (प्रस्ताव व्यपगत हो जाता है)।
- उत्तर का ढाँचा: नियम (Sec. 2(b)/7 + मामला) → तथ्य → क्या कोई आबद्धकारी संविदा बनी।

CSQ 5.1 · RTP 2019-Nov [3] · Case Scenario · ---- · Pg 41

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम****विषय 6: प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण की संसूचना**

P2-C2-U2.1-T06

पहले पढ़ें अनुच्छेद 1.6 तथा 1.7 पढ़िए: Sec. 4 (प्रस्ताव/प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण), Sec. 3 की रीतियाँ, टेलीफोन/telex द्वारा प्रतिग्रहण (Entores का मामला), तथा विशेष शर्तों की संसूचना (Mukul Datta v. Indian Airlines, Lilly White v. Mannuswamy)।

नोट्स

Sec 4 — प्रस्ताव (SM): "the communication of offer is complete when it comes to the knowledge of the person to whom it is made" — पत्र 10 मार्च को डाला गया, 12 को मिला पर 15 को पढ़ा गया: प्रस्ताव 15 को संसूचित हुआ; **रीतियाँ [Sec 3]:** कार्य द्वारा (लिखे या बोले शब्द — पत्र, तार, fax, email, टेलीफोन), लोप द्वारा (प्रविरति, किन्तु कभी मौन नहीं — ₹50,000 के लिए B का न्यायालय से दूर रहना), तथा आचरण द्वारा (बस में चढ़ना, तौल-मशीन में सिक्का डालना)।

Sec 4 — प्रतिग्रहण: प्रस्थापक के विरुद्ध तब पूर्ण जब वह उसकी ओर सम्प्रेषण के क्रम में डाल दिया जाए, इस प्रकार कि प्रतिग्रहीता की शक्ति से बाहर हो जाए (पत्र डाल दिया गया); प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब पूर्ण जब वह प्रस्थापक की जानकारी में आ जाए (पत्र उस तक पहुँच जाए) — अतः प्रस्थापक तथा प्रतिग्रहीता, दोनों के लिए समय-रेखा अलग-अलग बतानी होगी।

डाक/स्वर्णिम नियम: प्रस्थापक उसी क्षण आबद्ध हो जाता है जब प्रतिग्रहण-पत्र डाल दिया जाए — ठीक पते पर,

पर्याप्त टिकट लगाकर, विधिवत् डाला गया — चाहे वह विलम्बित हो, खो जाए अथवा गलत जगह पहुँचे; किन्तु मात्र मानसिक एकपक्षीय सम्मति कोई संसूचना नहीं: भूमि बेचने का बैंक-संकल्प जो असंसूचित रह गया, उससे कोई संविदा नहीं बनी (Central Bank Yeotmal v. Vyankatesh; Brogden)।

तात्क्षणिक रीतियाँ: टेलीफ़ोन/telex/fax/e-mail — संविदा तभी पूर्ण जब प्रतिग्रहण प्राप्त हो जाए, और वह उसी स्थान पर की गई मानी जाती है जहाँ प्रतिग्रहण प्राप्त हुआ (Entores Ltd. v. Miles Far East Corporation); call कटने/लाइन में व्यवधान पर प्रतिग्रहीता को यह सुनिश्चित करना होगा कि प्रस्थापक ने शब्द सुन लिए, अन्यथा कोई संविदा नहीं।

विशेष शर्तें एवं मानक प्ररूप: टिकटों/रसीदों पर छपी शर्तें मौन-अनुमानित प्रतिग्रहण से आबद्ध करती हैं, यदि उनकी युक्तियुक्त सूचना दी गई हो — हवाई टिकट पर बारीक अक्षरों की शर्तें संसूचित मानी गई (Mukul Datta v. Indian Airlines) — किन्तु अयुक्तियुक्त शर्तें विफल हो जाती हैं: laundry की रसीद जो दावे को मूल्य के 15% तक सीमित करती थी; ग्राहक ने साड़ी का पूरा मूल्य वसूल किया (Lilly White v. Mannuswamy); संविदा के बाद जारी शर्तें आबद्ध नहीं करती (Raipur Transport Co. v. Ghanshyam); **Carlill के सिद्धान्त:** (i) प्रस्ताव में आबद्ध होने का निश्चित वचन हो, (ii) प्रस्ताव किसी विशेष व्यक्ति को अथवा जनसाधारण को किया जा सकता है, (iii) जहाँ प्रस्ताव किसी कार्य के बदले वचन हो, वहाँ वह कार्य कर देना ही प्रतिग्रहण है, पृथक् संसूचना आवश्यक नहीं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- Sec. 4: प्रस्ताव की संसूचना तब पूर्ण जब वह offeree की जानकारी में आ जाए (पत्र मिल भी जाए और पढ़ा भी जाए); प्रतिग्रहण की — प्रस्थापक के विरुद्ध डालते ही (प्रतिग्रहीता की शक्ति से बाहर), प्रतिग्रहीता के विरुद्ध तब जब वह प्रस्थापक तक पहुँच जाए।
- डाक का नियम: ठीक पते पर, टिकट लगाकर, विधिवत् डाला गया प्रतिग्रहण-पत्र भेजते ही प्रस्थापक आबद्ध हो जाता है, चाहे वह विलम्बित हो या खो जाए; किन्तु मात्र मानसिक सम्मति अथवा असंसूचित 'Approved' की टिप्पणी प्रतिग्रहण नहीं (Brogden; Central Bank Yeotmal v. Vyankatesh)।
- तात्क्षणिक रीतियाँ (टेलीफ़ोन/telex/e-mail): संविदा तभी पूर्ण जब प्रतिग्रहण वास्तव में प्राप्त हो जाए, और उसी स्थान पर जहाँ वह प्राप्त हुआ (Entores)।

TQ 6.1 • RTP 2020-Nov [3] • Descriptive • --- • Pg 41

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 4 प्रश्न

- नियुक्ति वाली परिस्थितियाँ (principal/विद्यालय की चयन-सूचियाँ): किसी अप्राधिकृत व्यक्ति से मिली सूचना अथवा कभी प्रदर्शित न हुई सूची प्रतिग्रहण की संसूचना नहीं — कोई निष्पन्न संविदा नहीं।
- समय-रेखा वाले प्रश्न: प्रत्येक तिथि नियत कीजिए — यदि प्रतिसंहरण-पत्र प्रतिग्रहीता तक पहुँचने से पहले प्रतिग्रहण डाल दिया गया, तो प्रस्थापक आबद्ध है; उत्तर 'प्रस्थापक के विरुद्ध' तथा 'प्रतिग्रहीता के विरुद्ध' — अलग-अलग लिखिए।
- विशेष शर्तें (टिकट, laundry की रसीदें) युक्तियुक्त सूचना दी गई हो तो मौन-अनुमानित रूप से आबद्ध करती हैं, किन्तु अयुक्तियुक्त शर्तें विफल हो जाती हैं (Lilly White v. Mannuswamy)।

CSQ 6.1 • PYQ 2021-Jan [3] (c) • Case Scenario • 4M • Pg 43

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 6.2 • RTP 2024-Jun [2] • Case Scenario • --- • Pg 44

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 6.3 • PYQ 2026-Jan [1] (a) {C} • Case Scenario • 7M • Pg 44

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 6.4 • RTP 2026-May [2] • Case Scenario • --- • Pg 46

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 7: पालन की संसूचना (Communication of Performance)

P2-C2-U2.1-T07

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 2.1 का §1.7 ('Communication of Performance') पढ़िए: प्रस्थापक तथा प्रतिग्रहीता के लिए प्रतिग्रहण की संसूचना कब पूर्ण होती है, तथा Carlill v. Carbolic Smoke Ball Co. में प्रतिपादित तीन सिद्धान्त।

नोट्स

दो दृष्टिकोण: प्रस्थापना की संसूचना तब पूर्ण होती है जब वह उस व्यक्ति की जानकारी में आ जाए जिसके लिए वह है (Section 4); प्रतिग्रहण की संसूचना **प्रस्थापक के विरुद्ध** तब पूर्ण होती है जब प्रतिग्रहण सम्प्रेषण के क्रम में इस प्रकार डाल दिया जाए कि वह प्रतिग्रहीता की शक्ति से बाहर हो जाए, तथा **प्रतिग्रहीता के विरुद्ध** तब जब वह प्रस्थापक की जानकारी में आ जाए।

पालन ही प्रतिग्रहण के रूप में: जहाँ प्रतिग्रहीता से यह अपेक्षित हो कि वह प्रतिग्रहण के रूप में पालन (कोई कार्य) संसूचित करे, वहाँ मात्र कार्य कर देना पर्याप्त नहीं — उसे उस पालन की संसूचना भी देनी होगी, **जब तक** प्रस्ताव में ही यह शर्त न हो कि मात्र पालन प्रतिग्रहण माना जाएगा।

Carlill v. Carbolic & Smokeball Co.: कम्पनी ने विज्ञापन दिया कि जो कोई उसकी carbolic smoke ball का प्रयोग करने के बाद influenza से ग्रस्त होगा उसे \$100 का इनाम मिलेगा; Mrs. Carlill ने निर्देशानुसार उसका प्रयोग किया, influenza हुआ, और वे इनाम की हकदार ठहराई गई — चूँकि विज्ञापन में अनुपालन की संसूचना अपेक्षित नहीं थी, अतः कोई संसूचना आवश्यक नहीं थी। प्रतिपादित तीन सिद्धान्त: (i) प्रतिग्रहण योग्य होने के लिए प्रस्ताव में प्रस्थापक का यह निश्चित वचन होना चाहिए कि शर्तें स्वीकार होने पर वह आबद्ध होगा; (ii) प्रस्ताव सम्पूर्ण जगत् के प्रति किया जा सकता है; (iii) जहाँ प्रस्ताव संसूचना की अपेक्षा छोड़ दे, वहाँ शर्त का पालन ही प्रतिग्रहण है।

विषय 8: प्रस्ताव एवं प्रतिग्रहण का प्रतिसंहरण

P2-C2-U2.1-T08

पहले पढ़ें अनुच्छेद 1.8 पढ़िए: Sec. 4 (प्रतिसंहरण की संसूचना कब पूर्ण), Sec. 5 (समय-सीमाएँ), Sec. 6 की प्रतिसंहरण की रीतियाँ, तथा डाक से भेजे गए प्रतिग्रहण के प्रतिसंहरण पर भारत एवं England का अन्तर।

नोट्स

Sec 4 — प्रतिसंहरण: करने वाले के विरुद्ध तब पूर्ण जब वह सम्प्रेषण के क्रम में इस प्रकार डाल दिया जाए कि उसकी शक्ति से बाहर हो जाए (तार भेज दिया गया); जिसके प्रति किया गया उसके विरुद्ध तब, जब वह उसकी जानकारी में आ जाए (तार मिल गया)।

Sec 5: प्रस्थापना उस क्षण तक कभी भी प्रतिसंहृत की जा सकती है जब तक उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूर्ण न हो जाए — अर्थात् प्रतिग्रहण-पत्र डालने से पूर्व अथवा उसी क्षण तक, बाद में नहीं; प्रतिग्रहण उस क्षण तक प्रतिसंहृत किया जा सकता है जब तक उसकी संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध पूर्ण न हो जाए — अर्थात् पत्र के प्रस्थापक तक पहुँचने से पूर्व अथवा उसी क्षण तक।

प्रस्ताव के प्रतिसंहरण की रीतियाँ [Sec 6]: (1) प्रतिसंहरण की सूचना (B के स्वीकार करने से पहले A टेलीफोन कर देता है और C को बेच देता है); (2) समय बीत जाना — विनिर्दिष्ट अथवा युक्तियुक्त (Ramsgate Victoria Hotel v. Montefiore: जून के shares-आवेदक नवम्बर के आवंटन से आबद्ध नहीं); (3) किसी पूर्ववर्ती शर्त का पूरा न होना (B अपेक्षा के अनुसार अपनी भूमि पट्टे पर देने से मना कर दे — A का प्रस्ताव प्रतिसंहृत); (4) प्रस्थापक की मृत्यु अथवा विकृतचित्तता, यदि वह प्रतिग्रहण से पूर्व प्रतिग्रहीता की जानकारी में आ जाए; (5) प्रति-प्रस्ताव; (6) विहित अथवा प्रचलित रीति से प्रतिग्रहण न होना; (7) पश्चातवर्ती अवैधता।

प्रस्ताव खुला रखना: प्रस्ताव प्रतिग्रहण से पूर्व प्रतिसंहृत किया जा सकता है, चाहे प्रस्थापक ने उसे नियत समय तक खुला रखने पर सहमति दी हो — X ने कपास की अपनी 50 गाँठों का प्रस्ताव शाम 6 बजे तक खुला रखने का वचन दिया पर पहले ही Z को बेच दिया; Y का 6 बजे से पहले किन्तु प्रतिसंहरण के बाद किया गया प्रतिग्रहण विफल रहा; नीलामी में बोली लगाने वाला हथौड़ा गिरने से पूर्व अपनी बोली वापस ले सकता है; किन्तु प्रतिग्रहीता प्रतिसंहरण से तभी आबद्ध होता है जब वह उसकी जानकारी में आ जाए।

डाक से भेजे प्रतिग्रहण पर भारत बनाम England: English विधि में प्रतिग्रहण एक बार व्यक्त/डाक में डाल दिए जाने पर संविदा पूर्ण कर देता है और अप्रतिसंहरणीय है; भारतीय विधि में प्रतिग्रहीता उस क्षण तक कभी भी प्रतिसंहरण कर सकता है जब तक प्रतिग्रहण-पत्र प्रस्थापक तक न पहुँच जाए — यदि प्रतिसंहरण का तार प्रतिग्रहण-पत्र से पहले अथवा उसी समय पहुँच जाए, तो प्रतिसंहरण पूर्ण रूप से प्रभावी है।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- प्रस्ताव के प्रतिसंहरण की रीतियाँ [Sec. 6]: प्रतिसंहरण की सूचना; समय बीत जाना (Ramsgate Victoria Hotel v. Montefiore); पूर्ववर्ती शर्त का पूरा न होना; प्रस्थापक की मृत्यु या विकृतचित्तता, यदि प्रतिग्रहण से पूर्व प्रतिग्रहीता को ज्ञात हो; प्रति-प्रस्ताव; विहित/प्रचलित रीति से प्रतिग्रहण न होना; पश्चातवर्ती अवैधता।
- Sec. 5: प्रस्थापना उस क्षण तक प्रतिसंहृत की जा सकती है जब तक उसके प्रतिग्रहण की संसूचना प्रस्थापक के विरुद्ध पूर्ण न हो; प्रतिग्रहण उस क्षण तक जब तक उसकी संसूचना प्रतिग्रहीता के विरुद्ध पूर्ण न हो।
- Sec. 4: प्रतिसंहरण अपने करने वाले के विरुद्ध भेजते ही पूर्ण, दूसरे पक्ष के विरुद्ध तब जब वह उसकी जानकारी में आ जाए।

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 2 प्रश्न

- डाक से भेजा प्रतिग्रहण तार से वापस लेना: भारत में वैध, यदि वह प्रतिग्रहण-पत्र से पहले या उसके साथ पहुँच जाए (English विधि भिन्न है — डालते ही संविदा पूर्ण)।
- प्रस्ताव खुला रखने का वचन (प्रतिफल के बिना) प्रतिग्रहण से पूर्व प्रतिसंहरण को नहीं रोकता; किन्तु प्रतिसंहरण offeree को तभी बाँधता है जब वह उसकी जानकारी में आ जाए।

CSQ 8.3 • PYQ 2024-Sep [1] (a) (ii) {C} • Case Scenario • 2M • Pg 50

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**सरल**

CSQ 8.1 • RTP 2018-Nov [1] (i) • Case Scenario • --- • Pg 48

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम****विश्लेषण (Analysis)** बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए • 1 प्रश्न

- तिथि-रेखा वाले प्रश्न: प्रत्येक तिथि को Sec. 4 की किसी घटना से जोड़िए (प्रस्ताव तब पूर्ण जब पत्र पढ़ा जाए; प्रतिग्रहण प्रस्थापक के विरुद्ध डालने पर, प्रतिग्रहीता के विरुद्ध प्राप्ति पर), फिर निकालिए कि प्रत्येक पक्ष अन्तिम किस क्षण तक प्रतिसंहरण कर सकता था।
- जब प्रतिसंहरण तथा प्रतिग्रहण मार्ग में एक-दूसरे को काटें, तब वरीयता उस संसूचना की है जो सम्बद्ध पक्ष के विरुद्ध पहले पूर्ण हुई।

CSQ 8.2 • PYQ 2021-Jan [3] (c) • Case Scenario • 6M • Pg 49

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)**कठिन****इकाई 2.2: प्रतिफल (Consideration)**

Consideration

P2-C2-U2.2 • महत्त्व D • अध्याय में Rank 7 • श्रेणी C • अध्याय के 7.3% प्रश्न • 17 प्रश्न

विषय 1: प्रतिफल क्या है? (What is Consideration?)

P2-C2-U2.2-T01

पहले पढ़ें Unit 2 (Consideration) का अनुच्छेद 2.1 पढ़िए: Sec. 2(d) की परिभाषा, Misa v. Currie का विवरण, तथा प्रतिफल का लाभ-हानि वाला दोहरा पक्ष।

नोट्स

Sec 2(d) (SM): "When at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing or promises to do or abstain from doing something, such an act or abstinence or promise is called consideration for the promise"।

Misa v. Currie (SM): "A valuable consideration in the sense of law may consist either in some right, interest, profit or benefit accruing to one party (i.e. promisor) or forbearance, detriment, loss or

responsibility given, suffered or undertaken by the other (i.e. the promisee)” — यही दोहरा पक्ष है: promisor को लाभ तथा promisee को हानि।

तत्त्व: quid pro quo — ‘बदले में कुछ’, अर्थात् वह कीमत जो promisee, promisor की बाध्यता के बदले चुकाने पर सहमत हो; यह कोई कार्य हो सकता है (प्रत्याभूति के बदले उधार पर माल बेचना), कोई प्रविरति (₹1,00,000 का वाद न लाना; ₹2,00,000 लेकर प्रतिद्वन्द्वी बिजली की दुकान 1 किमी दूर हटाना) अथवा कोई वचन; यह मौद्रिक होना आवश्यक नहीं (95% से अधिक अंक लाने पर MNC की नौकरी का वचन); यह promisor की इच्छा से हो; promisee से अथवा किसी अन्य व्यक्ति से आ सकता है; और भूत, वर्तमान या भावी हो सकता है — Consideration = वह वचन/पालन जिसका पक्षकार विनिमय करते हैं; रूप = एक पक्ष को कोई लाभ/अधिकार/हित, अथवा दूसरे को कोई हानि/क्षति/प्रविरति।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 2(d) उद्धृत कीजिए: ‘when at the desire of the promisor, the promisee or any other person has done or abstained from doing, or does or abstains from doing, or promises to do or abstain from doing something, such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise’।
- तत्त्व समझाइए: quid pro quo (‘बदले में कुछ’); यह कार्य, प्रविरति अथवा वचन हो सकता है; promisor को लाभ अथवा promisee को हानि (Misa v. Currie); मौद्रिक होना आवश्यक नहीं।
- 7 अंकों का प्रश्न इस परिभाषा को अनुच्छेद 2.2 के आठ विधिक नियमों के साथ जोड़ता है — दोनों साथ तैयार कीजिए।

TQ 1.1 · PYQ 2019-Nov [2] (a) · Descriptive · 7M · Pg 54

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 2: प्रतिफल सम्बन्धी विधिक नियम

P2-C2-U2.2-T02

पहले पढ़ें अनुच्छेद 2.2 पढ़िए: प्रतिफल सम्बन्धी आठ विधिक नियम — Durga Prasad v. Baldeo, Chinnayya v. Ramayya तथा Sec. 25 के स्पष्टीकरण 2 सहित।

नोट्स

आठ नियम: (1) promisor की इच्छा से चले — किसी तीसरे पक्ष की इच्छा पर किया गया कार्य प्रतिफल नहीं (Durga Prasad v. Baldeo: Collector की इच्छा पर बना बाज़ार, commission का वचन शून्य; R का स्वेच्छा से S का माल आग से बचाना कोई इनाम-दावा नहीं देता); (2) promisee से अथवा किसी अन्य व्यक्ति से चल सकता है — भारत में प्रतिफल का अजनबी मान्य है; (3) निष्पादित (कोई कार्य कर देना) अथवा निष्पाद्य (कोई वचन) हो सकता है — A अभी ₹5,000 देता है, B एक माह में गेहूँ देने का वचन देता है; (4) भूत, वर्तमान अथवा भावी हो सकता है — Sec 2(d) के “has done or abstained” शब्द भूत प्रतिफल को मान्यता देते हैं, जो promisor के पूर्व अनुरोध/इच्छा पर हुआ हो; नक़द विक्रय = वर्तमान प्रतिफल; (5) पर्याप्त होना आवश्यक नहीं; (6) किसी विद्यमान विधिक बाध्यता का पालन मात्र न हो — किसी साक्षी को धन देने का वचन, अथवा डॉक्टर को उसकी फ़ीस से ऊपर ₹2,000 देने का वचन शून्य है; किन्तु जितना करने

को विधितः आबद्ध है उससे अधिक करना अच्छा प्रतिफल है, बशर्ते वह लोकनीति के विरुद्ध न हो; (7) वास्तविक हो, भ्रामक नहीं — जादू से खज़ाना खोजना अथवा मृत को जीवित करना शून्य; (8) विधिपूर्ण हो, अनैतिक अथवा लोकनीति के विरुद्ध नहीं — सरकारी बैंक की नौकरी के लिए ₹50,000 शून्य।

पर्याप्तता (Sec 25 का स्पष्टीकरण 2): जिस करार में promisor की सम्मति स्वतन्त्र रूप से दी गई हो, वह केवल इसलिए शून्य नहीं कि प्रतिफल अपर्याप्त है — ₹60 लाख का मकान ₹10 लाख में बिका तो भी संविदा बनी रहती है; किन्तु चौकाने वाली अपर्याप्तता इस अभिकथन के समर्थन में साक्ष्य मानी जा सकती है कि सम्मति स्वतन्त्र नहीं थी (प्रपीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट); अतः 'प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए' ग़लत है — उसे केवल वास्तविक, विधिपूर्ण तथा किसी मूल्य का होना चाहिए।

Chinnayya v. Ramayya (1882): एक वृद्धा ने अपनी सम्पत्ति पुत्री को इस निदेश के साथ दान की कि वह मामा को वार्षिकी देती रहे; पुत्री ने भुगतान का लेख निष्पादित किया पर व्यतिक्रम कर दिया — अभिनिर्धारित हुआ कि पर्याप्त प्रतिफल था (जो माता से चला, promisee-मामा से नहीं) और मामा वसूली कर सकता है; उत्तर का प्रारूप: Sec 2(d) का नियम → प्रतिफल किसने और किसकी इच्छा पर दिया → प्रवर्तनीयता।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- 'प्रतिफल पर्याप्त होना चाहिए' — यह ग़लत है: वह पर्याप्त होना आवश्यक नहीं, किन्तु वास्तविक, विधिपूर्ण तथा किसी मूल्य का होना चाहिए; Sec. 25 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार स्वतन्त्र सम्मति वाला करार केवल अपर्याप्तता के कारण शून्य नहीं होता — अपर्याप्तता तो केवल इस बात का साक्ष्य है कि सम्मति स्वतन्त्र थी या नहीं।
- आठों नियम जानिए: promisor की इच्छा से (Durga Prasad v. Baldeo — तीसरे पक्ष की इच्छा पर किया कार्य प्रतिफल नहीं); promisee या किसी अन्य से चल सकता है; निष्पादित या निष्पाद्य; भूत, वर्तमान या भावी; पर्याप्त होना आवश्यक नहीं; जो पहले से विधितः करना है वह नहीं; वास्तविक हो, भ्रामक नहीं; विधिपूर्ण हो।

TQ 2.1 · MTP 2022-Nov S1 [2] (ii) · Descriptive · 3M · Pg 56

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 1 प्रश्न

- वार्षिकी की शर्त वाला दान-विलेख (Balwant/Reema प्रकार = Chinnayya v. Ramayya): प्रतिफल promisee से भिन्न किसी व्यक्ति से भी आ सकता है, अतः वार्षिकी देने का वचन प्रवर्तनीय है।
- उत्तर का प्रारूप: Sec. 2(d) का नियम → पहचानिए कि प्रतिफल किसने और किसकी इच्छा पर दिया → प्रवर्तनीयता पर निष्कर्ष।

CSQ 2.1 · RTP 2018-Nov [2] (i) · Case Scenario · ---- · Pg 56

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 3: संविदा के तीसरे पक्ष द्वारा वाद

P2-C2-U2.2-T03

पहले पढ़ें अनुच्छेद 2.3 पढ़िए: privity of contract का सिद्धान्त ('संविदा का अजनबी वाद नहीं ला सकता') तथा उसके सात अपवाद।

नोट्स

Privity of contract का सिद्धान्त: यद्यपि भारत में प्रतिफल किसी तीसरे पक्ष से आ सकता है, फिर भी वाद केवल वही ला सकता है जो संविदा का पक्षकार हो — प्रतिफल का अजनबी (मान्य) तथा संविदा का अजनबी (वाद नहीं ला सकता) — दोनों भिन्न हैं: Q का ऋणी P अपनी सम्पत्ति R को बेचता है और R, Q को चुकाने का वचन देता है; R के व्यतिक्रम पर Q वाद नहीं ला सकता, क्योंकि वह संविदा का अजनबी है।

सात अपवाद (जहाँ अजनबी वाद ला सकता है): (1) **न्यास** — हिताधिकारी अपना अधिकार प्रवर्तित करा सकता है, चाहे वह settlor-trustee की संविदा का पक्षकार न हो; (2) **लिखित पारिवारिक बँटवारा** — विभाजन पर पुत्रों द्वारा ₹20,000 भत्ते का वचन माता प्रवर्तित करा सकती है; (3) **विवाह-संविदाएँ/व्यवस्थाएँ** — परित्यक्ता पत्नी उस वचन पर वाद ला सकती है जो पति ने उसके पिता को उसके साथ अच्छा व्यवहार करने अथवा मासिक भत्ता देने का दिया; (4) **संविदा का समनुदेशन**, जिसमें व्यक्तिगत कौशल न हो — पुत्र उस बीमा-पॉलिसी के अधीन दावा कर सकता है जो उसे समनुदेशित हुई; (5) **अभिस्वीकृति अथवा estoppel** — promisor का आचरण उसे तीसरे पक्ष का अभिकर्ता बना दे (M ने N से कहा कि उसके पास N के ₹20,000 हैं; N, M से वसूल कर सकता है); (6) **भूमि के साथ चलने वाली वाचा** — जो क्रेता भूमि से जुड़े कर्तव्यों की सूचना रखते हुए खरीदे वह आबद्ध है; restrictive covenants सभी उत्तरवर्तियों को बाँधती हैं; (7) **अभिकर्ता के माध्यम से संविदाएँ** — principal अपने अभिकर्ता द्वारा प्राधिकार के भीतर तथा अपने नाम से की गई संविदाएँ प्रवर्तित करा सकता है।

भूमि-शर्त वाले प्रश्न (Sohanlal-Chotelal प्रकार): भूमि इस शर्त पर बिकी कि 1 acre विक्रेता के पुत्र के लिए उपलब्ध रहेगा — यहाँ Sec 2(d) (प्रतिफल विधिपूर्वक किसी तीसरे पक्ष से आ सकता है, Chinnayya v. Ramayya; विक्रय-विलेख तथा वचन एक साथ निष्पादित हों तो वे एक ही लेन-देन बनाते हैं) को 'भूमि के साथ चलने वाली वाचा' वाले अपवाद से जोड़िए — तब पुत्र, संविदा का अजनबी होते हुए भी, वचन के निष्पादन हेतु क्रेता के विरुद्ध वाद ला सकता है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- नियम बताइए: वाद केवल संविदा का पक्षकार ही ला सकता है (privity का सिद्धान्त); किन्तु **प्रतिफल** का अजनबी अलग बात है — भारत में प्रतिफल किसी तीसरे पक्ष से आ सकता है, फिर भी **संविदा** का अजनबी वाद नहीं ला सकता।
- सातों अपवाद एक-एक उदाहरण सहित कंठस्थ कीजिए: (1) न्यास — हिताधिकारी वाद ला सकता है; (2) लिखित पारिवारिक बँटवारा; (3) विवाह-संविदाएँ/व्यवस्थाएँ; (4) संविदा का समनुदेशन (जिसमें व्यक्तिगत कौशल न हो); (5) अभिस्वीकृति अथवा estoppel (promisor स्वयं को तीसरे पक्ष के अभिकर्ता के रूप में आचरित करे); (6) भूमि के साथ चलने वाली वाचा; (7) अभिकर्ता के माध्यम से संविदाएँ — principal प्रवर्तित करा सकता है।

TQ 3.1 • PYQ 2023-Jun [2] (a) • Descriptive • 7M • Pg 57

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम**

TQ 3.2 • PYQ 2026-May [5] (c) • Descriptive • 6M • Pg 58

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 2 प्रश्न

- ऐसी भूमि-बिक्री जिसमें विक्रेता के पुत्र के उपयोग की शर्त हो अथवा मामा को वार्षिकी देनी हो (Sohanlal-Chotelal; Das-Geeta-Gopal): Sec. 2(d) (तीसरे पक्ष से प्रतिफल मान्य, Chinnayya v. Ramayya) को न्यास/भूमि-वाचा वाले अपवाद से जोड़िए — हिताधिकारी privity के बावजूद वाद ला सकता है।

- ढाँचा: सामान्य नियम → तथ्यों पर आकृष्ट अपवाद → निष्कर्ष कि तीसरे पक्ष का वाद चलने योग्य है या नहीं।

CSQ 3.1 · PYQ 2019-Jun [1] (a) · Case Scenario · 4M · Pg 60

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.2 · RTP 2026-May [3] · Case Scenario · --- · Pg 61

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 4: प्रतिफल रहित करार की वैधता

P2-C2-U2.2-T04

पहले पढ़ें अनुच्छेद 2.4 पढ़िए: Sec. 25 का नियम 'प्रतिफल नहीं तो संविदा नहीं' तथा उसके अपवाद — Sec. 25(1) स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह, 25(2) पूर्व की स्वैच्छिक सेवाएँ, 25(3) कालातीत ऋण, अभिकरण (Sec. 185), पूर्ण किया गया दान (Sec. 25 का स्पष्टीकरण 1), उपनिधान (Sec. 148) तथा दान-पुण्य (Kedarnath v. Gorie Mohammad)।

नोट्स

Sec 25 का नियम: सामान्य नियम यह है कि प्रतिफल के बिना किया गया करार शून्य है — “प्रतिफल नहीं तो संविदा नहीं”; **अपवाद:** 25(1) स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह; 25(2) पूर्व की स्वैच्छिक सेवाओं का प्रतिकर; 25(3) कालातीत ऋण चुकाने का वचन; अभिकरण (Sec 185); पूर्ण किया गया दान (Sec 25 का स्पष्टीकरण 1); उपनिधान (Sec 148); दान-पुण्य (Kedarnath v. Gorie Mohammad)।

Sec 25(1) — चार शर्तें: (i) स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह से किया गया हो, (ii) पक्षकार परस्पर निकट सम्बन्ध में हों, (iii) लिखित हो, (iv) पंजीकृत हो — पति का अपनी आय देने का पंजीकृत वचन वैध; नवविवाहिता पुत्रवधू को ₹5,00,000 का स्वर्ण-हार देने का लिखित, हस्ताक्षरित एवं पंजीकृत वचन वैध; किसी मित्र को दान का मात्र वचन विफल — मित्र 'निकट सम्बन्धी' नहीं होते।

Sec 25(2) — पूर्व की स्वैच्छिक सेवाएँ: जिस व्यक्ति ने promisor के लिए पहले ही स्वेच्छा से कुछ किया हो, उसे पूर्णतः या अंशतः प्रतिकर देने का वचन प्रवर्तनीय है, यदि (i) सेवाएँ स्वेच्छा से दी गई हों, (ii) promisor के लिए दी गई हों, (iii) सेवाओं के समय promisor विद्यमान रहा हो, (iv) promisor का प्रतिकर देने का आशय रहा हो — P, R का खोया बटुआ लौटाता है, तो R का ₹10,000 का वचन आबद्धकर है; मामा की सहायता से मुकदमा जीतने पर भतीजे का ₹10,000 का वचन वैध।

Sec 25(3) — कालातीत ऋण: परिसीमा से वर्जित ऋण चुकाने का वह वचन, जो लिखित हो और वचन देने वाले अथवा उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो, प्रतिफल बिना भी वैध है — किन्तु प्रवर्तनीय केवल उतनी ही राशि तक: ₹60,000 के वर्जित ऋण के विरुद्ध ₹50,000 का लिखित एवं हस्ताक्षरित वचन केवल ₹50,000 तक प्रवर्तनीय है।

शेष अपवाद: अभिकरण — अभिकरण सृजित करने के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं (Sec 185); **पूर्ण किया गया दान** — Sec 25 का स्पष्टीकरण 1: दाता एवं दानग्रहीता के बीच वास्तव में किए गए किसी दान की विधिमाम्यता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता (परिदत्त दान वैध; केवल दान का मात्र वचन ही Sec 25(1) की शर्तें माँगता है); **उपनिधान (Sec 148)** — किसी प्रयोजन से माल की सुपुर्दगी, जो प्रयोजन पूरा होने पर लौटाया जाए या निदेशानुसार व्ययनित हो, उसमें कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं (जमा माल के लिए गोदाम की चाबियाँ सौंपना); **दान-पुण्य** — वचन वहाँ प्रवर्तनीय है जहाँ promisee ने उसके भरोसे कोई दायित्व उठा लिया हो (Kedarnath v. Gorie Mohammad; जिस मन्दिर-सचिव ने

जीर्णोद्धार पर व्यय किया वह वचनबद्ध ₹1,00,000 माँग सकता है — कुछ भी व्यय न किया हो तो कोई दावा नहीं।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 25(1) की चार शर्तें: (i) स्वाभाविक प्रेम एवं स्नेह, (ii) पक्षकार निकट सम्बन्ध में, (iii) लिखित, (iv) पंजीकृत।
- Sec. 25(3): कालातीत ऋण चुकाने का वचन लिखित हो तथा ऋणी या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित हो; प्रवर्तनीय केवल वचनबद्ध राशि तक।
- अपवाद-सूची: 25(1); 25(2); 25(3); अभिकरण (Sec. 185); पूर्ण किए गए दान; उपनिधान (Sec. 148); दान-पुण्य।

TQ 4.2 · PYQ 2024-Sep [3] (c) (ii) · Descriptive · 3M · Pg 64

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- समझाइए कि प्रत्येक अपवाद Sec. 25 को क्यों अधिक्रान्त करता है, प्रत्येक शीर्ष पर SM का एक उदाहरण देते हुए।
- जाल: **पूर्ण किए गए** दान में कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं, किन्तु दान का मात्र **वचन** तभी प्रवर्तनीय है जब Sec. 25(1) की सारी शर्तें पूरी हों — और मित्र 'निकट सम्बन्धी' नहीं होते।

TQ 4.1 · PYQ 2021-Jan [6] (a) · Descriptive · 5M · Pg 62

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 8 प्रश्न

- कालातीत ऋण: लिखित, हस्ताक्षरित वचन → आबद्धकर, किन्तु केवल वचनबद्ध राशि तक (₹60,000 में से ₹50,000)।
- दान-पुण्य: तभी प्रवर्तनीय जब promisee ने वचन के भरोसे कोई दायित्व उठाया हो (Kedarnath); कुछ भी व्यय न हुआ तो कोई दावा नहीं।
- दान: परिदत्त जन्मदिन का iPhone = वैध पूर्ण दान; मित्र को स्वर्ण-अँगूठी का वचन = अप्रवर्तनीय; निकट सम्बन्धी + लिखित + पंजीकृत होने पर उत्तर उलट जाता है।
- पूर्व की स्वैच्छिक सेवा (खोए दस्तावेज़ लौटाना): बाद में प्रतिकर का वचन Sec. 25(2) के अधीन आबद्धकर — चारों अनिवार्य कारक जाँच लीजिए।

CSQ 4.3 · PYQ 2024-Sep [1] (a) (iii) {C} · Case Scenario · 2M · Pg 67

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 4.6 · PYQ 2026-Jan [4] (a) (i) · Case Scenario · 2M · Pg 69

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 4.7 · PYQ 2026-Jan [4] (a) (ii) · Case Scenario · 2M · Pg 70

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 4.8 · PYQ 2026-Jan [4] (a) (iii) · Case Scenario · 3M · Pg 71

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 4.1 · PYQ 2020-Nov [3] (c) (ii) · Case Scenario · 6M · Pg 65

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 4.2 • MTP 2024-Jul [4] (a) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 66

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 4.4 • RTP 2025-May [2] • Case Scenario • --- • Pg 67

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 4.5 • RTP 2026-Jan [3] • Case Scenario • --- • Pg 69

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

इकाई 2.3: वैध संविदा के अन्य अनिवार्य तत्त्व (Other Essential Elements of Valid Contract)

Other Essential Elements of Valid Contract

P2-C2-U2.3 • महत्त्व C • अध्याय में Rank 1 • श्रेणी A • अध्याय के 22.6% प्रश्न • 53 प्रश्न

विषय 1: संविदा करने की क्षमता (Capacity to Contract)

P2-C2-U2.3-T01

पहले पढ़ें Unit 3 का Section 3.1 'Capacity to Contract' पढ़िए: Sec. 11 (कौन सक्षम है), अवयस्क के करार सम्बन्धी नियम (Mohori Bibi vs. Dharmo Das Ghose), Sec. 12 (स्वस्थचित्त), Sec. 68 (आवश्यक वस्तुएँ) तथा निरर्ह व्यक्ति।

नोट्स

Sec 11 — कौन सक्षम: वह प्रत्येक व्यक्ति जो (a) वयस्कता प्राप्त कर चुका हो (18 वर्ष पूर्ण — Indian Majority Act, 1875), (b) स्वस्थचित्त हो, तथा (c) जिस विधि के अधीन वह है उसके द्वारा संविदा करने से निरर्ह न हो।

अवयस्क का करार — आरम्भ से शून्य: Mohori Bibi vs. Dharmo Das Ghose (1903) — अवयस्क का बन्धक शून्य माना गया, अवयस्क उधारदाता को लौटाने का दायी नहीं; वयस्क होने पर अनुसमर्थन नहीं हो सकता (पुराने note के बदले नया note प्रतिफल के अभाव में शून्य); किन्तु अवयस्क **हिताधिकारी** हो सकता है — उसके पक्ष में निष्पादित promissory note या बन्धक वह प्रवर्तित करा सकता है; सभी partners की सम्मति से वह साझेदारी के लाभों में प्रविष्ट हो सकता है (Sec 30, Partnership Act), किन्तु partner नहीं बन सकता।

कोई estoppel नहीं: अवयस्क वयस्कता का मिथ्या अभ्यावेदन करने के बाद भी अवयस्कता की दलील सदैव ले सकता है — इस प्रकार लिए गए ऋण को लौटाने का दायी नहीं; उससे धन लौटाने को तभी कहा जा सकता है जब वह अब भी अव्ययित हो, व्यय की जा चुकी राशियों का वह कभी दायी नहीं।

आवश्यक वस्तुएँ (Sec 68): केवल अवयस्क की **सम्पत्ति** दायी है — कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं, और मूल्य से अधिक कभी नहीं; दो शर्तें: माल उसके जीवन-स्तर के अनुरूप उसके भरण-पोषण हेतु युक्तियुक्त रूप से आवश्यक हो, तथा पहले से पर्याप्त आपूर्ति न हो; शिक्षा एवं अन्येष्टि के व्यय सम्मिलित, विलासिताएँ अपवर्जित — कसौटी उपयोगिता है, शोभा नहीं (Shruti का ₹70,000 का laptop — वसूली केवल उसकी ₹20,000 की परिसंपत्तियों तक)।

अन्य नियम: अवयस्क अभिकर्ता हो सकता है किन्तु अपने principal के प्रति कोई दायित्व नहीं उठाता; वह माता-पिता को आबद्ध नहीं कर सकता, जब तक उनके अभिकर्ता के रूप में कार्य न करे; किसी वयस्क के साथ संयुक्त संविदा में केवल वयस्क दायी है (Sain Das vs. Ram Chand); अवयस्क के लिए वयस्क प्रतिभू **दायी है** — प्रतिभू एवं तीसरे पक्ष के

बीच सीधी संविदा; न विनिर्दिष्ट पालन, न दिवालियापन, न shareholding (पूर्णदत्त shares का संरक्षक के माध्यम से अन्तरण/संक्रामण अपवाद); अपकृत्यों (torts) के लिए अवयस्क दायी है। **Sec 12 स्वस्थचित्त (SM):** “a person is said to be of sound mind for the purposes of making a contract if, at the time when he makes it is capable of understanding it and of forming a rational judgement as to its effect upon his interests” — विकृतचित्त व्यक्ति की संविदा **शून्य** है; जो सामान्यतः विकृतचित्त हो पर कभी-कभी स्वस्थचित्त, वह स्वस्थचित्त रहते संविदा कर सकता है (lucid-interval का नियम; प्रलापग्रस्त/मद्यप्य व्यक्ति नहीं); निरर्ह व्यक्ति: विदेशी प्रभुसत्ताधारी एवं राजदूत, शत्रु विदेशी, निगम, सिद्धदोष, दिवालिया।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- समझाइए कि अवयस्क का करार आरम्भ से शून्य क्यों है (Sec. 11, Mohori Bibi), फिर भी अवयस्क हिताधिकारी हो सकता है — उसके पक्ष में promissory note/बन्धक वह प्रवर्तित करा सकता है।
- आवश्यक वस्तुएँ (Sec. 68): केवल अवयस्क की **सम्पत्ति** दायी है, स्वयं अवयस्क कभी नहीं, और केवल उन्हीं आवश्यक वस्तुओं के लिए जो उसके जीवन-स्तर के अनुरूप हों — अतः ‘अवयस्क भुगतान का दायी है’ कहना ग़लत है।

TQ 1.1 • PYQ 2018-May [2] (c) (ii) • Descriptive • 2M • Pg 74

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

TQ 1.2 • RTP 2022-Nov [5] • Descriptive • --- • Pg 75

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 4 प्रश्न

- ढाँचा: Sec. 11 + आरम्भ से शून्य का नियम → तथ्य (फ़ीस/पुस्तकों हेतु ऋण = आवश्यक वस्तुएँ → सम्पदा दायी; निजी ऋण → वयस्क होने पर भी कोई अनुसमर्थन नहीं) → निष्कर्ष।
- अवयस्क अभिकर्ता के रूप में: उसके कार्य principal को आबद्ध करते हैं, किन्तु वह principal के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं होता (Parth द्वारा Mukund की कार निर्दिष्ट मूल्य से कम पर बेचना)।
- विकृतचित्तता (Sec. 12): संविदा शून्य है — ₹2,00,000 की सम्पत्ति ₹25,000 में बेचने वाली परिस्थिति पर इसे लगाइए।

CSQ 1.1 • RTP 2020-May [9] • Case Scenario • --- • Pg 75

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 1.4 • PYQ 2021-Dec [3] (b) (i) • Case Scenario • 6M • Pg 77

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 1.6 • RTP 2023-Jun [4] • Case Scenario • --- • Pg 79

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 1.8 • PYQ 2025-Jan [1] (a) (iv) {C} • Case Scenario • 7M • Pg 81

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए • 4 प्रश्न

- अवयस्क के लिए प्रतिभू: वयस्क प्रतिभू तीसरे पक्ष के प्रति **दायी है** (प्रतिभू-लेनदार की सीधी संविदा), चाहे स्वयं अवयस्क की संविदा शून्य हो — दोनों संविदाएँ अलग कीजिए।

- आयु का मिथ्या अभ्यावेदन: अवयस्क फिर भी अवयस्कता की दलील लेगा (कोई estoppel नहीं), उससे अव्ययित धन लौटाने को कहा जा सकता है, व्यय की गई राशियों का वह कभी दायी नहीं।
- बहु-मुद्दा प्रश्न आवश्यक-वस्तु की कसौटी (कक्षाओं हेतु mobile/laptop), माता-पिता का दायी न होना (जब तक अवयस्क उनका अभिकर्ता न हो) तथा केवल सम्पदा का दायित्व — इन्हें क्रम से लीजिए।

CSQ 1.7 · MTP 2023-Nov [3] (b) · Case Scenario · 6M · Pg 80	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 1.2 · PYQ 2021-Jul [1] (c) [C] · Case Scenario · 4M · Pg 76	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन
CSQ 1.3 · RTP 2021-Nov [2] · Case Scenario · ---- · Pg 76	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन
CSQ 1.5 · PYQ 2022-May [3] (b) · Case Scenario · 6M · Pg 78	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन

विषय 2: स्वतन्त्र सम्मति (Free Consent)

P2-C2-U2.3-T02

पहले पढ़ें Section 3.2 'Free Consent' पढ़िए: Sec. 13 के अधीन सम्मति की परिभाषा (consensus ad idem — एक ही बात पर एक ही अर्थ में), Sec. 14 के अधीन स्वतन्त्र सम्मति, तथा सम्मति के सर्वथा अभाव एवं सम्मति के स्वतन्त्र न होने का अन्तर।

नोट्स

सम्मति (Sec 13, SM): "two or more persons are said to consent when they agree upon the same thing in the same sense" — consensus ad idem; लेन-देन के स्वरूप, जिस व्यक्ति से व्यवहार हो रहा है, अथवा विषय-वस्तु के विषय में मूलभूत भूल का अर्थ है कि पक्षकार कभी एक ही अर्थ में सहमत हुए ही नहीं, अतः कोई संविदा उत्पन्न नहीं होती (एक ही नाम के दो जहाज़/दो व्यक्ति — पक्षकार ad idem नहीं)।

स्वतन्त्र सम्मति (Sec 14): सम्मति तब स्वतन्त्र है जब वह इनसे कारित न हो — (1) प्रपीड़न — Sec 15, (2) अनुचित प्रभाव — Sec 16, (3) कपट — Sec 17, (4) दुर्यपदेशन — Sec 18, (5) भूल — Secs 20-22 के अधीन।

प्रभाव: प्रपीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट अथवा दुर्यपदेशन से कारित सम्मति → संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर **शून्यकरणीय** जिसकी सम्मति वैसे कारित हुई; (द्विपक्षीय) भूल से दूषित सम्मति → करार **शून्य**; consensus ad idem का सर्वथा अभाव → कोई संविदा ही नहीं — परिणाम-शब्द 'शून्य' है, 'शून्यकरणीय' नहीं।

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 2 प्रश्न

- विषय-वस्तु की पहचान वाली परिस्थितियों का ढाँचा: Sec. 13 (एक ही बात पर एक ही अर्थ में सहमति) तथा Sec. 20 (सारभूत तथ्य की द्विपक्षीय भूल करार को शून्य करती है) उद्धृत कीजिए → दिखाइए कि पक्षकारों का आशय भिन्न flats/कारों से था → निष्कर्ष: कोई संविदा नहीं/शून्य।
- अन्तर कीजिए: जहाँ **दोनों** पक्ष विषय-वस्तु के बारे में भूल में हों (flat 101 बनाम 102, लाल कार बनाम काली कार) वहाँ करार शून्य है; मात्र एकपक्षीय भूल (Sec. 22) संविदा को अकृत नहीं करती।

- परिणाम-शब्द स्मरण रखिए: consensus ad idem का अभाव = शून्य करार, शून्यकरणीय नहीं।

CSQ 2.2 · RTP 2023-Jun [1] (a) · Case Scenario · --- · Pg 82

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 2.1 · MTP 2022-Jun [1] (i) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 81

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 3: स्वतन्त्र सम्मति को दूषित करने वाले तत्त्व

P2-C2-U2.3-T03

पहले पढ़ें Section 3.3 साधिए: प्रपीड़न (Sec. 15, प्रभाव Secs. 19/72), अनुचित प्रभाव (Sec. 16, प्रभाव Sec. 19A), कपट (Sec. 17), दुर्यपदेशन (Sec. 18), भूल (Secs. 20-22), तथा दोनों अन्तर-तालिकाएँ।

नोट्स

प्रपीड़न (Sec 15, SM): “the committing, or threatening to commit, any act forbidden by the Indian Penal Code or the unlawful detaining, or threatening to detain any property, to the prejudice of any person whatever, with the intention of causing any person to enter into an agreement” — यह न तो किसी पक्षकार से ही आना आवश्यक है, न दूसरे पक्षकार पर ही लक्षित होना; आत्महत्या की धमकी प्रपीड़न है (आत्महत्या IPC द्वारा प्रतिषिद्ध है, यद्यपि दंडनीय नहीं); मुक्ति-पत्र के लिए अभिकर्ता का principal की लेखा-पुस्तकें रोक लेना = प्रपीड़न; प्रभाव — शून्यकरणीय (Sec 19) तथा प्राप्त धन/वस्तु लौटानी होगी (Sec 72)।

अनुचित प्रभाव (Sec 16, SM): “A contract is said to be induced by ‘undue influence’ where the relations subsisting between the parties are such that one of the parties is in a position to dominate the will of the other and he uses that position to obtain an unfair advantage over the other”; इच्छा पर प्रभुत्व की चार स्थितियाँ: (a) वास्तविक/आभासी प्राधिकार (स्वामी-सेवक, पिता-पुत्र), (b) विश्वासाश्रित सम्बन्ध (solicitor-client, गुरु-शिष्य, न्यासी-हिताधिकारी), (c) मानसिक विपन्नता (रोग या वृद्धावस्था से दुर्बल रोगी पर डॉक्टर का प्रभाव), (d) अनुचित सौदे (गाँव के महाजन का नया ऋण; किन्तु बैंक का बाज़ार-दर वाला ऊँचा ब्याज साधारण व्यवसाय है, अनुचित प्रभाव नहीं); प्रभाव (Sec 19A) — शून्यकरणीय; न्यायालय उसे पूर्णतः अपास्त कर सकता है अथवा न्यायसंगत शर्तों पर (₹1,00,000 अग्रिम के विरुद्ध ₹2,00,000 का bond अपास्त); व्यथित पक्ष को प्रभुत्व + स्थिति का प्रयोग + अनुचित लेन-देन सिद्ध करना होगा, फिर भार पलट जाता है।

कपट (Sec 17): छलने अथवा उत्प्रेरित करने के आशय से किए गए पाँच कार्य: (1) ऐसे व्यक्ति द्वारा किसी तथ्य का मिथ्या सुझाव जो उसे सत्य नहीं मानता, (2) किसी तथ्य का सक्रिय छिपाव, (3) पालन के किसी आशय बिना किया गया वचन, (4) छलने योग्य कोई अन्य कार्य, (5) कोई ऐसा कार्य/लोप जिसे विधि ने विशेष रूप से कपटपूर्ण घोषित किया हो; मात्र मौन कपट नहीं — अपवाद: (1) बोलने का कर्तव्य (नीलामी में बेचा गया अस्वस्थ घोड़ा — कपट नहीं; किन्तु क्रेता विक्रेता की पुत्री हो — बोलने का कर्तव्य, अतः कपट), (2) मौन जो कथन के तुल्य हो (“यदि आप इससे इनकार नहीं करते तो मैं मान लूँगा कि घोड़ा स्वस्थ है”); प्रभाव — शून्यकरणीय; व्यथित पक्ष विखंडन कर सकता है, नुक़सानी का वाद ला सकता है, अथवा यह आग्रह कर सकता है कि पालन ऐसे हो मानो अभ्यावेदन सत्य था; किन्तु यह शून्यकरणीय नहीं जहाँ छला गया पक्ष साधारण तत्परता से सत्य जान सकता था, अथवा जहाँ कपट से सम्मति कारित ही न हुई हो।

दुर्व्यपदेशन (Sec 18): (1) ऐसा मिथ्या कथन जिसे कहने वाला सत्य मानता है पर जो उसकी जानकारी से न्यायोचित नहीं (बिना जाँचे motorcycle को “in excellent condition” बताना), (2) छलने के आशय बिना कर्तव्य-भंग जिससे लाभ मिले, (3) निर्दोष रूप से दूसरे पक्ष को विषय-वस्तु के बारे में भूल में डालना — प्रभाव: शून्यकरणीय, विखंडन/प्रत्यास्थापन, किन्तु **कोई नुकसानी नहीं**। **भूल (Secs 20-22):** करार के लिए सारभूत किसी तथ्य के विषय में द्विपक्षीय भूल → **शून्य** (Sec 20 — विषय-वस्तु की गुणवत्ता, अस्तित्व, पहचान, हक्र, मूल्य, मात्रा); एकपक्षीय भूल → संविदा शून्यकरणीय नहीं (Sec 22); भारतीय विधि की भूल — कोई अनुतोष नहीं (Sec 21); विदेशी विधि की भूल = तथ्य की भूल, करार शून्य।

प्रपीड़न (Sec 15)	अनुचित प्रभाव (Sec 16)
शारीरिक बल अथवा धमकी से सम्मति ली जाती है	नैतिक अथवा मानसिक दबाव
IPC द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य अथवा सम्पत्ति का विधिविरुद्ध निरोध	इसमें कोई अवैध कार्य या आपराधिक धमकी नहीं
पक्षकारों के बीच किसी सम्बन्ध का होना आवश्यक नहीं	पक्षकारों के बीच कोई सम्बन्ध होना नितान्त आवश्यक
यह संविदा के किसी अजनबी से भी आ सकता है	यह सदैव संविदा के पक्षकारों के बीच ही होता है
शून्यकरणीय; प्राप्त लाभ लौटाना होगा (Secs 64, 72)	शून्यकरणीय अथवा अपास्त/संशोधित रूप में प्रवर्तित; वापसी न्यायालय के विवेक पर

कपट (Sec 17)	दुर्व्यपदेशन (Sec 18)
सत्य छिपाकर छलने का आशय	छलने का कोई आशय नहीं
कहने वाला कथन को असत्य मानता है	कहने वाला कथन को सत्य मानता है
क्षतिग्रस्त पक्ष संविदा तोड़ भी सकता है और नुकसानी भी माँग सकता है	केवल विखंडन/प्रत्यास्थापन — कोई नुकसानी नहीं
यह प्रतिरक्षा नहीं कि क्षतिग्रस्त पक्ष सत्य जान सकता था	यह दलील दी जा सकती है कि क्षतिग्रस्त पक्ष सत्य जान सकता था

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- ‘इच्छा पर प्रभुत्व’ की चारों परिस्थितियाँ कंठस्थ कीजिए (Sec. 16): वास्तविक/आभासी प्राधिकार, विश्वासाश्रित सम्बन्ध, मानसिक विपन्नता, अनुचित सौदे।
- धारा-मानचित्र: प्रपीड़न 15, अनुचित प्रभाव 16, कपट 17, दुर्व्यपदेशन 18, प्रभाव 19/19A, भूल 20-22, प्रपीड़न में वापसी 72।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 9 प्रश्न

- कपट (Sec. 17): पाँच कार्य — मिथ्या सुझाव, सक्रिय छिपाव, पालन के आशय बिना वचन, छलने योग्य कार्य, विधि द्वारा कपटपूर्ण घोषित कार्य/लोप; प्रभाव — शून्यकरणीय, साथ में नुक़सानी।
- 'मात्र मौन कपट नहीं' — अपवाद: बोलने का कर्तव्य, तथा मौन जो कथन के तुल्य हो; यदि छला गया पक्ष साधारण तत्परता से सत्य जान सकता था तो संविदा शून्यकरणीय नहीं।
- दोनों तालिकाएँ साधिए: कपट बनाम दुर्व्यपदेशन (आशय, जानकारी, नुक़सानी) तथा प्रपीड़न बनाम अनुचित प्रभाव (शारीरिक बनाम नैतिक दबाव, सम्बन्ध)।
- प्रपीड़न (Sec. 15): IPC द्वारा प्रतिषिद्ध कार्य अथवा सम्पत्ति का विधिविरुद्ध निरोध; आत्महत्या की धमकी प्रपीड़न है; प्रभाव — शून्यकरणीय (Sec. 19), धन लौटाने योग्य (Sec. 72)।

TQ 3.2 · RTP 2019-May [2] (i) (a) · Descriptive · --- · Pg 83	LEVEL I समझ (Understanding)	सरल
TQ 3.10 · PYQ 2025-May [5] (c) (ii) · Descriptive · ---- · Pg 89	LEVEL I समझ (Understanding)	सरल
TQ 3.1 · PYQ 2018-May [6] (a) · Descriptive · 5M · Pg 82	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.3 · PYQ 2019-Jun [2] (a) · Descriptive · 7M · Pg 83	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.4 · PYQ 2019-Jun [6] (a) · Descriptive · 5M · Pg 85	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.5 · PYQ 2019-Nov [6] (a) · Descriptive · 5M · Pg 85	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.7 · PYQ 2020-Nov [2] (a) · Descriptive · 7M · Pg 87	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.9 · PYQ 2023-Dec [6] (a) · Descriptive · 5M · Pg 88	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.11 · PYQ 2025-Sep [6] (b) · Descriptive · 6M · Pg 90	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 10 प्रश्न

- ढाँचा: दूषित करने वाला तत्त्व पहचानिए → धारा एवं परिभाषा → प्रभाव (व्यथित पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय; अनुचित प्रभाव में Sec. 19A) → निष्कर्ष।
- तथ्य-प्रतिरूप: अंकों/पदोन्नति के बदले बिक्री कराने वाला शिक्षक/नियोक्ता = अनुचित प्रभाव; पीड़ा में पड़े रोगी से डॉक्टर का ₹5,000 का note = अनुचित सौदा; बन्दूक की नोक/झूठे आपराधिक मामले की धमकी = प्रपीड़न।
- दुर्व्यपदेशन (चालू meters, motorcycle 'अच्छी दशा में'): शून्यकरणीय, विखंडन किन्तु **कोई नुक़सानी नहीं**; जिस क्रेता ने माल स्वयं जाँचा (टूटा मेज़-पाया) वह अकृत नहीं कर सकता।

TQ 3.8 · RTP 2021-May [1] (I) · Descriptive · --- · Pg 88	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 3.4 · RTP 2022-Nov [2] (i) · Case Scenario · ---- · Pg 94	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल

CSQ 3.6 • MTP 2023-May [3] (c) • Case Scenario • 3M • Pg 95	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 3.7 • PYQ 2023-Jun [3] (b) (i) • Case Scenario • 2M • Pg 96	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 3.1 • RTP 2021-May [3] • Case Scenario • --- • Pg 91	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.2 • MTP 2022-Mar [3] (b) • Case Scenario • 6M • Pg 92	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.3 • RTP 2022-May [3] • Case Scenario • --- • Pg 93	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.5 • RTP 2022-Nov [3] • Case Scenario • --- • Pg 94	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.9 • RTP 2025-Jan [6] (ii) • Case Scenario • --- • Pg 98	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.11 • RTP 2026-May [4] • Case Scenario • --- • Pg 99	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्रा परिस्थितियाँ सुलझाए • 2 प्रश्न

- नीलामी/मौन (अस्वस्थ घोड़ा): मात्र मौन = कपट नहीं; बोलने का कर्तव्य (क्रेता पुत्री हो) = कपट; 'इनकार न करें तो मैं स्वस्थ मान लूँगा' = मौन कथन के तुल्य = कपट।
- विक्रय-शृंखला: जो विक्रेता स्वयं छला गया हो और निर्दोष रूप से वही कथन दोहरा दे, वह दुर्व्यपदेशन करता है, कपट नहीं — पहचानिए कि कौन किसके विरुद्ध विखंडन करेगा और नुकसानी बनती है या नहीं।

CSQ 3.8 • MTP 2024-Jul [1] (a) (ii) {C} • Case Scenario • 3M • Pg 97	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 3.10 • RTP 2025-May [3] • Case Scenario • --- • Pg 98	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम

विषय 4: उद्देश्य एवं प्रतिफल की विधिपूर्णता

P2-C2-U2.3-T04

पहले पढ़ें Section 3.4 पढ़िए: Sec. 23 के अधीन अविधिपूर्ण प्रतिफल/उद्देश्य के छह शीर्ष, लोकनीति के विरुद्ध करार, तथा Sec. 24 (प्रतिफल का अंशतः अविधिपूर्ण होना)।

नोट्स

Sec 23 — अविधिपूर्ण प्रतिफल/उद्देश्य के छह शीर्ष: (1) विधि द्वारा प्रतिषिद्ध (दहेज, 17 वर्षीय बालक का विवाह); (2) ऐसी प्रकृति का कि अनुमत होने पर किसी विधि के उपबन्धों को विफल कर दे (राजस्व-व्यतिक्रमी का B के माध्यम से अपनी ही जागीर पुनः खरीदना); (3) कपटपूर्ण (कपट से अर्जित लाभ बाँटना); (4) जिसमें किसी अन्य के व्यक्ति या सम्पत्ति को क्षति हो (copyright के उल्लंघन में पुस्तक छापना; दैनिक शारीरिक श्रम से ऋण चुकाना = दासता); (5) अनैतिक (विवाह के वचन के साथ विवाह-विच्छेद हेतु दिया गया धन — अवसूलनीय); (6) लोकनीति के विरुद्ध — प्रत्येक

दशा में करार शून्य है।

लोकनीति के विरुद्ध करार: (1) शत्रु से व्यापार; (2) अभियोजन दबाना — प्रतिफल लेकर कार्यवाही छोड़ना शून्य, किन्तु CrPC के अनुसार शमनीय अपराधों का समझौता अनुमत है, अशमनीय का नहीं; (3) maintenance (बिना हित के किसी वाद को सहारा देना) तथा champerty (प्राप्ति में हिस्से के बदले मुकदमे को धन देना) — केवल तभी वैध जब व्यक्ति युक्त एवं सद्भावपूर्ण हों, विद्वेषपूर्ण नहीं; (4) लोक पदों एवं उपाधियों का व्यापार — किसी लोक सेवक को सेवानिवृत्त कराने हेतु धन देना ताकि दूसरे को पद मिले, अथवा Padma Vibhushan जैसी उपाधि दिलाना, शून्य है, क्योंकि इससे योग्यता-आधारित नियुक्ति में हस्तक्षेप होता है; (5) एकाधिकार बनाने वाले करार; (6) विवाह-दलाली (प्रतिफल लेकर विवाह तय कराना; मात्र सूचना देने वाला विवाह-ब्यूरो इसमें नहीं आता); (7) न्याय-प्रक्रिया में हस्तक्षेप — किसी न्यायिक अधिकारी को पक्षपातपूर्ण/भ्रष्ट आचरण हेतु उत्प्रेरित करना, किसी साक्षी को अनुपस्थित रहने के लिए धन देना; (8) कर्तव्य के विरुद्ध हित — अभिकर्ता का गुप्त प्रतिकर लेना, प्रबन्धक का निजी भुगतान लेकर संविदा पारित कराना।

Sec 24 — अंशतः अविधिपूर्ण: यदि एक या अधिक उद्देश्यों के लिए दिए गए एकल प्रतिफल का कोई भाग, अथवा किसी एक उद्देश्य के लिए दिए गए कई प्रतिफलों में से कोई एक, अविधिपूर्ण हो, तो करार शून्य है; जहाँ विधिपूर्ण भाग अविधिपूर्ण से पृथक् किया जा सके, वहाँ अच्छा भाग बना रहता है; पृथक् न हो सके तो पूर्णतः शून्य।

प्रयोग: Sec 23 का शीर्ष पहचानिए → लागू कीजिए → निष्कर्ष दीजिए कि करार शून्य है और दिया गया धन अवसूलनीय (Harish का पुत्र की नौकरी के लिए किसी अधिकारी को दिया ₹15,000 वसूल नहीं हो सका — लोक पद का व्यापार)।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 2 प्रश्न

- Sec. 23 के छहों शीर्ष अक्षरशः गिनाइए: विधि द्वारा प्रतिषिद्ध; विधि के उपबन्धों को विफल करने वाला; कपटपूर्ण; व्यक्ति या सम्पत्ति को क्षति पहुँचाने वाला; अनैतिक; लोकनीति के विरुद्ध।
- लोकनीति वाली सूची कंठस्थ कीजिए: शत्रु से व्यापार, अभियोजन दबाना, maintenance एवं champerty, लोक पदों/उपाधियों का व्यापार, एकाधिकार, विवाह-दलाली, न्याय-प्रक्रिया में हस्तक्षेप, कर्तव्य के विरुद्ध हित।

TQ 4.2 · PYQ 2026-Jan [6] (b) · Descriptive · 6M · Pg 101

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

TQ 4.3 · PYQ 2026-Jan [6] (Or) (b) · Descriptive · 6M · Pg 103

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- लोक पदों का व्यापार: लोक पद पर नियुक्ति/उससे सेवानिवृत्ति के लिए धन, अथवा Padma Vibhushan जैसी उपाधियाँ दिलाना शून्य है — लोकहित योग्यता-आधारित नियुक्तियाँ माँगता है।
- अभियोजन दबाना: प्रतिफल लेकर आपराधिक कार्यवाही छोड़ना अशमनीय अपराधों में शून्य है; CrPC के अनुसार शमनीय अपराधों का समझौता अनुमत है।

TQ 4.1 · PYQ 2023-Dec [2] (a) · Descriptive · 7M · Pg 100

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 4 प्रश्न

- ढाँचा: Sec. 23 का शीर्ष पहचानिए → तथ्यों पर लगाइए → निष्कर्ष कि करार शून्य तथा दिया गया धन अवसूलनीय।
- प्रचलित परिस्थितियाँ: ₹10 लाख देकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति कराना ताकि दूसरे को पद मिले = लोक पद का व्यापार; न्यायिक अधिकारी को भुगतान = न्याय में हस्तक्षेप; तस्करी = विधि द्वारा प्रतिषिद्ध।
- युक्तियुक्त स्थानीय सीमाओं के भीतर goodwill-बिक्री वाली रोक Sec. 27 का वैध **अपवाद** है — निष्कर्ष से पहले युक्तियुक्तता जाँचिए (Rishabh-Omkar वाली परिस्थिति)।

CSQ 4.3 • MTP 2024-Jun [1] (a) (ii) {C} • Case Scenario • 3M • Pg 105	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 4.5 • RTP 2026-Jan [4] • Case Scenario • --- • Pg 107	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 4.1 • PYQ 2021-Jan [1] (a) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 104	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.4 • PYQ 2025-Jan [1] (a) (iii) {C} • Case Scenario • 7M • Pg 106	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए • 1 प्रश्न

- मुख्य बनाम संपार्श्विक संविदा: Z की हत्या का करार शून्य है; जिस W ने प्रयोजन **जानते हुए** ऋण दिया वह भी उतना ही दूषित एवं अवसूलनीय है — प्रत्येक सम्बन्ध का अलग विश्लेषण कीजिए।
- मिश्रित मामलों में Sec. 24: यदि एकल प्रतिफल का कोई भाग अविधिपूर्ण हो और पृथक् न किया जा सके, तो सम्पूर्ण करार शून्य है।

CSQ 4.2 • PYQ 2022-Nov [1] (a) {C} • Case Scenario • 3M • Pg 105	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
--	---------------------------------	-------

विषय 5: शून्य करार (Void Agreements)

P2-C2-U2.3-T05

पहले पढ़ें Section 3.5 'Void Agreements' पढ़िए: विवाह पर रोक (Sec. 26), व्यापार पर रोक (Sec. 27) — goodwill वाले अपवाद सहित, विधिक कार्यवाहियों पर रोक (Sec. 28), अनिश्चित करार (Sec. 29), बाज़ी (Sec. 30), तथा वैध/अवैध पारस्परिक वचन (Sec. 57)।

नोट्स

व्यक्त रूप से शून्य: अवयस्क से भिन्न किसी व्यक्ति के विवाह पर रोक (Sec 26); विधिक कार्यवाहियों पर रोक (Sec 28) — न्यायालयों द्वारा अधिकारों के प्रवर्तन को पूर्णतः रोकना अथवा परिसीमा-अवधि घटाना शून्य है, किन्तु विवादों (वर्तमान या भावी) को लिखित रूप में मध्यस्थता को सौंपने का करार वैध है; अनिश्चित करार (Sec 29) — शून्य, जब तक उन्हें निश्चित न बनाया जा सके ("एक सौ टन तेल" शून्य, किन्तु विक्रेता केवल नारियल तेल का व्यापार करता हो तो वैध)।

व्यापार पर रोक (Sec 27): किसी को विधिपूर्ण वृत्ति, व्यापार या व्यवसाय करने से रोकने वाला करार उस सीमा तक शून्य

है; **अपवाद:** (1) goodwill की बिक्री — विक्रेता यह करार कर सकता है कि वह विनिर्दिष्ट युक्तियुक्त स्थानीय सीमाओं के भीतर वैसा व्यवसाय नहीं करेगा, जब तक क्रेता वैसा व्यवसाय चलाता रहे; (2) निवर्तमान partner पर युक्तियुक्त रोक (Sec 36, Partnership Act) तथा साझेदारी के चलते partners की गैर-प्रतिस्पर्धा (Sec 11); (3) सेवा की अवधि के दौरान कर्मचारी की गैर-प्रतिस्पर्धा वाचा (सर्जन के सहायक पर 3 वर्ष की अवधि तक रोक); सम्पूर्ण उत्पादन एक ही थोक विक्रेता को बेचना अथवा विक्रेताओं के बीच न्यूनतम-मूल्य करार रोक नहीं माने जाते।

बाज़ी (Sec 30): किसी अनिश्चित घटना के निर्धारण पर धन अथवा धन-मूल्य देने का करार; **अनिवार्य तत्त्व:** (1) धन/धन-मूल्य देने का वचन, (2) अनिश्चित घटना, (3) जीतने-हारने के पारस्परिक अवसर, (4) घटना पर कोई नियंत्रण नहीं, (5) दाँव के अतिरिक्त कोई हित नहीं; प्रभाव — शून्य, जीती हुई किसी राशि की वसूली का कोई वाद नहीं; बाज़ी में आते हैं: lotteries (सरकार द्वारा अनुज्ञात भी — Sec 294A IPC, संपार्श्विक लेन-देन भी दूषित), वे crossword पुरस्कार जो सम्पादक के पास रखे हल से मिलान पर मिलें (State of Bombay vs. R.M.D. Chamarbaugwala), shares/माल में अन्तर-निपटान वाले सट्टा-सौदे, तथा घुड़दौड़ की वे बाज़ियाँ जिनका पुरस्कार ₹500 से कम हो।

बाज़ी नहीं: (1) chit funds; (2) वे वाणिज्यिक/share लेन-देन जिनमें सुपुर्दगी का आशय हो; (3) कौशल के खेल — crossword, चित्र एवं खेल-प्रतियोगिताएँ जो कौशल से तय हों और जिनका पुरस्कार ₹1,000 से अधिक न हो (Prize Competition Act, 1955); (4) घुड़दौड़ के विजेता के लिए ₹500 या अधिक की plate/पुरस्कार में अंशदान; (5) बीमा-संविदाएँ (समाश्रित संविदाएँ)।

बीमा-संविदा	बाज़ी का करार
हानि की क्षतिपूर्ति की संविदा	किसी अनिश्चित घटना के होने/न होने पर धन देने का वचन
पारस्परिक प्रतिफल — प्रीमियम तथा प्रतिकर	कोई प्रतिफल नहीं — धन के लिए मात्र जुआ
बीमाकृत का जीवन/सम्पत्ति में बीमा-योग्य हित होता है	कोई हित नहीं — दूसरे के जीवन या सम्पत्ति पर दाँव
बीमाकृत को क्षतिपूर्ति देती है (जीवन बीमा को छोड़कर)	अनिश्चित घटना पर हारने वाला नियत राशि चुकाता है
प्रीमियम वैज्ञानिक/बीमांकिक जोखिम-गणना पर	कोई तार्किक गणना नहीं
वैध, प्रवर्तनीय, समाज के लिए हितकर	शून्य, अप्रवर्तनीय, लोक-कल्याण के विरुद्ध

Secs 57-58: जो पारस्परिक वचन अंशतः विधिपूर्ण और अंशतः अविधिपूर्ण हों — वहाँ पहला (विधिपूर्ण) समुच्चय वैध संविदा है और दूसरा शून्य करार (₹50,00,000 में मकान की बिक्री वैध; जुआघर के रूप में प्रयोग होने पर और ₹75,00,000 देने का वचन शून्य — केवल विधिपूर्ण समुच्चय प्रवर्तित कीजिए); वैकल्पिक वचन जिसकी एक शाखा विधिपूर्ण हो — वहाँ केवल विधिपूर्ण शाखा ही प्रवर्तनीय है (चावल देना वैध, तस्करी की अफ़ीम शून्य)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 3 प्रश्न

- बाज़ी के अनिवार्य तत्त्व (Sec. 30): अनिश्चित घटना पर धन देने का वचन, जीत-हार के पारस्परिक अवसर, कोई नियंत्रण नहीं तथा कोई अन्य हित नहीं — शून्य, जीती राशि की वसूली का कोई वाद नहीं।

- बाज़ी बनाम बीमा की तालिका साधिए: बीमा-योग्य हित, पारस्परिक प्रतिफल, क्षतिपूर्ति, बीमांकिक प्रीमियम, लोक-कल्याण।
- Sec. 29: अनिश्चित करार शून्य, किन्तु वैध यदि उसे निश्चित बनाया जा सके ('एक सौ टन तेल' शून्य, जब तक विक्रेता केवल नारियल तेल का व्यापार न करता हो)।
- बाज़ी नहीं: chit funds, सुपुर्दगी के आशय वाले share सौदे, कौशल के खेल (पुरस्कार ≤ ₹1,000), घुड़दौड़ का ₹500 या अधिक का पुरस्कार, तथा बीमा।

TQ 5.1 · PYQ 2020-Nov [6] (a) · Distinguish Between · 5M · Pg 108	LEVEL I समझ (Understanding)	सरल
TQ 5.2 · RTP 2021-Nov [6] · Descriptive · --- · Pg 109	LEVEL I समझ (Understanding)	सरल
TQ 5.3 · PYQ 2024-Jun [6] (b) · Descriptive · 6M · Pg 109	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 6 प्रश्न

- व्यापार पर रोक (Sec. 27): उस सीमा तक शून्य, **सिवाय** युक्तियुक्त स्थानीय सीमाओं वाली goodwill-बिक्री के — जाँचिए कि रोक बेचे गए goodwill से आगे तो नहीं जाती (नक़ली आभूषण के goodwill से आगे बढ़कर असली हीरे के आभूषण तक रोक = शून्य)।
- Sec. 57: मकान की बिक्री वैध; जुए में प्रयोग होने पर और भुगतान का वचन एक पृथक् शून्य करार है — केवल विधिपूर्ण समुच्चय प्रवर्तित कीजिए।
- न्यायिक अधिकारी को भुगतान वाली परिस्थितियाँ: लोकनीति के विरुद्ध होने से शून्य; दिया गया धन वसूल नहीं हो सकता।

CSQ 5.2 · PYQ 2020-Nov [1] (a) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 111	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.3 · RTP 2022-May [1] · Case Scenario · --- · Pg 112	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.4 · RTP 2023-Jun [5] · Case Scenario · --- · Pg 112	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.5 · RTP 2023-Dec [6] · Case Scenario · --- · Pg 113	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.6 · MTP 2024-Apr [1] (a) {C} · Case Scenario · 7M · Pg 114	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.8 · MTP 2025-Aug S2 [1] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 116	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 2 प्रश्न

- बहु-भागी 'वैध या शून्य' प्रश्न: ऋण के बदले विवाह-विच्छेद = विवाह पर रोक/अनैतिक; मृत विषय-वस्तु = द्विपक्षीय भूल (Sec. 20); प्रत्येक खंड को उसकी अपनी धारा में रखिए।
- Sec. 28 की बारीकी: जिन दो न्यायालयों को अधिकारिता प्राप्त हो उनमें से **एक** चुन लेना वैध है; वाद पर पूर्ण रोक अथवा परिसीमा-अवधि घटाना शून्य — उत्तर से पहले दोनों को अलग कीजिए।

CSQ 5.1 • MTP 2019-Oct [1] (a) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 110

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

मध्यम

CSQ 5.7 • RTP 2025-Jan [6] • Case Scenario • --- • Pg 115

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

मध्यम

इकाई 2.4: संविदा का पालन (Performance of Contract)

Performance of Contract

P2-C2-U2.4 • महत्त्व C • अध्याय में Rank 4 • श्रेणी A • अध्याय के 11.5% प्रश्न • 27 प्रश्न

विषय 1: संविदा का पालन (Performance of Contract)

P2-C2-U2.4-T01

पहले पढ़ें Unit 4 (Performance of Contract) के Sections 4.1 तथा 4.2 पढ़िए: Sec. 37 — पालन करने या पालन का प्रस्ताव करने की बाध्यता, वास्तविक बनाम प्रयत्नित पालन (निविदा), तथा वैध निविदा की चार शर्तें (Sec. 38)।

नोट्स

Sec 37: पक्षकारों को अपने-अपने वचनों का या तो पालन करना होगा या पालन का प्रस्ताव करना होगा, जब तक Contract Act अथवा किसी अन्य विधि के अधीन ऐसा पालन अभिमुक्त या क्षमा न कर दिया गया हो; पालन (a) **वास्तविक** हो सकता है — पक्षकार ने जो करने का वचन दिया था वह विहित समय में और विहित रीति से कर दिया, अथवा (b) **प्रयत्नित/निविदा** — promisor पालन का प्रस्ताव करता है पर promisee उसे स्वीकार करने से मना कर देता है (कार्य-समय में नियत स्थान पर लाया गया माल, जिसकी सुपुर्दगी लेने से इनकार कर दिया गया)।

वैध निविदा (Sec 38) — चार शर्तें: (1) **अशर्त** (ब्याज के बिना केवल मूलधन का प्रस्ताव अवैध); (2) **उचित समय एवं स्थान पर** (रात 2 बजे सुपुर्दगी अवैध, जब तक ऐसा तय न हो); (3) promisee को माल की **परीक्षा का युक्तियुक्त अवसर** मिले (वह देख सके कि गेहूँ संविदा की गुणवत्ता एवं मात्रा का है); (4) **सम्पूर्ण बाध्यता** के लिए हो (100 के वचन के विरुद्ध 80 गाँठों का प्रस्ताव = अवैध निविदा)।

अस्वीकृत निविदा का प्रभाव: promisor पालन न होने के लिए उत्तरदायी नहीं रहता और संविदा के अधीन अपने अधिकार भी नहीं खोता — वैध निविदा उसे दायित्व से उन्मोचित करती है, किन्तु उसके उपचार बचे रहते हैं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- Sec. 37: पक्षकारों को अपने वचनों का पालन करना या पालन का प्रस्ताव करना होगा, जब तक पालन अभिमुक्त/क्षमा न हो; promisor को ठीक वही करना है जिसका उसने वचन दिया।
- वास्तविक पालन (बाध्यता पूरी) तथा प्रयत्नित पालन/निविदा (promisor प्रस्ताव करे, promisee मना करे) में अन्तर कीजिए — वैध निविदा promisor को पालन न होने के दायित्व से उन्मोचित करती है, उसके अधिकार छीने बिना।
- वैध निविदा की शर्तें: अशर्त; उचित समय एवं स्थान पर; माल की परीक्षा का युक्तियुक्त अवसर; **सम्पूर्ण** बाध्यता के लिए (100 के विरुद्ध 80 गाँठें = अवैध निविदा)।

TQ 1.1 • RTP 2020-May [5] • Descriptive • --- • Pg 118

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 2 प्रश्न

- **ढाँचा:** Sec. 37/38 बताइए → तथ्यों पर निविदा को चारों शर्तों पर कसिए → निष्कर्ष दीजिए कि promisee का इनकार promisor को उन्मोचित करता है या नहीं।
- **आंशिक सुपुर्दगी** (10,000 के विरुद्ध 5,000 ईंटें) सम्पूर्ण बाध्यता की निविदा नहीं — promisee मना कर सकता है; जहाँ समय सारभूत ठहराया गया हो वहाँ विलम्बित सुपुर्दगी (25.06 से पूर्व जूट) promisee को अस्वीकार करने तथा संविदा को शून्यकरणीय मानने का अधिकार देती है (Sec. 55)।

CSQ 1.1 • MTP 2024-Apr [4] (a) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 120

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 1.2 • MTP 2025-Aug S2 [4] (a) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 121

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 2: वैध निविदा/प्रयत्नित पालन की शर्तें

P2-C2-U2.4-T02

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 2.4 का §4.2 पढ़िए: प्रयत्नित पालन (निविदा) का अर्थ तथा वे चार शर्तें जो निविदा को वैध बनाती हैं, Study Material के उदाहरणों सहित।

नोट्स

निविदा क्या है: जहाँ पालन का समय आ जाए और promisor अपनी बाध्यता के पालन का प्रस्ताव करे, किन्तु promisee उसे स्वीकार करने से मना कर दे — वहाँ promisor ने वह सब कर दिया जो संविदा उससे अपेक्षित करती थी।

उदाहरण: A कार्य-समय में नियत स्थान पर माल ले जाता है पर B सुपुर्दगी लेने से मना कर देता है; यही प्रयत्नित पालन है।

वैध निविदा की चार शर्तें: (i) **अशर्त** — जहाँ मूलधन एवं ब्याज दोनों देय हों वहाँ केवल मूलधन लौटाने का प्रस्ताव वैध निविदा नहीं; (ii) **उचित समय एवं स्थान पर** — रात 2 बजे सुपुर्दगी का प्रस्ताव वैध नहीं, जब तक ऐसा तय न हो; (iii) **माल की परीक्षा का युक्तियुक्त अवसर** — 1,000 किलो गेहूँ नियत दिन गोदाम पर ऐसी परिस्थितियों में लाया जाए कि क्रेता गुणवत्ता एवं मात्रा से सन्तुष्ट हो सके; (iv) **सम्पूर्ण बाध्यता के लिए** — 100 गाँठों के वचन पर 80 का प्रस्ताव वैध निविदा नहीं।

प्रभाव: वैध निविदा अस्वीकार होने पर promisor पालन न होने के दायित्व से उन्मोचित हो जाता है, और संविदा के अधीन उसके अधिकार भी बने रहते हैं; आंशिक अथवा शर्तयुक्त निविदा से ऐसा नहीं होता।

विषय 3: संविदा का पालन कौन कर सकता है (Sections 40, 41 एवं 42)

P2-C2-U2.4-T03

पहले पढ़ें Section 4.3 पढ़िए: स्वयं promisor द्वारा पालन (व्यक्तिगत कौशल वाली संविदाएँ), अभिकर्ता, विधिक प्रतिनिधि (दायित्व उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति तक सीमित), तीसरे व्यक्ति (Sec. 41) तथा संयुक्त वचनदाता (Sec. 42)।

नोट्स

पालन कौन कर सकता है: (1) **स्वयं promisor** — जहाँ संविदा में व्यक्तिगत कौशल, परिश्रम अथवा विश्वास निहित हो (चित्र बनाना, गाना); (2) **अभिकर्ता** — जहाँ व्यक्तिगत विचार संविदा का आधार न हो वहाँ कोई सक्षम व्यक्ति नियोजित किया जा सकता है; (3) **विधिक प्रतिनिधि** — promisor की मृत्यु पर उन्हें अ-वैयक्तिक संविदाओं का पालन करना होगा, किन्तु दायित्व मृतक से उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति के मूल्य तक सीमित है; व्यक्तिगत कौशल वाली संविदा मृत्यु पर समाप्त ही हो जाती है — न प्रतिनिधि उसे प्रवर्तित करा सकता है, न promisee; (4) **तीसरा व्यक्ति** (Sec 41); (5) **संयुक्त वचनदाता** (Sec 42)।

Sec 41: जब promisee किसी तीसरे व्यक्ति से पालन **स्वीकार** कर ले, तब वह बाद में उसे promisor के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता, चाहे promisor ने उसे न प्राधिकृत किया हो, न अनुसमर्थित — A के ₹1,00,000 के ऋण में से C, B को ₹60,000 चुका देता है; अब B, A पर केवल शेष ₹40,000 के लिए वाद ला सकता है।

Sec 42: संयुक्त वचनदाताओं को अपने संयुक्त जीवनकाल में वचन संयुक्त रूप से पूरा करना होगा; उनमें से किसी एक की मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधि शेष जीवितों के साथ संयुक्त रूप से; और सबकी मृत्यु पर सबके प्रतिनिधि संयुक्त रूप से।

व्यक्तिगत कौशल वाली संविदा का शून्य होना: जहाँ कलाकार असमर्थ हो जाए (लकवा), वहाँ उसके पुत्र/प्रतिनिधि को कार्य पूरा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, किन्तु प्राप्त अग्रिम Sec 65 के अधीन लौटाना होगा — जो संविदा शून्य हो जाए, उसके अधीन प्राप्त कोई भी लाभ प्रत्यास्थापित करना होता है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- पालन कर सकने वाले व्यक्ति गिनाइए: स्वयं promisor (व्यक्तिगत कौशल/विश्वास वाली संविदाएँ, जैसे चित्र बनाना); अभिकर्ता (जहाँ व्यक्तिगत विचार न हो); मृत्यु पर विधिक प्रतिनिधि (व्यक्तिगत कौशल वाली संविदाओं को छोड़कर); तीसरा व्यक्ति (Sec. 41); संयुक्त वचनदाता (Sec. 42)।
- विधिक प्रतिनिधियों का दायित्व मृतक promisor से उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति के मूल्य तक सीमित है।

TQ 3.1 · MTP 2025-Aug S1 [3] (c) · Descriptive · 6M · Pg 122

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 3 प्रश्न

- Sec. 41: promisee एक बार किसी तीसरे व्यक्ति से पालन **स्वीकार** कर ले तो बाद में उसे promisor के विरुद्ध प्रवर्तित नहीं करा सकता — अतः जिस Y ने Z से ₹40,000 स्वीकार किए, वह X पर केवल शेष ₹20,000 के लिए वाद ला सकता है।

- व्यक्तिगत कौशल वाली संविदाएँ (गाना, चित्र बनाना) promisor की मृत्यु अथवा असमर्थता पर समाप्त हो जाती हैं — विधिक प्रतिनिधियों को पालन के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता; किन्तु प्राप्त अग्रिम Sec. 65 के अधीन लौटाना होगा, क्योंकि संविदा शून्य हो जाती है।
- उत्तर का ढाँचा: संविदा वर्गीकृत कीजिए (व्यक्तिगत कौशल वाली है या नहीं) → पहचानिए कि पालन कौन कर सकता/करना चाहिए → मृत्यु/तीसरे पक्ष के भुगतान वाले तथ्य लगाइए → निष्कर्ष।

CSQ 3.1 · RTP 2019-May [2] (ii) · Case Scenario · --- · Pg 123

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.2 · RTP 2022-May [5] · Case Scenario · --- · Pg 123

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.3 · PYQ 2023-Jun [3] (b) (ii) · Case Scenario · 4M · Pg 124

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 4: उत्तराधिकार एवं समनुदेशन में अन्तर

P2-C2-U2.4-T04

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं · पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 2.4 का §4.4 पढ़िए: उत्तराधिकार में तथा समनुदेशन में लाभ एवं भार किस प्रकार चलते हैं, और देयताएँ समनुदेशित क्यों नहीं की जा सकतीं।

नोट्स

उत्तराधिकार: जहाँ संविदा के लाभ विधि की प्रक्रिया से उत्तराधिकार में मिलें, वहाँ **भार तथा लाभ दोनों** विधिक उत्तराधिकारी पर आ सकते हैं — पिता की सम्पदा का उत्तराधिकारी पुत्र पिता के ऋणों का दायी है, किन्तु केवल उत्तराधिकार में मिली सम्पत्ति की सीमा तक; उससे अधिक चुकाने को उससे नहीं कहा जाएगा।

समनुदेशन: संविदा का केवल **लाभ** समनुदेशित किया जा सकता है, देयताएँ कभी नहीं — कोई ऋणी अपने लेनदार के प्रति अपनी बाध्यता से इस प्रकार मुक्त नहीं हो सकता कि चुकाने का कर्तव्य किसी और को समनुदेशित कर दे, क्योंकि इससे कोई तीसरा पक्ष उस दायित्व में खिंच जाएगा।

लाभ के समनुदेशन की सीमा: जो लेनदार किसी वचन का लाभ समनुदेशित करे, वह समनुदेशिनी को ऋणी से वसूली का अधिकार दे देता है; किन्तु जहाँ लाभ के साथ कोई देयता जुड़ी हो, अथवा जहाँ संविदा करने में व्यक्तिगत विचार सम्मिलित रहा हो, वहाँ लाभ समनुदेशित नहीं किया जा सकता।

विषय 5: संयुक्त वचनदाता एवं वचनगृहीता का दायित्व

P2-C2-U2.4-T05

पहले पढ़ें Sections 42-45 साधिए: संयुक्त दायित्वों का न्यागमन (Sec. 42), अंशदान सहित संयुक्त एवं पृथक् दायित्व (Sec. 43), एक संयुक्त वचनदाता की मुक्ति (Sec. 44), तथा संयुक्त वचनगृहीताओं के अधिकार (Sec. 45)।

नोट्स

Sec 42 — संयुक्त दायित्वों का न्यागमन: सभी संयुक्त वचनदाताओं को अपने जीवनकाल में वचन संयुक्त रूप से पूरा करना होगा; किसी एक की मृत्यु के बाद उसका विधिक प्रतिनिधि शेष जीवितों के साथ संयुक्त रूप से पालन करेगा (दायित्व उत्तराधिकार में मिली सम्पदा तक सीमित); अन्तिम जीवित की मृत्यु के बाद सबके प्रतिनिधि संयुक्त रूप से — जब तक संविदा से विपरीत आशय प्रकट न हो।

Sec 43 — संयुक्त तथा पृथक्: वचनगृहीता किसी एक या अधिक संयुक्त वचनदाताओं को सम्पूर्ण वचन का पालन करने के लिए विवश कर सकता है; जो वचनदाता पालन करे वह शेष प्रत्येक से **समान** अंशदान करा सकता है; यदि कोई अंशदान में व्यतिक्रम करे तो शेष संयुक्त वचनदाता वह हानि समान भागों में उठाएँगे; स्पष्टीकरण — जो प्रतिभू चुकाए वह अपने principal से वसूल कर सकता है, किन्तु principal प्रतिभू से कुछ वसूल नहीं करता।

गणित (SM): X, Y, Z संयुक्त रूप से A के ₹6,000 के ऋणी हैं; Z को पूरा चुकाने के लिए विवश किया जाता है; X दिवालिया है पर उसकी परिसंपत्तियाँ उसके ऋणों का आधा चुका सकती हैं — Z को X की सम्पदा से ₹1,000 तथा Y से ₹2,500 मिलते हैं (X की ₹1,000 की कमी Y और Z समान रूप से बाँटते हैं)।

Sec 44 — एक संयुक्त वचनदाता की मुक्ति: इससे शेष संयुक्त वचनदाता उन्मोचित **नहीं** होते, और न ही मुक्त किया गया वचनदाता अपने सह-वचनदाताओं के प्रति उत्तरदायित्व (अंशदान) से मुक्त होता है — D द्वारा A को मुक्त करने पर भी B तथा C पूरे ₹9,00,000 के दायी रहते हैं और A, B एवं C को अंशदान देने का दायी रहता है।

Sec 45 — संयुक्त वचनगृहीताओं के अधिकार: पालन माँगने का अधिकार उनके संयुक्त जीवनकाल में उन सबके पास संयुक्त रूप से रहता है; किसी एक की मृत्यु के बाद उसके प्रतिनिधि के पास शेष जीवितों के साथ संयुक्त रूप से; अन्तिम जीवित की मृत्यु के बाद सबके प्रतिनिधियों के पास संयुक्त रूप से (B और C ने संयुक्त रूप से ₹5,00,000 उधार दिए; B की मृत्यु पर B के प्रतिनिधि C के साथ संयुक्त रूप से दावा करेंगे)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 42: संयुक्त वचनदाता अपने जीवनकाल में संयुक्त रूप से पालन करेंगे; किसी एक की मृत्यु पर उसके विधिक प्रतिनिधि शेष जीवितों के साथ संयुक्त रूप से (दायित्व उत्तराधिकार में मिली सम्पदा तक); सबकी मृत्यु पर सबके प्रतिनिधि संयुक्त रूप से।
- Sec. 43 दायित्व को संयुक्त एवं पृथक् बनाती है: वचनगृहीता **किसी भी एक** वचनदाता से सम्पूर्ण पालन करा सकता है; वह वचनदाता फिर समान अंशदान माँग सकता है, और किसी व्यतिक्रमी की असमर्थता से हुई हानि शेष सब समान रूप से बाँटते हैं।

TQ 5.1 · PYQ 2025-May [5] (c) (i) · Descriptive · --- · Pg 125

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 3 प्रश्न

- गणित का अभ्यास कीजिए: दिवालिया वचनदाता की सम्पदा उसके हिस्से का केवल वसूली-योग्य अंश ही चुकाती है; कमी शेष विलायक वचनदाता **समान रूप से** उठाते हैं — प्रत्येक वसूली का अंक दिखाइए।
- Sec. 44: एक संयुक्त वचनदाता की मुक्ति से शेष उन्मोचित **नहीं** होते, और न ही मुक्त किया गया वचनदाता सह-वचनदाताओं के प्रति अंशदान से मुक्त होता है।

- ढाँचा: Secs. 42/43 (संयुक्त एवं पृथक्) उद्धृत कीजिए → तथ्यों पर हिस्से एवं अंशदान निकालिए → निष्कर्ष दीजिए कि कौन किसे कितना चुकाएगा।

CSQ 5.1 · PYQ 2018-May [1] (a) · Case Scenario · 4M · Pg 126	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.2 · MTP 2020-Oct [1] (i) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 127	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.4 · PYQ 2021-Dec [1] (a) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 129	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 2 प्रश्न

- बहु-खंडीय प्रश्न: क्या लेनदार अकेले एक वचनदाता को विवश कर सकता है (हाँ, Sec. 43)? क्या केवल मृत वचनदाता के विधिक प्रतिनिधियों पर वाद ला सकता है (केवल जीवितों के साथ संयुक्त रूप से, सम्पदा की सीमा तक — Sec. 42)? विवश भुगतान के बाद अंशदान (Sec. 43)? प्रत्येक खंड का उत्तर उसकी अपनी धारा से दीजिए।
- पहले दिवालियापन वाले खंड सुलझाइए (सम्पदा वास्तव में कितना चुका सकती है), फिर व्यतिक्रम का समान बँटवारा शेष वचनदाताओं में कीजिए, तभी शुद्ध वसूलियों पर निष्कर्ष दीजिए।

CSQ 5.3 · PYQ 2021-Jul [3] (b) · Case Scenario · 6M · Pg 128	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 5.5 · PYQ 2025-Jan [4] (a) · Case Scenario · 7M · Pg 130	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम

विषय 6: वचन के पालन का समय एवं स्थान

P2-C2-U2.4-T06

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं · पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 2.4 का §4.6 पढ़िए: Sections 46 से 50 — वचन का पालन कब और कहाँ होना चाहिए।

नोट्स

Section 46 — कोई आवेदन नहीं, कोई समय नहीं: जहाँ promisor को वचनगृहीता के आवेदन बिना पालन करना हो और कोई समय नियत न हो, वहाँ वह वचन **युक्तियुक्त समय** के भीतर पूरा करना होगा; स्पष्टीकरण के अनुसार 'युक्तियुक्त समय' प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों का प्रश्न है।

Section 47 — समय नियत, आवेदन नहीं: जहाँ वचन किसी निश्चित दिन को, वचनगृहीता के आवेदन बिना, पूरा किया जाना हो, वहाँ promisor उसे उस दिन **व्यवसाय के सामान्य घंटों में** तथा उस स्थान पर पूरा कर सकता है जहाँ वह पूरा किया जाना चाहिए। **उदाहरण:** रात 8.30 बजे के बाद दी गई सुपुर्दगी लेने से मना किया जा सकता है, क्योंकि व्यवसाय के सामान्य घंटे बीत चुके हैं।

Section 48 — किसी निश्चित दिन आवेदन: जहाँ promisor ने आवेदन बिना पालन करने का वचन न दिया हो, वहाँ

यह **वचनगृहीता का कर्तव्य** है कि वह उचित स्थान पर तथा व्यवसाय के सामान्य घंटों के भीतर पालन हेतु आवेदन करे; उचित समय एवं स्थान क्या है, यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है।

Sections 49 एवं 50: जहाँ कोई स्थान नियत न हो और कोई आवेदन भी नहीं किया जाना हो, वहाँ promisor को वचनगृहीता से व्यक्तिगत स्थान नियत करने को कहना होगा और वहीं पालन करना होगा; तथा वचनगृहीता जिस रीति से अथवा जिस समय पालन विहित या अनुज्ञात करे, उस रीति/समय का पालन अच्छा पालन है।

विषय 7: पारस्परिक वचनों का पालन

P2-C2-U2.4-T07

पहले पढ़ें Section 4.7 (Secs. 51-58) पढ़िए: पारस्परिक एवं समवर्ती वचन (Sec. 51), पालन का क्रम (Sec. 52), पालन रोकने वाला पक्षकार (Sec. 53), आश्रित वचनों में व्यतिक्रम (Sec. 54), समय का सारभूत होना (Sec. 55), असम्भवता (Sec. 56) तथा वैध/अवैध समुच्चय (Secs. 57-58)।

नोट्स

Sec 51 — पारस्परिक एवं समवर्ती: जहाँ पारस्परिक वचन एक साथ पूरे किए जाने हों, वहाँ किसी promisor को पालन करने की आवश्यकता नहीं जब तक वचनगृहीता अपना पारस्परिक वचन पूरा करने को तैयार एवं इच्छुक न हो (A को माल देने की आवश्यकता नहीं जब तक B सुपुर्दगी पर भुगतान करने को तैयार एवं इच्छुक न हो); **Sec 52 — क्रम:** वचन उसी क्रम में पूरे होंगे जो व्यक्त रूप से नियत हो, अन्यथा उस क्रम में जो लेन-देन की प्रकृति अपेक्षित करे (भुगतान से पहले मकान बनना चाहिए)।

Sec 53 — पालन रोकने वाला पक्षकार: संविदा उस पक्षकार के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है जिसे रोका गया, और वह पालन न होने से हुई हानि का प्रतिकर भी वसूल कर सकता है; **Sec 54 — पारस्परिक एवं आश्रित:** जिस promisor को **पहले** पालन करना है और वह चूक जाए, वह दूसरे से पालन नहीं माँग सकता तथा उसे हुई हानि का प्रतिकर देना होगा (charterer का कोई माल न देना; जूता-रैक के लिए सामग्री देने में चूक)।

Sec 55 — समय का सारभूत होना: नियत समय पर पालन न होने से संविदा (अथवा उसका अपालित भाग) वचनगृहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाती है, **यदि** समय को सारभूत बनाने का आशय रहा हो; यदि सारभूत न हो — संविदा शून्यकरणीय नहीं, वचनगृहीता केवल प्रतिकर का हकदार; और यदि वचनगृहीता विलम्बित पालन **स्वीकार** कर ले, तो वह प्रतिकर नहीं माँग सकता, जब तक स्वीकार करते समय ही उस आशय की सूचना न दे दे।

Secs 56-58: असम्भव कार्य करने का करार शून्य है — प्रारम्भिक असम्भवता, चाहे ज्ञात हो (हिन्द महासागर तैरकर पार करना) या अज्ञात (घोड़ा पहले ही मर चुका), करार को शून्य बनाती है, और जहाँ केवल promisor जानता था या जानना चाहिए था, वहाँ उसे वचनगृहीता को प्रतिकर देना होगा; अध्यारोपित असम्भवता/अवैधता संविदा को शून्य कर देती है; **Sec 57 — पारस्परिक वचनों के वैध तथा अवैध समुच्चयों में वैध समुच्चय वैध संविदा है और अवैध समुच्चय शून्य;** **Sec 58 — वैकल्पिक वचन में केवल विधिपूर्ण शाखा प्रवर्तनीय है (चावल प्रवर्तनीय, तस्करी की अफ़ीम शून्य)।**

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 4 प्रश्न

- Sec. 51: एक साथ पूरे किए जाने वाले पारस्परिक वचनों में (सुपुर्दगी के बदले भुगतान) किसी promisor को पालन की आवश्यकता नहीं जब तक दूसरा तैयार एवं इच्छुक न हो — जहाँ क्रेता सुपुर्दगी पर भुगतान न करे वहाँ विक्रेता सुपुर्दगी से मना कर सकता है।
- Sec. 54 (पारस्परिक एवं आश्रित): जिस पक्ष को पहले पालन करना है (जैसे सामग्री देना, अग्रिम भुगतान) और वह चूक जाए, वह दूसरे से पालन नहीं माँग सकता तथा उसे हुई हानि का प्रतिकर देना होगा।
- Sec. 55: समय सारभूत हो और पालन विलम्बित हो तो संविदा वचनगृहीता के विकल्प पर शून्यकरणीय; सारभूत न हो तो केवल प्रतिकर; और विलम्बित पालन **स्वीकार** कर लेने पर प्रतिकर का अधिकार चला जाता है, जब तक स्वीकार करते समय सूचना न दी जाए।
- ढाँचा: वचनों को वर्गीकृत कीजिए (समवर्ती/आश्रित/स्वतन्त्र) → Secs. 51-55 उद्धृत कीजिए → तत्परता/रोक/विलम्ब वाले तथ्य लगाइए → उपचार पर निष्कर्ष।

CSQ 7.1 · PYQ 2019-Jun [3] (c) · Case Scenario · 6M · Pg 131	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.2 · PYQ 2020-Nov [3] (c) (i) · Case Scenario · 6M · Pg 133	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.3 · PYQ 2024-Sep [4] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 133	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.4 · RTP 2026-Jan [5] · Case Scenario · --- · Pg 135	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विषय 8: भुगतानों का विनियोजन (Appropriation of Payments)

P2-C2-U2.4-T08

पहले पढ़ें भुगतानों के विनियोजन पर Section 4.8 पढ़िए (Secs. 59-61): ऋणी द्वारा विनियोजन, लेनदार द्वारा विनियोजन, तथा जहाँ कोई विनियोजन न करे वहाँ विधि द्वारा।

नोट्स

Sec 59 — ऋणी द्वारा: जहाँ कई पृथक् ऋणों का ऋणी यह व्यक्त सूचना देकर, अथवा ऐसी परिस्थितियों में, भुगतान करे जिनसे यह विवक्षित हो कि भुगतान किसी विशेष ऋण में लगाया जाए, वहाँ भुगतान स्वीकार कर लेने पर उसी के अनुसार लगाना होगा (किसी एक बिल के ठीक बराबर का cheque विवक्षित रूप से उसी बिल में विनियोजित होता है)।

Sec 60 — लेनदार द्वारा: जहाँ ऋणी कोई सूचना न दे और परिस्थितियाँ भी कुछ न बताएँ, वहाँ लेनदार अपने विवेक से वह भुगतान किसी भी ऐसे विधिपूर्ण ऋण में लगा सकता है जो वास्तव में देय हो, चाहे वह परिसीमा से वर्जित ही क्यों न हो — किन्तु किसी **विवादित** ऋण में नहीं।

Sec 61 — विधि द्वारा: जहाँ कोई भी पक्ष विनियोजन न करे, वहाँ भुगतान ऋणों के उन्मोचन में **समय के क्रम** से लगेगा (कालातीत ऋण भी सम्मिलित); यदि ऋण समान स्थिति के हों तो आनुपातिक रूप से।

गणना (SM — Murari/Girdhari): ₹12,120 (2018, कालातीत), ₹5,650 तथा ₹9,680 के बिल; ₹9,680 का

cheque एक बिल से ठीक मेल खाता है → उसी में विनियोजित (Sec 59); ₹15,000 का cheque → लेनदार उसे कालातीत ₹12,120 में तथा शेष ₹5,650 में विनियोजित कर सकता है (Sec 60); जिस लेनदार के पास एक प्रत्याभूत तथा एक अप्रत्याभूत ऋण हो, वह भी बिना निदेश वाले भुगतान को अप्रत्याभूत ऋण में लगा सकता है।

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 3 प्रश्न

- तीनों नियम क्रम से लगाइए: Sec. 59 — ऋणी की व्यक्त/विवक्षित सूचना, भुगतान स्वीकार होने पर, आबद्धकर है (किसी एक बिल के ठीक बराबर का cheque उसी बिल में विनियोजन विवक्षित करता है); Sec. 60 — सूचना के अभाव में लेनदार उसे किसी भी विधिपूर्ण ऋण में, कालातीत में भी, लगा सकता है, पर विवादित में नहीं; Sec. 61 — कोई विनियोजन न करे तो ऋण समय के क्रम से उन्मोचित होंगे, समान स्थिति के हों तो आनुपातिक रूप से।
- बहु-ऋण वाली गणना का अभ्यास कीजिए: पहले ठीक राशि वाले cheques मिलाइए, फिर शेष को लेनदार सबसे पुराने/कालातीत ऋणों में विनियोजित करे।
- प्रत्याभूत ऋण वाला जाल: जहाँ दो ऋणों में से एक प्रत्याभूत हो और ऋणी कोई निदेश न दे, वहाँ लेनदार (बैंक) भुगतान को **अप्रत्याभूत** ऋण में लगा सकता है — प्रतिभू आपत्ति नहीं कर सकता।

CSQ 8.1 • RTP 2023-Jun [2] • Case Scenario • --- • Pg 137

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.3 • MTP 2025-Apr S1 [1] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 139

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.2 • PYQ 2023-Dec [1] (a) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 138

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

कठिन

विषय 9: वे संविदाएँ जिनका पालन आवश्यक नहीं — दोनों पक्षकारों की सम्मति से

P2-C2-U2.4-T09

पहले पढ़ें Section 4.9 (Secs. 62-67) पढ़िए: नवीयन, विखंडन एवं परिवर्तन (Sec. 62), छूट/अधित्यजन (Sec. 63), शून्यकरणीय संविदा के अधीन लाभ का प्रत्यास्थापन (Sec. 64), शून्य करार के अधीन प्राप्त लाभ (Sec. 65), विखंडन की संसूचना (Sec. 66) तथा वचनगृहीता की उपेक्षा (Sec. 67)।

नोट्स

Sec 62: यदि पक्षकार मूल संविदा के स्थान पर नई संविदा रखने, अथवा उसे विखंडित या परिवर्तित करने पर सहमत हो जाएँ, तो मूल संविदा का पालन आवश्यक नहीं — **नवीयन:** नई संविदा का प्रतिस्थापन (उन्हीं अथवा भिन्न पक्षकारों के बीच; प्रतिफल = पुरानी संविदा का पारस्परिक उन्मोचन; B के ऋणी के रूप में A के स्थान पर C); **विखंडन:** पुरानी संविदा रद्द, कोई नई प्रतिस्थापित नहीं; **परिवर्तन:** पारस्परिक सहमति से शर्तें बदलना।

नवीयन बनाम परिवर्तन: नवीयन में शर्तें **अथवा** पक्षकार बदल सकते हैं और नई संविदा का प्रतिस्थापन सदैव होता है; परिवर्तन में पक्षकार **वही** रहते हैं और कोई नई संविदा प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं — केवल मूल संविदा की कुछ शर्तें बदलती हैं।

Sec 63 — छूट: प्रत्येक वचनगृहीता वचन के पालन को पूर्णतः या अंशतः अभिमुक्त या माफ़ कर सकता है, पालन का

समय बढ़ा सकता है, अथवा उसके स्थान पर जो भी तुष्टि उचित समझे स्वीकार कर सकता है — भारत में इसके लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं: जिस समय एवं स्थान पर ₹5,00,000 देय थे वहीं B द्वारा ₹2,00,000 स्वीकार कर लेना पूरा ऋण उन्मोचित कर देता है; A के ऋण की तुष्टि में C का आंशिक भुगतान स्वीकार कर लेना पूरे दावे को उन्मोचित कर देता है।

Secs 64-67: Sec 64 — जो पक्षकार शून्यकरणीय संविदा का विखंडन करे उसे उसके अधीन प्राप्त कोई भी लाभ प्रत्यास्थापित करना होगा (पॉलिसी विखंडित करने वाला बीमाकर्ता व्यय घटाकर प्रीमियम लौटाता है); **Sec 65** — जो करार शून्य पाया जाए अथवा जो संविदा शून्य हो जाए, उसके अधीन प्राप्त लाभ प्रत्यास्थापित करना होगा या उसका प्रतिकर देना होगा (C से विवाह के B के वचन के लिए दिए गए ₹1,00,000, जबकि C पहले ही मर चुकी थी — लौटाने योग्य; किन्तु security deposit 'संविदा के अधीन प्राप्त लाभ' नहीं है, अतः क्रेता के व्यतिक्रम पर रोका जा सकता है); **Sec 66** — विखंडन की संसूचना प्रस्थापना की भाँति दी जानी चाहिए (और उसी भाँति प्रतिसंहत भी की जा सकती है); **Sec 67** — वचनगृहीता व्यक्ति युक्त सुविधाएँ देने में उपेक्षा करे या मना कर दे तो promisor उन्मोचित हो जाता है (शिष्य सीखने से मना कर दे; B यह न बताए कि उसके मकान में कहाँ मरम्मत चाहिए)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- कोई भी पाँच परिस्थितियाँ बताने को तैयार रहिए: नवीयन, विखंडन, परिवर्तन (Sec. 62); छूट — वचनगृहीता पालन को पूर्णतः/अंशतः अभिमुक्त कर सकता है, समय बढ़ा सकता है अथवा अन्य तुष्टि स्वीकार कर सकता है (Sec. 63); शून्यकरणीय संविदा का विखंडन (Sec. 64); वचनगृहीता द्वारा सुविधाएँ देने में उपेक्षा (Sec. 67)।
- नवीयन बनाम परिवर्तन: नवीयन **नई** संविदा प्रतिस्थापित करता है (शर्तें या पक्षकार बदल सकते हैं; पुरानी संविदा उन्मोचित); परिवर्तन में पारस्परिक सम्मति से शर्तें बदलती हैं पर पक्षकार **वही** रहते हैं और कोई नई संविदा आवश्यक नहीं।
- भारत में छूट के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं — ₹5,00,000 की पूर्ण तुष्टि में ₹2,00,000 स्वीकार कर लेना पूरा ऋण उन्मोचित कर देता है (Sec. 63)।

TQ 9.2 · PYQ 2022-Nov [6] (a) · Distinguish Between · 5M · Pg 141

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

TQ 9.1 · PYQ 2021-Dec [2] (a) · Descriptive · 7M · Pg 140

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 10: संविदा का उन्मोचन (Discharge of a Contract)

P2-C2-U2.4-T10

पहले पढ़ें Section 4.10 पढ़िए, जिसमें उन्मोचन की रीतियाँ गिनाई गई हैं: पालन, पारस्परिक सहमति (Secs. 62-63), असम्भवता — अध्यारोपित असम्भवता सहित (Sec. 56), समय बीतना (Limitation Act, 1963), विधि का प्रवर्तन, भंग, छूट तथा अधिकारों का विलयन; साथ ही संविदा के शून्य हो जाने पर Sec. 65 का प्रत्यास्थापन।

नोट्स

उन्मोचन की रीतियाँ: (1) **पालन** — वास्तविक अथवा प्रयत्नित (निविदा); (2) **पारस्परिक सहमति** — नवीयन, विखंडन, परिवर्तन, छूट (Secs 62-63); (3) **पालन की असम्भवता** — आरम्भिक अथवा अध्यारोपित (Sec 56); (4)

समय बीतना — Limitation Act, 1963 (जिस मूल्य का 3 वर्ष में वाद न लाया जाए वह कालातीत एवं अवसूलनीय हो जाता है); (5) **विधि का प्रवर्तन** — promisor की मृत्यु, दिवालियापन; (6) **भंग** — वास्तविक अथवा पूर्वप्रत्याशित; क्षतिग्रस्त पक्ष को नुकसानी मिलती है और वह अपने भाग से उन्मोचित हो जाता है; (7) **छूट/अधित्यजन** (Sec 63); (8) **वचनगृहीता की उपेक्षा** (Sec 67); (9) **अधिकारों का विलयन** — निम्न अधिकार उच्चतर में विलीन हो जाता है (पट्टेदार पट्टे की भूमि खरीद ले — पट्टा समाप्त)।

अध्यारोपित असम्भवता (Sec 56): जहाँ संविदा बनने के बाद किसी अप्रत्याशित घटना अथवा पक्षकारों की कल्पना से परे परिस्थिति-परिवर्तन से पालन असम्भव या विधिविरुद्ध हो जाए, वहाँ संविदा **शून्य** हो जाती है और दोनों पक्षकार उन्मोचित हो जाते हैं; आधार: (a) विधि में अप्रत्याशित परिवर्तन, (b) विषय-वस्तु का नाश, (c) कल्पित स्थिति का न होना/व्यक्तिगत असमर्थता (विवाह से पूर्व पक्षकार विक्षिप्त हो जाए; अभिनेता इतना अस्वस्थ हो जाए कि नियत अवसरों पर अभिनय न कर सके), (d) युद्ध की घोषणा (जो देश शत्रु बन गया उसके साथ आयात-संविदा भंग/निलम्बित)।

Sec 65 प्रत्यास्थापन: जब संविदा शून्य हो जाए तो प्राप्त कोई भी लाभ (अग्रिम, बयाना/security money) प्रत्यास्थापित करना होगा अथवा उसका प्रतिकर देना होगा — जहाँ करार-अवधि के भीतर ही motor car (विषय-वस्तु) नष्ट हो जाए वहाँ security राशि लौटानी होगी; इसके विपरीत, क्रेता के अपने व्यतिक्रम पर विक्रेता विखंडन कर security रोक सकता है।

प्रचलित प्रयोग: विक्रय से पूर्व दुर्घटना में घोड़े की मृत्यु — विषय-वस्तु का नाश, संविदा शून्य; आयात पर रोक — पश्चातवर्ती अवैधता, उन्मोचन; जहाँ समय सारभूत था वहाँ विलम्ब से दिए गए सड़े सेब — उन्मोचन/अस्वीकृति; जहाँ समय सारभूत था और विलम्बित सुपुर्दगी स्वीकार कर ली गई — प्रतिकर तभी माँगा जा सकता है जब स्वीकार करते समय सूचना दी गई हो (Sec 55)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- अध्यारोपित असम्भवता (Sec. 56): संविदा बनने के बाद पक्षकारों की कल्पना से परे किसी घटना से पालन असम्भव/विधिविरुद्ध हो जाने पर संविदा **शून्य** हो जाती है और दोनों पक्षकार उन्मोचित — जैसे विवाह से पूर्व पक्षकार विक्षिप्त हो जाए, अभिनेता अभिनय के लिए बहुत अस्वस्थ हो जाए।
- इसके आधार कंठस्थ कीजिए: विधि में अप्रत्याशित परिवर्तन, विषय-वस्तु का नाश, कल्पित स्थिति का न होना/व्यक्तिगत असमर्थता, युद्ध की घोषणा।
- उन्मोचन की सभी रीतियाँ एक-एक पंक्ति में गिनाइए: पालन (वास्तविक/प्रयत्नित), पारस्परिक सहमति (नवीयन/विखंडन/परिवर्तन/छूट), असम्भवता, समय बीतना, विधि का प्रवर्तन (मृत्यु, दिवालियापन), भंग, तथा अधिकारों का विलयन।

TQ 10.1 · PYQ 2021-Jul [6] (a) · Descriptive · 5M · Pg 142

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 10.2 · MTP 2024-Jul [5] (c) · Descriptive · 6M · Pg 143

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 3 प्रश्न

- ढाँचा: उन्मोचित करने वाली घटना पहचानिए → Sec. 56 (अथवा 62/63) उद्धृत कीजिए → प्रभाव बताइए (संविदा शून्य, पक्षकार उन्मोचित) → फिर Sec. 65 लगाइए: प्राप्त लाभ (अग्रिम/बयाना) प्रत्यास्थापित करना होगा।

- प्रचलित परिस्थितियाँ: बन्दरगाह वाले देश के विरुद्ध युद्ध की घोषणा = शत्रु से व्यापार, संविदा उन्मोचित; विक्रय से पूर्व मकान गिरा दिया गया = विषय-वस्तु का नाश, ₹50,000 बयाना Sec. 65 के अधीन वापसी योग्य; जहाँ समय सारभूत था वहाँ विलम्बित चीनी की सुपुर्दगी स्वीकार कर ली गई — प्रतिकर तभी, जब स्वीकार करते समय सूचना दी गई हो (Sec. 55)।

CSQ 10.1 • PYQ 2018-Nov [1] (a) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 145

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 10.2 • PYQ 2021-Dec [3] (b) (ii) • Case Scenario • 6M • Pg 146

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 10.3 • PYQ 2024-Jun [4] (a) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 147

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

इकाई 2.5: संविदा-भंग एवं उसके उपचार (Breach of Contract and its Remedies)

Breach of Contract and its Remedies

P2-C2-U2.5 • महत्त्व C • अध्याय में Rank 8 • श्रेणी C • अध्याय के 7.3% प्रश्न • 17 प्रश्न

विषय 1: संविदा का पूर्वप्रत्याशित भंग (Anticipatory Breach)

P2-C2-U2.5-T01

पहले पढ़ें Unit 5 (Breach of Contract and its Remedies) का Section 5.1 पढ़िए: Sec. 39 — नियत तिथि से पूर्व पालन से इनकार अथवा स्वयं को असमर्थ कर लेना, व्यक्त (शब्दों से) या विवक्षित (आचरण से) repudiation, तथा वचनगृहीता के दो विकल्प।

नोट्स

अर्थ: वह भंग जो पालन के लिए नियत समय आने से पूर्व हो जाए — promisor पालन से पूर्णतः इनकार कर देता है और अपनी अनिच्छा पहले ही व्यक्त कर देता है; यह (a) **व्यक्त** हो सकता है, बोले या लिखे शब्दों से (30 जुलाई को A, B को सूचित करता है कि वह 14 अगस्त को देय कपास नहीं देगा), अथवा (b) **विवक्षित**, आचरण से (A वचनबद्ध सफ़ेद घोड़ा नियत तिथि से पहले ही C को बेच देता है)।

Sec 39 (SM): “When a party to a contract has refused to perform or disable himself from performing, his promise in its entirety, the promisee may put an end to the contract, unless he has signified, but words or conduct, his acquiescence in its continuance.”

प्रभाव — वचनगृहीता के दो विकल्प: (1) संविदा को विखंडित मानकर **तुरन्त** नुक़सानी का वाद लाए, नियत तिथि की प्रतीक्षा किए बिना; अथवा (2) विखंडन न करना चुने — संविदा को अब भी प्रवर्तमान माने और दोषी पक्ष को नियत तिथि पर दायी ठहराए; किन्तु तब संविदा **दोनों** पक्षों के लाभ के लिए जीवित रहती है: दोषी पक्ष पुनर्विचार कर पालन भी कर सकता है, और किसी ऐसी अध्यारोपित असम्भवता का लाभ भी उठा सकता है जो संविदा को उन्मोचित कर दे।

सीमाएँ: acquiescence का जाल — जिस वचनगृहीता ने शब्दों या आचरण से संविदा के चलते रहने में सहमति व्यक्त कर दी, वह उस इनकार के आधार पर संविदा समाप्त नहीं कर सकता; और सम्पूर्ण संविदा तभी विखंडित की जा सकती है

जब इनकार/असमर्थता वचन के “in its entirety” होने की हो (SM में उल्लिखित अग्रणी मामले: Frost v. Knight, Hochster v. DelaTour)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- पूर्वप्रत्याशित भंग परिभाषित कीजिए: पालन के लिए नियत समय से पूर्व repudiation — व्यक्त रूप से बोले/लिखे शब्दों से, अथवा विवक्षित रूप से आचरण से (जैसे नियत तिथि से पहले ही वचनबद्ध घोड़ा किसी तीसरे को बेच देना)।
- Sec. 39: जब कोई पक्षकार अपने वचन का **सम्पूर्ण रूप में** पालन करने से इनकार कर दे अथवा स्वयं को पालन के अयोग्य कर ले, तब वचनगृहीता संविदा समाप्त कर सकता है, जब तक उसने उसके चलते रहने में सहमति व्यक्त न कर दी हो।
- प्रभाव — वचनगृहीता के दो विकल्प: (1) तुरन्त विखंडन कर नुकसानी का वाद, अथवा (2) नियत तिथि तक संविदा जीवित रखना; किन्तु तब संविदा **दोनों** पक्षों के लिए जीवित रहती है और दोषी पक्ष अब भी पालन कर सकता है या अध्यारोपित असम्भवता का लाभ उठा सकता है।

TQ 1.1 • PYQ 2024-Jun [5] (c) • Descriptive • 6M • Pg 150

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 1.2 • MTP 2024-Aug [3] (c) • Descriptive • 6M • Pg 151

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 2 प्रश्न

- ढाँचा: repudiation पहचानिए (‘सम्पूर्ण रूप में’ इनकार, जैसे नर्तकी का अनुपस्थित रहना, आपूर्तिकर्ता की पूर्व-सूचना) → Sec. 39 उद्धृत कीजिए → व्यथित पक्ष का विकल्प तथा नुकसानी का परिणाम बताइए।
- acquiescence के जाल पर दृष्टि रखिए: यदि वचनगृहीता पालन चलने दे (चलते रहने की सहमति व्यक्त कर दे), तो वह उस इनकार के आधार पर संविदा समाप्त करने का अधिकार खो देता है।
- आंशिक इनकार (कई में से एक size/श्रेणी की क्रमीज़ें) — सम्पूर्ण संविदा के विखंडन की अनुमति देने से पहले जाँचिए कि क्या वह वचन का ‘सम्पूर्ण रूप में’ इनकार है।

CSQ 1.1 • PYQ 2022-May [1] (a) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 152

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 1.2 • PYQ 2023-Dec [3] (b) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 153

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 2: संविदा का वास्तविक भंग (Actual Breach)

P2-C2-U2.5-T02

पहले पढ़ें Section 5.2 पढ़िए: पालन की तिथि आने पर अथवा पालन के दौरान वास्तविक भंग, तथा व्यथित पक्ष को उपलब्ध उपचारों का चार्ट।

नोट्स

अर्थ: नियत तिथि को पालन से इनकार अथवा पालन में विफलता — यह (a) पालन की तिथि आने पर होता है (A 1 फ़रवरी को चीनी की 100 बोरियाँ देने में विफल रहता है), अथवा (b) संविदा के पालन के **दौरान**, बीच में व्यक्त या विवक्षित इनकार/विफलता से; दूसरे पक्ष को वाद का अधिकार मिल जाता है।

भंग के पाँच उपचार: (1) **नुक़सानी का वाद** — Sec 73 के अधीन मौद्रिक प्रतिकर; (2) **संविदा का विखंडन** — व्यथित पक्ष अपनी बाध्यताओं से मुक्त और प्रतिकर का हक़दार (A सीमेंट देने में विफल रहे तो B मूल्य चुकाने से उन्मोचित); (3) **विनिर्दिष्ट पालन का वाद** — जहाँ नुक़सानी पर्याप्त उपचार न हो, वहाँ न्यायालय भंग करने वाले पक्ष को अपना वचन पूरा करने का निदेश देता है; (4) **व्यादेश का वाद** — न्यायालय किसी पक्ष को वह करने से रोकता है जो न करने का उसने वचन दिया था; (5) **quantum meruit का वाद** — पहले किए गए कार्य का युक्तियुक्त पारिश्रमिक।

Sec 75: जो व्यक्ति **विधिपूर्वक** संविदा का विखंडन करे वह पालन न होने से हुई किसी भी क्षति के प्रतिकर का हक़दार है — छठी रात गायिका जान-बूझकर अनुपस्थित रही; प्रबन्धक विखंडन कर प्रतिकर माँगता है।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- भंग के पाँचों उपचार कंठस्थ कीजिए: (1) नुक़सानी का वाद (Sec. 73), (2) संविदा का विखंडन, (3) विनिर्दिष्ट पालन का वाद, (4) व्यादेश का वाद, (5) quantum meruit का वाद — प्रत्येक कब उपलब्ध है, इस पर एक-एक पंक्ति सहित।
- वास्तविक भंग या तो पालन की तिथि आने पर होता है (तय तिथि पर सुपुर्दगी न देना) अथवा पालन के दौरान (बीच में व्यक्त/विवक्षित इनकार)।
- Sec. 75 भी जोड़िए: जो पक्ष विधिपूर्वक संविदा का विखंडन करे वह संविदा पूरी न होने से हुई किसी भी क्षति के प्रतिकर का हक़दार है।

TQ 2.1 · PYQ 2002-Nov [2] (c) · Short Note · 5M · Pg 155

LEVEL I

स्मरण (Remembering)

सरल

विषय 3: नुक़सानी का वाद (Suit for Damages)

P2-C2-U2.5-T03

पहले पढ़ें Section 5.3 साधिए — Sec. 73 तथा Hadley vs. Baxendale: साधारण, विशेष, प्रतिकारात्मक/दृष्टान्तिक, नाममात्र तथा विलम्ब से क्षय वाली नुक़सानी, हानि घटाने का कर्तव्य, तथा दूरस्थ/अप्रत्यक्ष हानि पर रोक।

नोट्स

Sec 73 का नियम: भंग से पीड़ित पक्ष उस हानि या क्षति के प्रतिकर का हक़दार है जो (1) भंग से बातों के साधारण क्रम में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हुई हो, **अथवा** (2) जिसके बारे में पक्षकार संविदा करते समय यह जानते थे कि भंग होने पर वह सम्भावित है — विशेष क्षति केवल **पूर्व सूचना** पर; दूरस्थ अथवा अप्रत्यक्ष हानि का **कोई** प्रतिकर नहीं; तथा व्यथित पक्ष को हानि घटाने के युक्तियुक्त उपाय करने होंगे।

Hadley vs. Baxendale: वाहक ने मिल का टूटा crankshaft पहुँचाने में विलम्ब किया; मिल 5 दिन और बन्द रही, किन्तु वाहक को केवल इतना बताया गया था कि वस्तु एक टूटा shaft है, यह नहीं कि विलम्ब से मिल बन्द रहेगी —

अभिनिर्धारित हुआ कि केवल साधारण नुक़सानी मिलेगी, लाभ की हानि वसूली योग्य **नहीं**, क्योंकि विशेष परिस्थितियाँ संसूचित नहीं की गई थीं।

नुक़सानी के प्रकार: साधारण — स्वाभाविक एवं प्रत्यक्ष हानि; मानक माप = भंग की तिथि को संविदा-मूल्य तथा बाज़ार-मूल्य का अन्तर (₹5,000 पर तय चावल ₹5,500 हो जाए — ₹500 प्रति बोरी); **विशेष** — केवल वहाँ वसूली योग्य जहाँ विशेष परिस्थितियों की सूचना दी गई हो (जिस वाहक को बताया गया कि मिल बन्द है वह विलम्ब का औसत लाभ चुकाएगा, किन्तु किसी अ-सूचित सरकारी संविदा की हानि नहीं); **प्रतिकारात्मक/दृष्टान्तिक** — केवल दो दशाओं में: विवाह के वचन का भंग (भावनाओं को आघात) तथा किसी व्यापारी-ग्राहक के cheque का बैंकर द्वारा दोषपूर्ण अनादर, जहाँ साख एवं प्रतिष्ठा को धनीय हानि बिना भी क्षति पहुँचती है (Gibbons v West Minster Bank); **नाममात्र** — भंग सिद्ध पर कोई वास्तविक हानि नहीं: प्रतीक-रूप राशि (एक रुपया, यहाँ तक कि 10 पैसे) मात्र अधिकार स्थापित करने हेतु; **विलम्ब से क्षय** — वाहक से **सूचना बिना भी** वसूली योग्य, और 'क्षय' में भौतिक क्षति तथा विक्रय का विशेष अवसर खोना, दोनों आते हैं।

सूचना की गणना (SM — पानी की बोतलें): Z, जो जानता था कि 1,000 बोतलें X द्वारा ₹4.50 में खरीदकर Y को ₹5.00 में बेचने के लिए हैं, खोया हुआ पुनर्विक्रय-लाभ ₹500 ($1,000 \times ₹0.50$) चुकाएगा; यदि Z को न बताया गया होता तो नुक़सानी = व्यतिक्रम की तिथि को बाज़ार-मूल्य का अन्तर, अर्थात् ₹750 (बाज़ार ₹5.25 पर $1,000 \times ₹0.75$)।

दूरस्थता (SM — बस का ख़राब होना): ठंडी रात में यात्रियों को होटल तक पैदल चलना पड़ा — व्यक्तिगत असुविधा तथा होटल के प्रभार स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हानि के रूप में वसूली योग्य; पत्नी का चिकित्सा-उपचार दूरस्थ/अप्रत्यक्ष है और वसूली योग्य **नहीं** — योग लगाने से पहले प्रत्येक दावे को Sec 73 के दोनों खंडों पर कसिए।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- प्रतिकारात्मक/दृष्टान्तिक नुक़सानी केवल दो दशाओं में मिलती है: विवाह के वचन का भंग (भावनाओं को आघात) तथा व्यापारी-ग्राहक के cheque का बैंकर द्वारा दोषपूर्ण अनादर (Gibbons v Westminster Bank)।
- नाममात्र नुक़सानी: वहाँ दी जाती है जहाँ भंग सिद्ध हो पर कोई वास्तविक हानि न हुई हो — मात्र अधिकार स्थापित करने हेतु प्रतीक-रूप राशि।

TQ 3.1 · PYQ 2002-May [7] (b) · Short Note · 5M · Pg 156

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- Sec. 73 का नियम: उस हानि का प्रतिकर जो बातों के साधारण क्रम में स्वाभाविक रूप से उत्पन्न हो, अथवा जिसे पक्षकार संविदा करते समय सम्भावित जानते थे; दूरस्थ/अप्रत्यक्ष हानि का कभी नहीं; और व्यथित पक्ष को हानि घटानी होगी।
- Hadley vs. Baxendale: वाहक को यह नहीं बताया गया था कि विलम्ब से मिल बन्द रहेगी — अतः लाभ की हानि वसूली योग्य नहीं; विशेष नुक़सानी के लिए विशेष परिस्थितियों की **पूर्व** सूचना आवश्यक है।

TQ 3.2 · RTP 2019-Nov [7] · Descriptive · --- · Pg 157

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 3.4 · PYQ 2026-May [3] (c) · Descriptive · 6M · Pg 158

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 4 प्रश्न

- मानक माप: भंग की तिथि को संविदा-मूल्य बनाम बाज़ार-मूल्य (चावल/पानी की बोटलों वाले उदाहरण) — उत्तर में अंक निकालकर दिखाइए।
- सूचना वाले मामले: जिस आपूर्तिकर्ता को **ज्ञात** था कि माल किसी पुनर्विक्रय-संविदा के लिए है, वह खोया हुआ पुनर्विक्रय-लाभ चुकाएगा; सूचना बिना केवल बाज़ार-मूल्य का अन्तर — सदैव जाँचिए कि संसूचित क्या हुआ था।
- असुविधा वाली परिस्थितियाँ (बस का खराब होना, प्रदर्शनी की खेप): स्वाभाविक रूप से उत्पन्न असुविधा/होटल-प्रभार वसूली योग्य; सूचना बिना चिकित्सा-उपचार अथवा प्रदर्शनी के खोए लाभ दूरस्थ हैं।

TQ 3.3 · RTP 2026-May [5] · Descriptive · --- · Pg 157	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.2 · RTP 2020-Nov [1] · Case Scenario · ---- · Pg 160	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.3 · MTP 2022-Mar [1] (a) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 161	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.4 · RTP 2024-Sep [6] · Case Scenario · --- · Pg 162	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 1 प्रश्न

- दो-चरणीय परिस्थितियाँ (M Ltd. की मशीनरी वाला मामला): प्रतिस्थापन मशीनरी का अतिरिक्त मूल्य = साधारण क्षति, वसूली योग्य; क्रेता ने अपने **स्वयं के** ग्राहक को जो प्रतिकर चुकाया वह विशेष क्षति है, जो केवल तभी वसूली योग्य है जब संविदा करते समय उसकी सूचना दी गई हो।
- योग लगाने से पहले प्रत्येक दावे को Sec. 73 के दोनों खंडों (स्वाभाविक हानि बनाम सूचित विशेष हानि) तथा दूरस्थता की रोक पर कसिए।

CSQ 3.1 · PYQ 2018-May [3] (c) · Case Scenario · 6M · Pg 159	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
--	---------------------------------	-------

विषय 4: शास्ति एवं परिनिर्धारित नुक़सानी (Section 74)

P2-C2-U2.5-T04

पहले पढ़ें Section 5.4 पढ़िए: Sec. 74 — नामित राशि से अनधिक युक्तियुक्त प्रतिकर, English बनाम भारतीय विधि की स्थिति, सरकारी bond वाला अपवाद, तथा शेष उपचार (विखंडन, विनिर्दिष्ट पालन, व्यादेश, quantum meruit एवं Sec. 75)।

नोट्स

अवधारणाएँ: परिनिर्धारित नुक़सानी = भावी भंग से होने वाली हानि का पक्षकारों द्वारा किया गया वास्तविक पूर्वानुमान; **शास्ति** = अत्यधिक, अनुचित राशि, जो दोषी पक्ष को भयभीत करने (in terrorem) के लिए ठहराई गई हो और जिसका वास्तविक हानि से कोई मेल न हो; पक्षकारों द्वारा दिया गया नाम **अन्तिम नहीं** — न्यायालय सार देखता है, और अत्यधिक राशि शास्ति ही है, चाहे उसे परिनिर्धारित नुक़सानी कहा गया हो; व्यतिक्रम की तिथि से बढ़ी हुई ब्याज-दर की शर्त शास्ति हो सकती है, किन्तु वह खंड जो किसी किश्त के व्यतिक्रम पर मात्र सम्पूर्ण शेष राशि देय कर दे, शास्ति **नहीं**

है।

Sec 74 — भारतीय विधि: यह शास्ति तथा परिनिर्धारित नुकसानी में कोई अन्तर नहीं करती — वास्तविक क्षति सिद्ध हो या न हो, व्यथित पक्ष को नामित राशि से अनधिक केवल **युक्तियुक्त प्रतिकर** मिलता है (न्यायालय कम दे सकता है, अधिक कभी नहीं) — Sri Chunni Lal vs. Mehta & Sons Ltd (SC): दावेदार विनिर्दिष्ट राशि से अधिक वसूल नहीं कर सकता, और न्यायालय उसे घटा सकता है; इसके विपरीत English विधि परिनिर्धारित नुकसानी को प्रवर्तित करती है पर शास्ति की उपेक्षा; **अपवाद** — किसी लोक कर्तव्य के पालन हेतु केन्द्र/राज्य सरकार को दिया गया bond भंग होने पर **सम्पूर्ण** नामित राशि तक प्रवर्तनीय है।

Quantum meruit — “जितना अर्जित किया”: यह प्रत्यास्थापनात्मक दावा है (नुकसानी प्रतिकरात्मक होती है) — पहले किए गए कार्य के मूल्य का; **दो शर्तें** — मूल संविदा उन्मोचित हो चुकी हो, तथा दावा उस पक्ष का हो जो **व्यतिक्रमी** न हो; दशाएँ: (a) करार शून्य पाया जाए/संविदा शून्य हो जाए, (b) अ-निःशुल्क कार्य (स्वीकार कर ली गई brandy की 2 अतिरिक्त बोतलों का मूल्य देना होगा), (c) बिना तय पारिश्रमिक के दी गई सेवाएँ, (d) दूसरा पक्ष संविदा छोड़ दे या पालन से मना कर दे (जिस अभिकर्ता का प्राधिकार दोषपूर्ण रूप से प्रतिसंहत हुआ वह किए गए कार्य एवं व्यय वसूल करता है), (e) विभाज्य संविदा आंशिक रूप से पालित और लाभ भोगा गया (100 में से 50 कपास-गाँठें दी गई — B को 50 का मूल्य देना होगा), (f) अविभाज्य एकमुश्त संविदा पूर्णतः किन्तु खराब ढंग से पालित — एकमुश्त राशि वसूली योग्य, खराब कार्य की कटौती घटाकर।

विनिर्दिष्ट पालन एवं व्यादेश: जहाँ नुकसानी पर्याप्त उपचार न हो (अनन्य विषय-वस्तु, बाज़ार में कोई विकल्प नहीं), वहाँ न्यायालय अपने विवेक से भंग करने वाले पक्ष को संविदा की शर्तों के अनुसार वचन पूरा करने का निदेश दे सकता है जहाँ कोई पक्ष वही करता रहे जो न करने का उसने वचन दिया था, वहाँ न्यायालय व्यादेश से उसे रोकता है — जिस film star ने एक ही निर्माता के लिए अनन्य रूप से अभिनय करने का करार किया, उसे दूसरे के लिए अभिनय करने से रोका गया; दो माह के लिए अनुबंधित गायिका को अन्यत्र गाने से रोका गया; ढाँचा: उपचारों का क्रम → तथ्यों पर नुकसानी अपर्याप्त → विनिर्दिष्ट पालन/व्यादेश।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 3 प्रश्न

- परिनिर्धारित नुकसानी = हानि का वास्तविक पूर्वानुमान; शास्ति = अत्यधिक, अनुचित राशि जो भय दिखाने हेतु ठहराई गई हो; पक्षकारों द्वारा दिया गया नाम अन्तिम नहीं — न्यायालय सार देखते हैं।
- Sec. 74 (भारतीय विधि): शास्ति तथा परिनिर्धारित नुकसानी में कोई अन्तर नहीं — न्यायालय नामित राशि से अनधिक केवल **युक्तियुक्त** प्रतिकर देता है, चाहे वास्तविक हानि सिद्ध हो या न हो (Sri Chunni Lal vs. Mehta & Sons); अपवाद — लोक कर्तव्य हेतु केन्द्र/राज्य सरकार को दिए गए bonds सम्पूर्ण राशि तक प्रवर्तनीय।
- Quantum meruit (‘जितना अर्जित किया’): पहले किए गए कार्य का प्रत्यास्थापनात्मक दावा; शर्तें — मूल संविदा उन्मोचित हो, तथा दावा उस पक्ष का हो जो व्यतिक्रमी न हो; दशाएँ: संविदा शून्य पाई जाए, अ-निःशुल्क कार्य, बिना तय पारिश्रमिक, दूसरा पक्ष छोड़ दे/मना कर दे, विभाज्य संविदा आंशिक रूप से पालित, एकमुश्त कार्य खराब ढंग से किया गया।
- व्यतिक्रम की तिथि से बढ़ा ब्याज शास्ति हो सकता है; किन्तु वह खंड जो व्यतिक्रम पर मात्र सम्पूर्ण देय राशि को शीघ्र देय बना दे, शास्ति नहीं है।

TQ 4.1 • PYQ 2022-May [6] (a) • Descriptive • 5M • Pg 163

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 4.3 • PYQ 2025-Sep [6] (Or) (b) • Descriptive • 6M • Pg 166

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- अनन्य वस्तुओं वाली परिस्थितियाँ: जहाँ वस्तु का बाज़ार में कोई विकल्प ही न हो वहाँ नुक़सानी अपर्याप्त है — न्यायालय संविदा के अनुसार सुपुर्दगी का निदेश देते हुए विनिर्दिष्ट पालन की डिक्ली दे सकता है; और यदि पक्ष वही करता रहे जो न करने का वचन था, तो साथ में व्यादेश भी (film-star/गायिका की अनन्यता वाले मामले)।
- उत्तर का ढाँचा: उपचारों का क्रम बताइए → दिखाइए कि तथ्यों पर नुक़सानी क्यों विफल है (अनन्यता/हानि का कोई माप नहीं) → विनिर्दिष्ट पालन/व्यादेश से निष्कर्ष दीजिए।

CSQ 4.1 • PYQ 2020-Nov [3] (c) (iii) • Case Scenario • 7M • Pg 167

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

इकाई 2.6: समाश्रित एवं कल्पित संविदाएँ (Contingent and Quasi Contracts)

Contingent and Quasi Contracts

P2-C2-U2.6 • महत्त्व D • अध्याय में Rank 9 • श्रेणी C • अध्याय के 6.0% प्रश्न • 14 प्रश्न

विषय 1: समाश्रित संविदाएँ (Contingent Contracts)

P2-C2-U2.6-T01

पहले पढ़ें Indian Contract Act, 1872 की Unit 6 (Contingent and Quasi Contracts) का Section 6.1 'Contingent Contracts' पढ़िए — Sec. 31 की परिभाषा, 'collateral event' का अर्थ (Pollock & Mulla) तथा समाश्रित संविदा के चार अनिवार्य तत्त्व।

नोट्स

Sec 31 (SM): "A contract to do or not to do something, if some event, collateral to such contract, does or does not happen" — बीमा, क्षतिपूर्ति तथा प्रत्याभूति की संविदाएँ इसी श्रेणी में आती हैं; जैसे A, B को ₹10,00,000 देने की संविदा करता है यदि B का मकान जल जाए (इसकी तुलना आत्यन्तिक संविदा से कीजिए, जो बिना शर्त हर दशा में पालित होती है)।

Collateral event (Pollock & Mulla): "an event which is neither a performance directly promised as part of the contract, nor the whole of the consideration for a promise" — A का दायित्व उस collateral घटना के घटित होने पर ही उत्पन्न होता है।

चार अनिवार्य तत्त्व: (a) पालन किसी घटना या शर्त के होने/न होने पर निर्भर हो (पूर्ववर्ती अथवा पश्चातवर्ती); (b) घटना collateral हो — संविदा का भाग नहीं, न वचनबद्ध पालन, न प्रतिफल; (c) घटना मात्र promisor की इच्छा न हो — जो उसकी इच्छा के भीतर हो पर मात्र उसकी इच्छा न हो, वह फिर भी समाश्रित हो सकती है (वर्षा हो और A दिल्ली छोड़े, तब

भुगतान); (d) घटना अनिश्चित हो — यदि निश्चित हो अथवा होनी ही हो (collector की अनुमति जो नित्यक्रम में मिल ही जाती है), तो वह समाश्रित नहीं।

समाश्रित नहीं (जाल): गेहूँ की 100 बोरियों का भुगतान केवल सुपुर्दगी के बाद, अथवा तरणताल पूरा होने पर ₹20,00,000 का भुगतान — यहाँ घटना स्वयं वचन का ही भाग है, अतः यह शर्तयुक्त (conditional) संविदा है, समाश्रित नहीं; “यदि वह चाहे तो ₹1,00,000 दूँगा” तो कोई संविदा ही नहीं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- Sec. 31 की परिभाषा समझाइए — ‘किसी ऐसी घटना के, जो उस संविदा के लिए collateral हो, होने या न होने पर कुछ करने या न करने की संविदा’ — उदाहरणों सहित (बीमा, क्षतिपूर्ति, प्रत्याभूति)।
- चारों अनिवार्य तत्त्व कारण सहित साधिए: (i) पालन किसी घटना के होने/न होने पर निर्भर, (ii) घटना collateral (न वचनबद्ध पालन, न प्रतिफल), (iii) घटना मात्र promisor की इच्छा न हो, (iv) घटना अनिश्चित हो।
- ‘अनिवार्य तत्त्व तथा कोई तीन नियम’ पूछे जाने पर Secs. 32-36 के प्रवर्तन-नियम जोड़ने को तैयार रहिए (यह 6-7 अंकों का प्रचलित PYQ संयोजन है)।
- जाल: जहाँ भुगतान स्वयं कार्य पूरा होने पर निर्भर हो (जैसे तरणताल पूरा होने पर भुगतान), वहाँ वह शर्तयुक्त संविदा है, समाश्रित नहीं — घटना collateral नहीं है।

TQ 1.1 • PYQ 2018-Nov [2] (a) • Descriptive • 7M • Pg 170

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 1.2 • PYQ 2024-Jun [6] Or (b) • Descriptive • 6M • Pg 171

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- तथ्यों में समाश्रित संविदा पहचानने का अभ्यास कीजिए: किसी अनिश्चित collateral घटना पर एकमुश्त भुगतान का वचन (जैसे अस्पताल का Dr. A को ₹1,00,000 देने का वचन यदि उनकी Covid जाँच धनात्मक आए) — ढाँचा: Sec. 31 की परिभाषा → तथ्यों पर अनिवार्य तत्त्व पूरे → निष्कर्ष कि यह वैध समाश्रित संविदा है।
- निष्कर्ष से पहले प्रत्येक अनिवार्य तत्त्व तथ्यों पर जाँचिए, विशेषकर collateral होना तथा अनिश्चितता।

CSQ 1.1 • RTP 2021-Nov [5] • Case Scenario • ---- • Pg 173

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 2: प्रवर्तन सम्बन्धी नियम (Rules Relating to Enforcement)

P2-C2-U2.6-T02

पहले पढ़ें Section 6.2 ‘Rules Relating to Enforcement’ (Secs. 32 से 36) पढ़िए, और विशेष रूप से उस खंड के अन्त में दी गई तालिका ‘Difference between a contingent contract and a wagering contract’।

नोट्स

Secs 32-36 के प्रवर्तन-नियम: **Sec 32** — किसी घटना के होने पर समाश्रित: तब तक प्रवर्तित नहीं कराई जा सकती जब तक वह घटना न हो जाए; घटना असम्भव हो जाए तो शून्य (B के C से विवाह पर भुगतान; C मर जाए — शून्य); **Sec 33** — घटना के न होने पर समाश्रित: तभी प्रवर्तनीय जब उसका होना असम्भव हो जाए (जहाज़ डूब जाए), और जहाज़ लौट आए तो शून्य; **Sec 34** — किसी जीवित व्यक्ति के आचरण पर समाश्रित: घटना तब असम्भव हो जाती है जब वह व्यक्ति किसी निश्चित समय के भीतर ऐसा कुछ कर दे जिससे वह असम्भव हो जाए (C, D से विवाह कर ले; Frost v. Knight — पिता की मृत्यु पर विवाह का वचन, पर पिता के जीवित रहते ही दूसरी से विवाह कर लिया, भंग); **Sec 35** — नियत समय के भीतर घटना का होना: समय बीत जाए और घटना न हो, अथवा पहले ही असम्भव हो जाए, तो शून्य; नियत समय के भीतर घटना का न होना: समय बिना घटना के बीत जाने पर प्रवर्तनीय, अथवा उससे पहले ही जब यह निश्चित हो जाए कि वह नहीं होगी; **Sec 36** — असम्भव घटना पर समाश्रित: शून्य, चाहे असम्भवता पक्षकारों को ज्ञात हो या नहीं (सूर्य का पश्चिम में उगना; दो सीधी रेखाओं का कोई क्षेत्र घेरना)।

समाश्रित बनाम बाज़ी: SM के अनुसार अन्तर-तालिका — बाज़ी मूलतः समाश्रित होती ही है, किन्तु समाश्रित संविदा वैध है जबकि बाज़ी का करार शून्य; बीमा में पक्षकारों का विषय-वस्तु में बीमा-योग्य हित होता है, बाज़ी में कोई नहीं।

समाश्रित संविदा	बाज़ी की संविदा
किसी collateral घटना के होने/न होने के सन्दर्भ में कुछ करने/न करने की संविदा	किसी अनिश्रित घटना के होने/न होने के सन्दर्भ में धन या धन-मूल्य देने का वचन
इसमें पारस्परिक वचन हों यह आवश्यक नहीं	यह पारस्परिक वचनों से ही बनती है
अनिश्चित घटना collateral होती है	अनिश्चित घटना ही मूल कारक होती है
यह बाज़ी की प्रकृति की हो, आवश्यक नहीं	यह मूलतः समाश्रित प्रकृति की होती है
पक्षकारों का विषय-वस्तु में हित होता है	पक्षकारों का विषय-वस्तु में कोई हित नहीं
यह हानि-लाभ की पारस्परिकता के सिद्धान्त पर आधारित नहीं	यह खेल है — केवल हारना-जीतना ही महत्वपूर्ण
वैध	शून्य

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- समाश्रित बनाम बाज़ी की तालिका छह आधारों पर साधिए: अर्थ, पारस्परिक वचन, अनिश्रित घटना की भूमिका (collateral बनाम मूल), स्वरूप, विषय-वस्तु में पक्षकारों का हित, तथा वैधता (समाश्रित वैध; बाज़ी शून्य)।
- ‘बाज़ी का करार बनाम बीमा-संविदा’ वाले उत्तरों में यही तर्क लगाइए: बीमा में पक्षकारों का विषय-वस्तु में बीमा-योग्य हित होता है और वह वैध समाश्रित संविदा है; बाज़ी में कोई हित नहीं — केवल लाभ/हानि का पारस्परिक अवसर — और वह शून्य है।
- प्रवर्तन-नियम भी तैयार रखिए: Sec. 32 (घटना के होने पर समाश्रित), Sec. 33 (घटना के न होने पर), Sec. 34 (किसी जीवित व्यक्ति का आचरण), Sec. 35 (नियत समय के भीतर घटना), Sec. 36 (असम्भव घटना — आरम्भ से शून्य)।

विषय 3: कल्पित संविदाएँ (Quasi Contracts)

P2-C2-U2.6-T03

पहले पढ़ें Section 6.3 'Quasi Contracts' पढ़िए — अर्थ, मुख्य विशेषताएँ, तथा Secs. 68 से 72 के अधीन कल्पित संविदा मानी जाने वाली पाँच दशाएँ।

नोट्स

अर्थ: वे बाध्यताएँ जो संविदा से उत्पन्न बाध्यताओं जैसी हों और विधि द्वारा अधिरोपित हों, यद्यपि वहाँ न कोई प्रस्ताव है, न प्रतिग्रहण, न सम्मति, न करार — इनका आधार साम्य, न्याय एवं सद्बिवेक है; ये इस सूक्ति पर टिकी हैं कि “No man must grow rich out of another person's loss” (अनुचित समृद्धि का सिद्धान्त); भारत में इन्हें ‘certain relations resembling those created by contracts’ कहा गया है।

मुख्य विशेषताएँ: (i) अधिकार सदैव धन का अधिकार होता है, सामान्यतः (सदैव नहीं) परिनिर्धारित राशि का; (ii) यह करार से नहीं, विधि द्वारा अधिरोपित होता है — इसका आधार कर्तव्य है, वचन नहीं; (iii) यह केवल किसी विशिष्ट व्यक्ति(यों) के विरुद्ध उपलब्ध है, सम्पूर्ण जगत् के विरुद्ध नहीं; भंग होने पर वाद वैसे ही चलता है जैसे किसी पूर्ण संविदा पर।

कल्पित संविदा मानी जाने वाली पाँच दशाएँ: Sec 68 — असमर्थ व्यक्तियों को दी गई आवश्यक वस्तुएँ; Sec 69 — किसी हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भुगतान; Sec 70 — अ-निःशुल्क कार्य का लाभ; Sec 71 — माल पाने वाला; Sec 72 — भूल से अथवा प्रपीड़न में चुकाया गया धन।

Sec 68: जो व्यक्ति संविदा करने में असमर्थ हो (अवयस्क/विकृतचित्त), अथवा जिसका भरण-पोषण वह विधितः करने को आबद्ध हो, उसे उसकी जीवन-दशा के अनुरूप आवश्यक वस्तुएँ देने वाले को प्रतिपूर्ति केवल उस असमर्थ व्यक्ति की **सम्पत्ति** से मिलती है, उससे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं; आपूर्तिकर्ता को सिद्ध करना होगा कि माल विक्रय एवं सुपुर्दगी के समय उसकी वास्तविक आवश्यकताओं के अनुरूप था। **Sec 69:** जो व्यक्ति ऐसे धन के भुगतान में हितबद्ध हो जिसे चुकाने को कोई अन्य विधितः आबद्ध है, और इसीलिए वह उसे चुका दे, वह प्रतिपूर्ति का हकदार है (पट्टेदार B अपना पट्टा बचाने के लिए ज़मींदार A का राजस्व-बक्राया चुकाता है; P अपनी कुर्क गाड़ी छुड़ाने के लिए D का किराया चुकाता है)।

Sec 70: जो व्यक्ति किसी अन्य के लिए विधिपूर्वक कुछ करे या परिदत्त करे, निःशुल्क करने का आशय न रखते हुए, और वह दूसरा उसका लाभ भोग ले — तो उस दूसरे को प्रतिकर देना या वह वस्तु लौटानी होगी (भूल से छोड़ा गया व्यापारी का माल प्रयोग कर लेना; Shyam Lal v. State of U.P. — वेतन लौटाया गया); वादी को सिद्ध करना होगा (i) विधिपूर्ण कार्य/परिदान, (ii) निःशुल्क न होने का आशय, (iii) लाभ भोगा जाना। **Sec 71:** माल पाने वाला वैसे ही उत्तरदायित्व के अधीन है जैसे bailee — साधारण विवेक के व्यक्ति जैसी देखभाल, विनियोजन का कोई अधिकार नहीं, स्वामी मिल जाए तो लौटाना होगा; वह वास्तविक स्वामी को छोड़कर सबके विरुद्ध उसे रोके रख सकता है (Hollins v. Howler — दुकानदार को हीरा पाने वाले को लौटाना पड़ा)। **Sec 72:** भूल से अथवा प्रपीड़न में चुकाया गया धन या परिदत्त वस्तु लौटानी होगी (Sales Tax Officer v. Kanhaiyalal; ग़लत व्यक्ति को दिया गया गेहूँ); यहाँ ‘प्रपीड़न’ व्यापक अर्थ में पढ़ा जाता है — उत्पीड़न, ज़बरन वसूली (tram-शास्ति वाला मामला, Trikamdass v. Bombay Municipal Corpn.)।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- परिभाषा: वे बाध्यताएँ जो संविदा जैसी हों और साम्य, न्याय एवं सद्बिवेक के आधार पर विधि द्वारा अधिरोपित हों — ‘कोई भी दूसरे की हानि से धनी न बने’।
- मुख्य विशेषताएँ: (i) धन का अधिकार, सामान्यतः परिनिर्धारित राशि; (ii) करार से नहीं, विधि द्वारा अधिरोपित; (iii) केवल किसी विशिष्ट व्यक्ति के विरुद्ध उपलब्ध; इसका आधार कर्तव्य है, वचन नहीं।
- पाँचों दशाएँ: Sec. 68 आवश्यक वस्तुएँ, Sec. 69 हितबद्ध व्यक्ति द्वारा भुगतान, Sec. 70 अ-निःशुल्क कार्य, Sec. 71 माल पाने वाला, Sec. 72 भूल/प्रपीड़न।

TQ 3.2 · PYQ 2002-May [5] (c) · Descriptive · 5M · Pg 175

LEVEL I
स्मरण (Remembering)**सरल****समझ (Understanding)** कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- समझाइए कि माल पाने वाला bailee के समकक्ष क्यों है (Sec. 71): साधारण विवेकी व्यक्ति जैसी देखभाल, विनियोजन का कोई अधिकार नहीं, स्वामी को लौटाना होगा; वह वास्तविक स्वामी को छोड़कर सबके विरुद्ध उसे रोके रख सकता है (Hollins v. Howler)।

TQ 3.1 · PYQ 1999-Nov [2] (iii) · Descriptive · 5M · Pg 174

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम**

TQ 3.3 · PYQ 2025-May [6] (b) · Descriptive · --- · Pg 176

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 7 प्रश्न

- Sec. 68: अवयस्क/विकृतचित्त अथवा आश्रित को आवश्यक वस्तुएँ — प्रतिपूर्ति केवल असमर्थ व्यक्ति की **सम्पत्ति** से, उससे व्यक्तिगत रूप से कभी नहीं (Aarthi/Naresh तथा विकृतचित्त पत्नी वाले मामले; ₹15 लाख का हीरे का सेट ‘आवश्यक वस्तु’ नहीं)।
- Sec. 69: जो हितबद्ध व्यक्ति वह चुका दे जिसे चुकाने को कोई अन्य विधितः आबद्ध है, वह उसे वसूल करता है (P अपनी कुर्क गाड़ी छुड़ाने के लिए D का किराया चुकाता है)।
- Sec. 70/72: अ-निःशुल्क कार्य का लाभ, अथवा भूल से परिदत्त माल (गलत पड़ोसी को गया गेहूँ) — या तो मूल्य चुकाइए या लौटाइए; उत्तर धारा → शर्तें → तथ्य → निष्कर्ष के क्रम में दीजिए।

CSQ 3.1 · PYQ 2019-May [2] (c) · Case Scenario · 4M · Pg 178

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.2 · RTP 2025-Jan [4] · Case Scenario · --- · Pg 179

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.3 · PYQ 2022-Nov [3] (b) · Case Scenario · 6M · Pg 180

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.4 · RTP 2023-Jun [6] · Case Scenario · --- · Pg 181

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.5 · PYQ 2024-Sep [1] (a) (i) {C} · Case Scenario · 3M · Pg 182

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.6 · MTP 2025-Aug S2 [4] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 183

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.7 · RTP 2025-Sep [5] · Case Scenario · --- · Pg 183

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

इकाई 2.7: क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति की संविदा (Contract of Indemnity and Guarantee)

Contract of Indemnity and Guarantee

P2-C2-U2.7 · महत्त्व C · अध्याय में Rank 5 · श्रेणी A · अध्याय के 11.1% प्रश्न · 26 प्रश्न

विषय 1: क्षतिपूर्ति की संविदा (Contract of Indemnity)

P2-C2-U2.7-T01

पहले पढ़ें Unit 7 का Section 7.1 'Contract of Indemnity' पढ़िए — Sec. 124 की परिभाषा, पक्षकार (indemnifier/indemnity-holder), Sec. 125 के अधीन वाद लाए जाने पर indemnity-holder के अधिकार, तथा indemnifier का दायित्व कब आरम्भ होता है (Gajanan Moreshwar का मामला)।

नोट्स

Sec 124 (SM): “a contract by which one party promises to save the other from loss caused to him by the conduct of the promisor himself, or by the conduct of any other person” — ‘indemnity’ का शाब्दिक अर्थ है हानि के विरुद्ध प्रतिभूति/हानि की पूर्ति; पक्षकार: **indemnifier** (promisor) तथा **indemnified/indemnity-holder**; यह व्यक्ति अथवा विवक्षित हो सकती है और उसे वैध संविदा के सभी अनिवार्य तत्त्व पूरे करने होंगे (C की पिटाई के लिए क्षतिपूर्ति का वचन अप्रवर्तनीय है — अविधिपूर्ण उद्देश्य)।

विस्तार केवल मानवीय आचरण तक: Sec 124 केवल उस हानि को समेटती है जो promisor के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से हो — ऐसी दुर्घटना से हुई हानि जो किसी व्यक्ति के कारण न हो, अथवा दैवी कार्य/प्राकृतिक घटना से हुई हानि, इसमें **नहीं** आती; इसकी तुलना English विधि से कीजिए (Gajanan Moreshwar v. Moreshwar Madan, 1942), जहाँ indemnity हर हानि को समेटती है — चाहे वह promisee की उपेक्षा से हो, प्राकृतिक आपदा से या दुर्घटना से।

Sec 125 — वाद लाए जाने पर indemnity-holder के अधिकार (जब वह अपने प्राधिकार के विस्तार के भीतर कार्य कर रहा हो) — वह indemnifier से वसूल कर सकता है: (a) वे सभी नुकसानियाँ जो उसे किसी वाद में चुकाने को विवश होना पड़े, (b) वे सभी खर्चे जो वाद लाने/प्रतिरक्षा करने में चुकाने पड़ें, (c) वाद के किसी समझौते की शर्तों के अधीन चुकाई गई सभी राशियाँ; ये अधिकार सम्पूर्ण सूची नहीं हैं — यदि उसका दायित्व आत्यन्तिक हो जाए तो वह indemnifier से उसे चुकाने को कह सकता है।

दायित्व का आरम्भ: अधिनियम मौन है, किन्तु न्यायिक निर्णयों के अनुसार indemnifier का दायित्व उसी क्षण आरम्भ हो जाता है जब indemnity-holder का दायित्व आत्यन्तिक एवं निश्चित हो जाए। **बीमा:** अग्नि एवं समुद्री बीमा सदैव क्षतिपूर्ति की संविदाएँ हैं, किन्तु जीवन बीमा में क्षतिपूर्ति की संविदा **नहीं** होती (बीमाकर्ता एक नियत राशि चुकाता है, वह

मात्र हानि की पूर्ति नहीं करता)।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- Sec. 125 के अधीन वाद लाए जाने पर indemnity-holder के अधिकार (जब वह प्राधिकार के विस्तार में कार्य कर रहा हो): वसूल करे (a) किसी वाद में चुकाने को विवश सभी **नुकसानियाँ**, (b) वाद लाने/प्रतिरक्षा के सभी **खर्चे**, (c) वाद के किसी समझौते के अधीन चुकाई गई सभी **राशियाँ** — तीनों शीर्ष अक्षरशः कंठस्थ कीजिए।
- Sec. 124 की परिभाषा: वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्ष दूसरे को उस हानि से बचाने का वचन देता है जो स्वयं promisor के अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उसे हो।

TQ 1.1 • PYQ 2024-Sep [6] (b) (ii) • Descriptive • 2M • Pg 186

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- True/False का तर्क: Sec. 124 केवल मानवीय आचरण से हुई हानि को समेटती है — दुर्घटना अथवा दैवी कार्य से हुई हानि अपवर्जित है (इसकी तुलना English विधि/Gajanan Moreshwar v. Moreshwar Madan से कीजिए)।
- अग्नि एवं समुद्री बीमा क्षतिपूर्ति की संविदाएँ हैं, किन्तु **जीवन** बीमा पूर्णतः ऐसी नहीं — बीमाकर्ता मृत्यु (एक निश्चित घटना) पर एक नियत राशि चुकाता है, मात्र हानि की पूर्ति नहीं करता; 'सत्य' उत्तर का औचित्य इसी प्रकार सिद्ध कीजिए।
- न्यायिक नियम भी ध्यान रखिए कि indemnifier का दायित्व उसी क्षण आरम्भ हो जाता है जब indemnity-holder का दायित्व आत्यन्तिक एवं निश्चित हो जाए।

TQ 1.2 • PYQ 2025-Sep [5] (c) (iii) • True/False • 2M • Pg 187

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

विषय 2: प्रत्याभूति की संविदा (Contract of Guarantee)

P2-C2-U2.7-T02

पहले पढ़ें Section 7.2 पढ़िए — Sec. 126 की परिभाषाएँ, तीन संविदाओं वाला त्रिपक्षीय ढाँचा, छह अनिवार्य विशेषताएँ (Sec. 127 प्रतिफल, Secs. 142-144), तथा Section 7.3 में विशिष्ट बनाम चालू प्रत्याभूति (Sec. 129)।

नोट्स

Sec 126 (SM): "A contract to perform the promise made or discharge the liability, of a third person in case of his default"; यह मौखिक या लिखित हो सकती है; तीन पक्षकार — **प्रतिभू (surety)** जो प्रत्याभूति देता है, **मुख्य ऋणी** जिसके व्यतिक्रम के सम्बन्ध में वह दी जाती है, तथा **लेनदार** जिसे वह दी जाती है।

त्रिपक्षीय — तीन संविदाएँ: (i) मुख्य ऋणी एवं लेनदार के बीच मुख्य संविदा, (ii) लेनदार एवं प्रतिभू के बीच गौण संविदा, (iii) प्रतिभू एवं मुख्य ऋणी के बीच विवक्षित संविदा कि यदि प्रतिभू को चुकाना पड़े तो उसे क्षतिपूर्ति मिलेगी; प्रतिभू का अधिकार इससे अप्रभावित रहता है कि लेनदार ने मुख्य ऋणी पर वाद लाने से मना कर दिया अथवा उससे माँग

ही नहीं की।

छह अनिवार्य विशेषताएँ: (1) **प्रयोजन** — कोई वसूली-योग्य मुख्य ऋण विद्यमान होना चाहिए; मुख्य ऋण नहीं तो वैध प्रत्याभूति नहीं; (2) **प्रतिफल** — Sec 127: मुख्य ऋणी को मिला प्रतिफल प्रतिभू के लिए पर्याप्त है, कोई प्रत्यक्ष प्रतिफल आवश्यक नहीं, किन्तु भूत प्रतिफल कोई प्रतिफल नहीं (पहले ही दिए जा चुके माल का भुगतान करने पर बिना प्रतिफल सहमत C — शून्य); (3) **विद्यमान विधितः प्रवर्तनीय दायित्व**, जो कालातीत न हो; (4) लेनदार द्वारा कोई **दुर्व्यपदेशन (Sec 142)** अथवा तात्त्विक परिस्थितियों का **छिपाव (Sec 143)** न हो; (5) **लेखबद्ध होना आवश्यक नहीं** — मौखिक या लिखित; (6) **Sec 144** — यदि प्रत्याभूति इस शर्त पर हो कि कोई सह-प्रतिभू भी सम्मिलित होगा, तो उस व्यक्ति के सम्मिलित न होने पर प्रत्याभूति अविधिमान्य है।

सक्षमता: मुख्य ऋणी असक्षम (अवयस्क) हो तब भी प्रत्याभूति वैध है; किन्तु यदि प्रतिभू असक्षम हो तो प्रत्याभूति शून्य है (लेनदार अवयस्क हो तो भी शून्य)।

प्रकार (Sec 129): विशिष्ट प्रत्याभूति — किसी एक ऋण/विशिष्ट लेन-देन तक सीमित, प्रत्याभूत ऋण उन्मोचित होते ही दायित्व समाप्त (Kay v. Groves); **चालू प्रत्याभूति** — लेन-देनों की एक शृंखला तक विस्तृत, प्रतिभू प्रतिसंहरण तक अदत्त शेष के लिए दायी रहता है (चाय-विक्रेता वाला उदाहरण: समय-समय पर दी जाने वाली चाय के लिए ₹10,000 तक की प्रत्याभूति — बाद में ₹20,000 के व्यतिक्रम पर प्रतिभू ₹10,000 तक दायी)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- Sec. 126 के अनुसार परिभाषित कीजिए: किसी तीसरे व्यक्ति के व्यतिक्रम की दशा में उसका वचन पूरा करने अथवा उसका दायित्व उन्मोचित करने की संविदा; मौखिक या लिखित; तीन पक्षकार — प्रतिभू, मुख्य ऋणी, लेनदार — तथा तीन संविदाएँ (मुख्य, गौण, विवक्षित क्षतिपूर्ति)।
- अनिवार्य विशेषताएँ: वसूली-योग्य मुख्य ऋण का अस्तित्व; प्रतिफल (Sec. 127 — मुख्य ऋणी को मिला लाभ पर्याप्त, भूत प्रतिफल कोई प्रतिफल नहीं); प्रवर्तनीय दायित्व; कोई दुर्व्यपदेशन/छिपाव नहीं (Secs. 142-143); शर्त हो तो सह-प्रतिभू का सम्मिलित होना (Sec. 144)।

TQ 2.1 • MTP 2025-Aug S2 [5] (c) • Descriptive • 6M • Pg 188

LEVEL I

समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- मुख्य ऋणी के रूप में अवयस्क: प्रत्याभूति फिर भी वैध रहती है (प्रतिभू ऐसे दायी जैसे वह प्राथमिक रूप से दायी हो), किन्तु यदि प्रतिभू असक्षम हो तो प्रत्याभूति शून्य — Manish (अवयस्क), Sohel तथा एक प्रत्याभू वाली परिस्थितियों पर इसे लगाइए (2022 PYQ प्रतिरूप)।

CSQ 2.1 • PYQ 2022-Nov [1] (c) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 189

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए • 2 प्रश्न

- बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ प्रत्याभूति की वैधता, प्रतिभू के दायित्व तथा लेनदार की प्रतिभूतियों को मिला देती हैं (जैसे प्रत्याभूत उधार-विक्रय + दोष के प्रश्न; बैंक ऋण में बन्धक + प्रत्याभूति): पहले व्यवस्था को वर्गीकृत कीजिए (प्रत्याभूति बनाम क्षतिपूर्ति), फिर

अनिवार्य तत्त्व कसिए, फिर Sec. 128 के अधीन प्रतिभू के दायित्व का विस्तार तथा Sec. 141 के अधीन प्रतिभूतियों पर प्रभाव तय कीजिए।

- क्रम से सुलझाइए: कोई मुख्य ऋण है? → प्रत्याभूति विधिमान्य रूप से बनी है (Secs. 127, 142-144)? → लेनदार के किसी कार्य ने प्रतिभू का दायित्व उन्मोचित या घटा तो नहीं दिया?

CSQ 2.2 · PYQ 2024-Jun [1] (a) {C} · Case Scenario · 7M · Pg 191

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

मध्यम

CSQ 2.3 · PYQ 2026-May [4] (a) · Case Scenario · 7M · Pg 192

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

विषय 3: प्रत्याभूतियों के प्रकार (Types of Guarantees)

P2-C2-U2.7-T03

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं · पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 2.7 का §7.3 पढ़िए: प्रत्याभूति के दो वर्ग — विशिष्ट तथा चालू — और प्रत्येक में प्रतिभू का दायित्व कब समाप्त होता है।

नोट्स

विशिष्ट प्रत्याभूति: वह प्रत्याभूति जो किसी एक ऋण अथवा विशिष्ट लेन-देन तक विस्तृत हो; प्रत्याभूत ऋण विधिवत् उन्मोचित हो जाने अथवा वचन विधिवत् पालित हो जाने पर प्रतिभू का दायित्व समाप्त हो जाता है। **उदाहरण:** A, B द्वारा C को दी गई चावल की पाँच बोरीयों के मूल्य के भुगतान की प्रत्याभूति देता है; C के चुकाते ही प्रत्याभूति समाप्त हो जाती है [Kay v. Groves]।

चालू प्रत्याभूति [Section 129]: वह प्रत्याभूति जो लेन-देनों की एक शृंखला तक विस्तृत हो; प्रतिभू का दायित्व प्रत्याभूति के प्रतिसंहत होने तक बना रहता है। इसका सार यही है कि यह किसी नियत संख्या के लेन-देनों पर नहीं, बल्कि किसी भी संख्या के लेन-देनों पर लागू होती है, जिससे प्रतिभू प्रत्याभूति के अन्त में बचे **अदत्त शेष** के लिए दायी हो जाता है।

चालू प्रत्याभूति का उदाहरण: A, चाय के व्यापारी B को यह प्रत्याभूति देता है कि समय-समय पर C को दी जाने वाली चाय के लिए वह ₹10,000 तक भुगतान करेगा; B, ₹10,000 से अधिक की चाय देता है जिसका भुगतान C कर देता है, फिर ₹20,000 की और चाय देता है जिसका भुगतान C नहीं करता — A ₹10,000 की सीमा तक दायी बना रहता है, क्योंकि प्रत्याभूति चालू है।

विषय 4: क्षतिपूर्ति एवं प्रत्याभूति की संविदा में अन्तर

P2-C2-U2.7-T04

पहले पढ़ें Section 7.4 पढ़िए — क्षतिपूर्ति की संविदा (Sec. 124) तथा प्रत्याभूति की संविदा (Sec. 126) का सात बिन्दुओं पर तालिकाबद्ध अन्तर।

नोट्स

परिचय: दोनों प्रतिकर देने की रीतियाँ हैं (Secs 124-147) और समान सिद्धान्तों पर आधारित हैं, फिर भी इनमें पर्याप्त अन्तर है — क्षतिपूर्ति (Sec 124, दो पक्षकार) बनाम प्रत्याभूति (Sec 126, तीन पक्षकार, त्रिपक्षीय)।

क्षतिपूर्ति की संविदा	प्रत्याभूति की संविदा
दो पक्षकार — indemnifier (promisor) तथा indemnified (promisee)	तीन पक्षकार — लेनदार, मुख्य ऋणी तथा प्रतिभू
indemnifier का दायित्व प्राथमिक एवं अशर्त	प्रतिभू का दायित्व गौण एवं शर्तयुक्त; प्राथमिक दायित्व ऋणी का
दायित्व केवल किसी आकस्मिकता के घटित होने पर उत्पन्न	दायित्व किसी विद्यमान वचन के पालन न होने/विद्यमान ऋण के न चुकने पर उत्पन्न
indemnifier का indemnity-holder के अनुरोध पर कार्य करना आवश्यक नहीं	प्रतिभू मुख्य ऋणी के अनुरोध पर कार्य करता है
अपने नाम से किसी तीसरे पक्ष पर वाद नहीं ला सकता — कोई privity नहीं (समनुदेशन को छोड़कर)	प्रतिभू अपने ही अधिकार से कार्यवाही कर सकता है — चुकाने के बाद उसे लेनदार के सभी अधिकार मिल जाते हैं
प्रयोजन: हानि की प्रतिपूर्ति	प्रयोजन: लेनदार की प्रतिभूति
सभी पक्षकारों का संविदा करने में सक्षम होना आवश्यक	मुख्य ऋणी अवयस्क हो तब भी वैध

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- कम-से-कम चार आधार साधिए: (i) पक्षकार — दो (indemnifier, indemnified) बनाम तीन (लेनदार, मुख्य ऋणी, प्रतिभू); (ii) दायित्व — indemnifier का प्राथमिक एवं अशर्त बनाम प्रतिभू का गौण एवं शर्तयुक्त; (iii) उत्प्रेरक — किसी आकस्मिकता का घटित होना बनाम विद्यमान ऋण/वचन का व्यतिक्रम; (iv) तीसरे पक्ष पर वाद — indemnifier अपने नाम से वाद नहीं ला सकता (कोई privity नहीं) बनाम प्रतिभू भुगतान के बाद लेनदार की जगह ले लेता है।
- 'कोई चार' पूछे जाने पर अतिरिक्त आधार: प्रयोजन (हानि की प्रतिपूर्ति बनाम लेनदार की प्रतिभूति), अनुरोध (indemnifier का अनुरोध पर कार्य करना आवश्यक नहीं बनाम प्रतिभू मुख्य ऋणी के अनुरोध पर), सक्षमता (सभी पक्षकार सक्षम बनाम अवयस्क मुख्य ऋणी होने पर भी वैध)।
- उत्तर शीर्षयुक्त पंक्तियों वाली दो-स्तम्भीय तालिका में दीजिए — यही 4 अंकों का मानक प्रारूप है।

TQ 4.1 • PYQ 2024-Sep [6] (Or) (b) (I) • Distinguish Between • 4M • Pg 193

LEVEL I
समझ (Understanding)**सरल**

विषय 5: प्रतिभू के दायित्व का स्वरूप एवं विस्तार [Section 128]

P2-C2-U2.7-T05

पहले पढ़ें Section 7.5 'Nature and Extent of Surety's Liability [Section 128]' तथा उससे जुड़ा Sec. 132 का वह नियम पढ़िए जो प्राथमिक रूप से दायी दो व्यक्तियों के आपसी प्रबन्ध पर लागू होता है।

नोट्स

Sec 128: प्रतिभू का दायित्व मुख्य ऋणी के दायित्व के **समव्यापी (co-extensive)** है, जब तक संविदा से अन्यथा उपबन्धित न हो — C के bill of exchange की प्रत्याभूति देने वाला A न केवल बिल की राशि का, बल्कि उस पर देय ब्याज एवं प्रभारों का भी दायी है।

चार पहलू: (i) दायित्व गौण है — यह केवल मुख्य ऋणी के व्यतिक्रम पर उत्पन्न होता है; (ii) जहाँ दस्तावेज़ में किसी दोष के कारण ऋणी को दायी न ठहराया जा सके, वहाँ प्रतिभू का दायित्व भी समाप्त हो जाता है; (iii) लेनदार चाहे तो **पहले** प्रतिभू के विरुद्ध कार्यवाही कर सकता है, जब तक अन्यथा तय न हो; (iv) संविदा प्रतिभू के दायित्व को सीमित कर सकती है।

वे दशाएँ जहाँ ऋणी दायी नहीं पर प्रतिभू दायी है (SM का सार): (1) मुख्य ऋणी संविदा करने में असमर्थ हो, (2) मुख्य ऋणी दिवालिया न्यायनिर्णीत हो चुका हो, (3) ऋण कालातीत हो गया हो।

Sec 132: जहाँ दो व्यक्ति किसी तीसरे से कोई दायित्व उठाने की संविदा करें, और **आपस में** यह तय कर लें कि एक केवल दूसरे के व्यतिक्रम पर दायी होगा, वहाँ वह तीसरा व्यक्ति (जो उस प्रबन्ध का पक्षकार नहीं) अप्रभावित रहता है, चाहे उसे उसकी जानकारी ही क्यों न हो — संयुक्त एवं पृथक् promissory note: A, जो वस्तुतः B के लिए प्रतिभू है और C यह जानता है, फिर भी उस note पर C के प्रति दायी है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 128 बताइए: प्रतिभू का दायित्व मुख्य ऋणी के दायित्व के **समव्यापी** है, जब तक संविदा से अन्यथा उपबन्धित न हो — वह ऋण के साथ ब्याज एवं प्रभारों का भी दायी है (bill of exchange वाला उदाहरण)।
- इसके चारों पहलू समझाइए: दायित्व गौण है (व्यतिक्रम पर उत्पन्न); दस्तावेज़ में दोष के कारण ऋणी दायी न हो तो यह भी समाप्त; लेनदार ऋणी के विरुद्ध उपचार समाप्त किए बिना **पहले** प्रतिभू पर वाद ला सकता है; संविदा प्रतिभू का दायित्व सीमित कर सकती है।
- वे अपवाद स्मरण रखिए जहाँ ऋणी दायी न होते हुए भी प्रतिभू दायी है: ऋणी असमर्थ (अवयस्क), ऋणी दिवालिया न्यायनिर्णीत, ऋण कालातीत।

TQ 5.1 · PYQ 2025-May [3] (c) (I) · Descriptive · --- · Pg 195

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 6: प्राथमिक रूप से दायी दो व्यक्तियों का दायित्व — उनके आपसी प्रबन्ध से अप्रभावित (Section 132)

P2-C2-U2.7-T06

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं · पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 2.7 का §7.6 पढ़िए: Section 132, तथा यह कि दो सह-वचनदाताओं के बीच का निजी प्रतिभूति-प्रबन्ध उस तीसरे व्यक्ति को क्यों नहीं बाँधता जिससे उन्होंने संविदा की।

नोट्स

Section 132: जहाँ दो व्यक्ति किसी तीसरे व्यक्ति से कोई निश्चित दायित्व उठाने की संविदा करें, और **आपस में भी** यह संविदा करें कि एक केवल दूसरे के व्यतिक्रम पर दायी होगा, वहाँ पहली संविदा के अधीन उस तीसरे व्यक्ति के प्रति प्रत्येक का दायित्व दूसरी संविदा से **अप्रभावित** रहता है — और यह तब भी लागू है **जब उस तीसरे व्यक्ति को इसकी जानकारी हो**, क्योंकि वह उसका पक्षकार नहीं है।

उदाहरण: A और B, C को एक संयुक्त एवं पृथक् promissory note देते हैं; वस्तुतः A उसे B के प्रतिभू के रूप में देता है और note बनाते समय C यह जानता भी है। फिर भी यह तथ्य उस note पर C द्वारा A के विरुद्ध लाए गए वाद का उत्तर नहीं है।

महत्त्व क्यों: वह प्रबन्ध केवल A और B के आपसी अधिकारों को शासित करता है; लेनदार के विरुद्ध दोनों प्राथमिक रूप से दायी बने रहते हैं, अतः 'मैं तो केवल प्रतिभू था' वाली प्रतिरक्षा विफल हो जाती है।

विषय 7: प्रतिभू का उन्मोचन (Discharge of a Surety)

P2-C2-U2.7-T07

पहले पढ़ें Section 7.7 'Discharge of a Surety' पढ़िए — तीन रीतियाँ: प्रतिसंहरण (Secs. 130, 131, 62), लेनदार का आचरण (Secs. 133-137, 139), तथा प्रत्याभूति का अविधिमान्य होना (Secs. 142-144); यही इस इकाई का सर्वाधिक पूछा जाने वाला विषय है।

नोट्स

तीन रीतियाँ: (i) प्रत्याभूति की संविदा के प्रतिसंहरण से, (ii) लेनदार के आचरण से, (iii) प्रत्याभूति की संविदा के अविधिमान्य हो जाने से।

प्रतिसंहरण वाला शीर्ष: Sec 130 — चालू प्रत्याभूति किसी भी समय लेनदार को **सूचना** देकर **भावी** लेन-देनों के सम्बन्ध में प्रतिसंहृत की जा सकती है; सूचना से पूर्व के लेन-देनों के लिए प्रतिभू दायी बना रहता है (Arun सूचना से पूर्व की ₹2,000 की किराने का दायी, बाद के ₹1,000 का नहीं; Manoj प्रतिसंहरण से पूर्व दी गई ₹40,000 की आपूर्ति का दायी); विशिष्ट प्रत्याभूति केवल तभी प्रतिसंहरणीय है जब दायित्व अभी उद्भूत न हुआ हो; **Sec 131** — प्रतिभू की मृत्यु चालू प्रत्याभूति को भावी लेन-देनों के लिए प्रतिसंहृत कर देती है (कोई सूचना आवश्यक नहीं), किन्तु सम्पदा पूर्व के लेन-

देनों के लिए दायी रहती है; **Sec 62** — नवीयन: पुरानी संविदा के पारस्परिक उन्मोचन के साथ नई संविदा होने पर मूल संविदा के अधीन प्रतिभू उन्मोचित हो जाता है।

लेनदार के आचरण वाला शीर्ष: Sec 133 — ऋणी एवं लेनदार के बीच शर्तों में प्रतिभू की सम्मति बिना किया गया परिवर्तन प्रतिभू को समस्त **पश्चातवर्ती** लेन-देनों के लिए उन्मोचित कर देता है (रोकड़िये का वेतन प्रतिभू की सम्मति बिना बढ़ा/घटा दिया गया — प्रतिभू केवल परिवर्तन से पूर्व के दुर्विनियोगों का दायी, जैसे Chetan/Pawan वाले पहले छह माह); **Sec 134** — नई संविदा द्वारा अथवा लेनदार के कार्य/लोप द्वारा मुख्य ऋणी का उन्मोचन/मुक्ति (B लकड़ी देने में लोप करता है — प्रतिभू C उन्मोचित); **Sec 135** — लेनदार का मुख्य ऋणी से समझौता करना, उसे समय देने का वचन देना, अथवा वाद न लाने का वचन देना प्रतिभू को उन्मोचित कर देता है, **जब तक** प्रतिभू सहमति न दे; **Sec 139** — लेनदार का ऐसा कार्य जो प्रतिभू के अधिकारों से असंगत हो, अथवा उसके प्रति देय किसी कर्तव्य का लोप, जिससे प्रतिभू का अन्तिम उपचार क्षीण हो जाए, उसे उन्मोचित कर देता है (State Bank of Saurashtra v. Chitranjan Rangnath Raja — बैंक की उपेक्षा से गोदाम का स्टॉक नष्ट, प्रतिभू उसके मूल्य तक उन्मोचित; नियोक्ता का शिष्य की रोकड़ मासिक रूप से न जाँचना)।

उन्मोचन न होने के जाल: Sec 136 — समय देने की संविदा किसी **तीसरे** व्यक्ति से हो, मुख्य ऋणी से नहीं: तब प्रतिभू उन्मोचित **नहीं**; **Sec 137** — मात्र वाद न लाना अथवा किसी अन्य उपचार का प्रयोग न करना: प्रतिभू उन्मोचित **नहीं** (C एक वर्ष तक B पर वाद नहीं लाता — A फिर भी दायी)।

अविधिमान्यता वाला शीर्ष: Sec 142 — लेनदार के दुर्व्यपदेशन से (अथवा उसकी जानकारी एवं सम्मति से) लेन-देन के किसी तात्त्विक भाग के विषय में प्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य है; **Sec 143** — तात्त्विक परिस्थितियों के विषय में मौन रहकर प्राप्त प्रत्याभूति अविधिमान्य है (क्लर्क के पूर्व व्यतिक्रम प्रतिभू से छिपाना; प्रति टन ₹5 अधिक मूल्य का गुप्त करार); **Sec 144** — जिस प्रत्याभूति की शर्त यह हो कि कोई सह-प्रतिभू भी सम्मिलित होगा, वह उसके सम्मिलित न होने पर अविधिमान्य है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 3 प्रश्न

- प्रतिसंहरण वाला शीर्ष: Sec. 130 — सूचना चालू प्रत्याभूति को केवल **भावी** लेन-देनों के लिए प्रतिसंहृत करती है; Sec. 131 — प्रतिभू की मृत्यु उसे भावी लेन-देनों के लिए प्रतिसंहृत कर देती है, सम्पदा पूर्व के लिए दायी; Sec. 62 नवीयन।
- लेनदार के आचरण वाला शीर्ष: Sec. 133 प्रतिभू की सम्मति बिना परिवर्तन; Sec. 134 मुख्य ऋणी का उन्मोचन; Sec. 135 समझौता/समय देना/वाद न लाने का वचन; Sec. 139 प्रतिभू का अन्तिम उपचार क्षीण करना (State Bank of Saurashtra का मामला)।
- अविधिमान्यता वाला शीर्ष: Sec. 142 दुर्व्यपदेशन, Sec. 143 छिपाव, Sec. 144 सह-प्रतिभू का सम्मिलित न होना।
- उन्मोचन न होने के जाल: Sec. 136 (समय किसी **तीसरे** व्यक्ति के माध्यम से दिया गया) तथा Sec. 137 (मात्र वाद न लाना) — प्रतिभू उन्मोचित **नहीं**।

TQ 7.1 · MTP 2025-Apr S1 [6] (b) · Descriptive · 6M · Pg 195

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 7.2 · PYQ 2025-May [3] (c) (ii) · Descriptive · 6M · Pg 196

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 7.3 · PYQ 2026-Jan [5] (c) · Descriptive · 6M · Pg 197

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए - 6 प्रश्न

- Sec. 130 वाले अंक-प्रश्न (Ramesh/Suresh, Manoj/Sharma): दायित्व = सूचना से पूर्व के लेन-देन, प्रत्याभूत अधिकतम सीमा तक; सूचना के बाद शून्य।
- Sec. 131 (Sooraj की मृत्यु वाला मामला): सम्पदा केवल मृत्यु से पूर्व की आपूर्तियों की दायी; कोई सूचना आवश्यक नहीं।
- Sec. 133 (Amit का किराया, Kishore का ब्याज वाले मामले): सम्मति बिना परिवर्तन — बढ़ा किराया, बदली ब्याज-दर, बढ़ाया गया समय — प्रतिभू को पश्चातवर्ती लेन-देनों के लिए उन्मोचित कर देता है।

CSQ 7.1 • PYQ 2017-Nov [1] (a) {C} • Case Scenario • 5M • Pg 199	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.2 • PYQ 2017-Nov [3] (a) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 200	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.4 • PYQ 2019-May [1] (d) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 202	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.6 • PYQ 2021-Jan [5] (c) (ii) • Case Scenario • 4M • Pg 204	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.9 • RTP 2024-Sep [8] • Case Scenario • --- • Pg 207	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.10 • RTP 2025-May [7] • Case Scenario • --- • Pg 208	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए - 4 प्रश्न

- नियोजन वाली प्रत्याभूतियाँ (Chetan, Sarthak रोकड़िया): प्रतिभू की सम्मति बिना वेतन-परिवर्तन → Sec. 133 के अधीन भावी आचरण के लिए उन्मोचन; परिवर्तन से पूर्व तथा बाद के दायित्व अलग कीजिए।
- मिश्रित परिस्थितियाँ: प्रत्येक उप-मुद्दे पर सही धारा चुनिए — बर्खास्त कर्मचारी की बात छिपाना → Sec. 143, प्रत्याभूति अविधिमान्य; hire-purchase का पुनर्निर्धारण/समय देना → Secs. 133/135; और यदि प्रतिभू ने सहमति दे दी हो तो Sec. 135 उसे उन्मोचित नहीं करती।

CSQ 7.3 • PYQ 2018-Nov [1] (d) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 201	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 7.5 • PYQ 2020-Nov [2] (d) • Case Scenario • 4M • Pg 203	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 7.7 • PYQ 2021-Dec [5] (c) • Case Scenario • 4M • Pg 205	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 7.8 • RTP 2024-Jun [3] • Case Scenario • --- • Pg 206	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम

विषय 8: प्रतिभू के अधिकार (Rights of a Surety)

P2-C2-U2.7-T08

पहले पढ़ें Section 7.8 'Rights of a Surety' पढ़िए — मुख्य ऋणी के विरुद्ध अधिकार (Secs. 140, 145), लेनदार के विरुद्ध (Sec. 141, set-off, कमी में हिस्सा), तथा सह-प्रतिभूओं के विरुद्ध (Secs. 146, 147)।

नोट्स

मुख्य ऋणी के विरुद्ध: Sec 140 प्रतिस्थापन (subrogation) — जिस सबका वह दायी है उसका भुगतान/पालन कर देने पर प्रतिभू को वे सभी अधिकार मिल जाते हैं जो लेनदार के मुख्य ऋणी के विरुद्ध थे (वह लेनदार की जगह ले लेता है — जैसे Raju का गृह-ऋण चुकाने वाला प्रतिभू 15 दिन की सूचना देकर बन्धक मकान की नीलामी करा सकता है); **Sec 145 विवक्षित क्षतिपूर्ति** — प्रत्येक प्रत्याभूति में मुख्य ऋणी का यह विवक्षित वचन होता है कि वह प्रतिभू को क्षतिपूर्ति देगा; प्रतिभू **विधिपूर्वक** चुकाई गई राशियाँ वसूल करता है (युक्तियुक्त आधार पर प्रतिरक्षा के खर्चे भी), दोषपूर्ण रूप से चुकाई गई राशियाँ नहीं।

लेनदार के विरुद्ध: Sec 141 — प्रतिभूति-संविदा करते समय लेनदार के पास मुख्य ऋणी के विरुद्ध जो भी प्रतिभूति हो, उसका लाभ प्रतिभू को मिलता है, चाहे प्रतिभू उसे जानता हो या नहीं; यदि लेनदार वह प्रतिभूति खो दे अथवा प्रतिभू की सम्मति बिना छोड़ दे, तो प्रतिभू उसके मूल्य तक उन्मोचित हो जाता है (C, B के ₹80,000 के फ़र्नीचर का बन्धक रद्द कर देता है — A ₹80,000 तक उन्मोचित, शेष ₹1,20,000 का दायी); साथ ही ऋणी के प्रतिदावे का **set-off** का अधिकार (ऋण ₹50,000, set-off ₹10,000 → प्रतिभू ₹40,000 चुकाएगा) तथा ऋणी के दिवालिया होने पर आनुपातिक कमी का अधिकार (25% वसूल हुआ → प्रतिभू ₹37,500 चुकाएगा)।

सह-प्रतिभूओं के विरुद्ध: सह-प्रतिभू = वे दो या अधिक व्यक्ति जो एक ही ऋण या कर्तव्य की प्रत्याभूति दें; **Sec 146** — जब तक अन्यथा तय न हो, प्रत्येक अदत्त ऋण में **समान** अंशदान करेगा, चाहे वे संयुक्त हों या पृथक्, एक ही संविदा से हों या भिन्न, और चाहे वे एक-दूसरे को जानते हों या नहीं (A, B, C ₹3,00,000 के प्रतिभू — प्रत्येक ₹1,00,000; B मना नहीं कर सकता); **Sec 147** — भिन्न-भिन्न राशियों के लिए आबद्ध सह-प्रतिभू अपनी-अपनी बाध्यताओं की सीमा के भीतर जहाँ तक सम्भव हो, समान रूप से चुकाएँगे।

Sec 147 का गणित (bonds ₹1L/₹2L/₹4L): व्यतिक्रम ₹3,00,000 → प्रत्येक ₹1,00,000; व्यतिक्रम ₹4,00,000 → A ₹1,00,000 (उसकी सीमा पूरी), B तथा C ₹1,50,000-₹1,50,000; व्यतिक्रम ₹7,00,000 → प्रत्येक अपने bond की पूरी शास्ति चुकाएगा।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- मुख्य ऋणी के विरुद्ध: Sec. 140 प्रतिस्थापन — भुगतान पर प्रतिभू लेनदार की जगह ले लेता है; Sec. 145 विवक्षित क्षतिपूर्ति — विधिपूर्वक चुकाई गई राशियाँ (युक्तियुक्त प्रतिरक्षा के खर्चे सहित) वसूल, दोषपूर्ण रूप से चुकाई गई नहीं।
- लेनदार के विरुद्ध: Sec. 141 — प्रत्याभूति के समय लेनदार के पास जो भी प्रतिभूति हो उसका लाभ (प्रतिभू को ज्ञात हो या नहीं) — लेनदार उसे खो दे/छोड़ दे तो प्रतिभू उसके मूल्य तक उन्मोचित; साथ ही set-off तथा दिवालियापन पर आनुपातिक कमी।
- सह-प्रतिभूओं के विरुद्ध: Sec. 146 — जब तक अन्यथा तय न हो, समान अंशदान; Sec. 147 — भिन्न राशियों के लिए आबद्ध प्रतिभू अपनी सीमाओं के भीतर समान रूप से चुकाएँगे।

TQ 8.1 · PYQ 2024-Jun [3] (c) · Descriptive · 6M · Pg 209

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 3 प्रश्न

- Sec. 141 (C/B के फ़र्नीचर का बन्धक): लेनदार प्रतिभू की जानकारी बिना ₹2,00,000 का बन्धक रद्द कर दे → प्रतिभू उस मूल्य तक उन्मोचित।

- Sec. 146 (Pawan-Suraj/Tarun/Usha): सह-प्रतिभू आपस में कोई संविदा न होने पर भी समान रूप से बाँटते हैं।
- Sec. 147 (A/B/C की सीमाएँ ₹1L/₹2L/₹3L, ₹4,00,000 का व्यतिक्रम): प्रत्येक की सीमा तक समान रूप से चुकाएँ — चरणबद्ध गणित का अभ्यास कीजिए।

CSQ 8.1 • PYQ 2019-Nov [5] (c) • Case Scenario • 4M • Pg 211

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.2 • PYQ 2021-Dec [1] (c) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 211

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.4 • PYQ 2025-Sep [3] (c) • Case Scenario • 6M • Pg 213

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्रा परिस्थितियाँ सुलझाइए • 1 प्रश्न

- भिन्न-शास्ति वाले bond के प्रश्न (X ₹10,000, Y ₹20,000, Z ₹40,000): जब तक किसी प्रतिभू की सीमा न आ जाए तब तक समान हिस्से, फिर अतिरिक्त शेष में पुनर्वितरित; पहले Sec. 147 बताइए, फिर दिए गए व्यतिक्रम-अंक पर आवंटन दिखाइए।

CSQ 8.3 • MTP 2024-Dec S1 [4] (a) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 212

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

इकाई 2.8: उपनिधान एवं गिरवी (Bailment and Pledge)

Bailment and Pledge

P2-C2-U2.8 • महत्त्व D • अध्याय में Rank 3 • श्रेणी A • अध्याय के 12.4% प्रश्न • 29 प्रश्न

विषय 1: उपनिधान क्या है? (What is Bailment?)

P2-C2-U2.8-T01

पहले पढ़ें Unit 8 का Section 8.1 'What is Bailment?' पढ़िए — Sec. 148 की परिभाषा, पक्षकार (bailor/bailee), पाँच अनिवार्य तत्त्व, सुपुर्दगी के प्रकार (actual/constructive) तथा उपनिधान के प्रकार (निःशुल्क/सशुल्क; उपनिधाता/उपनिहिती/दोनों के लाभ हेतु)।

नोट्स

Sec 148 (SM): उपनिधान है “the delivery of goods by one person to another for some purpose, upon a contract, that the goods shall, when the purpose is accomplished, be returned or otherwise disposed of according to the directions of the person delivering them” — यह शब्द French ‘ballier’ से है, जिसका अर्थ है सुपुर्द करना; पक्षकार: **bailor** (जो सुपुर्द करता है) तथा **bailee** (जो प्राप्त करता है) — मरम्मत के लिए कार, दर्जी को कपड़ा, वाहक को माल।

पाँच अनिवार्य तत्त्व: (1) **संविदा** — व्यक्त या विवक्षित, कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं; (2) केवल **चल माल** की सुपुर्दगी (अचल सम्पत्ति या धन की कभी नहीं) — actual (कार workshop को सौंपी) अथवा constructive (Sec 149 — कोई

भी ऐसा कार्य जो माल को bailee अथवा उसके लिए रखने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति के कब्जे में कर दे, जैसे कार की चाबी सौंपना); (3) कोई **प्रयोजन**, व्यक्त या विवक्षित; (4) **कब्जे** का परिवर्तन, स्वामित्व का नहीं — bailor स्वामी बना रहता है; कब्जे बिना मात्र अभिरक्षा उपनिधान नहीं (स्वामी का माल रखने वाला सेवक); (5) **वही माल** लौटाना (अथवा bailor के निदेशानुसार व्ययन) — कोई विनिमय नहीं, चाहे बदले में अधिक मूल्य का माल ही क्यों न हो।

उपनिधान नहीं: बैंक में धन जमा करना (वही notes नहीं लौटते; धन 'goods' नहीं); बैंक locker में आभूषण जहाँ चाबी स्वामी के पास हो (कब्जे का कोई अन्तरण नहीं); parking lot में बन्द कार जिसकी चाबियाँ स्वामी के पास हों — कोई सुपुर्दगी नहीं, Sec 148 अलागू; **किन्तु** customs द्वारा अभिग्रहण = कब्जा अन्तरित → उपनिधान विद्यमान।

प्रकार: लाभ के आधार पर — केवल उपनिधाता के लाभ हेतु (पड़ोसी को निःशुल्क दी गई बहुमूल्य वस्तुएँ), केवल उपनिहिती के लाभ हेतु (निःशुल्क उधार दी गई साइकिल), अथवा दोनों के लाभ हेतु (मरम्मत हेतु घड़ी); **प्रतिफल के आधार पर** — निःशुल्क (बिना प्रभार) बनाम सशुल्क (दोनों पक्षों को लाभ); किराये के उपनिधानों में Sec 150 (दोष bailor को ज्ञात हो या न हो, क्षति के लिए वह दायी) तथा Sec 158 (petrol/toll जैसे साधारण व्यय bailee पर, ₹5,000 की engine मरम्मत जैसे असाधारण व्यय bailor पर) स्मरण रखिए।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- Sec. 148: किसी प्रयोजन से, संविदा के आधार पर, एक व्यक्ति द्वारा दूसरे को माल की सुपुर्दगी, इस शर्त पर कि प्रयोजन पूरा होने पर वह लौटाया जाएगा अथवा सुपुर्द करने वाले के निदेशानुसार व्ययनित होगा।
- अनिवार्य तत्त्व: (i) संविदा (व्यक्त/विवक्षित, कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं), (ii) चल माल की सुपुर्दगी — actual या constructive, (iii) प्रयोजन, (iv) **कब्जे** का परिवर्तन, स्वामित्व का नहीं, (v) **वही** माल लौटाना।
- उद्घरण योग्य गैर-उपनिधान: बैंक में धन जमा, चाबी अपने पास रखकर locker, तथा स्वामी का माल रखने वाले सेवक की अभिरक्षा।

TQ 1.1 • MTP 2024-Jun [5] (c) • Descriptive • 6M • Pg 218

LEVEL I

स्मरण (Remembering)

सरल

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 2 प्रश्न

- कब्जे वाला तत्त्व कसिए: parking lot में बन्द कार जिसकी चाबियाँ स्वामी के पास हों → कोई सुपुर्दगी नहीं → उपनिधान **नहीं**; customs द्वारा अभिग्रहण → विधि द्वारा विवक्षित उपनिधान।
- Constructive सुपुर्दगी (गिरवी माल बैंक के लिए 'in trust' गिरवीकर्ता के ही पास छोड़ा गया): कोई भी ऐसा कार्य पर्याप्त है जो माल को bailee के कब्जे में कर दे — उत्तर Sec. 148 → तथ्य → निष्कर्ष के क्रम में दीजिए।

CSQ 1.1 • PYQ 2017-May [3] (a) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 219

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 1.2 • RTP 2024-Jun [5] • Case Scenario • --- • Pg 220

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए • 1 प्रश्न

- कार-किराये वाले बहु-मुद्दा प्रश्न (Honda City वाला मामला): Sec. 148 के अनिवार्य तत्त्वों को Sec. 150 (किराये में bailor अज्ञात दोषों का भी दायी) तथा Sec. 158 के व्यय-विभाजन (साधारण bailee पर, असाधारण bailor पर) से जोड़िए; प्रत्येक उप-प्रश्न अलग हल कीजिए।

CSQ 1.3 • PYQ 2025-May [4] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 221

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

मध्यम

विषय 2: उपनिधाता के कर्तव्य (Duties of a Bailor)

P2-C2-U2.8-T02

पहले पढ़ें Section 8.2 'Duties of a Bailor' पढ़िए — ज्ञात दोष बताना (Sec. 150), आवश्यक/असाधारण व्यय उठाना (Sec. 158), समय से पूर्व समाप्ति पर bailee को क्षतिपूर्ति (Sec. 159), तथा माल वापस लेना (Sec. 164)।

नोट्स

चार कर्तव्य (Secs 150, 158, 159, 164): ज्ञात दोष बताना; आवश्यक/असाधारण व्यय उठाना; bailee को क्षतिपूर्ति देना; माल वापस लेना।

Sec 150 — दोष बताना: निःशुल्क उपनिधान में bailor को वे ज्ञात दोष बताने होंगे जो उपयोग में तात्त्विक रूप से बाधा डालें अथवा bailee को असाधारण जोखिम में डालें, अन्यथा वह परिणामी क्षति का दायी है (बिना बताए उधार दिया गया दुष्ट घोड़ा); **सशुल्क/किराये** में bailor ऐसी क्षति का दायी है **चाहे उसे दोष की जानकारी हो या न हो** (असुरक्षित गाड़ी; Hyman v. Nye — गाड़ी का bolt टूटा, bailor उस प्रयोजन के उपयुक्त गाड़ी देने का दायी); **संकटमय माल** (विस्फोटक) — उसकी प्रकृति बतानी ही होगी (Great Northern Ry का मामला)।

Sec 158 — व्यय: निःशुल्क — bailor आवश्यक तथा असाधारण, दोनों व्यय लौटाएगा; **सशुल्क** — bailor केवल असाधारण व्यय उठाएगा, साधारण/प्रचलित व्यय bailee पर पड़ेंगे।

Sec 159 — समय से पूर्व समाप्ति: निःशुल्क उधार दिया माल कभी भी वापस माँगा जा सकता है, किन्तु यदि समय से पूर्व लौटाने से bailee को होने वाली हानि उसके द्वारा प्राप्त लाभ से अधिक हो, तो bailor वह अधिक भाग प्रतिकर के रूप में देगा — जहाँ माल नियत अवधि के लिए **किराये** पर दिया गया हो, वहाँ bailor उसे bailee की इच्छा के विरुद्ध समय से पूर्व वापस नहीं माँग सकता; **Sec 164:** bailor के दोषपूर्ण हक से bailee को हुई हानि की क्षतिपूर्ति दे, तथा अवधि समाप्त होने/प्रयोजन पूरा होने पर माल वापस ले — मना करने पर bailee सुरक्षित अभिरक्षा के सभी आवश्यक व्यय माँग सकता है (एक माह तक बिना लिए पड़ी कार)।

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- निःशुल्क उधार बनाम किराये के माल की समय-पूर्व माँग: Sec. 159 के अधीन केवल **निःशुल्क** उपनिधान कभी भी समाप्त किया जा सकता है (और यदि bailee की हानि लाभ से अधिक हो तो प्रतिकर सहित); जहाँ माल नियत अवधि के लिए किराये पर दिया गया हो (Kushwah Travels की 15 दिन की कार), वहाँ bailor उसे bailee की इच्छा के विरुद्ध समय से पूर्व नहीं माँग सकता — Secs. 153/159 → तथ्य → निष्कर्ष।

- Sec. 150 भी पास रखिए: किराये के उपनिधानों में bailor दोषों से हुई क्षति का दायी है, चाहे उसे उनकी जानकारी हो या न हो (Hyman v. Nye)।

CSQ 2.1 · RTP 2025-Sep [6] · Case Scenario · --- · Pg 222

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 3: उपनिहिती के कर्तव्य (Duties of a Bailee)

P2-C2-U2.8-T03

पहले पढ़ें Section 8.3 'Duties of a Bailee' पढ़िए — युक्तियुक्त देखभाल (Secs. 151-152), अप्राधिकृत/असंगत उपयोग न करना (Secs. 153-154), मिश्रण न करना (Secs. 155-157), माल लौटाना (Secs. 160-161), तथा वृद्धि लौटाना (Sec. 163)।

नोट्स

छह कर्तव्य: युक्तियुक्त देखभाल (Secs 151-152); अप्राधिकृत/असंगत उपयोग न करना (Secs 153-154); मिश्रण न करना (Secs 155-157); माल लौटाना (Secs 160-161); वृद्धि लौटाना (Sec 163 — गाय के साथ बछड़ा भी); तथा bailor के विरुद्ध कोई प्रतिकूल हक़ न जताना।

Secs 151-152 — देखभाल: bailee उपनिहित माल की उतनी देखभाल करने को आबद्ध है "as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence would, under similar circumstances, take of his own goods of the same bulk, quality and value"; Sec 152 — विशेष संविदा न हो तो वह हानि/नाश/क्षय का दायी नहीं, यदि वैसी देखभाल की गई हो (bailee के अपने आभूषणों के साथ रखे आभूषण दंगे में लुट गए — दायी नहीं; बाढ़ से गोदाम का माल खराब — Shanti Lal v. Takechand); किन्तु किसी विशेष अनुदेश का भंग (bank locker में रखे जाने योग्य आभूषण घर पर रखे गए) उसे दायी बना देता है।

Sec 154: जो bailee उपनिधान की शर्तों के अनुसार माल का उपयोग न करे, वह bailor को **किसी भी** हानि या नाश का प्रतिकर देने का दायी है — चाहे वह आकस्मिक हो और उपेक्षा बिना हुआ हो (अपनी सवारी के लिए उधार लिया घोड़ा किसी परिजन को दे देना; वाराणसी के लिए किराये पर लिया घोड़ा कटक तक ले जाना); Sec 153 के अधीन ऐसा असंगत उपयोग उपनिधान को bailor के विकल्प पर शून्यकरणीय भी बना देता है।

मिश्रण: Sec 155 — bailor की सम्मति से: मिश्रण में दोनों का आनुपातिक हित; **Sec 156** — सम्मति बिना पर पृथक् किया जा सकने योग्य: सम्पत्ति दोनों की अपनी-अपनी बनी रहती है, पृथक् करने के व्यय तथा कोई क्षति bailee उठाएगा (चिह्नित 100 कपास-गाँठें; Amar की चीनी यदि पृथक् की जा सके); **Sec 157** — सम्मति बिना और पृथक् न किया जा सकने योग्य: bailor माल की **हानि** का प्रतिकर पाने का हक़दार है (Cape का आटा देशी आटे में मिला; Srijiith के कर्मचारी ने Amar की चीनी मिलाकर पैक कर दी — Srijiith को प्रतिकर देना होगा)।

Secs 160-161 — वापसी: अवधि समाप्त होते ही अथवा प्रयोजन पूरा होते ही bailee को बिना माँगे ही माल निदेशानुसार लौटाना/सुपुर्द करना होगा; चूक करने पर उस समय से होने वाली **किसी भी** हानि, नाश या क्षय का भार उसी पर है, चाहे युक्तियुक्त देखभाल की गई हो (युक्तियुक्त समय से आगे रखी पुस्तकें आकस्मिक आग में जल गईं; दो दिन के स्थान पर एक सप्ताह रखा छाता — हानि M उठाएगा)।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 154 अक्षरशः: जो bailee उपनिधान की शर्तों से असंगत रूप से माल का उपयोग करे, वह bailor को **किसी भी** हानि/नाश का प्रतिकर देने का दायी है — उपेक्षा बिना भी।
- Sec. 151 की देखभाल की कसौटी: उतनी देखभाल जितनी साधारण विवेक का व्यक्ति उसी परिमाण, गुणवत्ता एवं मूल्य के अपने माल की करता; Sec. 152: वैसी देखभाल की गई हो तो, विशेष संविदा के अभाव में, कोई दायित्व नहीं।

TQ 3.1 · PYQ 2019-May [5] (c) (ii) · Descriptive · 2M · Pg 223

LEVEL I
स्मरण (Remembering)**सरल****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 6 प्रश्न

- युक्तियुक्त देखभाल के बाद चोरी/आग (जौहरी Arun का आभूषण locker में बन्द करना): Secs. 151-152 → bailee दायी नहीं; इसकी तुलना Sec. 161 से कीजिए — उपनिधान की अवधि बीतने अथवा माँग के बाद भी माल रखे रहने पर (Kartik का AC, R का एक सप्ताह रखा छाता) उसके बाद की **किसी भी** हानि का भार bailee पर है, चाहे वह दुर्घटना/आग से हो।
- मिश्रण वाले मामले: सम्मति से → आनुपातिक हित (Sec. 155); सम्मति बिना पर पृथक् किया जा सकने योग्य (Amar की चीनी) → पृथक् करने का व्यय एवं क्षति bailee उठाएगा (Sec. 156); सुपुर्दगी-बालक का माल पड़ोसी के पास छोड़ देना = अप्राधिकृत कार्य, जिससे bailee दायी। उत्तर का प्रतिरूप: भंग हुआ कर्तव्य → धारा → तथ्य → हानि कौन उठाएगा।

TQ 3.2 · RTP 2026-May [6] · Descriptive · --- · Pg 224

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.1 · PYQ 2018-Nov [5] (e) · Case Scenario · 3M · Pg 225

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.3 · PYQ 2022-Nov [5] (c) · Case Scenario · 4M · Pg 227

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.4 · MTP 2024-Aug [4] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 227

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.5 · PYQ 2025-Sep [1] (a) (ii) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 228

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.6 · RTP 2026-Jan [6] · Case Scenario · --- · Pg 229

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम****विश्लेषण (Analysis)** बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 1 प्रश्न

- सम्मति से अपृथक्करणीय मिश्रण और फिर **उपभोग** (Mr. Truth की मूँगफली): Sec. 155 (सम्मति से मिश्रण) तथा माल के दुर्विनियोग में अन्तर कीजिए — मिश्रण सम्मति से था, किन्तु उसका उपभोग अप्राधिकृत उपयोग (Sec. 154) है, अतः प्रतिकर देय होगा; निष्कर्ष से पहले दोनों मुद्दे अलग कीजिए।

CSQ 3.2 · PYQ 2022-May [5] (c) · Case Scenario · 4M · Pg 226

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)**मध्यम**

विषय 4: उपनिधाता के अधिकार (Rights of a Bailor)

P2-C2-U2.8-T04

पहले पढ़ें Section 8.4 'Rights of a Bailor' पढ़िए — समाप्त करने का अधिकार (Sec. 153), निःशुल्क दिया माल वापस माँगना (Sec. 159), दोषकर्ताओं पर वाद (Secs. 180-181), उपनिहिती पर वाद, तथा प्रतिकर का दावा।

नोट्स

पाँच अधिकार: उपनिधान समाप्त करना (Sec 153); निःशुल्क उधार दिया माल कभी भी वापस माँगना (Sec 159); किसी भी दोषकर्ता/तीसरे पक्ष पर वाद लाना (Secs 180-181); अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों के प्रवर्तन हेतु bailee पर वाद लाना; तथा अप्राधिकृत उपयोग अथवा अप्राधिकृत मिश्रण से हुई क्षति का प्रतिकर माँगना।

Sec 153 का जाल: असंगत उपयोग उपनिधान की संविदा को bailor के विकल्प पर **शून्यकरणीय** बनाता है — स्वतः शून्य नहीं (A अपनी सवारी के लिए B को घोड़ा उधार देता है, B उसे C को दे देता है — A के विकल्प पर शून्यकरणीय); Sec 154 के साथ मिलाकर bailor उस अप्राधिकृत उपयोग से हुई किसी भी हानि का प्रतिकर भी माँग सकता है।

Sec 159: निःशुल्क दिया माल नियत समय/प्रयोजन से पूर्व भी माँगने पर लौटाना होगा (एक माह के लिए छोड़े गए आभूषण एक सप्ताह बाद माँगे गए), किन्तु जहाँ bailee की हानि उसके प्राप्त लाभ से अधिक हो वहाँ उसे प्रतिकर देना होगा।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- वैधता-कथन वाला जाल: Sec. 153 के अधीन उपनिधान की शर्तों से असंगत उपयोग संविदा को bailor के विकल्प पर **शून्यकरणीय** बनाता है — स्वतः शून्य नहीं; अतः 'उपनिधान की संविदा शून्य हो जाती है' कथन **गलत** है, और इसका औचित्य शून्य/शून्यकरणीय के अन्तर से सिद्ध कीजिए।
- Sec. 153 को Sec. 154 से जोड़िए: संविदा अकृत करने के अतिरिक्त bailor माल के अप्राधिकृत उपयोग से हुई किसी भी हानि का प्रतिकर भी माँग सकता है।
- वर्णनात्मक उत्तरों हेतु पूरी अधिकार-सूची तैयार रखिए: उपनिधान समाप्त करना (Sec. 153), निःशुल्क दिया माल कभी भी वापस माँगना (Sec. 159), दोषी तीसरे पक्ष पर वाद (Secs. 180-181), कर्तव्य-प्रवर्तन हेतु bailee पर वाद, तथा अप्राधिकृत उपयोग/मिश्रण का प्रतिकर।

TQ 4.1 · PYQ 2022-May [2] (c) (iv) · Descriptive · 1M · Pg 230

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

विषय 5: उपनिहिती के अधिकार (Rights of a Bailee)

P2-C2-U2.8-T05

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं · पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 2.8 का §8.5 पढ़िए: उपनिहिती के सात अधिकार, उनकी धारा-संख्याओं सहित।

नोट्स

Section 165 — किसी भी एक संयुक्त उपनिधाता को सुपुर्दगी: जहाँ कई संयुक्त स्वामी माल उपनिहित करें, वहाँ bailee उसे उनमें से किसी भी एक संयुक्त स्वामी को लौटा सकता है, जब तक विपरीत संविदा न हो। **उदाहरण:** A, B और C संयुक्त रूप से D को harvesting combine किराये पर देते हैं; अवधि समाप्त होने पर D उसे उनमें से किसी एक को लौटा सकता है।

Section 166 — क्षतिपूर्ति का अधिकार: bailee इस बात के लिए bailor से क्षतिपूर्ति पाने का हकदार है कि bailor उपनिधान करने, माल वापस लेने अथवा उसके विषय में निदेश देने का हकदार ही नहीं था और इससे कोई हानि हुई; और जहाँ bailor का कोई हक न हो तथा bailee सद्भावपूर्वक उसके निदेशानुसार माल लौटा दे, वहाँ वह उस सुपुर्दगी के लिए वास्तविक स्वामी के प्रति उत्तरदायी नहीं है।

Section 150 — दोषयुक्त माल का प्रतिकर: bailee उस हानि को bailor से वसूल कर सकता है जो bailor द्वारा अपने ज्ञात दोष न बताने से हुई हो — और जहाँ उपनिधान **किराये पर** हो, वहाँ bailor दायी है चाहे उसे दोष की जानकारी न भी रही हो।

Section 158 — आवश्यक व्यय: निःशुल्क उपनिधान में bailor को वे आवश्यक व्यय तथा कोई भी असाधारण व्यय bailee को लौटाने होंगे जो उपनिधान के प्रयोजन से किए गए।

Section 167 — हक पर न्यायालय में आवेदन: यदि उपनिहित माल पर bailor से भिन्न कोई व्यक्ति दावा करे, तो bailee न्यायालय में आवेदन कर सुपुर्दगी रुकवा सकता है और हक का निर्णय करा सकता है। **Sections 170 तथा 171:** bailee को सेवाओं के भुगतान हेतु विशिष्ट lien भी प्राप्त है, तथा विनिर्दिष्ट वृत्तियों में सामान्य lien भी।

विषय 6: किसी दोषकर्ता (तीसरे पक्ष) के विरुद्ध उपनिधाता एवं उपनिहिती के अधिकार

P2-C2-U2.8-T06

पहले पढ़ें Section 8.6 पढ़िए — Sec. 180 के अधीन दोषकर्ताओं के विरुद्ध वाद तथा Sec. 181 के अधीन अनुतोष का बँटवारा।

नोट्स

Sec 180 (SM): यदि कोई तीसरा व्यक्ति bailee को उपनिहित माल के उपयोग या कब्जे से दोषपूर्ण रूप से वंचित कर दे, अथवा उस माल को कोई क्षति पहुँचाए, तो bailee वे सभी उपचार प्रयोग करने का हकदार है जो स्वामी वैसी दशा में प्रयोग करता यदि कोई उपनिधान हुआ ही न होता — और ऐसे वंचन या क्षति के लिए **उपनिधाता अथवा उपनिहिती, कोई भी** उस तीसरे व्यक्ति पर वाद ला सकता है।

Sec 181: ऐसे किसी वाद में अनुतोष या प्रतिकर के रूप में जो भी प्राप्त हो, वह उपनिधाता एवं उपनिहिती के बीच उनके **अपने-अपने हितों** के अनुसार बाँटा जाएगा।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- Sec. 180: यदि कोई तीसरा व्यक्ति bailee को उपनिहित माल के उपयोग या कब्जे से दोषपूर्ण रूप से वंचित करे, अथवा माल को क्षति पहुँचाए, तो bailee वही उपचार प्रयोग कर सकता है जो स्वामी करता यदि कोई उपनिधान हुआ ही न होता; और दोषकर्ता पर **उपनिधाता अथवा उपनिहिती, कोई भी** वाद ला सकता है।
- Sec. 181: ऐसे वाद में अनुतोष या प्रतिकर के रूप में जो भी मिले, वह उपनिधाता एवं उपनिहिती के बीच उनके **अपने-अपने हितों** के अनुसार बाँटा जाएगा।
- 6 अंकों के उत्तर में दोनों धारा-संख्याएँ उद्धृत कीजिए और Sec. 180 की भाषा लगभग ज्यों-की-त्यों दोहराइए — प्रश्न विशेष रूप से दोषकर्ता के विरुद्ध **उपनिधाता** के अधिकार पूछता है, अतः आरम्भ उपनिधाता के वाद लाने के अधिकार से कीजिए।

TQ 6.1 • PYQ 2024-Sep [5] (c) (I) • Descriptive • 6M • Pg 230

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

विषय 7: उपनिधान की समाप्ति (Termination of Bailment)

P2-C2-U2.8-T07

पहले पढ़ें Section 8.7 'Termination of Bailment' पढ़िए — पाँच परिस्थितियाँ (अवधि की समाप्ति, प्रयोजन की पूर्ति, सूचना, मृत्यु, विषय-वस्तु का नाश)।

नोट्स

पाँच रीतियाँ: (1) ठहराई गई अवधि की समाप्ति (एक माह के लिए उधार दी गई motorcycle); (2) विनिर्दिष्ट प्रयोजन की पूर्ति (विवाह के लिए किराये पर लिए गए tent एवं बर्तन); (3) सूचना द्वारा — जहाँ bailee उपनिधान की शर्तों से असंगत कार्य करे, अथवा bailor किसी निःशुल्क उपनिधान को कभी भी समाप्त कर दे; (4) उपनिधाता अथवा उपनिहिती की **मृत्यु** किसी निःशुल्क उपनिधान को समाप्त कर देती है; (5) विषय-वस्तु का नाश अथवा माल की प्रकृति में ऐसा परिवर्तन जिससे प्रयोजन ही असम्भव हो जाए (साइकिल मरम्मत से परे क्षतिग्रस्त)।

शर्तें: मृत्यु केवल निःशुल्क उपनिधान को समाप्त करती है; और निःशुल्क उपनिधान की समय-पूर्व समाप्ति से bailee को उसके प्राप्त लाभ से अधिक हानि नहीं होनी चाहिए — यदि हो, तो bailor वह अधिक भाग प्रतिकर के रूप में देगा (Sec 159)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- पाँचों रीतियाँ समझाइए: (i) ठहराई गई अवधि की समाप्ति; (ii) प्रयोजन की पूर्ति; (iii) सूचना द्वारा — जहाँ bailee शर्तों से असंगत कार्य करे, अथवा bailor निःशुल्क उपनिधान कभी भी समाप्त कर दे (Sec. 159 के प्रतिकर के अधीन); (iv) उपनिधाता या उपनिहिती की मृत्यु **निःशुल्क** उपनिधान समाप्त करती है; (v) विषय-वस्तु का नाश/प्रकृति-परिवर्तन।
- वे शर्तें भी बताइए जिन्हें परीक्षक देखते हैं: मृत्यु केवल निःशुल्क उपनिधान समाप्त करती है; और निःशुल्क उपनिधान की समय-पूर्व समाप्ति पर bailee की अधिक हानि का प्रतिकर देना होगा।
- यह भाग प्रायः किसी असम्बद्ध उप-प्रश्न के साथ आता है (जैसे छले गए पक्ष के उपचार) — अंक समान रूप से बाँटिए और प्रत्येक खंड का उत्तर अलग दीजिए।

TQ 7.1 · MTP 2025-May S2 [6] (b) · Descriptive · 6M · Pg 231

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 7.2 · PYQ 2026-May [6] (Or) (b) · Descriptive · 6M · Pg 232

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 8: खोए हुए माल का पाने वाला (Finder of Lost Goods)

P2-C2-U2.8-T08

पहले पढ़ें Section 8.8 'Finder of Lost Goods' पढ़िए — Sec. 168 के अधीन अधिकार (माल रोके रखना, विनिर्दिष्ट इनाम के लिए वाद) तथा Sec. 169 (पाने वाला कब बेच सकता है), Sec. 71 (पाने वाला bailee के रूप में) के साथ पढ़कर।

नोट्स

Sec 168: पाने वाले को स्वामी खोजने तथा माल सुरक्षित रखने में स्वेच्छा से उठाए गए कष्ट एवं व्यय के प्रतिकर के लिए स्वामी पर वाद लाने का **कोई** अधिकार नहीं, किन्तु वह ऐसा प्रतिकर मिलने तक स्वामी के विरुद्ध माल **रोके रख** सकता है; और जहाँ स्वामी ने कोई विनिर्दिष्ट इनाम घोषित किया हो, वहाँ पाने वाला उस इनाम के लिए **वाद** ला सकता है तथा उसे पाने तक माल रोके रख सकता है।

Sec 169 — बेचने का अधिकार (ऐसी वस्तु जो सामान्यतः विक्रय की विषय-वस्तु हो): यदि स्वामी युक्तियुक्त तत्परता से खोजा न जा सके, अथवा माँगने पर वह पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार देने से मना कर दे, तो पाने वाला उसे बेच सकता है — (1) जब वस्तु नष्ट होने अथवा अपने मूल्य का अधिकांश खो देने के संकट में हो, अथवा (2) जब पाने वाले के विधिपूर्ण प्रभार उसके मूल्य के दो-तिहाई तक पहुँच जाएँ।

कर्तव्य (Sec 71, पाने वाला = bailee): साधारण विवेक के व्यक्ति जैसी देखभाल, विनियोजन का कोई अधिकार नहीं, स्वामी मिल जाए तो माल लौटाना — वह वास्तविक स्वामी को छोड़कर सबके विरुद्ध उसे रोके रख सकता है; अतः जो घड़ी पाई गई, विज्ञापित हुई और सौंपी गई, वह पाने वाले को लौटानी होगी, कोई तीसरा उसे रख नहीं सकता।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 2 प्रश्न

- Sec. 168: पाने वाला स्वेच्छा से उठाए गए कष्ट/व्यय के प्रतिकर के लिए स्वामी पर **वाद** नहीं ला सकता, किन्तु ऐसा प्रतिकर मिलने तक माल **रोके रख** सकता है; और जहाँ स्वामी ने विनिर्दिष्ट इनाम घोषित किया हो, वहाँ वह उस इनाम के लिए वाद ला सकता है तथा भुगतान तक माल रोके रख सकता है।
- Sec. 169: पाने वाला ऐसी वस्तु बेच सकता है जो सामान्यतः विक्रय की विषय-वस्तु हो, यदि स्वामी युक्तियुक्त तत्परता से न मिले अथवा विधिपूर्ण प्रभार देने से मना कर दे, और (1) वस्तु नष्ट होने/मूल्य का अधिकांश खोने के संकट में हो, अथवा (2) उसके विधिपूर्ण प्रभार मूल्य के दो-तिहाई तक पहुँच जाएँ।
- कर्तव्य (Sec. 71): साधारण विवेक के व्यक्ति जैसी देखभाल, कोई विनियोजन नहीं, वास्तविक स्वामी को लौटाना।

TQ 8.1 · PYQ 2018-Nov [5] (d) · Descriptive · 3M · Pg 233

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

TQ 8.2 · PYQ 2026-May [6] (b) · Descriptive · 6M · Pg 234

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए - 1 प्रश्न

- Raghav की कलाई-घड़ी वाली परिस्थिति: उसने विज्ञापन दिया और प्रतीक्षा की → वह वास्तविक स्वामी को छोड़कर सबके विरुद्ध उसे रोके रख सकता है; बेच वह केवल Sec. 169 की सीमाओं में ही सकता है (घड़ी नष्ट नहीं हो रही; प्रभार ₹1,00,000 के दो-तिहाई से कम) — निष्कर्ष से पहले प्रत्येक शर्त तथ्यों पर लगाइए।

CSQ 8.1 · PYQ 2024-Sep [4] (a) (I) · Case Scenario · 4M · Pg 235

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम****विषय 9: धारणाधिकार (Right of Lien)**

P2-C2-U2.8-T09

पहले पढ़ें Section 8.9 'Right of Lien' पढ़िए — विशिष्ट lien (Sec. 170), bankers, factors, wharfingers, policy brokers तथा attorneys का सामान्य lien (Sec. 171), और अन्तर-तालिका।

नोट्स

Lien: किसी व्यक्ति का वह अधिकार जिससे वह दूसरे का माल तब तक रोके रख सकता है जब तक उसका दावा तुष्ट न हो जाए अथवा उसे देय ऋण न चुका दिया जाए; दो प्रकार — विशिष्ट (Sec 170) तथा सामान्य (Sec 171); यह अधिकार संविदा द्वारा अधित्यक्त/अपवर्जित किया जा सकता है।

Sec 170 — विशिष्ट lien: जहाँ bailee ने उपनिधान के प्रयोजन के अनुसार माल पर **श्रम** अथवा **कौशल** लगाकर कोई सेवा दी हो, वहाँ वह (विपरीत संविदा न हो तो) देय पारिश्रमिक मिलने तक उसी विशिष्ट माल को रोके रख सकता है (दर्जी कोट रोके रखता है; जौहरी तराशा एवं पॉलिश किया हीरा रोके रखता है); यह स्वतः उत्पन्न होता है और केवल काम हो जाने के बाद ही।

Sec 171 — सामान्य lien: खाते के **सामान्य शेष** के लिए माल रोके रखने का अधिकार, जो (विपरीत संविदा न हो तो) केवल bankers, factors, wharfingers, policy brokers तथा attorneys of law को उपलब्ध है — bank चुकाए जा चुके दूसरे ऋण की प्रतिभूति में दिए आभूषण पहले वाले अचुकता ऋण के विरुद्ध रोके रख सकता है; सामान्य lien वाला माल रोका जा सकता है, **बेचा नहीं**; और यदि संविदा बैंक को गिरवी माल पर केवल विशिष्ट lien तक सीमित करे, तो वह उसे किसी पृथक् ऋण के लिए नहीं रोक सकता।

सामान्य lien (Sec 171)	विशिष्ट lien (Sec 170)
खाते के सामान्य शेष के विरुद्ध दूसरे का माल रोके रखना	उसी विशिष्ट उपनिहित माल को उस पर देय राशि न चुकने पर रोके रखना
स्वतः नहीं — करार से मान्य होता है	स्वतः उत्पन्न
माल पर श्रम या कौशल लगाए बिना भी प्रयोज्य	केवल वहाँ जहाँ लगाया गया श्रम/कौशल माल का मूल्य बढ़ाए
केवल नामित वर्ग — bankers, factors, wharfingers,	bailee, माल पाने वाला, pledgee, अदत्त विक्रेता,

policy brokers, attorneys

अभिकर्ता, partner आदि

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 1 प्रश्न

- Banker के lien वाली परिस्थिति (Radheshyam का सोना): जहाँ करार बैंक को गिरवी सोने पर केवल **विशिष्ट** lien तक सीमित करे, वहाँ बैंक उसे किसी पृथक् अप्रतिभूत ऋण के लिए नहीं रोक सकता; ऐसी संविदा न हो तो बैंक का Sec. 171 वाला सामान्य lien सामान्य शेष को समेट लेगा — पहले संविदा का खंड पढ़िए, फिर Sec. 170 बनाम 171 लगाकर निष्कर्ष दीजिए।
- तर्क के लिए स्मरण रखिए: विशिष्ट lien स्वतः उत्पन्न होता है और उसके लिए माल पर श्रम/कौशल आवश्यक है; सामान्य lien केवल नामित वर्गों को उपलब्ध है और संविदा से अपवर्जित/सृजित किया जा सकता है; सामान्य lien वाला माल रोका जा सकता है, बेचा नहीं।

CSQ 9.1 · PYQ 2021-Jan [1] (c) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 237

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

विषय 10: गिरवी (Pledge)

P2-C2-U2.8-T10

पहले पढ़ें Section 8.10 'Pledge' पढ़िए — Sec. 172 की परिभाषाएँ (pledge, pawnor, pawnee), अनिवार्य तत्त्व, pawnee के अधिकार (Secs. 173-176), pawnor का मोचन का अधिकार (Sec. 177), तथा pawnee एवं pawnor के गिनाए गए कर्तव्य।

नोट्स

Sec 172 (SM): "The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called 'pledge'" — यहाँ bailor = **pawnor** तथा bailee = **pawnee** (Secs 172-182); अनिवार्य तत्त्व = उपनिधान के सभी अनिवार्य तत्त्व **तथा** यह कि उपनिधान भुगतान/पालन की प्रतिभूति के रूप में हो, विषय-वस्तु माल हो, माल विद्यमान हो, और गिरवीकर्ता से गिरवीदार को सुपुर्दगी हो।

Pawnee के अधिकार: Sec 173 — गिरवी माल को ऋण, उस पर **ब्याज**, तथा क़ब्ज़े या परिरक्षण के सभी आवश्यक व्ययों के लिए रोके रखना; **Sec 174** — पश्चातवर्ती ऋणों के लिए रोके रखना केवल तभी जब ऐसा तय हो; **Sec 175** — परिरक्षण के असाधारण व्यय **वाद** द्वारा वसूली योग्य, उनके लिए रोके रखने का अधिकार नहीं; **Sec 176** — pawnor के व्यतिक्रम पर: (i) माल को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रोके रखते हुए ऋण/वचन पर वाद लाए, **अथवा** (ii) pawnor को विक्रय की युक्तियुक्त **सूचना** देकर बेच दे; विक्रय पर कमी रह जाए तो वह pawnor से देय रहेगी, और अधिशेष उसे देना होगा — युक्तियुक्त सूचना बिना किया गया विक्रय Sec 176 के अनुसार नहीं है।

Sec 177 — pawnor का मोचन का अधिकार: ठहराए गए समय पर व्यतिक्रम के बाद भी pawnor माल का **वास्तविक विक्रय होने से पूर्व** किसी भी बाद के समय उसे मोचित करा सकता है, और उसके लिए ऋण के अतिरिक्त अपने व्यतिक्रम से उत्पन्न व्यय भी चुकाने होंगे (मोचन = ऋण चुकाकर/वचन पूरा करके माल वापस पाना)।

Pawnee के छह कर्तव्य: गिरवी माल की युक्तियुक्त देखभाल; कोई अप्राधिकृत उपयोग नहीं; चुकाने/पालन पर माल

लौटाना; अपना माल गिरवी माल में न मिलाना; गिरवी की शर्तों से असंगत कोई कार्य न करना; कोई भी वृद्धि लौटाना।
Pawnor के कर्तव्य: ऋण चुकाना/वचन पूरा करना; परिरक्षण के असाधारण व्ययों का प्रतिकर देना; वे दोष बताना जो pawnee को असाधारण जोखिम में डालें; हक्र में दोष के लिए pawnee को क्षतिपूर्ति देना; तथा व्यतिक्रम के बाद विक्रय पर रह गई कमी चुकाना।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 2 प्रश्न

- Sec. 173: pawnee गिरवी माल को ऋण, उस पर **ब्याज** तथा क़ब्ज़े/परिरक्षण के सभी आवश्यक व्ययों के लिए रोके रख सकता है; Sec. 174: पश्चातवर्ती ऋणों के लिए केवल तभी जब ऐसा तय हो; Sec. 175: असाधारण व्यय वाद द्वारा वसूली योग्य (रोके रखने का अधिकार नहीं)।
- Sec. 176 — व्यतिक्रम पर अधिकार: माल को संपार्श्विक प्रतिभूति के रूप में रोके रखते हुए ऋण पर वाद लाए, **अथवा** युक्तियुक्त **सूचना** देकर बेच दे — कमी pawnor से वसूली योग्य, अधिशेष उसे देय।
- Pawnee के छह कर्तव्य: युक्तियुक्त देखभाल, कोई अप्राधिकृत उपयोग नहीं, चुकाने पर वापसी, कोई मिश्रण नहीं, गिरवी की शर्तों से असंगत कोई कार्य नहीं, तथा वृद्धि लौटाना।

TQ 10.1 • PYQ 2019-Nov [1] (c) (ii) {C} • Descriptive • 2M • Pg 238

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

TQ 10.2 • PYQ 2024-Sep [5] (c) (ii) • Descriptive • 6M • Pg 238

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- सूचना बिना विक्रय वाली परिस्थितियाँ (Stefen/Flemming प्रकार): Sec. 176 के अधीन pawnor को युक्तियुक्त सूचना दिए बिना किया गया विक्रय उसके विरुद्ध अविधिमान्य है; साथ ही pawnor का Sec. 177 वाला अधिकार बना रहता है कि वह वास्तविक विक्रय से पूर्व किसी भी समय, व्यतिक्रम के व्यय चुकाकर, माल मोचित करा ले — उत्तर परिभाषा (Sec. 172) → सम्बद्ध अधिकार/कर्तव्य → निष्कर्ष के क्रम में दीजिए।

CSQ 10.1 • PYQ 2021-Jul [2] (c) • Case Scenario • --- • Pg 239

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 11: अ-स्वामी द्वारा गिरवी (Pledge by Non-Owner)

P2-C2-U2.8-T11

पहले पढ़ें Section 8.11 'Pledge by Non-Owners' पढ़िए — mercantile agent (Sec. 178), शून्यकरणीय संविदा के अधीन क़ब्ज़े वाला व्यक्ति (Sec. 178A), सीमित हित (Sec. 179), क़ब्ज़े वाला सह-स्वामी, तथा क़ब्ज़े वाला विक्रेता/क्रेता।

नोट्स

नियम: सामान्यतः केवल स्वामी (अथवा उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति) ही गिरवी रख सकता है; किन्तु उन अ-स्वामियों द्वारा सद्भावपूर्वक की गई गिरवी के लिए अपवाद हैं जिन्हें माल के क़ब्ज़े में छोड़ा गया हो।

Sec 178 — mercantile agent: जो अभिकर्ता स्वामी की **सम्मति से** माल अथवा documents of title के कब्जे में हो और व्यवसाय के साधारण अनुक्रम में कार्य करते हुए गिरवी रखे, उसकी गिरवी उतनी ही वैध है जितनी स्वामी के प्राधिकार से की गई होती — बशर्ते pawnee ने सद्भावपूर्वक कार्य किया हो और उसे यह सूचना न रही हो कि pawnor के पास प्राधिकार नहीं था।

Sec 178A — शून्यकरणीय संविदा: जहाँ pawnor ने Sec 19/19A के अधीन शून्यकरणीय संविदा (कपट, प्रपीड़न, दुर्व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव से दी गई सम्मति) के अधीन कब्जा पाया हो, किन्तु गिरवी के समय तक वह संविदा विखंडित न हुई हो, वहाँ pawnee को अच्छा हक मिल जाता है, यदि उसने सद्भावपूर्वक और हक के दोष की सूचना बिना कार्य किया हो — Srushti का हीरा Mr. VK के पास गिरवी रखना वैध गिरवी है।

Sec 179 — सीमित हित: जिस व्यक्ति का हित केवल सीमित हो उसकी गिरवी उसी हित की सीमा तक वैध है (माल पाने वाला ₹5,000 में फ़ोन की मरम्मत कराकर उसे ₹2,000 में गिरवी रखे — स्वामी ₹5,000 चुकाकर ही वापस पाएगा; ₹70,000 में गिरवी रखे आभूषण ₹90,000 में पुनः गिरवी — ₹70,000 तथा ब्याज तक वैध)।

अन्य अपवाद: अन्य स्वामियों की सम्मति से कब्जे वाला सह-स्वामी वैध गिरवी कर सकता है; विक्रय के बाद भी कब्जे में बना विक्रेता, अथवा विक्रय से पूर्व विक्रेता की सम्मति से कब्जे वाला क्रेता, वैध गिरवी कर सकता है यदि pawnee सद्भावपूर्वक और हक के दोष की जानकारी बिना कार्य करे (विक्रेता B के पास छोड़ी साइकिल सद्भावपूर्वक C को गिरवी — वैध); किन्तु ऐसा मात्र कब्जाधारी जिसे व्ययन का **कोई** अधिकार न हो, किसी अपवाद में नहीं आता — वहाँ वास्तविक स्वामी माल वापस पा लेता है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- Sec. 178: जो mercantile agent स्वामी की **सम्मति से** माल/documents of title के कब्जे में हो और व्यवसाय के साधारण अनुक्रम में गिरवी रखे, उसकी गिरवी वैध है — बशर्ते pawnee सद्भावपूर्वक तथा प्राधिकार-अभाव की सूचना बिना कार्य करे; अतः ऐसी गिरवी को 'अविधिमान्य' कहने वाला True/False कथन **गलत** है।
- Sec. 178A: Sec. 19/19A के अधीन शून्यकरणीय संविदा (कपट, दुर्व्यपदेशन, प्रपीड़न, अनुचित प्रभाव) के अधीन माल रखने वाले व्यक्ति की गिरवी वैध है, यदि गिरवी के समय तक संविदा विखंडित न हुई हो और pawnee ने सद्भावपूर्वक, दोष की सूचना बिना कार्य किया हो।
- Sec. 179 (सीमित हित — गिरवी उसी सीमा तक वैध) तथा सह-स्वामी एवं कब्जे वाले विक्रेता/क्रेता की गिरवी भी जानिए।

TQ 11.2 • PYQ 2025-Sep [5] (c) (I) • True/False • 2M • Pg 241

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

TQ 11.1 • PYQ 2025-May [6] (Or) (b) • Descriptive • 6M • Pg 240

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 2 प्रश्न

- Srushti के हीरे वाला मामला: शून्यकरणीय संविदा विखंडित नहीं हुई + VK को सद्भावपूर्वक गिरवी → Sec. 178A के अधीन वैध गिरवी — शर्त-दर-शर्त प्रयोग लिखिए।
- ऐसे कब्जाधारी द्वारा विक्रय/गिरवी जिसे व्ययन का **कोई** अधिकार न हो (Shyam-Govind-Manohar): कोई अपवाद लागू नहीं, वास्तविक स्वामी माल वापस पा सकता है; मात्र कब्जे को mercantile agent के रूप में स्वामी की सम्मति से मिले कब्जे से अलग कीजिए।

CSQ 11.1 • PYQ 2019-Nov [1] (c) (i) {C} • Case Scenario • 2M • Pg 242

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 11.2 • PYQ 2021-Dec [2] (c) • Case Scenario • 4M • Pg 242

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 12: उपनिधान एवं गिरवी में अन्तर

P2-C2-U2.8-T12

पहले पढ़ें Section 8.12 पढ़िए — उपनिधान (Sec. 148) तथा गिरवी (Sec. 172) का तालिकाबद्ध अन्तर: अर्थ, पक्षकार, प्रयोजन, प्रतिफल, बेचने का अधिकार तथा उपयोग का अधिकार।

नोट्स

परिचय: गिरवी (Sec 172) उपनिधान (Sec 148) का ही एक विशेष प्रकार है, जो किसी ऋण के भुगतान अथवा किसी वचन के पालन की प्रतिभूति के रूप में किया जाता है — सार-पंक्ति: सभी गिरवियाँ उपनिधान हैं, पर सभी उपनिधान गिरवी नहीं।

उपनिधान (Sec 148)	गिरवी (Sec 172)
किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन से माल का अन्तरण	ऋण की अदायगी/वचन के पालन की प्रतिभूति के रूप में माल का अन्तरण
पक्षकार: bailor तथा bailee	पक्षकार: pawnor तथा pawnee
कोई भी प्रयोजन — सुरक्षित अभिरक्षा, मरम्मत, प्रसंस्करण	केवल किसी ऋण या वचन की प्रतिभूति के रूप में
प्रतिफल सहित भी हो सकता है, बिना भी	सदैव प्रतिफल के लिए
bailee बेच नहीं सकता — केवल रोके रख सकता है (lien) अथवा बकाया का वाद ला सकता है	pawnor के व्यतिक्रम पर pawnee उचित सूचना देकर बेच सकता है (Sec 176)
bailee संविदा में विनिर्दिष्ट प्रयोजन हेतु माल का उपयोग कर सकता है	pawnee गिरवी माल का उपयोग नहीं कर सकता

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- चार अन्तर साधिए: (i) प्रयोजन — कोई भी प्रयोजन (सुरक्षित अभिरक्षा, मरम्मत) बनाम किसी ऋण/वचन की प्रतिभूति; (ii) पक्षकार — bailor/bailee बनाम pawnor/pawnee; (iii) बेचने का अधिकार — bailee को कोई नहीं (केवल lien/वाद) बनाम pawnee व्यतिक्रम पर सूचना देकर बेच सकता है (Sec. 176); (iv) माल का उपयोग — bailee संविदा के अनुसार कर सकता है बनाम pawnee बिल्कुल नहीं।

- आवश्यकता पड़े तो जोड़िए: प्रतिफल — उपनिधान निःशुल्क भी हो सकता है, गिरवी सदैव प्रतिफल के लिए; तथा सार-पंक्ति 'सभी गिरवियाँ उपनिधान हैं, पर सभी उपनिधान गिरवी नहीं'।
- 4 अंकों के प्रारूप हेतु उत्तर शीर्षयुक्त दो-स्तम्भीय तालिका में लिखिए।

TQ 12.1 • PYQ 2018-May [5] (c) • Distinguish Between • 4M • Pg 243

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

इकाई 2.9: अभिकरण (Agency)

Agency

P2-C2-U2.9 • महत्त्व C • अध्याय में Rank 6 • श्रेणी B • अध्याय के 8.5% प्रश्न • 20 प्रश्न

विषय 1: अभिकरण क्या है? (What is Agency?)

P2-C2-U2.9-T01

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 2.9 का §9.1 पढ़िए: अधिनियम 'agency' को परिभाषित नहीं करता, Section 182 में अभिकर्ता एवं मालिक की परिभाषाएँ, तथा अभिकरण की दो-भागी कसौटी।

नोट्स

परिभाषित नहीं: Indian Contract Act, 1872 'Agency' शब्द को परिभाषित नहीं करता। **Section 182** इसके स्थान पर पक्षकारों को परिभाषित करती है — **अभिकर्ता (agent)** वह व्यक्ति है "employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third persons", तथा **मालिक (principal)** वह है "for whom such act is done or who is so represented"।

अभिकरण की कसौटी: (a) क्या वह व्यक्ति **मालिक को आबद्ध** करने तथा उसे तीसरे पक्ष के प्रति उत्तरदायी बनाने की क्षमता रखता है; तथा (b) क्या वह मालिक और तीसरे पक्षों के बीच **privity of contract** स्थापित कर सकता है। यदि दोनों उत्तर हाँ हों, तो अभिकरण का सम्बन्ध विद्यमान है।

अन्तर्निहित सूक्ति: अभिकरण का नियम "Qui facit per alium, facit per se" पर टिका है — जो किसी अभिकर्ता के माध्यम से कार्य करता है, वह स्वयं ही कार्य कर रहा होता है; इस प्रकार अभिकरण वह सम्बन्ध है जिसके द्वारा पहला व्यक्ति दूसरे को अन्यो के साथ विधिक सम्बन्ध में लाता है।

विषय 2: अभिकर्ताओं की नियुक्ति एवं प्राधिकार

P2-C2-U2.9-T02

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 2.9 का §9.2 पढ़िए: अभिकर्ता कौन नियुक्त कर सकता है, अभिकर्ता कौन हो सकता है, तथा अभिकरण सृजित करने के लिए प्रतिफल क्यों आवश्यक नहीं।

नोट्स

अभिकर्ता कौन नियुक्त कर सकता है [Section 183]: “any person who has attained majority according to the law to which he is subject, and who is of sound mind, may employ an agent” — अतः कोई अवयस्क अथवा विकृतचित्त व्यक्ति अभिकर्ता नियुक्त नहीं कर सकता।

अभिकर्ता कौन हो सकता है [Section 184]: कोई भी व्यक्ति अभिकर्ता बन सकता है, यहाँ तक कि अवयस्क अथवा विकृतचित्त भी, और मालिक उसके कार्यों से आबद्ध होता है। सावधानी के नियम के रूप में ऐसे व्यक्ति को नियुक्त नहीं करना चाहिए, क्योंकि संविदा करने में असमर्थ होने के कारण उसके विरुद्ध दुराचरण या उपेक्षा के लिए कार्यवाही नहीं की जा सकती। **उदाहरण:** P अपनी कार ₹2,50,000 से कम पर न बेचने की शर्त पर अवयस्क Q को नियुक्त करता है; Q उसे ₹2,00,000 में बेच देता है — P आबद्ध है, और Q के विरुद्ध उसका कोई दावा नहीं।

प्रतिफल आवश्यक नहीं [Section 185]: अभिकरण सृजित करने के लिए कोई प्रतिफल आवश्यक नहीं; अभिकर्ता का पद स्वीकार कर लेना ही नियुक्ति के लिए पर्याप्त प्रतिफल माना जाता है।

विषय 3: अभिकरण का सृजन (Creation of Agency)

P2-C2-U2.9-T03

पहले पढ़ें Indian Contract Act, 1872 की Unit 9 (Agency) का Para 9.3 ‘Creation of Agency’ पढ़िए — व्यक्ति/विवक्षित प्राधिकार (Secs. 186-187), estoppel द्वारा अभिकरण (Sec. 237), आवश्यकता द्वारा अभिकरण, तथा विशेष रूप से अनुसमर्थन (Sec. 196) उसकी सात अनिवार्यताओं सहित (Secs. 197-200)।

नोट्स

सृजन की चार रीतियाँ: (1) **व्यक्त करार** (Secs 186-187 — बोले या लिखे शब्दों से दिया गया प्राधिकार, जैसे किसी मकान पर power of attorney); (2) **विवक्षित करार** — मामले की परिस्थितियों, पक्षकारों के आचरण अथवा व्यवहार के साधारण अनुक्रम से अनुमानित, जिसमें estoppel द्वारा अभिकरण (Sec 237) तथा आवश्यकता द्वारा अभिकरण (आपात स्थिति मालिक को हानि से बचाने हेतु विशेष प्राधिकार देती है, जैसे खेत की आग बुझाता देखभाल करने वाला) आते हैं; (3) **विधि के प्रवर्तन से** (partner firm का अभिकर्ता होता है); (4) **अनुसमर्थन** (Sec 196)।

Estoppel (Sec 237) की अनिवार्यताएँ: (1) मालिक ने कोई अभ्यावेदन किया हो, (2) व्यक्ति या विवक्षित, (3) जिसमें यह कहा गया हो कि अभिकर्ता के पास प्राधिकार है जबकि वस्तुतः नहीं है, (4) तीसरा व्यक्ति उससे उत्प्रेरित हुआ हो, तथा (5) उसने उस पर विश्वास कर संविदा की हो — तब मालिक अभिकरण से इनकार करने से विवक्षित (estopped) है (A आबद्ध है यद्यपि B ने आरक्षित मूल्य से कम पर अनभिज्ञ C को बेचा; जिस Piyal ने Sunil की पूर्व उधार खरीदों का भुगतान किया वह Prasad को मना नहीं कर सकता)।

अनुसमर्थन (Sec 196, SM): “Where acts are done by one person on behalf of another, but without his

knowledge or authority, he may elect to ratify or to disown such acts. If he ratifies them, the same effects will follow as if they had been performed by his authority” — यह ‘relation back’ का सिद्धान्त है; अर्थात् किसी पूर्व कार्य का अनुमोदन, जो व्यक्त हो सकता है या आचरण से विवक्षित।

वैध अनुसमर्थन की सात अनिवार्यताएँ: (a) व्यक्त हो अथवा आचरण से विवक्षित (Sec 197 — बिना प्राधिकार उसके लिए खरीदा माल B का बेच देना, अथवा उधार दिए धन का ब्याज स्वीकार कर लेना, अनुसमर्थन है); (b) **पूर्ण जानकारी** — जिसकी तथ्यों की जानकारी तात्त्विक रूप से त्रुटिपूर्ण हो उसका अनुसमर्थन वैध नहीं (Sec 198 — बाज़ार-भाव से ऊपर की खरीद तब आबद्ध नहीं जब P को पता चले कि माल स्वयं अभिकर्ता A का था); (c) सम्पूर्ण लेन-देन का अनुसमर्थन हो, केवल लाभकारी भाग का नहीं (Sec 199); (d) अनुसमर्थन से तीसरे व्यक्तियों को क्षति न पहुँचे (Sec 200 — किसी चल सम्पत्ति की अप्राधिकृत माँग, अथवा अप्राधिकृत C द्वारा पट्टा समाप्ति की सूचना, ऐसे अनुसमर्थित नहीं की जा सकती कि तीसरा पक्ष आबद्ध हो जाए); (e) व्यक्तिगत समय के भीतर हो; (f) दूसरे पक्ष को संसूचित हो; (g) जिस कार्य का अनुसमर्थन हो वह वैध हो — शून्य या अवैध नहीं (पूँजी में से लाभांश, कूटरचना, आपराधिक अपराध)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- अनुसमर्थन (Sec. 196) समझाइए: किसी व्यक्ति के लिए उसकी जानकारी या प्राधिकार बिना किए गए कार्यों को वह अनुसमर्थित या अस्वीकार कर सकता है; अनुसमर्थन पर वही प्रभाव होते हैं मानो वे कार्य पूर्व प्राधिकार से किए गए हों (relation back का सिद्धान्त)।
- वैध अनुसमर्थन की अनिवार्यताएँ साधिए: व्यक्त या विवक्षित (Sec. 197); तात्त्विक तथ्यों की पूर्ण जानकारी (Sec. 198); सम्पूर्ण लेन-देन का अनुसमर्थन (Sec. 199); तीसरे व्यक्तियों को क्षति न पहुँचे (Sec. 200); व्यक्तिगत समय में; संसूचित; तथा अनुसमर्थित कार्य विधिपूर्ण हो।
- ‘बिना प्राधिकार किसी के लिए किए गए कार्यों के सम्बन्ध में उसके अधिकार’ वाला उत्तर सीधे Sec. 196 की भाषा तथा अनुसमर्थन के प्रभाव से लिखने को तैयार रहिए।

TQ 3.1 · MTP 2025-Aug S2 [6] (b) · Descriptive · 6M · Pg 246

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 2 प्रश्न

- Sec. 200 वाली परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए: बेदखली की अप्राधिकृत सूचना (पुत्र द्वारा किरायेदार को दी गई सूचना) ऐसे अनुसमर्थित नहीं की जा सकती कि तीसरा पक्ष आबद्ध हो जाए — अनुसमर्थन से किसी तीसरे व्यक्ति को क्षति नहीं पहुँचनी चाहिए।
- Sec. 198 वाली परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए: बाज़ार-भाव से ऊपर की खरीद स्वीकार कर लेना, जबकि मालिक को बाद में पता चले कि माल स्वयं अभिकर्ता का था — तात्त्विक रूप से त्रुटिपूर्ण जानकारी वाला अनुसमर्थन आबद्ध नहीं।
- उत्तर provision (धारा + नियम) → तथ्यों पर प्रयोग → अनुसमर्थन की वैधता पर निष्कर्ष — इसी क्रम में लिखिए।

CSQ 3.2 · PYQ 2022-May [1] (c) (i) {C} · Case Scenario · 2M · Pg 249

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 3.1 · PYQ 2021-Jul [5] (c) · Case Scenario · 4M · Pg 248

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 4: अभिकर्ता के प्राधिकार का विस्तार

P2-C2-U2.9-T04

पहले पढ़ें Para 9.4 पढ़िए — सामान्य परिस्थितियों में अभिकर्ता का प्राधिकार (Sec. 188) तथा आपात में (Sec. 189)। आपात में वैध अभिकरण की पाँच शर्तें परीक्षा में बार-बार आती हैं।

नोट्स

Sec 188 (सामान्य परिस्थितियाँ): जिस अभिकर्ता को कोई कार्य करने का प्राधिकार है, उसे वह सब विधिपूर्ण कार्य करने का भी प्राधिकार है जो उस कार्य को करने के लिए आवश्यक हों; और जिस अभिकर्ता को कोई व्यवसाय चलाने का प्राधिकार है, वह हर वह विधिपूर्ण कार्य कर सकता है जो उस व्यवसाय के प्रयोजन हेतु आवश्यक हो, अथवा उसे चलाने के अनुक्रम में सामान्यतः किया जाता हो (जहाज़-निर्माता का अभिकर्ता लकड़ी खरीद सकता है और कारीगर रख सकता है; ऋण वसूलने वाला अभिकर्ता कोई भी विधिक प्रक्रिया अपना सकता है और वैध उन्मोचन दे सकता है)।

Sec 189 (आपात): अभिकर्ता को आपात स्थिति में वे सब कार्य करने का प्राधिकार है जो अपने मालिक को हानि से बचाने के प्रयोजन से साधारण विवेक का व्यक्ति वैसी ही परिस्थितियों में अपने मामले में करता (विक्रय का अभिकर्ता माल की मरम्मत करा सकता है; consignee ऐसे नाशवान माल को बेच सकता है जो गन्तव्य तक पहुँचने से पहले ही खराब होने लगे)।

आपात में वैध अभिकरण की पाँच शर्तें: (i) अभिकर्ता ऐसी स्थिति में न हो और उपलब्ध समय में मालिक से संसूचना का कोई अवसर न हो; (ii) शीघ्र कार्य करने की वास्तविक एवं निश्चित वाणिज्यिक आवश्यकता हो; (iii) अभिकर्ता ने सद्भावपूर्वक तथा मालिक के हित में कार्य किया हो; (iv) परिस्थितियों में सर्वाधिक युक्तियुक्त एवं व्यवहार्य रास्ता अपनाया गया हो; (v) मालिक का वह माल अभिकर्ता के कब्जे में हो जो संविदा की विषय-वस्तु है।

नाशवान माल वाला प्रतिरूप (Rahul/टमाटर): भारी वर्षा से दो दिन से अधिक फँसा transporter, टमाटरों के खराब होने की आशंका से, उन्हें पास के बाज़ार में बाज़ार-भाव से कम पर बेच देता है — Sec 189 की शर्तें पूरी हैं, उसने Aswin को हानि से बचाने के लिए साधारण विवेकी व्यक्ति की भाँति कार्य किया, अतः मालिक वह हानि वसूल नहीं कर सकता; निष्कर्ष से पहले पाँचों शर्तें सदैव तथ्यों पर कसिए, और जहाँ अभिकर्ता प्राधिकार से बाहर जाता दिखे वहाँ Sec 227/228 (पृथक् किया जा सकने योग्य या नहीं) तथा Sec 237 के estoppel को भी तौलिए।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- Sec. 189 की पाँचों शर्तें अक्षरशः कंठस्थ कीजिए: (i) उपलब्ध समय में मालिक से संसूचना का कोई अवसर न हो; (ii) शीघ्र कार्य करने की वास्तविक एवं निश्चित वाणिज्यिक आवश्यकता; (iii) अभिकर्ता ने सद्भावपूर्वक, मालिक के हित में कार्य किया हो; (iv) सर्वाधिक युक्तियुक्त एवं व्यवहार्य रास्ता अपनाया गया हो; (v) संविदा की विषय-वस्तु वाला मालिक का माल अभिकर्ता के कब्जे में हो।
- Sec. 188 भी कंठस्थ कीजिए: जिस अभिकर्ता को कोई कार्य करने का प्राधिकार है वह उसके लिए आवश्यक हर विधिपूर्ण कार्य कर सकता है; और व्यवसाय चलाने का प्राधिकार वह सब समेट लेता है जो उस व्यवसाय के अनुक्रम में सामान्यतः किया जाता है।

स्मरण (Remembering)

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 2 प्रश्न

- नाशवान माल वाले प्रतिरूप का अभ्यास कीजिए (भारी वर्षा में फँसे टमाटर/सेब, अभिकर्ता स्थानीय बाज़ार में कम भाव पर बेच दे): Sec. 189 लगाइए, पाँचों शर्तें जाँचिए, और निष्कर्ष दीजिए कि अभिकर्ता ने साधारण विवेकी व्यक्ति की भाँति कार्य किया, अतः मालिक वह हानि वसूल नहीं कर सकता।
- निष्कर्ष से पहले पाँचों शर्तें सदैव तथ्यों पर कसिए — परीक्षक इस जाँच-सूची पर अंक देते हैं।

CSQ 4.1 · PYQ 2018-May [6] (c) · Case Scenario · 3M · Pg 250

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 4.2 · MTP 2025-Apr S1 [4] (a) · Case Scenario · 7M · Pg 251

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 1 प्रश्न

- कठिन broker/पुरानी-कार वाली परिस्थितियों में पहले प्राधिकार का स्रोत एवं विस्तार तय कीजिए (व्यक्त, Sec. 188 के अधीन विवक्षित, अथवा Sec. 189 के अधीन आपात), फिर तय कीजिए कि विवादित कार्य उसके भीतर आता है या नहीं।
- जहाँ अभिकर्ता प्राधिकार से बाहर जाता दिखे, वहाँ निष्कर्ष से पहले Secs. 227/228 (पृथक् किया जा सकने योग्य बनाम अपृथक्करणीय अतिक्रमण) तथा Sec. 237 के estoppel को तौलिए।

CSQ 4.3 · PYQ 2026-May [1] (a) {C} · Case Scenario · 7M · Pg 252

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

विषय 5: उप-अभिकर्ता (Sub-Agents)

P2-C2-U2.9-T05

पहले पढ़ें Para 9.5 पढ़िए — ‘delegatus non potest delegare’ (Sec. 190), उप-अभिकर्ता की परिभाषा (Sec. 191), विधिवत् नियुक्ति का प्रभाव (Sec. 192) तथा अप्राधिकृत नियुक्ति का प्रभाव (Sec. 193); इसे Sec. 210 से जोड़िए (अभिकर्ता का प्राधिकार समाप्त होते ही उप-अभिकर्ताओं का प्राधिकार भी समाप्त)।

नोट्स

Sec 190: अभिकर्ता विधिपूर्वक किसी अन्य को उन कार्यों के पालन हेतु नियोजित नहीं कर सकता जिन्हें उसने व्यक्त या विवक्षित रूप से स्वयं करने का दायित्व लिया है — “delegatus non potest delegare”, क्योंकि अभिकरण विश्वासाश्रित (fiduciary) है; **अपवाद:** (1) नियुक्ति की शर्तों में मूलतः ऐसी कल्पना रही हो, (2) उस व्यापार की साधारण प्रथा, (3) अभिकरण की प्रकृति ऐसी अपेक्षा करे, (4) नियोजन के अनुक्रम में कोई अप्रत्याशित आपात स्थिति।

उप-अभिकर्ता (Sec 191, SM): “A ‘Sub-agent’ is a person employed by, and acting under the control of, the original agent in the business of the agency.”

विधिवत् नियुक्ति (Sec 192): मालिक उप-अभिकर्ता के कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति दायी है; अभिकर्ता उप-अभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी है; तथा उप-अभिकर्ता अपने कार्यों के लिए अभिकर्ता के प्रति

उत्तरदायी है, मालिक के प्रति नहीं — कपट अथवा साशय दोष की दशा को छोड़कर।

बिना प्राधिकार नियुक्ति (Sec 193): अभिकर्ता उप-अभिकर्ता के कार्यों के लिए मालिक तथा तीसरे व्यक्तियों, दोनों के प्रति उत्तरदायी है; मालिक उत्तरदायी नहीं; और उप-अभिकर्ता केवल अभिकर्ता के प्रति जवाबदेह है (वाहक A मार्ग में खराब हुई कपास का दायी ठहराया गया, यद्यपि उसे उसके द्वारा लगाए गए B ने ढोया था)।

Sec 210 से जोड़: अभिकर्ता का प्राधिकार समाप्त होते ही उसके द्वारा नियुक्त सभी उप-अभिकर्ताओं का प्राधिकार भी समाप्त हो जाता है — अतः A जब अभिकर्ता B का प्राधिकार प्रतिसंहत करता है, तो उप-अभिकर्ता C का प्राधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है; उत्तर का ढाँचा: क्या प्रत्यायोजन अनुमत था (Sec 190 का अपवाद)? फिर Sec 192 या Sec 193, फिर निष्कर्ष।

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए - 1 प्रश्न

- समाप्ति वाले प्रतिरूप का अभ्यास कीजिए: B (प्राधिकार सहित) उप-अभिकर्ता C नियुक्त कर चुका था, और अब A अभिकर्ता B का प्राधिकार प्रतिसंहत कर देता है — Sec. 210 के अधीन अभिकर्ता का प्राधिकार समाप्त होते ही उप-अभिकर्ता का प्राधिकार स्वतः समाप्त हो जाता है।
- दायित्व वाले प्रश्नों में पहले नियुक्ति वर्गीकृत कीजिए: विधिवत् नियुक्त (Sec. 192 — मालिक तीसरे पक्षों के प्रति आबद्ध, अभिकर्ता उप-अभिकर्ता के लिए जवाबदेह, उप-अभिकर्ता कपट/साशय दोष को छोड़कर अभिकर्ता के प्रति दायी) बनाम बिना प्राधिकार (Sec. 193 — केवल अभिकर्ता ही मालिक तथा तीसरे पक्षों के प्रति उत्तरदायी)।
- ढाँचा: क्या प्रत्यायोजन अनुमत था (Sec. 190 का प्रथा/अभिकरण की प्रकृति/आपात वाला अपवाद)? → Sec. 192 या 193 → निष्कर्ष।

CSQ 5.1 • PYQ 2025-Sep [5] (c) (ii) • Case Scenario • 4M • Pg 254

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 6: प्रतिस्थापित अभिकर्ता (Substituted Agent)

P2-C2-U2.9-T06

पहले पढ़ें Para 9.6 पढ़िए — प्रतिस्थापित अभिकर्ता (Sec. 194) वह है जिसे अभिकर्ता, मालिक के प्राधिकार से, नामित करता है और जो मालिक का ही अभिकर्ता बन जाता है; अभिकर्ता का कर्तव्य केवल इतना है कि वह साधारण विवेक से चयन करे (Sec. 195)।

नोट्स

Sec 194: जहाँ किसी अभिकर्ता को यह व्यक्ति या विवक्षित प्राधिकार प्राप्त हो कि वह अभिकरण के व्यवसाय में मालिक के लिए कार्य करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को नामित करे, और उसने तदनुसार किसी को नामित कर दिया हो, वहाँ वह व्यक्ति उप-अभिकर्ता नहीं, बल्कि व्यवसाय के उस भाग के लिए, जो उसे सौंपा गया है, स्वयं **मालिक का अभिकर्ता** है — मालिक तथा प्रतिस्थापित अभिकर्ता के बीच privity उत्पन्न हो जाती है, और वे एक-दूसरे पर वाद ला सकते हैं।

SM के दृष्टान्त: solicitor B, जिसे A की जागीर नीलामी से बेचने तथा auctioneer नियुक्त करने का निदेश है, auctioneer C को नामित करता है — C उस विक्रय के लिए A का अभिकर्ता है; B, जिसे C & Co से A को देय धन वसूलने

का प्राधिकार है, solicitor D को विधिक कार्यवाही करने का अनुदेश देता है — D उप-अभिकर्ता नहीं, बल्कि A का solicitor (प्रतिस्थापित अभिकर्ता) है।

Sec 195 (नामित करने में कर्तव्य): ऐसे अभिकर्ता को चुनते समय अभिकर्ता को वही विवेक बरतना होगा जो साधारण विवेक का व्यक्ति अपने ही मामले में बरतता; यदि उसने ऐसा किया है तो वह इस प्रकार चुने गए अभिकर्ता के कार्यों अथवा उपेक्षा के लिए मालिक के प्रति उत्तरदायी नहीं — अच्छी प्रतिष्ठा वाला ship-surveyor कोई असमुद्रयोग्य जहाज़ चुन ले, अथवा अच्छी साख वाला auctioneer विक्रय-राशि सहित दिवालिया हो जाए: अभिकर्ता B दायी नहीं, केवल चुना गया व्यक्ति ही A के प्रति जवाबदेह है।

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- सीधे पूछा जाने वाला SM दृष्टान्त साधिए: B, जिसे बक्राया वसूलने का प्राधिकार है, solicitor D को विधिक कार्यवाही का अनुदेश देता है — D उप-अभिकर्ता नहीं, बल्कि प्रतिस्थापित अभिकर्ता, अर्थात् स्वयं मालिक का अभिकर्ता है (Sec. 194)।
- Sec. 195 भी जोड़िए: यदि अभिकर्ता ने प्रतिस्थापित अभिकर्ता का चयन साधारण विवेकी व्यक्ति के विवेक से किया है, तो वह उसके कार्यों अथवा उपेक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं (ship-surveyor तथा auctioneer वाले उदाहरण)।
- ऐसे उत्तरों का समापन विधिक स्थिति बताकर कीजिए: मालिक तथा प्रतिस्थापित अभिकर्ता के बीच privity उत्पन्न होती है, और वे एक-दूसरे पर वाद ला सकते हैं।

CSQ 6.1 • PYQ 2022-May [1] (c) (ii) {C} • Case Scenario • 2M • Pg 255

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

विषय 7: उप-अभिकर्ता एवं प्रतिस्थापित अभिकर्ता में अन्तर

P2-C2-U2.9-T07

पहले पढ़ें Para 9.7 की 8-बिन्दु अन्तर-तालिका पढ़िए (Sec. 191 बनाम Sec. 194); 6 बिन्दुओं वाला अन्तर-प्रश्न ज्यों-का-त्यों पूछा जा चुका है।

नोट्स

दोनों की नियुक्ति अभिकर्ता ही करता है, फिर भी उप-अभिकर्ता (Sec 191) तथा प्रतिस्थापित अभिकर्ता (Sec 194) आठ आधारों पर भिन्न हैं — पूरे अंक पाने के लिए उत्तर 'अन्तर का आधार' सहित तालिका में दीजिए।

उप-अभिकर्ता (Sec 191)	प्रतिस्थापित अभिकर्ता (Sec 194)
अभिकर्ता के नियंत्रण एवं निदेशों के अधीन कार्य करता है	मालिक के अनुदेशों के अधीन कार्य करता है
अभिकर्ता अपने ही कर्तव्यों का एक भाग उसे प्रत्यायोजित करता है	अभिकर्ता अपना कोई भी कार्य उसे प्रत्यायोजित नहीं करता
मालिक के साथ कोई privity of contract नहीं	मालिक के साथ privity of contract स्थापित हो जाती है

केवल अभिकर्ता के प्रति उत्तरदायी; उसके कार्यों के लिए अभिकर्ता मालिक को जवाबदेह	मालिक के प्रति उत्तरदायी; उसके कार्यों के लिए अभिकर्ता जवाबदेह नहीं
पारिश्रमिक के लिए मालिक के विरुद्ध वाद का कोई अधिकार नहीं	अपने देय पारिश्रमिक के लिए मालिक पर वाद ला सकता है
अनुचित रूप से भी नियुक्त हो सकता है; उप-अभिकरण चलने तक अभिकर्ता दायी	कभी अनुचित रूप से नियुक्त नहीं; नामित करते ही अभिकर्ता का कर्तव्य समाप्त

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- कम-से-कम 6 अन्तर विस्तार से बता सकिए: (1) उप-अभिकर्ता अभिकर्ता के नियंत्रण में, प्रतिस्थापित अभिकर्ता मालिक के अनुदेशों में; (2) अभिकर्ता अपने कर्तव्यों का भाग उप-अभिकर्ता को प्रत्यायोजित करता है, प्रतिस्थापित को नहीं; (3) मालिक तथा उप-अभिकर्ता के बीच कोई privity नहीं, प्रतिस्थापित के साथ है; (4) उप-अभिकर्ता केवल अभिकर्ता के प्रति जवाबदेह, प्रतिस्थापित मालिक के प्रति।
- शेष बिन्दु: (5) उप-अभिकर्ता के कार्यों के लिए अभिकर्ता मालिक के प्रति उत्तरदायी, प्रतिस्थापित के कार्यों के लिए नहीं; (6) उप-अभिकर्ता पारिश्रमिक के लिए मालिक पर वाद नहीं ला सकता, प्रतिस्थापित ला सकता है; (7) उप-अभिकर्ता अनुचित रूप से नियुक्त हो सकते हैं, प्रतिस्थापित कभी नहीं; (8) उप-अभिकरण चलने तक अभिकर्ता दायी रहता है, किन्तु प्रतिस्थापित अभिकर्ता नामित होते ही उसका कर्तव्य समाप्त।
- पूरे अंक पाने के लिए उत्तर 'अन्तर का आधार' सहित तालिका में दीजिए।

TQ 7.1 · PYQ 2025-Jan [6] (Or) (b) · Descriptive · 6M · Pg 255

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 8: अभिकर्ता के कर्तव्य एवं बाध्यताएँ

P2-C2-U2.9-T08

पहले पढ़ें Para 9.8 पढ़िए — अभिकर्ता के नौ कर्तव्य (Secs. 190, 211-218), तथा साथ में Sec. 182 की अभिकर्ता एवं मालिक की परिभाषाएँ।

नोट्स

Sec 182 (SM): "Agent means a person employed to do any act for another or to represent another in dealing with the third persons"; "The principal means a person for whom such act is done or who is so represented."

नौ कर्तव्य: (1) मालिक के निदेशों का पालन करे, और उनके अभाव में उस स्थान पर वैसे ही व्यवसाय में प्रचलित प्रथाओं का (Sec 211); (2) युक्तियुक्त देखभाल, कौशल एवं तत्परता — अपनी उपेक्षा, कौशल-अभाव अथवा दुराचरण के प्रत्यक्ष परिणामों का प्रतिकर दे, दूरस्थ का नहीं (Sec 212); (3) माँगे जाने पर उचित लेखा दे, अर्थात् vouchers से पुष्ट लेखा (Sec 213, Anandprasad vs. Dwarkanath); (4) कठिनाई की दशा में मालिक से संसूचना करने तथा अनुदेश

माँगने का हरसम्भव युक्तियुक्त प्रयत्न करे (Sec 214); (5) मालिक की सम्मति बिना अपने ही खाते पर व्यवहार न करे (Secs 215-216); (6) कोई गुप्त लाभ न कमाए — विश्वासाश्रित सम्बन्ध पूर्ण सद्भाव की माँग करता है; (7) प्रत्यायोजन न करे (Sec 190); (8) मालिक के खाते पर प्राप्त सभी राशियाँ उसे दे, विधिपूर्ण कटौतियों के अधीन (Sec 218); (9) अभिकरण के अनुक्रम में प्राप्त गोपनीय जानकारी का मालिक के विरुद्ध प्रयोग न करे।

भंग के परिणाम: Sec 211 के अधीन अभिकर्ता को हानि की पूर्ति करनी होगी तथा किसी लाभ का हिसाब देना होगा; Secs 215-216 के अधीन मालिक लेन-देन को अस्वीकार कर सकता है (जहाँ अभिकर्ता ने कोई तात्त्विक तथ्य बेईमानी से छिपाया हो अथवा व्यवहार अलाभकर रहा हो) अथवा अभिकर्ता को हुए किसी लाभ का दावा कर सकता है — Ahuja/Singh वाला प्रतिरूप: जिस अभिकर्ता ने नामनिर्दिष्ट के माध्यम से खरीदकर मालिक को ही बेच दिया, उससे मालिक ₹6 लाख का गुप्त लाभ वसूल कर लेता है।

Sec 211 का उधार-विक्रय प्रतिरूप (Pintu): अभिकर्ता ऐसे क्रेता को उधार पर माल बेच दे जो विक्रय के समय दिवालिया था, जबकि उस व्यवसाय में उधार-विक्रय की कोई प्रथा नहीं और न किसी निदेश ने उसकी अनुमति दी — उसने प्रथा के विरुद्ध कार्य किया, अतः उसे मालिक को हानि की क्षतिपूर्ति देनी होगी (ABC Ltd सफल होती है); ढाँचा: धारा सहित कर्तव्य, तथ्यों से भंग सिद्ध, फिर अभिकर्ता हानि की पूर्ति करने अथवा लाभ का हिसाब देने का दायी।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 182 के अधीन अभिकर्ता/मालिक परिभाषित कीजिए, फिर धाराओं सहित कर्तव्य गिनाइए: निदेशों या प्रथाओं का पालन (Sec. 211); युक्तियुक्त देखभाल एवं कौशल (Sec. 212); उचित लेखा देना (Sec. 213); कठिनाई में संसूचना (Sec. 214); अपने खाते पर व्यवहार न करना (Secs. 215-216); मालिक के लिए प्राप्त राशियाँ देना (Sec. 218)।
- ये भी लीजिए: कोई गुप्त लाभ न कमाना; प्रत्यायोजन न करना (Sec. 190); गोपनीय जानकारी का मालिक के विरुद्ध प्रयोग न करना।
- परिणाम जानिए: Sec. 211 के भंग पर अभिकर्ता को हानि की पूर्ति तथा किसी लाभ का हिसाब देना होगा; Secs. 215-216 के अधीन मालिक लेन-देन अस्वीकार कर सकता है अथवा उस लाभ का दावा कर सकता है।

TQ 8.1 · MTP 2025-May S2 [5] (c) · Descriptive · 6M · Pg 256

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 211 के उधार-विक्रय प्रतिरूप का अभ्यास कीजिए (अभिकर्ता Pintu ऐसे क्रेता को उधार बेचे जो दिवालिया है, जबकि उधार-विक्रय की प्रथा नहीं): उसने बिना निदेश, प्रथा के विरुद्ध कार्य किया, अतः उसे मालिक को हानि की क्षतिपूर्ति देनी होगी।
- ढाँचा: कर्तव्य (धारा) → तथ्यों से भंग सिद्ध → अभिकर्ता हानि की पूर्ति/लाभ का हिसाब देने का दायी।

CSQ 8.1 · PYQ 2018-May [1] (c) · Case Scenario · 4M · Pg 258

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 9: अभिकर्ता के अधिकार (Rights of an Agent)

P2-C2-U2.9-T09

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं · पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 2.9 का §9.9 पढ़िए: अभिकर्ता के पाँच अधिकार, उनकी धारा-संख्याओं सहित, तथा अभिकर्ता के lien की शर्तें एवं उसका समाप्त होना।

नोट्स

Section 217 — रोक रखने का अधिकार: अभिकरण के व्यवसाय में मालिक के खाते पर प्राप्त किसी भी राशि में से अभिकर्ता रोक सकता है — (a) दिए गए अग्रिमों के लिए स्वयं को देय समस्त धन, (b) व्यवसाय चलाने में उचित रूप से किए गए व्यय, तथा (c) अभिकर्ता के रूप में कार्य करने का उसे देय पारिश्रमिक।

Section 219 — पारिश्रमिक का अधिकार: अभिकर्ता तय पारिश्रमिक का हकदार है, और कोई राशि तय न हो तो उस व्यवसाय में प्रचलित प्रथानुसार पारिश्रमिक का; किन्तु **Section 220** के अधीन जो अभिकर्ता दुराचरण का दोषी हो, वह व्यवसाय के **उस भाग** के लिए किसी पारिश्रमिक का हकदार नहीं जिसमें उसने दुराचरण किया। **उदाहरण:** B ₹1,00,000 वसूल करता है और ₹90,000 अच्छी तरह तथा ₹10,000 बुरी तरह निवेश करता है — उसे वसूली तथा ₹90,000 का पारिश्रमिक मिलेगा, ₹10,000 का नहीं, और हानि की क्षतिपूर्ति भी देनी होगी।

Section 221 — अभिकर्ता का lien: विपरीत संविदा न हो तो अभिकर्ता मालिक का वह माल, कागज़ात तथा अन्य सम्पत्ति — चल या अचल — जो उसे प्राप्त हुई हो, तब तक रोके रख सकता है जब तक commission, व्यय तथा सेवाओं की देय राशियाँ न चुका दी जाएँ। **शर्तें:** राशि विधिपूर्वक देय हो, और सम्पत्ति मालिक की हो तथा अभिकर्ता को अभिकरण के साधारण अनुक्रम में उसी हैसियत में प्राप्त हुई हो — विधिविरुद्ध साधनों से प्राप्त सम्पत्ति पर कोई lien नहीं। **समाप्त** तब होता है जब क़ब्ज़ा जाता रहे अथवा वह अधिकार अधित्यक्त कर दिया जाए।

शेष दो अधिकार: विधिपूर्ण कार्यों के लिए क्षतिपूर्ति का अधिकार, तथा **सद्भावपूर्वक किए गए कार्यों के विरुद्ध क्षतिपूर्ति** का अधिकार।

विषय 10: तीसरे पक्षों के प्रति मालिक का दायित्व

P2-C2-U2.9-T10

पहले पढ़ें Para 9.10 पढ़िए — प्राधिकार के भीतर किए कार्यों से मालिक आबद्ध (Sec. 226), अभिकर्ता के प्राधिकार से बाहर जाने का प्रभाव (Secs. 227-228), estoppel वाला अपवाद (Sec. 237), अभिकर्ता को दी सूचना मालिक को दी सूचना (Sec. 229), तथा अभिकर्ता के कपट/दुर्व्यपदेशन का दायित्व (Sec. 238)।

नोट्स

Sec 226: मालिक अभिकर्ता के उन कार्यों के लिए दायी है जो उसके प्राधिकार के विस्तार के भीतर किए गए हों (B का धन उसके प्राधिकृत वसूली-अभिकर्ता को चुका देने से ऋणी C उन्मोचित हो जाता है; अप्रकट मालिक, न कि अभिकर्ता, क्रेता से मूल्य माँगने का हकदार है)।

अभिकर्ता का प्राधिकार से बाहर जाना: जहाँ अतिक्रमण प्राधिकृत भाग से **पृथक्** किया जा सके, वहाँ मालिक केवल प्राधिकार के भीतर वाले भाग से आबद्ध है (Sec 227 — B को जहाज़ का ₹4,00,000 का बीमा कराने को कहा गया,

उसने माल का भी करा लिया: A केवल जहाज़ का प्रीमियम देगा); जहाँ अतिक्रमण पृथक् न हो सके, वहाँ मालिक सम्पूर्ण लेन-देन अस्वीकार कर सकता है (Sec 228 — ₹6,00,000 की एक ही राशि में 500 भेड़ों के साथ 200 मेमने खरीद लिए गए; ₹200 की सीमा के विरुद्ध ₹1,000 के bills लिखे गए)।

Estoppel वाला अपवाद (Sec 237): मालिक अप्राधिकृत कार्यों या बाध्यताओं से भी आबद्ध है, यदि उसने अपने शब्दों या आचरण से तीसरे व्यक्तियों को यह विश्वास कराया हो कि वे अभिकर्ता के प्राधिकार के भीतर हैं (आरक्षित मूल्य से कम पर विक्रय अनभिज्ञ C के विरुद्ध A को आबद्ध करता है; सौंपे गए परक्राम्य लिखत रिक्त पृष्ठांकित हों तो निजी आदेशों के उल्लंघन में किया गया विक्रय भी अच्छा है)।

Sec 229: मालिक के लिए किए जा रहे व्यवसाय के अनुक्रम में अभिकर्ता को दी गई सूचना अथवा उसके द्वारा प्राप्त जानकारी का वही विधिक परिणाम है मानो वह मालिक को दी गई या उसके द्वारा प्राप्त की गई हो — अभिकर्ता की जानकारी मालिक की जानकारी है (अभिकर्ता A का यह जानना कि माल D का था, अनभिज्ञ मालिक B को आबद्ध करता है)।

Sec 238: मालिक के व्यवसाय के अनुक्रम में कार्य करते हुए अभिकर्ताओं द्वारा किए गए दुर्यपदेशन अथवा कपट का वही प्रभाव है मानो वे स्वयं मालिक ने किए हों (संविदा तीसरे पक्ष के विकल्प पर शून्यकरणीय); किन्तु जो उनके प्राधिकार से बाहर के विषयों में हों, वे मालिक को प्रभावित नहीं करते (माल प्राप्त किए बिना bills of lading पर हस्ताक्षर करने वाला captain — वे bills शून्य)।

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 1 प्रश्न

- बहु-मुद्दा परिस्थितियों में (जैसे अभिकर्ता को एक brand खरीदने को कहा गया, उसने दूसरा/अतिरिक्त माल खरीद लिया) क्रम से सुलझाइए: (1) वास्तव में कौन-सा प्राधिकार दिया गया था; (2) क्या अतिक्रमण पृथक् किया जा सकता है — यदि हाँ, तो मालिक केवल प्राधिकृत भाग से आबद्ध (Sec. 227); यदि अपृथक्करणीय हो, तो मालिक सम्पूर्ण लेन-देन अस्वीकार कर सकता है (Sec. 228)।
- फिर estoppel वाला अपवाद कसिए (Sec. 237): यदि मालिक के शब्दों या आचरण ने तीसरे पक्ष को यह विश्वास कराया कि कार्य प्राधिकृत था, तो वह निजी अनुदेशों के बावजूद आबद्ध है।
- जहाँ अभिकर्ता व्यवसाय के अनुक्रम में कपट/दुर्यपदेशन करे वहाँ Sec. 238 लाइए (मालिक आबद्ध) और जहाँ वह प्राधिकार से बाहर हो वहाँ नहीं (मालिक अप्रभावित); तथा Sec. 229 लाइए जहाँ अभिकर्ता की जानकारी मालिक पर आरोपित होती है।

CSQ 10.1 · PYQ 2025-May [1] (a) {C} · Case Scenario · 7M · Pg 259

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

विषय 11: तीसरे पक्षों के प्रति अभिकर्ता का व्यक्तिगत दायित्व

P2-C2-U2.9-T11

पहले पढ़ें Para 9.11 पढ़िए — Sec. 230 का सामान्य नियम (अभिकर्ता मालिक के लिए की गई संविदाओं को न स्वयं प्रवर्तित करा सकता है, न उनसे आबद्ध होता है) तथा उसके अपवाद, साथ ही तीसरे पक्षों के अधिकार (Secs. 231-235)।

नोट्स

Sec 230 का नियम: ऐसी कोई संविदा न हो तो अभिकर्ता उन संविदाओं को न तो व्यक्तिगत रूप से प्रवर्तित करा सकता है जो उसने अपने मालिक की ओर से की हैं, न ही वह उनसे व्यक्तिगत रूप से आबद्ध है — वह न वाद ला सकता है, न उस पर वाद आ सकता है (कारण: अभिकर्ता तथा तीसरे पक्ष के बीच न privity of contract है, न प्रतिफल का संचरण)।

उपधारित अपवाद — जहाँ अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से आबद्ध है: (1) विदेश में निवासी किसी व्यापारी/मालिक के लिए माल के विक्रय या क्रय की संविदा (विदेशी मालिक); (2) अभिकर्ता अपने मालिक का नाम प्रकट न करे (अप्रकट/अनामित मालिक); (3) मालिक, यद्यपि प्रकट हो, पर उस पर वाद न लाया जा सके — अनस्तित्व अथवा असमर्थ, जैसे कोई अवयस्क — जब तक दूसरा पक्ष पहले से ही यह न जानता हो कि मालिक अवयस्क है; (4) ऐसा दिखावटी अभिकर्ता जिसके कार्य को मालिक अस्वीकार कर दे और अनुसमर्थित न करे (Sec 235); (5) वह अभिकर्ता जो प्राधिकार से बाहर जाकर तीसरे व्यक्ति को भ्रम में डाले — प्राधिकार के आश्वासन के भंग (breach of warranty of authority) का दायी; ये मात्र उपधारणाएँ हैं, अतः संविदा से अथवा तीसरे पक्ष की जानकारी से हटाई जा सकती हैं।

तीसरे पक्षों के अधिकार: अप्रकट अभिकरण — मालिक पालन की अपेक्षा कर सकता है, किन्तु दूसरे पक्ष को उसके विरुद्ध वही अधिकार प्राप्त हैं जो अभिकर्ता के विरुद्ध थे, और वह पालन से मना कर सकता है यदि वह दिखा दे कि मालिक को जानने पर, अथवा यह जानने पर कि अभिकर्ता स्वयं मालिक नहीं था, उसने संविदा की ही न होती (Secs 231-232 — AB के माध्यम से खरीदा IPL टिकट stadium अस्वीकार कर सकता है; B अप्रकट मालिक C के विरुद्ध अभिकर्ता A का ऋण set off कर सकता है); जहाँ अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से दायी हो, वहाँ तीसरा पक्ष अभिकर्ता को, मालिक को, अथवा दोनों को दायी ठहरा सकता है (Sec 233 — कपास के क्रेता का विक्रेता B पर, C पर अथवा दोनों पर वाद ला सकता है); और जिसने यह विश्वास कराया हो कि केवल मालिक (अथवा केवल अभिकर्ता) दायी होगा, वह बाद में दूसरे को दायी नहीं ठहरा सकता (Sec 234)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 230 का नियम उसके कारण सहित बताइए (अभिकर्ता तथा तीसरे पक्ष के बीच कोई privity नहीं), फिर उपधारित अपवाद समझाइए: (1) विदेश में निवासी मालिक/व्यापारी के लिए संविदा; (2) अप्रकट/अनामित मालिक; (3) मालिक अनस्तित्व अथवा असमर्थ (जैसे अवयस्क) — अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से दायी; (4) दिखावटी अभिकर्ता जिसका कार्य अनुसमर्थित न हो (Sec. 235); (5) प्राधिकार से बाहर जाने वाला अभिकर्ता — प्राधिकार के आश्वासन का भंग।
- Sec. 233 के अधीन तीसरे पक्ष का विकल्प भी जोड़िए: जहाँ अभिकर्ता व्यक्तिगत रूप से दायी हो, वहाँ तीसरा पक्ष अभिकर्ता पर, मालिक पर, अथवा दोनों पर वाद ला सकता है।
- प्रचलित जाल: ये अपवाद व्यक्तिगत दायित्व की **उपधारणाएँ** हैं — इन्हें संविदा से अथवा तीसरे पक्ष की जानकारी से हटाया जा सकता है (जैसे वह पहले से ही जानता हो कि मालिक अवयस्क है)।

TQ 11.1 · PYQ 2024-Sep [6] (b) (i) · Descriptive · 4M · Pg 262

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 12: प्राधिकार का प्रतिसंहरण (Revocation of Authority)

P2-C2-U2.9-T12

पहले पढ़ें Para 9.12 पढ़िए — समाप्ति की रीतियाँ (Sec. 201), प्रतिसंहरण के नियम (Secs. 203-207), हित से युक्त

अप्रतिसंहरणीय अभिकरण (Sec. 202), समाप्ति कब प्रभावी होती है (Sec. 208), तथा उप-अभिकर्ता के प्राधिकार की समाप्ति (Sec. 210)।

नोट्स

समाप्ति की रीतियाँ (Sec 201): पक्षकारों के कार्य से — (1) मालिक द्वारा प्रतिसंहरण, (2) अभिकर्ता द्वारा परित्याग; **विधि के प्रवर्तन से** — (3) अभिकरण का व्यवसाय पूरा हो जाना, (4) मालिक अथवा अभिकर्ता की मृत्यु या विकृतचित्तता (समापन/विघटन का भी वही प्रभाव), (5) मालिक का दिवालियापन, (6) नियत अवधि की समाप्ति, चाहे प्रयोजन पूरा हुआ हो या नहीं।

प्रतिसंहरण एवं परित्याग के नियम: मालिक प्राधिकार का ऐसा प्रयोग होने से पूर्व, जिससे वह आबद्ध हो जाए, कभी भी प्रतिसंहरण कर सकता है (Sec 203), किन्तु आंशिक प्रयोग के बाद, उन कार्यों एवं बाध्यताओं के सम्बन्ध में नहीं जो पहले ही उत्पन्न हो चुकीं (Sec 204 — B ने अपने ही नाम से कपास खरीदी: A के कोष में से भुगतान का प्राधिकार प्रतिसंहृत नहीं किया जा सकता); पर्याप्त कारण बिना समय-पूर्व प्रतिसंहरण पर प्रतिकर देना होगा (Sec 205); युक्तियुक्त सूचना देनी होगी (Sec 206); प्रतिसंहरण व्यक्त या विवक्षित हो सकता है (Sec 207 — A स्वयं मकान किराये पर उठा दे तो B का प्राधिकार विवक्षित रूप से प्रतिसंहृत); अभिकर्ता के परित्याग पर भी यही सिद्धान्त लागू है (Secs 205-206)।

अप्रतिसंहरणीय अभिकरण (Sec 202, SM): “where the agent has himself an interest in the property which forms the subject matter of the agency, the agency cannot, in the absence of an express contract, be terminated to the prejudice of such interest” — A की भूमि अथवा परेषित कपास बेचकर स्वयं को A से देय ऋण/अग्रिम चुका लेने का प्राधिकार न प्रतिसंहृत किया जा सकता है, न A की विकृतचित्तता, मृत्यु या दिवालियापन से समाप्त होता है (उधारदाता-अभिकर्ता Atul के विरुद्ध Bhupendra का प्रतिसंहरण विधिपूर्ण नहीं)।

प्रभाव का समय (Sec 208): समाप्ति अभिकर्ता के सम्बन्ध में तब तक प्रभावी नहीं होती जब तक वह उसकी जानकारी में न आ जाए, और तीसरे व्यक्तियों के सम्बन्ध में तब तक नहीं जब तक वह उनकी जानकारी में न आ जाए — B प्रतिसंहरण-पत्र भेजे जाने के बाद पर उसे मिलने से पहले विक्रय कर देता है: वह विक्रय A को आबद्ध करता है और B अपना ₹5,000 का commission कमा लेता है; मालिक की मृत्यु के बाद पर उसकी सूचना मिलने से पहले अभिकर्ता द्वारा किया गया भुगतान निष्पादक के विरुद्ध अच्छा है।

Secs 209-210: मालिक की मृत्यु या विकृतचित्तता से समाप्ति होने पर अभिकर्ता को प्रतिनिधियों की ओर से उन हितों के संरक्षण एवं परिरक्षण हेतु सभी युक्तियुक्त क्रदम उठाने होंगे जो उसे सौंपे गए थे (Sec 209); तथा अभिकर्ता का प्राधिकार समाप्त होते ही उसके द्वारा नियुक्त सभी उप-अभिकर्ताओं का प्राधिकार भी समाप्त हो जाता है (Sec 210)।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- पक्षकारों के कार्य से समाप्ति समझाइए: मालिक द्वारा प्रतिसंहरण (प्राधिकार का प्रयोग होने से पूर्व, Sec. 203; आंशिक प्रयोग के बाद नहीं, Sec. 204; समय-पूर्व प्रतिसंहरण पर प्रतिकर, Sec. 205; युक्तियुक्त सूचना, Sec. 206; व्यक्त या विवक्षित, Sec. 207) तथा अभिकर्ता द्वारा परित्याग, जिस पर वही सिद्धान्त लागू है।
- विधि के प्रवर्तन से समाप्ति समझाइए: व्यवसाय पूरा होना, मालिक या अभिकर्ता की मृत्यु या विकृतचित्तता, मालिक का दिवालियापन, तथा नियत अवधि की समाप्ति।

- Sec. 209 ध्यान रखिए: मालिक की मृत्यु/विकृतचित्ता पर अभिकर्ता को सौंपे गए हितों की रक्षा हेतु युक्तियुक्त कदम उठाने होंगे।

TQ 12.1 • RTP 2026-Jan [8] • Descriptive • --- • Pg 264

LEVEL I

समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 5 प्रश्न

- हित से युक्त अभिकरण (Sec. 202) सर्वाधिक पूछा जाने वाला प्रतिरूप है: जिस अभिकर्ता को सम्पत्ति बेचकर स्वयं को मालिक से देय ऋण चुका लेने का प्राधिकार हो — वह अभिकरण उस हित की हानि करते हुए न प्रतिसंहत किया जा सकता है, न मृत्यु/विकृतचित्ता/दिवालियापन से समाप्त होता है।
- Sec. 208 के समय वाले मामलों का अभ्यास कीजिए: प्रतिसंहरण-पत्र भेजा जा चुका पर उसके मिलने से पहले माल बिक गया — वह विक्रय मालिक को आबद्ध करता है और अभिकर्ता अपना commission कमाता है, क्योंकि समाप्ति तभी प्रभावी होती है जब वह अभिकर्ता की (और तीसरे पक्षों की) जानकारी में आ जाए।
- Secs. 203/204 का भी अभ्यास कीजिए: प्राधिकार के प्रयोग से पूर्व प्रतिसंहरण वैध है, किन्तु एक बार आंशिक प्रयोग हो जाने पर पहले से उत्पन्न कार्यों एवं बाध्यताओं के लिए उसे प्रतिसंहत नहीं किया जा सकता।

CSQ 12.1 • PYQ 2022-Nov [2] (c) • Case Scenario • 4M • Pg 265

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 12.2 • MTP 2024-May [5] (c) • Case Scenario • 5M • Pg 266

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 12.3 • PYQ 2024-Jun [4] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 267

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 12.4 • PYQ 2025-Sep [1] (a) (I) {C} • Case Scenario • 3M • Pg 268

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 12.5 • RTP 2025-Sep [7] • Case Scenario • --- • Pg 269

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

अध्याय 3

माल-विक्रय अधिनियम, 1930 (The Sale of Goods Act, 1930)

24 विषय • 103 वर्गीकृत प्रश्न • महत्त्व: B

ICAI कौशल प्रोफाइल Level I 5-20% • Level II 80-95% — यह अध्याय है **सिद्धान्त-प्रधान**

Level I — स्मरण एवं समझ	31.7%	360 में से 114 अंक
Level II — अनुप्रयोग एवं विश्लेषण	68.3%	360 में से 246 अंक

इकाई 3.1: विक्रय-संविदा का गठन (Formation of the Contract of Sale)

Formation of the Contract of Sale

P2-C3-U3.1 • महत्त्व D • अध्याय में Rank 3 • श्रेणी B • अध्याय के 18.4% प्रश्न • 19 प्रश्न

विषय 1: अधिनियम का विस्तार (Scope of the Act)

P2-C3-U3.1-T01

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 3.1 का §1.1 पढ़िए: Sale of Goods Act किन पर लागू होता है, Indian Contract Act से उसका सम्बन्ध, तथा रूढ़ियों एवं प्रथाओं का स्थान।

नोट्स

केवल चल सम्पत्ति: यह अधिनियम **goods** के विक्रय की संविदाओं पर लागू होता है, अर्थात् चल सम्पत्ति पर। यह भूमि, खेत, दुकान या मकान जैसी अचल सम्पत्ति के विक्रय पर लागू **नहीं** होता — अचल सम्पत्ति के लिए Transfer of Property Act, 1882 लागू है।

Contract Act से सम्बन्ध: Indian Contract Act, 1872 के सामान्य उपबन्ध माल-विक्रय की संविदा पर वहाँ तक लागू होते हैं जहाँ तक वे Sale of Goods Act के व्यक्त उपबन्धों से **असंगत न हों**; तथा इस अधिनियम में प्रयुक्त किन्तु अपरिभाषित वे अभिव्यक्तियाँ जो Contract Act में परिभाषित हैं, वहीं दिए गए अर्थ रखती हैं।

रूढ़ियाँ एवं प्रथाएँ: ये दोनों पक्षकारों को आबद्ध करती हैं, बशर्ते वे **युक्तियुक्त** हों और विक्रय-संविदा करते समय पक्षकारों को ज्ञात रही हों।

विषय 2: परिभाषाएँ (Definitions)

P2-C3-U3.1-T02

पहले पढ़ें Sale of Goods Act, 1930 की Unit 1 का Para 1.2 पढ़िए — Sec. 2 की परिभाषाएँ: buyer 2(1), delivery 2(2), deliverable state 2(3), document of title 2(4), future goods 2(6), goods 2(7), insolvent 2(8), mercantile agent 2(9), price 2(10), property 2(11), seller 2(13); साथ ही माल का वर्गीकरण (Sec. 6)।

नोट्स

Goods (Sec 2(7), SM): “every kind of movable property other than actionable claims and money; and includes stock and shares, growing crops, grass, and things attached to or forming part of the land, which are agreed to be severed” — विक्रय से पूर्व अथवा विक्रय-संविदा के अधीन पृथक् किए जाने पर; इसमें अमूर्त वस्तुएँ (goodwill, copyrights, patents, trademarks), गैस, भाप, जल, विद्युत्, न्यायालय की डिक्री तथा FDRs भी आते हैं; ऋण एक actionable claim है, अतः goods नहीं।

वर्गीकरण (Sec 6): existing goods — जो संविदा के समय विक्रेता के स्वामित्व या कब्जे में हों: specific (संविदा के समय ही पहचाने एवं तय किए गए, Sec 2(14) — वही ‘Santro’ जिस पर सहमति हुई), ascertained (संविदा के बाद agreement के अनुसार पहचाने गए — 100 में से चुनकर अलग रखी गई 50 गॉठें) तथा unascertained (केवल विवरण या नमूने से परिभाषित — दुकान के 100 पैकेटों में से एक, X के दस घोड़ों में से एक; पृथक् होते ही ascertained बन जाते हैं); **future goods (Sec 2(6))** — जो संविदा के बाद विनिर्मित, उत्पादित अथवा अर्जित किए जाने हों (अगले वर्ष का दूध, बगीचे के इस वर्ष के सन्तरे) — ये सदैव agreement to sell होते हैं, कभी sale नहीं; **contingent goods (Sec 6(2))** — जिनका अर्जन किसी अनिश्चित आकस्मिकता पर निर्भर हो (Picasso की पेंटिंग, यदि विक्रेता उसे खरीद सके; 50 नग, यदि जहाज़ सुरक्षित पहुँचे) — ये भी केवल agreement to sell हैं।

Delivery (Sec 2(2)): एक व्यक्ति से दूसरे को कब्जे का स्वैच्छिक अन्तरण; **तीन रूप:** actual (भौतिक कब्जा क्रेता अथवा उसके प्राधिकृत धारक को सौंपना), constructive (attornment/अभिस्वीकृति — A का माल रखने वाला गोदामवाला उसे B की ओर से रखने पर सहमत हो), symbolic (अन्तरण के प्रतीक के रूप में सुपुर्दगी — bill of lading या railway receipt जैसे documents of title, अथवा गोदाम की चाबी); **deliverable state (Sec 2(3)):** वह दशा जिसमें क्रेता संविदा के अधीन सुपुर्दगी लेने को आबद्ध हो।

Document of title (Sec 2(4)): bill of lading, dock-warrant, गोदाम-रक्षक अथवा wharfinger का प्रमाणपत्र, railway receipt, multimodal transport document, माल की सुपुर्दगी का warrant या order — ये कब्जे या नियंत्रण का प्रमाण हैं जो धारक को पृष्ठांकन या परिदान द्वारा माल अन्तरित करने या प्राप्त करने का प्राधिकार देते हैं; इन्हें मात्र ‘हक दिखाने वाले दस्तावेज़’ से अलग कीजिए — share certificate स्वामी का नाम बताता तो है, पर पृष्ठांकन एवं परिदान से share अन्तरित नहीं कर सकता; mate’s receipt मात्र अभिस्वीकृति है, document of title नहीं।

Sec 2 की अन्य परिभाषाएँ: buyer 2(1)/seller 2(13) — केवल वही नहीं जो खरीदता/बेचता है, बल्कि वह भी जो खरीदने/बेचने का करार करता है; mercantile agent 2(9) — जिसे व्यापार के प्रचलित अनुक्रम में माल बेचने, विक्रय हेतु परेषित करने, माल खरीदने अथवा उसकी प्रतिभूति पर धन जुटाने का प्राधिकार हो (auctioneers, brokers); price 2(10) — माल-विक्रय का मौद्रिक प्रतिफल; property 2(11) — सामान्य सम्पत्ति (स्वामित्व), न कि मात्र विशेष सम्पत्ति (गिरवीदार को केवल अपने अग्रिम की सीमा तक विशेष सम्पत्ति मिलती है); insolvent 2(8) — वह जो व्यवसाय के

साधारण अनुक्रम में अपने ऋण चुकाना बन्द कर दे अथवा देय होते ही उन्हें चुका न सके।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 2 प्रश्न

- Sec. 2(7) कंठस्थ कीजिए: goods = actionable claims तथा धन को छोड़कर हर प्रकार की चल सम्पत्ति; इसमें stock and shares, खड़ी फ़सलें, घास तथा भूमि से जुड़ी या उसका भाग बनी वे वस्तुएँ सम्मिलित हैं जिन्हें विक्रय से पूर्व पृथक् करने पर सहमति हो।
- वर्गीकरण कंठस्थ कीजिए: existing goods (specific 2(14), ascertained, unascertained), future goods 2(6) तथा contingent goods 6(2) — future एवं contingent माल केवल agreement to sell हो सकते हैं।
- delivery (Sec. 2(2) — कब्जे का स्वैच्छिक अन्तरण) तथा उसकी तीन रीतियाँ कंठस्थ कीजिए: actual, constructive (attornment/अभिस्वीकृति, जैसे गोदामवाला) तथा symbolic (documents of title, गोदाम की चाबी)।

TQ 2.1 • PYQ 2002-Nov [2] (e) • Short Note • 5M • Pg 274

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

TQ 2.2 • PYQ 2018-May [1] (c) • Descriptive • 4M • Pg 275

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- ascertained तथा unascertained माल में उदाहरण सहित अन्तर कीजिए: 100 में से चुनकर अलग रखी गई 50 गॉठें = ascertained; किसी ढेर में से एक पैकेट = पृथक् होने तक unascertained।
- 'document of title' (bill of lading, railway receipt, गोदाम-रक्षक का प्रमाणपत्र आदि) तथा मात्र 'हक दिखाने वाले दस्तावेज़' (share certificate) का अन्तर समझिए।

TQ 2.3 • PYQ 2018-Nov [1] (c) {C} • Distinguish Between • 4M • Pg 276

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- MCQ-शैली की वर्गीकरण-परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए: चुनकर/अलग रखी गॉठें = ascertained; ढेर में से एक पैकेट = विद्यमान किन्तु unascertained; अगले मौसम में बगीचे/खेत की उपज = future goods, अतः agreement to sell।
- पहले परिभाषा बताइए, फिर प्रत्येक लेन-देन को एक-पंक्ति तर्क के साथ उसकी श्रेणी में रखिए।

CSQ 2.1 • MTP 2025-Jan S2 [5] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 277

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

विषय 3: विक्रय तथा विक्रय का करार (Sale and Agreement to Sell — Section 4)

P2-C3-U3.1-T03

पहले पढ़ें Para 1.3 पढ़िए — Sec. 4(1) की विक्रय-संविदा की परिभाषा, Sec. 4(3) के अधीन sale बनाम agreement to sell, Sec. 4(4) के अधीन रूपान्तरण, तथा विक्रय-संविदा के छह अनिवार्य तत्त्व।

नोट्स

Sec 4(1) (SM): “A contract of sale of goods is a contract whereby the seller transfers or agrees to transfer the property in goods to the buyer for a price” — यह एक अंश-स्वामी तथा दूसरे अंश-स्वामी के बीच भी हो सकती है; विक्रय-संविदा आत्यन्तिक अथवा शर्तयुक्त हो सकती है (Sec 4(2))।

Sec 4(3)-(4): जहाँ माल की सम्पत्ति क्रेता को अन्तरित हो जाए, वहाँ वह संविदा **sale** है; जहाँ अन्तरण किसी भावी समय पर होना हो अथवा आगे पूरी की जाने वाली किसी शर्त के अधीन हो, वहाँ वह **agreement to sell** है — जो समय बीतने पर अथवा उन शर्तों के पूरा होने पर, जिनके अधीन सम्पत्ति जानी है, **sale** बन जाती है (Sec 4(4))।

छह अनिवार्य तत्त्व: (i) दो भिन्न पक्षकार — कोई व्यक्ति अपना ही माल नहीं खरीद सकता; (ii) विषय-वस्तु **goods** (चल सम्पत्ति) हो, चाहे विद्यमान हो या भावी; (iii) मूल्य धन में — यद्यपि प्रतिफल अंशतः धन और अंशतः माल हो सकता है (पुराने TV के बदले नया TV तथा ₹20,000 नक़द — वैध विक्रय; पूर्णतः माल के बदले माल **barter** है); (iv) प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण द्वारा विक्रेता से क्रेता को सामान्य सम्पत्ति का अन्तरण; (v) आत्यन्तिक अथवा शर्तयुक्त; (vi) वैध संविदा के सभी अनिवार्य तत्त्व — स्वतन्त्र सम्पत्ति, सक्षमता, उद्देश्य एवं प्रतिफल की विधिपूर्णता।

वर्गीकरण की कसौटी: केवल एक प्रश्न पूछिए — क्या स्वामित्व तुरन्त चला जाता है? तुरन्त अन्तरण, चाहे मूल्य बाद में या किशतों में देय हो, फिर भी **sale** है; जहाँ माल अभी अनुकूलित होना हो अथवा कोई शर्त पूरी होनी हो, वहाँ सम्पत्ति जाने तथा माल के **deliverable state** में आने तक **agreement to sell** है; भावी माल का तथाकथित वर्तमान विक्रय केवल **agreement to sell** के रूप में प्रभावी होता है (Sec 6(3) — उगाए जाने वाले 1,000 क्विंटल आलू), अतः फ़सल विफल होने पर जोखिम एवं उपचार तय करने हेतु Sec 8 की अध्यारोपित असम्भवता वाली तर्क-पद्धति लगाइए (विक्रेता उन्मोचित; पूर्वदत्त मूल्य वापसी योग्य, कोई नुक़सानी नहीं)।

उत्तर का क्रम: पहले माल का प्रकार, फिर **sale** या **agreement to sell**, फिर हानि के समय स्वामी कौन और जोखिम किस पर, और अन्त में उपचार।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 4(1) कंठस्थ कीजिए: वह संविदा जिसके द्वारा विक्रेता माल की सम्पत्ति क्रेता को मूल्य के बदले अन्तरित करता है अथवा अन्तरित करने का करार करता है; यह आत्यन्तिक अथवा शर्तयुक्त हो सकती है (Sec. 4(2))।
- अनिवार्य तत्त्व गिनाइए: (i) दो भिन्न पक्षकार; (ii) **goods** (चल सम्पत्ति); (iii) मूल्य धन में (अंशतः वस्तु-रूप में भी हो सकता है); (iv) सामान्य सम्पत्ति का अन्तरण; (v) आत्यन्तिक अथवा शर्तयुक्त; (vi) वैध संविदा के सभी अनिवार्य तत्त्व।
- Sec. 4(4): **agreement to sell** तब **sale** बन जाती है जब समय बीत जाए अथवा वे शर्तें पूरी हो जाएँ जिनके अधीन सम्पत्ति जानी है।

TQ 3.1 · RTP 2021-May [12] · Descriptive · --- · Pg 278

LEVEL I

स्मरण (Remembering)

सरल**अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 2 प्रश्न

- प्रत्येक परिस्थिति को एक ही प्रश्न पर कसिए: क्या स्वामित्व तुरन्त चला जाता है? सम्पत्ति का तुरन्त अन्तरण, चाहे मूल्य किशतों में देय हो, फिर भी **sale** है; भुगतान का समय वर्गीकरण को नहीं बदलता।

- अनुकूलित/चुने जाने वाले माल (जैसे वह हीरे का कंगन जिसमें माणिक जड़े जाने हैं) = agreement to sell; सम्पत्ति एवं जोखिम तभी जाते हैं जब शर्त पूरी हो और माल deliverable state में हो।

TQ 3.2 · RTP 2026-May [10] · Descriptive · --- · Pg 279

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.1 · PYQ 2022-May [5] (a) · Case Scenario · 6M · Pg 280

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाए · 1 प्रश्न

- भावी माल वाली परिस्थितियों (उगाए जाने वाले 100 क्विंटल आलू, मूल्य पूर्वदत्त, फ़सल विफल) में पहले वर्गीकरण कीजिए — भावी माल का विक्रय केवल agreement to sell के रूप में प्रभावी होता है (Sec. 6(3)); फिर perishing/अध्यारोपित असम्भवता (Sec. 8 की तर्क-पद्धति) लगाकर जोखिम तथा यह तय कीजिए कि क्रेता मूल्य या नुक़सानी वसूल कर सकता है या नहीं।
- क्रम से सुलझाए: माल का प्रकार → sale या agreement to sell → हानि के समय स्वामी/जोखिम किस पर → उपचार।

CSQ 3.2 · MTP 2023-Nov [5] (a) · Case Scenario · 6M · Pg 281

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

विषय 4: विक्रय तथा विक्रय के करार में अन्तर

P2-C3-U3.1-T04

पहले पढ़ें Para 1.4 की वह अन्तर-तालिका पढ़िए जो Sec. 4(3) पर आधारित है — अन्तर के आठ आधार।

नोट्स

Sec 4(3) की खूँटी: sale — सम्पत्ति तत्काल चली जाती है (निष्पादित संविदा, जो rights in rem सृजित करती है); agreement to sell — सम्पत्ति बाद में अथवा शर्तों पर जानी है (निष्पाद्य संविदा, जो rights in personam सृजित करती है); पूरे अंक पाने के लिए आठों आधार 'basis of difference' सहित तालिका में लिखिए।

विक्रय (Sale)	विक्रय का करार (Agreement to sell)
सम्पत्ति क्रेता को तत्काल चली जाती है	सम्पत्ति भावी तिथि पर अथवा शर्त पूरी होने पर जाती है
निष्पादित संविदा — प्रतिफल चुकाया जा चुका	निष्पाद्य संविदा — प्रतिफल भावी तिथि पर देय
विक्रेता क्रेता पर मूल्य के लिए वाद ला सकता है	व्यथित पक्ष केवल नुक़सानी का वाद ला सकता है, मूल्य का नहीं
माल की हानि या नाश क्रेता पर पड़ता है — जोखिम स्वामित्व के साथ चलता है	हानि या नाश का दायित्व विक्रेता पर
Jus in rem — समस्त जगत् के विरुद्ध अधिकार; विक्रेता	Jus in personam — पक्षकार के विरुद्ध अधिकार;

पुनर्विक्रय नहीं कर सकता	विक्रेता पुनर्विक्रय कर सकता है
विक्रेता दिवालिया: assignee माल नहीं ले सकता; क्रेता दिवालिया: assignee का माल पर नियंत्रण	विक्रेता दिवालिया: assignee माल ले लेता है; क्रेता दिवालिया: माल पर कोई नियंत्रण नहीं

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- आठों आधार साधिए: सम्पत्ति का अन्तरण (तत्काल बनाम भावी/शर्तयुक्त); संविदा का स्वरूप (निष्पादित बनाम निष्पाद्य); भंग के उपचार (विक्रेता मूल्य का वाद बनाम केवल नुकसानी); हानि/नाश का दायित्व (क्रेता बनाम विक्रेता); जोखिम का भार (जोखिम स्वामित्व के साथ)।
- इन्हें पूरा कीजिए: अधिकारों का स्वरूप (jus in rem बनाम jus in personam); पुनर्विक्रय का अधिकार (विक्रेता नहीं कर सकता बनाम कर सकता है); विक्रेता तथा क्रेता के दिवालियापन के परिणाम (official assignee का माल बनाम मूल्य पर नियंत्रण)।
- उत्तर तालिका में 'basis of difference' सहित लिखिए, तभी पूरे अंक मिलेंगे; इसे Sec. 4(3) से जोड़िए।

TQ 4.1 • RTP 2023-Jun [11] • Distinguish Between • --- • Pg 282

LEVEL I

समझ (Understanding)

सरल

विषय 5: विक्रय तथा अन्य समरूप संविदाओं में अन्तर

P2-C3-U3.1-T05

पहले पढ़ें Para 1.5 पढ़िए — विक्रय बनाम hire-purchase (Hire-Purchase Act, 1972), विक्रय बनाम bailment, तथा विक्रय बनाम कार्य एवं श्रम की संविदा।

नोट्स

Hire-purchase agreement (Hire-Purchase Act, 1972): माल क्रय के विकल्प सहित किराये पर दिया जाता है — (a) स्वामी इस शर्त पर क़ब्ज़ा देता है कि व्यक्ति तय राशि आवधिक किश्तों में चुकाएगा, (b) सम्पत्ति अन्तिम किश्त चुकाने पर जाती है, तथा (c) सम्पत्ति जाने से पूर्व किसी भी समय hirer को agreement समाप्त करने का अधिकार है।

विक्रय (Sale)	किराया-क्रय (Hire-purchase)
सम्पत्ति संविदा के समय ही तत्काल क्रेता को चली जाती है	सम्पत्ति hirer को केवल अन्तिम किश्त चुकाने पर जाती है
क्रेता की स्थिति माल के स्वामी की है	अन्तिम किश्त चुकाने तक hirer मात्र bailee है
क्रेता समाप्त नहीं कर सकता; मूल्य चुकाने को आबद्ध है	hirer माल लौटाकर समाप्त कर सकता है, आगे कोई दायित्व नहीं
क्रेता के दिवालियापन का जोखिम विक्रेता उठाता है	स्वामी पर ऐसा कोई जोखिम नहीं — किश्त न चुकाने पर माल वापस ले सकता है

क्रेता सद्भावी क्रेता को अच्छा हक दे सकता है तथा पुनर्विक्रय कर सकता है

सभी किश्तें चुकने तक hirer न हक दे सकता है, न पुनर्विक्रय

विक्रय बनाम bailment: विक्रय में माल की सामान्य सम्पत्ति मौद्रिक मूल्य के बदले अन्तरित होती है और माल कभी लौटाया नहीं जाता; bailment (Indian Contract Act, 1872) में केवल कब्ज़ा — एक विशेष सम्पत्ति — किसी विनिर्दिष्ट प्रयोजन (सुरक्षित अभिरक्षा, वहन) से अन्तरित होता है, और वही माल लौटाना होता है अथवा bailor के निदेशानुसार व्ययनित करना होता है; इसमें प्रतिफल सशुल्क भी हो सकता है और निःशुल्क भी।

विक्रय बनाम कार्य एवं श्रम: जहाँ कोई माल बेचा ही न जा रहा हो और संविदा का सार कौशल एवं श्रम का प्रयोग हो, वहाँ वह कार्य एवं श्रम की संविदा है, विक्रय की नहीं — जैसे आभूषण बनवाने हेतु सुनार को दिया गया सोना, अथवा किसी चित्रकार से चित्र बनवाना।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- hire-purchase agreement समझाइए: माल क्रय के विकल्प सहित किराये पर — कब्ज़ा आवधिक किश्तों की शर्त पर दिया जाता है, सम्पत्ति अन्तिम किश्त पर जाती है, और सम्पत्ति जाने से पूर्व hirer उसे समाप्त कर सकता है।
- विक्रय बनाम hire-purchase के पाँच अन्तर साधिए: सम्पत्ति जाने का समय; क्रेता स्वामी बनाम अन्तिम किश्त तक hirer मात्र bailee; क्रेता समाप्त नहीं कर सकता और मूल्य देना ही होगा बनाम hirer माल लौटा सकता है; क्रेता के दिवालियापन का जोखिम विक्रेता पर बनाम स्वामी माल वापस ले सकता है; क्रेता सद्भावी क्रेता को अच्छा हक दे सकता है बनाम hirer नहीं; तथा पुनर्विक्रय के अधिकार।
- विक्रय की तुलना bailment से (सामान्य सम्पत्ति का अन्तरण बनाम मात्र कब्ज़ा/विशेष सम्पत्ति, माल लौटाना होता है) तथा कार्य एवं श्रम से (संविदा का सार कौशल एवं श्रम, जैसे दिए गए सोने से सुनार का आभूषण बनाना) भी कर सकिए।

TQ 5.1 • PYQ 2025-Sep [6] (c) • Descriptive • 7M • Pg 283

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 6: विक्रय-संविदा कैसे की जाती है (Section 5)

P2-C3-U3.1-T06

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 3.1 का §1.6 पढ़िए: Section 5(1) के अधीन विक्रय-संविदा किन छह रीतियों से की जा सकती है।

नोट्स

Section 5(1) — छह रीतियाँ: विक्रय-संविदा की जा सकती है — (i) मूल्य के बदले माल खरीदने या बेचने की प्रस्थापना तथा उसके प्रतिग्रहण द्वारा; (ii) माल की तत्काल सुपुर्दगी के साथ; (iii) मूल्य के तत्काल भुगतान के साथ, जबकि सुपुर्दगी भावी तिथि पर हो; (iv) तत्काल सुपुर्दगी तथा तत्काल भुगतान के साथ; (v) सुपुर्दगी या भुगतान अथवा

दोनों **किश्तों** में; अथवा (vi) सुपुर्दगी या भुगतान अथवा दोनों किसी **भावी तिथि** पर।

ध्यान देने की बात: ये रीतियाँ विकल्प हैं, संचयी नहीं — मूल्य के बदले प्रस्थापना एवं प्रतिग्रहण हो जाने पर विक्रय-संविदा पूर्ण है, चाहे सुपुर्दगी और भुगतान का समय कुछ भी हो।

उदाहरण: R अपनी ₹55,000 मूल्य की पुरानी motorcycle S को एक नई motorcycle के बदले देने तथा अन्तर नक़द चुकाने पर सहमत होता है — यह विक्रय-संविदा है।

विषय 7: विक्रय-संविदा की विषय-वस्तु (Subject Matter of Contract of Sale)

P2-C3-U3.1-T07

पहले पढ़ें Para 1.7 पढ़िए — विद्यमान अथवा भावी माल (Sec. 6), संविदा करने से पूर्व माल का नष्ट होना (Sec. 7) तथा agreement to sell के बाद किन्तु विक्रय से पूर्व माल का नष्ट होना (Sec. 8), साथ ही विशिष्ट भावी माल का नष्ट होना।

नोट्स

Sec 6: विषय-वस्तु विद्यमान माल (जो विक्रेता ने अर्जित किया हो, जिसका वह स्वामी हो अथवा जो उसके क़ब्ज़े में हो) अथवा भावी माल हो सकती है; ऐसे माल की संविदा भी वैध है जिसका अर्जन किसी आकस्मिकता पर निर्भर हो (किसी विशेष मिल द्वारा बनाया जाने वाला कपड़ा — contingent contract); जहाँ विक्रेता भावी माल का वर्तमान विक्रय करने का आशय रखे, वहाँ संविदा केवल agreement to sell के रूप में प्रभावी होती है (Sec 6(3))।

Sec 7 (संविदा से पूर्व नष्ट होना): विशिष्ट माल की विक्रय-संविदा शून्य है, यदि विक्रेता की जानकारी के बिना, संविदा किए जाने के समय, वह माल नष्ट हो चुका हो अथवा इतना क्षतिग्रस्त हो चुका हो कि वह संविदा में दिए गए अपने विवरण पर खरा न उतरे (जलभराव से नष्ट गेहूँ की 50 बोरियाँ, जिसकी जानकारी किसी पक्ष को नहीं — करार शून्य)।

Sec 8 (agreement to sell के बाद किन्तु विक्रय से पूर्व नष्ट होना): विशिष्ट माल बेचने का करार तब अकृत हो जाता है जब विक्रेता या क्रेता के किसी दोष के बिना, क्रेता पर जोखिम जाने से पूर्व, माल नष्ट हो जाए अथवा इतना क्षतिग्रस्त हो जाए कि वह अपने विवरण पर खरा न उतरे — इसका आधार अध्यारोपित असम्भवता है; **विशिष्ट भावी माल:** उसका नाश भी संविदा को शून्य कर देता है (उगाए जाने वाले 100 टन टमाटर पौध-रोग से विफल — कमी के लिए विक्रेता दायी नहीं)।

जहाज़ वाला प्रतिरूप: Australia से जहाज़ द्वारा आने वाली चीनी, जबकि जहाज़ पहले ही डूब चुका था और दोनों को इसका पता नहीं — agreement to sell + विशिष्ट माल + सम्पत्ति/जोखिम जाने से पूर्व हानि + किसी पक्ष का कोई दोष नहीं, अतः करार अकृत हो जाता है (Sec 8, अथवा संविदा से पूर्व नष्ट हुआ हो तो Sec 7): क्रेता का विक्रेता के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं और वह खुले बाज़ार से खरीदने की अतिरिक्त लागत वसूल नहीं कर सकता, यद्यपि पूर्वदत्त मूल्य वापसी योग्य है।

उत्तर का ढाँचा: क्या माल विशिष्ट है? वह कब और किसके दोष से नष्ट हुआ? फिर Sec 7 या Sec 8, संविदा शून्य/अकृत, और अन्त में दावे पर निष्कर्ष।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- Sec. 7: विशिष्ट माल की संविदा शून्य है, यदि विक्रेता की जानकारी के बिना, संविदा के समय माल नष्ट हो चुका हो अथवा इतना क्षतिग्रस्त हो चुका हो कि वह अपने विवरण पर खरा न उतरे।
- Sec. 8: विशिष्ट माल बेचने का करार अकृत हो जाता है यदि क्रेता पर जोखिम जाने से पूर्व, किसी पक्ष के दोष बिना, माल नष्ट हो जाए — इसका आधार अध्यारोपित असम्भवता है।
- दोनों समय-बिन्दु एक साथ समझाइए (4-6 अंकों का प्रिय प्रश्न): संविदा से पूर्व नाश (Sec. 7) बनाम agreement to sell के बाद किन्तु विक्रय से पूर्व नाश (Sec. 8); विशिष्ट भावी माल नष्ट हो जाए तो संविदा असम्भवता से शून्य हो जाती है।

TQ 7.1 · RTP 2020-Nov [8] · Descriptive · --- · Pg 285

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 7.2 · PYQ 2022-May [1] (c) {C} · Descriptive · 4M · Pg 286

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 1 प्रश्न

- जहाज़ वाले प्रतिरूप का अभ्यास कीजिए (जहाज़ से आने वाला विशिष्ट माल जो उस पर मिला ही नहीं): करार Sec. 7/8 के अधीन शून्य है, अतः क्रेता खुले बाज़ार से माल जुटाने की अतिरिक्त लागत वसूल नहीं कर सकता, यद्यपि पूर्वदत्त मूल्य वापसी योग्य है।
- उत्तर का ढाँचा: क्या माल विशिष्ट है? → वह कब और किसके दोष से नष्ट हुआ? → Sec. 7 या Sec. 8 → संविदा शून्य/अकृत → दावे पर निष्कर्ष।

CSQ 7.1 · MTP 2025-Aug S2 [2] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 286

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 8: मूल्य का अभिनिश्चयन (Sections 9 एवं 10)

P2-C3-U3.1-T08

पहले पढ़ें Para 1.8 पढ़िए — Sec. 2(10) में परिभाषित मूल्य; Sec. 9 के अधीन अभिनिश्चयन की रीतियाँ; Sec. 10 के अधीन किसी तीसरे पक्ष के मूल्यांकन पर विक्रय का करार।

नोट्स

Sec 9: मूल्य — विक्रय का मौद्रिक प्रतिफल (Sec 2(10)) — (1) संविदा द्वारा नियत हो सकता है, (2) संविदा में दी गई रीति से नियत करने पर सहमति हो सकती है, जैसे किसी valuer द्वारा, अथवा (3) पक्षकारों के बीच के व्यवहार-क्रम से निर्धारित हो सकता है; जहाँ कुछ भी नियत न हो, वहाँ क्रेता को व्यक्तिगत मूल्य चुकाना होगा — यह प्रत्येक मामले में तथ्य का प्रश्न है।

Sec 10 (मूल्यांकन पर विक्रय का करार): जहाँ मूल्य किसी तीसरे पक्ष द्वारा नियत होना हो और वह मूल्यांकन कर न सके या न करे, वहाँ करार शून्य है; किन्तु जिस क्रेता ने माल (या उसका भाग) प्राप्त कर विनियोजित कर लिया हो, उसे हर दशा में व्यक्तिगत मूल्य चुकाना होगा; जहाँ किसी पक्ष के दोष से तीसरा पक्ष मूल्यांकन करने से रोका गया हो, वहाँ दोषी पक्ष निर्दोष पक्ष को नुकसानी का दायी है।

मूल्य पर चर्चा ही न होने वाला प्रतिरूप (X की कार): मूल्य की बात बिल्कुल न करने से करार अनिश्चित या अवैध नहीं हो जाता — वह वैध संविदा है और क्रेता को युक्तियुक्त मूल्य चुकाना होगा; Y विधिपूर्वक कार की माँग कर सकता है और X युक्तियुक्त मूल्य वसूल करता है, अतः विक्रेता पालन से इनकार नहीं कर सकता।

valuer के विफल होने वाला प्रतिरूप (P की दो bikes, Q मूल्य नियत करने से इनकार करे): उत्तर को बाँटिए — जो bike S को सुपुर्द होकर उसके द्वारा विनियोजित हो चुकी: युक्तियुक्त मूल्य देय; जो bike सुपुर्द नहीं हुई: करार शून्य और अकृत किया जा सकता है; और यदि विक्रेता के अपने दोष (जैसे विवरण रोक लेना) से मूल्यांकन रुका होता, तो वह क्रेता को नुकसानी का दायी होता; ढाँचा: Sec 9/10 का नियम, तथ्य किस खंड में आते हैं, और माल के प्रत्येक भाग पर अलग निष्कर्ष।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 9: मूल्य (1) संविदा द्वारा नियत, (2) संविदा में दी गई रीति से नियत करने पर सहमति (जैसे valuer द्वारा), अथवा (3) व्यवहार-क्रम से निर्धारित हो सकता है; कुछ भी नियत न हो तो क्रेता युक्तियुक्त मूल्य चुकाएगा (तथ्य का प्रश्न)।
- Sec. 10 (तीसरे पक्ष द्वारा मूल्यांकन): तीसरा पक्ष मूल्य नियत न कर सके या न करे तो करार शून्य; किन्तु माल (या उसका भाग) क्रेता को सुपुर्द होकर विनियोजित हो चुका हो तो उसे युक्तियुक्त मूल्य चुकाना होगा; किसी पक्ष के दोष से मूल्यांकन रुके तो वही पक्ष दूसरे को नुकसानी का दायी है।

TQ 8.1 · PYQ 2026-May [6] (c) (ii) · Descriptive · 3M · Pg 287

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 5 प्रश्न

- मूल्य पर चर्चा ही न होने वाले कार-प्रकरण: संविदा अनिश्चितता के कारण शून्य नहीं — वह वैध है और क्रेता को युक्तियुक्त मूल्य चुकाना होगा; विक्रेता पालन से इनकार नहीं कर सकता।
- valuer के विफल होने वाले प्रकरण (दोपहिया/laptop/सरसों तेल): उत्तर बाँटिए — जो माल सुपुर्द होकर विनियोजित हो चुका → युक्तियुक्त मूल्य देय; जो भाग सुपुर्द नहीं हुआ → करार शून्य; और जहाँ विक्रेता के अपने दोष (जैसे valuer से विवरण रोकना) से मूल्यांकन रुका हो, वहाँ वह क्रेता को नुकसानी का दायी है।
- ढाँचा: Sec. 9/10 का नियम → तथ्य किस खंड में → माल के प्रत्येक भाग पर निष्कर्ष।

CSQ 8.1 · PYQ 2023-Jun [1] (c) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 288

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.2 · PYQ 2024-Jun [2] (a) · Case Scenario · 7M · Pg 289

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.3 · RTP 2024-Jun [11] · Case Scenario · --- · Pg 290

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.4 · PYQ 2024-Sep [2] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 291

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.5 · RTP 2025-May [10] · Case Scenario · --- · Pg 292

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

इकाई 3.2: शर्तें एवं आश्वासन (Conditions and Warranties)

Conditions and Warranties

P2-C3-U3.2 · महत्त्व B · अध्याय में Rank 1 · श्रेणी A · अध्याय के 34.0% प्रश्न · 35 प्रश्न

विषय 1: समय सम्बन्धी शर्त (Section 11)

P2-C3-U3.2-T01

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं · पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 3.2 का §2.1 पढ़िए: Section 11, तथा मूल्य के भुगतान के समय एवं माल की सुपुर्दगी के समय में अन्तर।

नोट्स

Section 11 — मूल्य का भुगतान: जब तक संविदा की शर्तों से कोई भिन्न आशय प्रकट न हो, **मूल्य के भुगतान के समय सम्बन्धी शर्त** विक्रय-संविदा का **सारभूत अंग नहीं मानी जाती।**

सुपुर्दगी की बात अलग है: माल की सुपुर्दगी बिना विलम्ब करनी होती है, और **सुपुर्दगी के समय सम्बन्धी शर्तें** प्रायः संविदा का **सारभूत अंग** होती हैं — परीक्षक यही व्यावहारिक अन्तर देखना चाहता है।

मूल्य: मूल्य संविदा द्वारा नियत हो सकता है अथवा बाद में किसी विनिर्दिष्ट रीति से नियत करने पर सहमति हो सकती है; कोई अन्य शर्त सारभूत है या नहीं, यह पक्षकारों द्वारा तय शर्तों पर निर्भर करता है।

विषय 2: परिचय — शर्तें एवं आश्वासन (Conditions and Warranties)

P2-C3-U3.2-T02

पहले पढ़ें Sale of Goods Act, 1930 की Unit 2 (Conditions & Warranties) का Para 2.2 पढ़िए — stipulations, condition (Sec. 12(2)), warranty (Sec. 12(3)), संविदा का अर्थान्वयन (Sec. 12(4)) तथा अन्तर-तालिका।

नोट्स

Stipulation: वह अभ्यावेदन जो विक्रय-संविदा का भाग बने और उसे प्रभावित करे (Sec 12(1)); अधिक महत्वपूर्ण शर्तें conditions हैं, कम महत्त्व की warranties।

Condition (Sec 12(2), SM): “A condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated” (जिस कार पर 20 किमी/लीटर की शर्त थी वह केवल 15 दे — शर्त-भंग)।

Warranty (Sec 12(3), SM): “A warranty is a stipulation collateral to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a claim for damages but not to a right to reject the goods and treat

the contract as repudiated.”

अर्थान्वयन की कसौटी (Sec 12(4)): कोई शर्त condition है या warranty, यह प्रत्येक मामले में संविदा के अर्थान्वयन पर निर्भर है, उसके नाम पर नहीं — कोई शर्त warranty कही जाकर भी condition हो सकती है; **3-बिन्दु अन्तर:** अर्थ (मुख्य प्रयोजन के लिए सारभूत बनाम संपार्श्विक), भंग पर अधिकार (संविदा तोड़ना, अथवा नुकसानी, अथवा दोनों — बनाम केवल नुकसानी), रूपान्तरण (Sec 13 के अधीन शर्त-भंग को आश्वासन-भंग माना जा सकता है, किन्तु आश्वासन-भंग को कभी शर्त-भंग नहीं)।

भ्रमण-कार वाला प्रतिरूप (Ram/Shyam): जहाँ क्रेता भ्रमण के उपयुक्त कार के लिए विक्रेता पर निर्भर हो, वहाँ उपयुक्तता ऐसी condition है कि उसका पूरा न होना संविदा का मूल प्रयोजन ही विफल कर देता है, अतः क्रेता कार अस्वीकार कर मूल्य वापस पा सकता है; इसकी तुलना उस एक-वर्षीय guarantee से कीजिए जिसमें horn खराब निकले — वहाँ केवल मरम्मत/प्रतिस्थापन तथा नुकसानी, कोई repudiation नहीं; ढाँचा: शर्त को धारा सहित वर्गीकृत कीजिए, तथ्यों पर लागू कीजिए, उपचार बताइए।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- दोनों को परिभाषित कीजिए: condition वह शर्त है जो संविदा के मुख्य प्रयोजन के लिए सारभूत हो और जिसके भंग पर संविदा तोड़ने का अधिकार मिले (Sec. 12(2)); warranty संपार्श्विक है, जिसके भंग पर केवल नुकसानी का दावा बनता है, माल अस्वीकार करने का नहीं (Sec. 12(3))।
- 3-बिन्दु अन्तर साधिए (अर्थ; भंग पर अधिकार — repudiate और/या नुकसानी बनाम केवल नुकसानी; रूपान्तरण — शर्त-भंग को आश्वासन-भंग माना जा सकता है, उलटा कभी नहीं) और इसे Sec. 13 की परिस्थितियों से जोड़िए।
- जाल: कोई शर्त condition है या warranty, यह संविदा के अर्थान्वयन से तय होता है, उसके नाम से नहीं — warranty कही गई शर्त भी condition हो सकती है (Sec. 12(4))।

TQ 2.1 • PYQ 2021-Jan [4] (a) • Descriptive • 6M • Pg 298

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- भ्रमण-कार वाले प्रतिरूप का अभ्यास कीजिए (क्रेता भ्रमण के उपयुक्त कार के लिए विक्रेता पर निर्भर; कार अनुपयुक्त): उपयुक्तता जड़ तक जाने वाली condition है, अतः क्रेता कार अस्वीकार कर मूल्य वसूल कर सकता है।
- ढाँचा: शर्त को वर्गीकृत कीजिए (condition/warranty, धारा सहित) → तथ्यों पर लागू कीजिए → उपचार बताइए (repudiation + मूल्य वापसी बनाम नुकसानी)।

CSQ 2.1 • RTP 2018-Nov [5] (I) • Case Scenario • --- • Pg 300

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 3: शर्त को आश्वासन कब माना जाए (Section 13)

P2-C3-U3.2-T03

पहले पढ़ें Para 2.3 पढ़िए — Sec. 13 की वे परिस्थितियाँ जिनमें शर्त-भंग घटकर आश्वासन-भंग रह जाता है, जिससे क्रेता

संविदा तोड़ने का अधिकार खो देता है और केवल नुकसानी माँग सकता है।

नोट्स

Sec 13 का प्रभाव: निम्नलिखित दशाओं में शर्त-भंग घटकर आश्वासन-भंग रह जाता है — क्रेता संविदा तोड़ने का अधिकार खो देता है, संविदा अकृत नहीं होती, और वह केवल नुकसानी माँग सकता है।

चार परिस्थितियाँ: (i) क्रेता शर्त के पालन का पूर्णतः अधित्यजन कर दे — अपने ही लाभ के लिए स्वैच्छिक अधित्यजन; (ii) क्रेता शर्त-भंग को आश्वासन-भंग मानना चुन ले — जैसे प्रथम श्रेणी की चीनी @ ₹625 के बदले दी गई द्वितीय श्रेणी की चीनी स्वीकार कर ले और प्रति बोरी ₹25 नुकसानी माँगे; (iii) संविदा अविभाज्य हो और क्रेता ने सम्पूर्ण माल अथवा उसका कोई भाग स्वीकार कर लिया हो — जैसे basmati में निम्न श्रेणी का चावल मिल जाने से संविदा अविभाज्य हो जाती है; (iv) असम्भवता अथवा अन्य कारण से शर्त का पालन विधि द्वारा क्षमा कर दिया गया हो।

समूहीकरण: (i)-(ii) स्वैच्छिक अधित्यजन, (iii)-(iv) अनिवार्य अधित्यजन — अन्त सदैव परिणाम से कीजिए: उपचार केवल नुकसानी तक सीमित; **स्वीकृति वाला प्रतिरूप:** अविभाज्य संविदा में माल स्वीकार कर लेने पर (ग़लत रंग की बोरियाँ, द्वितीय श्रेणी की चीनी) क्रेता के पास केवल नुकसानी रह जाती है; नमूने वाली शृंखलाओं में जिन बीच के विक्रेताओं ने माल स्वीकार कर लिया, वे Sec 13 के अधीन केवल नुकसानी माँग सकते हैं, अस्वीकार कभी नहीं; ढाँचा: भंग हुई condition पहचानिए (विवरण/गुणवत्ता), अधित्यजन/चयन/स्वीकृति कसिए, फिर Sec 13, फिर केवल नुकसानी।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- चारों परिस्थितियाँ समझाइए: (i) क्रेता शर्त के पालन का पूर्णतः अधित्यजन करे (स्वैच्छिक); (ii) क्रेता शर्त-भंग को आश्वासन-भंग मानना चुने; (iii) संविदा अविभाज्य हो और क्रेता ने माल या उसका भाग स्वीकार कर लिया हो (अनिवार्य); (iv) असम्भवता या अन्य कारण से पालन विधि द्वारा क्षमा।
- इन्हें स्वैच्छिक बनाम अनिवार्य अधित्यजन में बाँटिए, और परिणाम सदैव बताइए: संविदा अकृत नहीं होती; उपचार केवल नुकसानी तक सीमित।

TQ 3.1 • PYQ 2021-Dec [1] (c) {C} • Descriptive • 4M • Pg 301

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 3.2 • PYQ 2025-May [6] (c) (ii) • Descriptive • --- • Pg 302

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- स्वीकृति वाले प्रतिरूप का अभ्यास कीजिए (ग़लत रंग की बोरियों में दिया basmati स्वीकार कर लिया; द्वितीय श्रेणी की चीनी स्वीकार कर मूल्य-अन्तर माँगा): अविभाज्य संविदा में माल स्वीकार होते ही Sec. 13 के अधीन केवल नुकसानी माँगी जा सकती है।
- ढाँचा: भंग हुई condition पहचानिए (विवरण/गुणवत्ता) → क्या क्रेता ने अधित्यजन/चयन/स्वीकृति की? → Sec. 13 → केवल नुकसानी।

CSQ 3.1 • PYQ 2024-Sep [2] (a) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 303

LEVEL II

मध्यम

विषय 4: व्यक्त एवं विवक्षित शर्तें तथा आश्वासन (Sections 14-17)

P2-C3-U3.2-T04

पहले पढ़ें Para 2.4 पढ़िए — विवक्षित शर्तें: हक्र (Sec. 14(a)), विवरण (Sec. 15), नमूना (Sec. 17), नमूना तथा विवरण दोनों (Sec. 15), उपयुक्तता (Sec. 16(1)), विक्रय-योग्यता (Sec. 16(2)), खाद्यता; तथा Sec. 14(b), 14(c), 16(3) के अधीन विवक्षित आश्वासन एवं संकटमय माल।

नोट्स

व्यक्त बनाम विवक्षित: व्यक्त शर्तें वे हैं जो संविदा में तय एवं कथित हों; विवक्षित शर्तें/आश्वासन विधि द्वारा समाविष्ट होते हैं, जब तक कोई भिन्न आशय प्रकट न हो, और इन्हें व्यक्त agreement, व्यवहार-क्रम अथवा व्यापार-प्रथा से हटाया जा सकता है (Sec 62)।

सात विवक्षित शर्तें: (1) **हक्र** — विक्रय में विक्रेता को बेचने का अधिकार है, और agreement to sell में जब सम्पत्ति जानी हो तब उसे वह अधिकार होगा (Sec 14(a) — अ-स्वामी से खरीदा ट्रैक्टर वास्तविक स्वामी को सौंपना पड़ा: पूरा मूल्य विक्रेता से वसूली योग्य); (2) **विवरण** — माल विवरण के अनुरूप हो: “if you contract to sell peas, you cannot compel the buyer to take beans” (Sec 15 — ‘copper-fastened vessel’ जो केवल अंशतः copper-fastened निकला, ‘waste silk’ जो बाज़ार के विवरण पर खरा न उतरा — अस्वीकार्य, चाहे क्रेता निरीक्षण कर सकता था या नहीं); (3) **नमूने द्वारा विक्रय** (Sec 17); (4) **नमूना तथा विवरण दोनों** — ढेर को दोनों से मेल खाना होगा (नमूने के समान refined sunflower oil, पर उसमें hemp oil मिला — अस्वीकार्य); (5) **क्रेता के प्रयोजन हेतु गुणवत्ता या उपयुक्तता** (Sec 16(1)); (6) **विक्रय-योग्यता** (Sec 16(2)); (7) **खाद्य पदार्थों की खाद्यता** (typhoid के कीटाणु वाला दूध — विक्रेता नुकसानी का दायी; bun में पत्थर से दाँत टूटा — भंग, नुकसानी)।

Sec 17 नमूने द्वारा विक्रय — तीन विवक्षित शर्तें: (a) ढेर गुणवत्ता में नमूने के अनुरूप हो; (b) क्रेता को ढेर की नमूने से तुलना करने का युक्तियुक्त अवसर मिले (गेहूँ की केवल छोटी खेप का निरीक्षण — क्रेता दोनों अस्वीकार कर सका); (c) माल ऐसे किसी दोष से मुक्त हो जो उसे अविक्रय-योग्य बनाए और जो नमूने की युक्तियुक्त परीक्षा में प्रकट न होता — अर्थात् प्रच्छन्न दोष (French सेना के लिए जूतों के तलों में कागज़ — मूल्य वापसी तथा नुकसानी)।

Sec 16(1) उपयुक्तता — तीन अपेक्षाएँ: क्रेता विक्रेता को विशिष्ट प्रयोजन बताए; क्रेता विक्रेता के कौशल एवं निर्णय पर निर्भर रहे; माल उसी विवरण का हो जिसमें विक्रेता सामान्यतः व्यापार करता है; जहाँ माल का एक ही प्रयोजन हो वहाँ बताना आवश्यक नहीं (मुँह में न बैठने वाले नकली दाँत — मूल्य वापसी), किन्तु जहाँ माल किसी patent या व्यापार-नाम से बेचा जाए वहाँ यह शर्त अपवर्जित है (नाम लेकर माँगी गई ‘Merit’ सिलाई मशीन — कोई विवक्षित उपयुक्तता नहीं); परीक्षा के प्रश्न: ऊनी कपड़ों हेतु उपयुक्त बताकर माँगी गई washing machine अनुपयुक्त निकले — क्रेता repudiate कर सकता है अथवा मूल्य वापस माँग सकता है।

Sec 16(2) विक्रय-योग्यता तथा चार विवक्षित आश्वासन: जो माल विवरण द्वारा ऐसे विक्रेता से खरीदा जाए जो उसी विवरण के माल में व्यापार करता है, वह विक्रय-योग्य गुणवत्ता का होना चाहिए — अर्थात् ऐसा जिसे साधारण विवेक का व्यक्ति स्वीकार कर ले (खराब पैकिंग से खरोंच खाए motor horns, दीमक से खराब मखमल — अविक्रय-योग्य), यद्यपि वास्तविक परीक्षा कर लेने पर उन दोषों का दावा नहीं बनता जो उस परीक्षा में प्रकट हो जाने चाहिए थे; **विवक्षित**

आश्वासन: (1) शान्तिपूर्ण/अबाधित ऋण (Sec 14(b) — चुराया हुआ laptop वास्तविक स्वामी ले गया: नुक़सानी में मूल्य तथा मरम्मत-व्यय दोनों); (2) ऐसे भारों का न होना जो क्रेता को बताए या ज्ञात न हों (Sec 14(c) — ₹15,000 में गिरवी रखी कार सद्भावी B को बेच दी गई: B विक्रेता से ऋण चुकवा सकता है, अथवा स्वयं चुकाकर ब्याज सहित वसूली का वाद ला सकता है); (3) व्यापार-प्रथा से गुणवत्ता या उपयुक्तता (Sec 16(3)); (4) अनभिज्ञ क्रेता को माल की संकटमय प्रकृति बताना — इसका भंग विक्रेता को नुक़सानी का दायी बनाता है।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 17 की नमूना-सम्बन्धी शर्तें कंठस्थ कीजिए: ढेर गुणवत्ता में नमूने के अनुरूप; ढेर की नमूने से तुलना का युक्तियुक्त अवसर; माल ऐसे प्रच्छन्न दोषों से मुक्त जो उसे अविक्रय-योग्य बनाएँ।
- चारों विवक्षित आश्वासन कंठस्थ कीजिए: शान्तिपूर्ण ऋण (Sec. 14(b)); भारों का न होना (Sec. 14(c)); व्यापार-प्रथा से उपयुक्तता (Sec. 16(3)); माल की संकटमय प्रकृति का प्रकटीकरण।

TQ 4.4 · RTP 2025-Jan [10] · Descriptive · --- · Pg 307

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- प्रत्येक विवक्षित आश्वासन उदाहरण सहित समझाइए (चुराया laptop — शान्तिपूर्ण ऋण; गिरवी कार की बिक्री — भार); Sec. 16(1) उपयुक्तता की तीनों अपेक्षाएँ जानिए (प्रयोजन बताया गया, विक्रेता के कौशल पर निर्भरता, विक्रेता उसी माल का व्यापारी) तथा patent/व्यापार-नाम वाला अपवर्जन।
- यहाँ का एक PYQ वस्तुतः Indian Contract Act, 1872 की Sec. 16 के अनुचित प्रभाव (undue influence) की परीक्षा लेता है (उत्प्रेरण; इच्छा पर प्रभुत्व की स्थिति) — उसे Free Consent वाली इकाई से दोहरा लीजिए।

TQ 4.2 · PYQ 2023-Dec [1] (c) {C} · Descriptive · 4M · Pg 306

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 4.3 · PYQ 2025-Jan [5] (c) · Descriptive · 6M · Pg 306

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 21 प्रश्न

- उपयुक्तता वाले प्रकरण (exhaust fan, ऊनी कपड़ों हेतु washing machine, technician के दौरे के बाद AC): Sec. 16(1) की तीनों अपेक्षाएँ जाँचिए → क्रेता अस्वीकार/मूल्य वापसी कर सकता है; जहाँ प्रयोजन अथवा असामान्य संवेदनशीलता (tweed coat) बताई ही न गई हो, वहाँ कोई उपचार नहीं।
- विवरण/वैकिंग (1 इंच की लकड़ी; 50 के बदले 30-टिन के डिब्बे) Sec. 15 की शर्त का भंग है, चाहे माल वाणिज्यिक रूप से उपयुक्त ही क्यों न हो; नमूने वाली श्रृंखलाओं (J→K→L→M) में Sec. 17 का प्रयोग केवल अन्तिम अस्वीकार करने वाला क्रेता करता है — जिन विक्रेताओं ने माल स्वीकार कर लिया वे केवल नुक़सानी माँगे (Sec. 13)।
- हक्र/खाद्यता: चोरी की motorcycle — Sec. 14(a) का भंग, प्रयोग करने पर भी मूल्य वसूली योग्य; bun में पत्थर — खाद्यता का भंग, नुक़सानी।

TQ 4.1 • PYQ 2021-Jan [5] (a) • Descriptive • 6M • Pg 304	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.1 • PYQ 2019-Nov [5] (a) • Case Scenario • 6M • Pg 308	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.2 • RTP 2020-May [15] • Case Scenario • --- • Pg 310	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.4 • PYQ 2021-Jul [5] (a) • Case Scenario • 6M • Pg 311	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.5 • PYQ 2021-Dec [5] (a) (I) • Case Scenario • 3M • Pg 312	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.6 • MTP 2022-Nov S1 [5] (I) • Case Scenario • 6M • Pg 313	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.7 • RTP 2022-Nov [6] (i) • Case Scenario • --- • Pg 314	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.8 • PYQ 2023-Jun [5] (a) (ii) • Case Scenario • 4M • Pg 314	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.9 • RTP 2023-Jun [8] • Case Scenario • --- • Pg 315	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.10 • RTP 2024-Jun [9] • Case Scenario • --- • Pg 316	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.11 • MTP 2024-Jul [2] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 317	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.12 • PYQ 2025-Jan [2] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 318	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.13 • PYQ 2025-Jan [5] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 318	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.14 • MTP 2025-Apr S1 [2] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 319	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.15 • MTP 2025-Aug S2 [5] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 320	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.16 • PYQ 2025-Sep [2] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 321	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.18 • RTP 2026-Jan [11] • Case Scenario • --- • Pg 323	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.20 • RTP 2026-May [11] • Case Scenario • --- • Pg 327	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.21 • PYQ 2026-May [2] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 328	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.22 • PYQ 2026-May [5] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 330	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 4.3 • RTP 2021-May [8] • Case Scenario • --- • Pg 310	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	कठिन

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 2 प्रश्न

- बहु-भागी 'condition या warranty?' वाली परिस्थितियों में पहले प्रत्येक शर्त वर्गीकृत कीजिए, फिर स्वीकृति/अधित्यजन से रूपान्तरण जाँचिए (Sec. 13), और प्रत्येक उप-प्रकरण पर अलग उपचार दीजिए।
- गिरवी-फिर-बिक्री वाले आभूषण-तथ्यों में सामान्य एवं विशेष सम्पत्ति अलग कीजिए: वह बिक्री Sec. 14(c) (भार) का भंग है और सम्भवतः Sec. 14(a) (हक्र) का भी — क्रेता तथा गिरवीदार के अधिकार अलग-अलग तय कीजिए।

CSQ 4.17 · PYQ 2025-Sep [5] (a) (ii) · Case Scenario · 4M · Pg 322

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

CSQ 4.19 · PYQ 2026-Jan [2] (a) · Case Scenario · 7M · Pg 325

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

विषय 5: क्रेता सावधान (Caveat Emptor)

P2-C3-U3.2-T05

पहले पढ़ें Para 2.5 पढ़िए — Sec. 16 के प्रारम्भिक शब्दों में निहित 'क्रेता सावधान' का सिद्धान्त तथा उसके आठ अपवाद।**नोट्स**

सिद्धान्त (Sec 16, SM): "subject to the provisions of this Act or of any other law for the time being in force, there is no implied warranty or condition as to the quality or fitness for any particular purpose of goods supplied under a contract of sale" — 'क्रेता सावधान': क्रेता स्वयं सन्तुष्ट होकर उचित चयन करे; विक्रेता दोष प्रकट करने को आबद्ध नहीं (रोगग्रस्त सूअर बिना बताए बेचे गए — विक्रेता दायी नहीं; सवारी के अ-कथित प्रयोजन हेतु चाहा गया घोड़ा — क्रेता न अस्वीकार कर सकता है, न प्रतिकर माँग सकता है)।

आठ अपवाद: (1) गुणवत्ता या उपयोग हेतु उपयुक्तता — प्रयोजन बताया गया, विक्रेता के कौशल एवं निर्णय पर निर्भरता, तथा ऐसा माल देना विक्रेता का व्यवसाय (Sec 16(1) — पहाड़ी क्षेत्र में भारी यातायात हेतु लिए गए ट्रक टूट गए; Priest vs. Last में फटी गर्म पानी की बोतल; Bombay Burma Trading Corporation Ltd. vs. Aga Muhammad में रेल-स्लीपर्स हेतु अनुपयुक्त लकड़ी); (2) patent अथवा brand नाम से खरीदा गया माल — कोई विवक्षित उपयुक्तता-शर्त नहीं, क्रेता brand पर निर्भर है (Sec 16(1)); (3) विवरण द्वारा बेचा गया माल उसी विवरण के अनुरूप हो (Sec 15); (4) विक्रय-योग्य गुणवत्ता — यह नियम प्रच्छन्न दोषों पर लागू नहीं, यद्यपि उन दोषों पर लागू है जो वास्तविक परीक्षा में प्रकट हो जाने चाहिए थे (Sec 16(2)); (5) नमूने द्वारा विक्रय, जहाँ ढेर नमूने से मेल न खाए (Sec 17); (6) नमूना तथा विवरण दोनों (Sec 15); (7) व्यापार-प्रथा जो उपयुक्तता की शर्त/आश्वासन जोड़ दे (Sec 16(3) — readymade वस्त्र विवक्षित रूप से क्रेता पर युक्तियुक्त रूप से ठीक बैठेंगे); (8) विक्रेता का कपट, दुर्व्यपदेशन अथवा ऐसे दोष का सक्रिय छिपाव जो युक्तियुक्त परीक्षा से पता न चले — क्रेता संविदा अकृत कर नुकसानी माँग सकता है।

प्रयोग के प्रतिरूप: जहाँ प्रयोजन बताया गया और विक्रेता के कौशल पर निर्भरता रही (दरवाज़े/खिड़की के चौखट हेतु विशेष रूप से माँगी गई लकड़ी, पर अनुपयुक्त आम की लकड़ी दी गई) — वहाँ Sec 16(1) का अपवाद लागू है, क्रेता को धन वापस अथवा सही माल मिलेगा, और caveat emptor कोई प्रतिरक्षा नहीं; जो प्रच्छन्न दोष किसी परीक्षा से प्रकट ही न होते — वहाँ विक्रय-योग्यता/खाद्यता का अपवाद क्रेता की रक्षा करता है; किन्तु जो क्रेता अपनी विशेष संवेदनशीलता छिपाए अथवा प्रयोजन न बताए (Mrs. G का tweed coat, जिससे उनकी असामान्य रूप से संवेदनशील त्वचा पर चकत्ते

पड़े), वह इसी सिद्धान्त की चपेट में आता है और कुछ भी वसूल नहीं कर पाता।

ढाँचा: Sec 16 सहित सिद्धान्त बताइए, तथ्य किस अपवाद (यदि कोई हो) को आकृष्ट करते हैं यह कसिए, फिर विक्रेता के दायित्व पर निष्कर्ष दीजिए।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- नियम बताइए (Sec. 16): इस अधिनियम अथवा तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए, विक्रय-संविदा के अधीन दिए गए माल की गुणवत्ता अथवा किसी विशिष्ट प्रयोजन हेतु उपयुक्तता के विषय में कोई विवक्षित आश्वासन या शर्त नहीं होती — क्रेता को स्वयं सन्तुष्ट होना है।
- आठों अपवाद कंठस्थ कीजिए: गुणवत्ता/उपयोग हेतु उपयुक्तता (Sec. 16(1)); patent/brand नाम से खरीदा माल; विवरण द्वारा विक्रय (Sec. 15); विक्रय-योग्य गुणवत्ता (Sec. 16(2), प्रच्छन्न दोष); नमूने द्वारा विक्रय (Sec. 17); नमूना तथा विवरण दोनों; व्यापार-प्रथा (Sec. 16(3)); विक्रेता का कपट अथवा दोषों का सक्रिय छिपाव।

TQ 5.1 • PYQ 2020-Nov [1] (c) {C} • Descriptive • 4M • Pg 331

LEVEL I

स्मरण (Remembering)

सरल

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 3 प्रश्न

- प्रयोजन बताए जाने वाले प्रकरण (salesman की सलाह पर उच्च-स्तरीय graphic design हेतु खरीदा laptop; क्रेता के घर पर नापा गया marble): Sec. 16(1) का अपवाद लागू — क्रेता विक्रेता के कौशल पर निर्भर रहा, अतः विक्रेता दायी और caveat emptor कोई प्रतिरक्षा नहीं।
- प्रच्छन्न दोष वाले प्रकरण (रासायनिक अवशेष वाला talcum powder, जिससे त्वचा में जलन): विक्रय-योग्यता/खाद्यता का अपवाद — जिन दोषों को कोई परीक्षा प्रकट ही न कर पाती, उनके लिए caveat emptor विक्रेता की रक्षा नहीं करता; किन्तु जहाँ क्रेता विशेष संवेदनशीलता छिपाए अथवा प्रयोजन न बताए, वहाँ यह सिद्धान्त लागू होता है और उसे कोई उपचार नहीं मिलता।
- ढाँचा: सिद्धान्त बताइए → तथ्य किस अपवाद को आकृष्ट करते हैं (यदि कोई) → विक्रेता के दायित्व पर निष्कर्ष।

CSQ 5.1 • PYQ 2022-Nov [5] (a) • Case Scenario • 6M • Pg 333

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 5.2 • PYQ 2025-Sep [5] (a) (i) • Case Scenario • 3M • Pg 336

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 5.3 • PYQ 2026-Jan [5] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 337

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

इकाई 3.3: स्वामित्व का अन्तरण एवं माल की सुपुर्दगी (Transfer of Ownership and Delivery of Goods)

Transfer of Ownership and Delivery of Goods

P2-C3-U3.3 • महत्त्व C • अध्याय में Rank 2 • श्रेणी A • अध्याय के 31.1% प्रश्न • 32 प्रश्न

विषय 1: सम्पत्ति का अन्तरण (Sections 18-26)

P2-C3-U3.3-T01

पहले पढ़ें Sale of Goods Act, 1930 की Unit 3 'Transfer of Ownership and Delivery of Goods' पढ़िए — शीर्षक 3.1 'Passing of Property (Sections 18-26)', जिसमें Secs. 18-19 (अभिनिश्चयन एवं आशय), Secs. 20-22 (विशिष्ट माल), Sec. 23 (अनभिनिश्चित माल एवं विनियोजन), Sec. 24 (अनुमोदन पर विक्रय) तथा Sec. 25 (व्ययन के अधिकार का आरक्षण) आते हैं।

नोट्स

दो आधारभूत कारक: (a) **Sec 18 — अभिनिश्चयन:** अनभिनिश्चित माल की संविदा में सम्पत्ति तब तक नहीं जाती जब तक माल अभिनिश्चित न हो जाए; (b) **Sec 19(1) — आशय:** विशिष्ट/अभिनिश्चित माल की सम्पत्ति तब जाती है जब पक्षकारों का ऐसा आशय हो; **Sec 19(2):** आशय इनसे निकाला जाता है — (i) संविदा की शर्तें, (ii) पक्षकारों का आचरण, (iii) मामले की परिस्थितियाँ; जब तक कोई भिन्न आशय प्रकट न हो, Secs 20-24 उस आशय को जानने के नियम हैं [Sec 19(3)]।

विशिष्ट माल — तीन स्थितियाँ: **Sec 20:** अशर्त संविदा, विशिष्ट माल deliverable state में — सम्पत्ति संविदा होते ही चली जाती है; भुगतान या सुपुर्दगी (या दोनों) का टलना महत्वहीन है; **Sec 21:** विक्रेता को माल deliverable state में लाने हेतु कुछ करना हो (OS डालना, carpet बिछाना) — सम्पत्ति तभी जाती है जब वह कार्य हो जाए और क्रेता को उसकी सूचना मिल जाए; **Sec 22:** माल deliverable state में हो पर विक्रेता को मूल्य निकालने हेतु तौलना, नापना, परखना अथवा कुछ करना हो — वह कार्य होने तथा क्रेता को सूचना मिलने तक सम्पत्ति नहीं जाती।

Sec 23(1) विनियोजन — सात अनिवार्यताएँ: (a) अनभिनिश्चित अथवा भावी माल की संविदा हो; (b) माल विवरण एवं गुणवत्ता के अनुरूप हो; (c) माल deliverable state में हो; (d) अशर्त विनियोजन हो (मात्र विनियोजित करने के आशय से भिन्न), जो क्रेता, उसके अभिकर्ता अथवा वाहक को सुपुर्दगी द्वारा हो; (e) विक्रेता द्वारा क्रेता की सम्मति से, अथवा क्रेता द्वारा विक्रेता की सम्मति से; (f) सम्मति व्यक्त या विवक्षित हो सकती है; (g) सम्मति विनियोजन से पहले भी दी जा सकती है, बाद में भी। **Sec 23(2):** व्ययन का अधिकार आरक्षित किए बिना किसी वाहक/bailee को सम्प्रेषण हेतु सुपुर्दगी = अशर्त विनियोजन — courier से भेजी पुस्तक मार्ग में खो गई: क्रेता स्वामी बन चुका था, अतः हानि उसी की।

Sec 24 अनुमोदन पर विक्रय अथवा 'sale or return': सम्पत्ति तब जाती है जब क्रेता (a) अनुमोदन/स्वीकृति व्यक्त करे अथवा ऐसा कोई कार्य करे जिससे वह लेन-देन अपना ले — जैसे गिरवी रखना या पुनर्विक्रय (sale or return पर लिए आभूषण C के पास गिरवी: स्वामित्व B को जा चुका था, अतः A आभूषण C से वापस नहीं ले सकता, केवल मूल्य B से माँग सकता है); अथवा (b) नियत समय से आगे, और समय नियत न हो तो युक्तियुक्त समय से आगे, अस्वीकृति की सूचना दिए बिना माल रखे रहे। **केवल नक़द पर विक्रय अथवा वापसी:** जहाँ शर्तें माल को नक़द चुकाने तक विक्रेता की ही सम्पत्ति रखें, वहाँ भुगतान से पूर्व कोई सम्पत्ति नहीं जाती — भुगतान से पहले किया गया गिरवी अवैध है और A आभूषण गिरवीदार C से वापस ले सकता है; परीक्षण-अवधि में माल नष्ट हो जाए (8 दिनों में से तीसरे दिन घोड़े की मृत्यु) तो हानि विक्रेता की ही रहती है — मूल्य का वाद नहीं बनता।

Sec 25 व्ययन के अधिकार का आरक्षण (शर्तयुक्त विनियोजन): विक्रेता संविदा की शर्तों से अथवा विनियोजन के समय यह अधिकार आरक्षित रख सकता है कि शर्तें (भुगतान) पूरी होने तक व्ययन उसी का रहेगा — तब क्रेता, वाहक अथवा bailee को सुपुर्दगी के बावजूद सम्पत्ति नहीं जाती; यह आरक्षित माना जाता है जहाँ (1) bill of lading/railway

receipt द्वारा माल विक्रेता अथवा उसके अभिकर्ता के order पर सुपुर्द होने योग्य हो, तथा (2) विक्रेता मूल्य का bill of exchange लिखकर उसे bill of lading/railway receipt के साथ भेजे — तब क्रेता यदि स्वीकार या भुगतान न करे तो दस्तावेज़ लौटाने होंगे, और दोषपूर्ण रूप से रोके रखने से कोई सम्पत्ति नहीं जाती।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 6 प्रश्न

- सम्पत्ति-अन्तरण के दो आधारभूत कारक समझाइए: माल अभिनिश्चित होना चाहिए (Sec. 18) तथा सम्पत्ति तब जाती है जब पक्षकारों का ऐसा आशय हो (Sec. 19(1)); आशय संविदा की शर्तों, पक्षकारों के आचरण तथा मामले की परिस्थितियों से निकाला जाता है (Sec. 19(2)) — यही ढाँचा बार-बार पूछा जाता है।
- Sec. 23(1) के अधीन अनभिनिश्चित माल के विनियोजन की सातों अनिवार्यताएँ साधिए: अनभिनिश्चित/भावी माल की संविदा, विवरण के अनुरूप होना, deliverable state, अशर्त विनियोजन, विक्रेता द्वारा क्रेता की सम्पत्ति से या इसके विपरीत, सम्पत्ति व्यक्ति या विवक्षित, तथा विनियोजन से पहले या बाद में।
- 'व्ययन के अधिकार का आरक्षण' (Sec. 25) तैयार कीजिए — अर्थ तथा वे दो परिस्थितियाँ जिनमें यह माना जाता है: bill of lading/railway receipt के अनुसार माल विक्रेता के order पर सुपुर्द होने योग्य हो, तथा दस्तावेज़ों के साथ भेजा गया bill of exchange, जहाँ क्रेता स्वीकार/भुगतान न करने पर दस्तावेज़ लौटाए। हाल की परीक्षाओं में यह दो बार पूछा गया है।
- Sec. 20 (अशर्त संविदा, deliverable state में विशिष्ट माल — सम्पत्ति संविदा होते ही जाती है, भुगतान/सुपुर्दगी महत्वहीन) की तुलना Sec. 21 (माल को deliverable state में लाने हेतु कुछ करना है) तथा Sec. 22 (मूल्य निकालने हेतु तौलना/नापना/परखना) से कीजिए — वहाँ सम्पत्ति वह कार्य होने **तथा** क्रेता को सूचना मिलने के बाद ही जाती है।

TQ 1.1 · PYQ 2022-Nov [1] (c) {C} · Descriptive · 4M · Pg 342	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 1.2 · PYQ 2025-May [6] (c) (i) · Descriptive · --- · Pg 343	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 1.3 · RTP 2026-Jan [14] · Descriptive · --- · Pg 344	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 1.4 · PYQ 2026-Jan [3] (c) · Descriptive · 6M · Pg 345	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 1.5 · RTP 2026-May [13] · Descriptive · --- · Pg 347	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 1.6 · PYQ 2026-May [6] (c) (i) · Descriptive · 4M · Pg 348	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 8 प्रश्न

- Sec. 24 'sale or return' वाली परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए — यही सबसे अधिक पूछा जाने वाला प्रतिरूप है: सम्पत्ति तब जाती है जब (a) अनुमोदन/स्वीकृति हो, (b) लेन-देन को अपनाने वाला कोई कार्य हो (किसी तीसरे को गिरवी या पुनर्विक्रय), अथवा (c) अस्वीकृति की सूचना बिना नियत/युक्तियुक्त समय से आगे माल रखा रहे; निष्कर्ष दीजिए कि मूल स्वामी केवल पाने वाले से मूल्य का वाद ला सकता है, गिरवीदार/उप-क्रेता से माल वापस नहीं ले सकता।
- 'केवल नक़द पर विक्रय अथवा वापसी' वाले रूप को अलग कीजिए: जहाँ शर्तें कहें कि नक़द चुकाने तक माल विक्रेता की ही सम्पत्ति रहेगा, वहाँ भुगतान से पूर्व किया गया गिरवी अवैध है और स्वामी माल वापस ले **सकता** है।

- Sec. 23(2) लगाइए: व्ययन का अधिकार आरक्षित किए बिना वाहक/courier को सुपुर्दगी अशर्त विनियोजन है — मार्ग में हानि की सम्पत्ति एवं जोखिम क्रेता पर।
- उत्तर provision → facts → conclusion के क्रम में लिखिए, जैसे Sec. 21/22 वाले नाश के प्रकरण (मरम्मत होने वाली मशीन, बदलाव होने वाली पोशाक): माल अभी deliverable state में नहीं, अतः सम्पत्ति एवं हानि विक्रेता पर ही।

CSQ 1.1 · RTP 2018-Nov [6] (i) · Case Scenario · --- · Pg 349	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 1.2 · PYQ 2020-Nov [5] (a) · Case Scenario · 6M · Pg 350	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 1.4 · PYQ 2024-Jun [6] (c) · Case Scenario · 7M · Pg 353	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 1.6 · RTP 2024-Sep [11] · Case Scenario · --- · Pg 355	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 1.7 · PYQ 2025-Jan [2] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 356	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 1.8 · PYQ 2025-Jan [5] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 357	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 1.10 · PYQ 2025-Sep [2] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 360	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 1.11 · RTP 2026-Jan [12] · Case Scenario · --- · Pg 361	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 3 प्रश्न

- आंशिक विनियोजन वाले अग्नि-प्रकरणों पर कार्य कीजिए (100 में से 60 गॉठें बँध गईं): विश्लेषण बाँटिए — जो माल क्रेता के आदमियों की सम्मति से बाँधा/चुना गया वह क्रेता के जोखिम पर; शेष अ-विनियोजित माल विक्रेता के जोखिम पर; यदि चयन में सम्मति न रही होती तो वैकल्पिक निष्कर्ष भी बताइए।
- क्रमिक 'sale or return' सुपुर्दगियों की शृंखला सुलझाइए (A→B sale or return पर, B→C 'केवल नक़द अथवा वापसी' पर, C→D): प्रत्येक कड़ी पर पहले तय कीजिए कि Sec. 24 के अधीन सम्पत्ति गई या 'केवल नक़द' वाली शर्त ने उसे रोक दिया, तभी तय कीजिए कि हानि कौन उठाएगा और माल किसका है।
- मिश्रित परिस्थितियों में Sec. 24/Sec. 26 को जोड़िए: पहले देखिए कि लेन-देन को अपनाने वाला कोई कार्य हुआ या समय बीत गया; यदि उससे पहले ही माल नष्ट हो गया, तो स्वामित्व (और हानि) विक्रेता की ही है।

CSQ 1.3 · MTP 2021-Apr [5] (a) · Case Scenario · 6M · Pg 351	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन
CSQ 1.5 · PYQ 2024-Sep [5] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 354	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन
CSQ 1.9 · PYQ 2025-May [2] (a) · Case Scenario · 7M · Pg 358	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन

विषय 2: जोखिम प्रथम-दृष्टया सम्पत्ति के साथ जाता है (Section 26)

P2-C3-U3.3-T02

पहले पढ़ें इकाई का शीर्षक 3.2 पढ़िए, जो Sale of Goods Act, 1930 की Sec. 26 पर है — नियम 'जोखिम प्रथम-दृष्टया सम्पत्ति के साथ जाता है', उसकी वैधानिक शब्दावली तथा उसके दो परिसीमन।

नोट्स

Sec 26 (SM): "unless otherwise agreed, the goods remain at the seller's risk until the property therein is transferred to the buyer, but when the property therein is transferred to the buyer, the goods are at the buyer's risk whether delivery has been made or not" — जोखिम स्वामित्व के साथ चलता है, न कि कब्जे, सुपुर्दगी अथवा भुगतान के साथ; नीलामी का उदाहरण: auctioneer के हथौड़े से स्वीकृति व्यक्त करते समय ही प्राचीन वस्तु क्षतिग्रस्त हो गई — स्वामित्व तब तक गया ही नहीं था, अतः हानि विक्रेता की।

दो परिसीमन: (i) जहाँ क्रेता या विक्रेता के दोष से सुपुर्दगी में विलम्ब हुआ हो, वहाँ माल उसी पक्ष के जोखिम पर है जिसका दोष है — उस हानि की सीमा तक जो उस दोष के बिना होती ही नहीं (B शेष कपास की गाँठें लेने में चूक करे और कपास खराब हो जाए — हानि क्रेता की); (ii) एक-दूसरे के माल के bailee के रूप में विक्रेता या क्रेता के कर्तव्य एवं दायित्व अप्रभावित रहते हैं — साधारण विवेक के व्यक्ति जैसी देखभाल।

विपरीत agreement: पक्षकार विशेष agreement से यह तय कर सकते हैं कि जोखिम सम्पत्ति जाने से कुछ पहले या कुछ बाद जाएगा — संविदा द्वारा जोखिम को स्वामित्व से अलग किया जा सकता है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 26 समझाइए: जब तक अन्यथा तय न हो, सम्पत्ति क्रेता को जाने तक माल विक्रेता के जोखिम पर रहता है; उसके बाद क्रेता के जोखिम पर, चाहे सुपुर्दगी हुई हो या नहीं — अर्थात् जोखिम स्वामित्व के साथ चलता है, कब्जे या भुगतान के साथ नहीं।
- दोनों परिसीमन बताइए: (i) जहाँ क्रेता या विक्रेता के दोष से सुपुर्दगी में विलम्ब हो, वहाँ माल दोषी पक्ष के जोखिम पर — उस हानि तक जो उस दोष के बिना होती ही नहीं; (ii) एक-दूसरे के माल के bailee के रूप में विक्रेता/क्रेता के कर्तव्य अप्रभावित रहते हैं।
- ध्यान दीजिए कि पक्षकार विशेष agreement से जोखिम को सम्पत्ति से अलग कर सकते हैं (जोखिम स्वामित्व से पहले या बाद भी जा सकता है); उत्तर को SM के नीलामी-हथौड़ा तथा कपास-गाँठों वाले उदाहरणों से पुष्ट कीजिए।

TQ 2.1 · PYQ 2021-Jul [1] (c) {C} · Descriptive · 4M · Pg 362

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 3: अ-स्वामियों द्वारा हक़ का अन्तरण (Sections 27-30)

P2-C3-U3.3-T03

पहले पढ़ें Secs. 27-30 पर शीर्षक 3.3 पढ़िए — सूक्ति 'nemo dat quod non habet' (Sec. 27) तथा उसके आठ अपवाद: mercantile agent (Sec. 27 का परन्तुक, Sec. 2(9) सहपठित), संयुक्त स्वामी (Sec. 28), शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्ज़ा (Sec. 29), विक्रय के बाद विक्रेता/सम्पत्ति जाने से पूर्व क्रेता का कब्ज़ा (Sec. 30(1)/(2)), estoppel, अदत्त विक्रेता का पुनर्विक्रय (Sec. 54(3)) तथा अन्य अधिनियमों के अधीन विक्रय।

नोट्स

Sec 27 — nemo dat quod non habet: “no one can give what he has not got” — विक्रेता अपने से बेहतर हक अन्तरित नहीं कर सकता; चोरी के माल का क्रेता सद्भावपूर्वक भी कोई हक नहीं पाता; hire-purchase का hirer वाहन बेचे तो केवल hirer के ही अधिकार जाते हैं।

आठ अपवाद (जहाँ अ-स्वामी मूल्य देने वाले सद्भावी क्रेता को अच्छा हक दे देता है): (1) mercantile agent (Sec 27 का परन्तुक); (2) संयुक्त स्वामियों में से वह एक जो सह-स्वामियों की अनुमति से अकेले कब्जे में हो (Sec 28); (3) शून्यकरणीय संविदा के अधीन कब्जे वाला व्यक्ति (Sec 29); (4) विक्रय के बाद भी कब्जे में बना विक्रेता — विक्रय, गिरवी अथवा अन्य व्ययन समान रूप से वैध [Sec 30(1)]; (5) सम्पत्ति जाने से पूर्व कब्जे वाला क्रेता [Sec 30(2)]; (6) estoppel — स्वामी ने सक्रिय रूप से किसी अन्य को स्वामी अथवा बेचने हेतु प्राधिकृत दर्शाया या दर्शाने दिया हो; (7) lien/stoppage के बाद अदत्त विक्रेता का पुनर्विक्रय [Sec 54(3)]; (8) अन्य अधिनियमों के अधीन विक्रय — Official Receiver/Liquidator, माल पाने वाला (Sec 169 ICA) तथा pawnee (Sec 176 ICA)।

Mercantile agent — तीन शर्तें (Sec 27 का परन्तुक): (a) माल अथवा documents of title स्वामी की सम्मति से उसके कब्जे में हों; (b) विक्रय mercantile agent के रूप में व्यवसाय के साधारण अनुक्रम में हो; (c) क्रेता सद्भावपूर्वक कार्य करे और उसे विक्रय के समय यह सूचना न हो कि agent के पास प्राधिकार नहीं था; **Sec 2(9) (SM):** mercantile agent वह है “having in the customary course of business as such agent authority either to sell goods, or to consign goods for the purposes of sale, or to buy goods, or to raise money on the security of goods” — ₹50,000 से कम पर न बेचने की शर्त पर agent को दी गई कार ₹40,000 में बेच दी गई; तीनों शर्तें पूरी, अतः सद्भावी क्रेता कार रख लेगा; स्वामी का उपचार केवल agent के विरुद्ध है।

अपवाद कहाँ विफल होते हैं: Sec 29 के लिए संविदा का प्रपीड़न, कपट, दुर्व्यपदेशन अथवा अनुचित प्रभाव के कारण शून्यकरणीय होना तथा पुनर्विक्रय से पूर्व उसका विखंडन न होना — दोनों आवश्यक हैं (कपट से प्राप्त अँगूठी निर्दोष Z को बेच दी गई — Y वापस नहीं ले सकता); चोरी से हक शून्य होता है — कोई संरक्षण नहीं; केवल क्रय का विकल्प रखने वाला hire-purchase धारक Sec 30(2) का ‘buyer in possession’ नहीं है — इसकी तुलना Lee v. Butler से कीजिए (क्रय के करार के अधीन किशतों पर लिया फ़र्नीचर: उप-क्रेता को अच्छा हक मिला); हर दशा में वास्तविक स्वामी का उपचार दोषी से मूल्य/नुक़सानी है, सद्भावी क्रेता से माल नहीं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- nemo dat के कम-से-कम छह अपवाद धारा-संख्या सहित कंठस्थ करके समझाइए — ‘ऐसी कोई छह परिस्थितियाँ बताइए जिनमें अ-स्वामी बेहतर हक दे सकता है’ 6 अंकों का मानक प्रश्न है।
- mercantile agent द्वारा विक्रय (Sec. 27 का परन्तुक) की तीनों शर्तें साधिए: माल/दस्तावेज़ स्वामी की सम्मति से कब्जे में; विक्रय mercantile agent के रूप में व्यवसाय के साधारण अनुक्रम में; क्रेता सद्भावी और प्राधिकार-अभाव की सूचना से रहित — साथ में Sec. 2(9) की परिभाषा।
- यह भी ठीक-ठीक जानिए कि प्रत्येक अपवाद कब विफल होता है, जैसे केवल क्रय का विकल्प रखने वाला hire-purchase धारक Sec. 30(2) का ‘buyer in possession’ नहीं है।

TQ 3.1 · PYQ 2020-Nov [4] (a) · Descriptive · 6M · Pg 364

LEVEL I
समझ (Understanding)

कठिन

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 5 प्रश्न

- mercantile-agent वाले तथ्यों का अभ्यास कीजिए (कथित मूल्य से कम पर न बेचने की शर्त पर agent को दी गई कार, agent उससे कम पर बेच दे): परन्तुक की तीनों शर्तें पूरी → सद्भावी क्रेता को अच्छा हक़; स्वामी का उपचार केवल agent के विरुद्ध।
- कपट/प्रपीड़न वाले प्रकरणों पर Sec. 29 लगाइए: यदि पुनर्विक्रय से पूर्व संविदा का विखंडन नहीं हुआ, तो निर्दोष उप-क्रेता को अच्छा हक़ मिलता है; इसकी तुलना चोरी से कीजिए, जहाँ संविदा शून्य है और कोई हक़ नहीं जाता।
- Sec. 30(1) (विक्रय के बाद क़ब्ज़े वाला विक्रेता) तथा Sec. 30(2) (सम्पत्ति जाने से पूर्व क़ब्ज़े वाला क्रेता) लगाइए (फ़र्नीचर-किश्तें, Lee v. Butler प्रतिरूप): सुपुर्दगी/क़ब्ज़ा + सद्भाव + सूचना का अभाव = तीसरे पक्ष को अच्छा हक़।
- सही उपचार के साथ निष्कर्ष दीजिए: वास्तविक स्वामी दोषी से मूल्य/नुक़सानी वसूलता है, सद्भावी क्रेता से माल नहीं।

CSQ 3.6 · MTP 2025-Aug S2 [2] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 370

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 3.1 · RTP 2020-Nov [6] · Case Scenario · --- · Pg 365

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.2 · MTP 2022-Mar [5] (a) · Case Scenario · 6M · Pg 366

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.3 · RTP 2022-May [8] · Case Scenario · --- · Pg 367

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.5 · PYQ 2023-Dec [5] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 369

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 1 प्रश्न

- बहु-मुद्दा agency वाली परिस्थितियों पर कार्य कीजिए (जैसे अचल सम्पत्ति बेचने हेतु नियुक्त mercantile agent, अथवा मूल्य-सीमा से कम पर विक्रय): पहले देखिए कि Sale of Goods Act लागू भी होता है या नहीं ('goods' बनाम अचल सम्पत्ति), फिर परन्तुक की हर शर्त अलग-अलग कसिए, तभी निष्कर्ष दीजिए।
- जहाँ दो अपवाद लागू हो सकते हों (शून्यकरणीय संविदा बनाम mercantile agent बनाम क़ब्ज़े वाला क्रेता), वहाँ बताइए कि तथ्यों पर कौन-सा बैठता है और शेष क्यों नहीं — ग़लत रास्तों को काटने पर परीक्षक अंक देते हैं।

CSQ 3.4 · RTP 2023-Jun [9] · Case Scenario · --- · Pg 368

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

विषय 4: विक्रय-संविदा का पालन (Sections 31-44)

P2-C3-U3.3-T04

पहले पढ़ें Secs. 31-44 पर शीर्षक 3.4 पढ़िए: विक्रेता एवं क्रेता के कर्तव्य (Sec. 31), भुगतान एवं सुपुर्दगी समवर्ती शर्तों के रूप में (Sec. 32), सुपुर्दगी के नियम (Secs. 33-39 — आंशिक सुपुर्दगी, स्थान, समय, तीसरे पक्ष का क़ब्ज़ा, व्यय, ग़लत मात्रा Sec. 37, किश्तें Sec. 38, वाहक को सुपुर्दगी Sec. 39), मार्ग में क्षय (Sec. 40), परीक्षा (Sec. 41), स्वीकृति (Sec. 42) तथा Secs. 43-44।

नोट्स

सुपुर्दगी — Sec 2(2) (SM): “voluntary transfer of possession from one person to another” — अनुचित साधनों से लिया गया ऋब्जा सुपुर्दगी नहीं; **तीन प्रकार:** actual, symbolic (गोदाम की चाबी), constructive (attornment — तीसरा पक्ष स्वीकार करे कि वह क्रेता के लिए रख रहा है); **Sec 31:** विक्रेता का कर्तव्य सुपुर्दगी देना, क्रेता का स्वीकार करना तथा संविदा के अनुसार भुगतान करना; **Sec 32:** जब तक अन्यथा तय न हो, माल की सुपुर्दगी तथा मूल्य का भुगतान समवर्ती शर्तें हैं।

सुपुर्दगी के नियम (Secs 33-41), धारावार: Sec 33 — ऐसी किसी भी बात से सुपुर्दगी जिसे सुपुर्दगी माना गया हो, अथवा माल क्रेता के ऋब्जे में देकर; Sec 34 — सम्पूर्ण की सुपुर्दगी के क्रम में की गई आंशिक सुपुर्दगी सम्पूर्ण की सुपुर्दगी के रूप में प्रभावी है, किन्तु पृथक् करने के आशय से की गई आंशिक सुपुर्दगी शेष की सम्पत्ति नहीं देती; Sec 35 — विक्रेता तब तक सुपुर्दगी को आबद्ध नहीं जब तक क्रेता सुपुर्दगी माँगे नहीं; Sec 36(1) — स्थान: बिका हुआ माल वहीं जहाँ वह विक्रय के समय था; agreement to sell में वहीं जहाँ वह करार के समय था; भावी माल के लिए विनिर्माण/उत्पादन का स्थान; Sec 36(2) — व्यक्तिभूक्त समय; Sec 36(3) — माल किसी तीसरे व्यक्ति के पास हो: तब तक कोई सुपुर्दगी नहीं जब तक वह क्रेता के समक्ष स्वीकार न करे कि वह उसी की ओर से रख रहा है; Sec 36(4) — सुपुर्दगी की माँग/निविदा व्यक्तिभूक्त समय पर; Sec 36(5) — माल को deliverable state में लाने के व्यय विक्रेता पर।

Sec 37 गलत मात्रा — चार उप-नियम: (1) कम सुपुर्दगी — क्रेता अस्वीकार कर सकता है, अथवा स्वीकार कर संविदा-दर पर भुगतान कर सकता है; (2) अधिक सुपुर्दगी — संविदा की मात्रा स्वीकार कर शेष अस्वीकार करे, अथवा पूरा अस्वीकार करे, अथवा पूरा स्वीकार कर संविदा-दर पर भुगतान करे (100 क्विंटल का आदेश, 1,100 की सुपुर्दगी); (3) भिन्न विवरण के माल के साथ मिला हुआ — अनुरूप माल स्वीकार कर शेष अस्वीकार करे, अथवा पूरा अस्वीकार करे; (4) ये सब व्यापार-प्रथा, विशेष agreement अथवा व्यवहार-क्रम के अधीन हैं।

Secs 38-41: Sec 38 — क्रेता किशतों में सुपुर्दगी स्वीकार करने को आबद्ध नहीं, जब तक ऐसा तय न हो (100 टन कागज़ में 80 नवम्बर तथा 20 दिसम्बर में भेजा गया: क्रेता पूरा अस्वीकार कर सका); Sec 39(1) — सम्प्रेषण हेतु वाहक को सुपुर्दगी प्रथम-दृष्टया क्रेता को सुपुर्दगी है; Sec 40 — मार्ग में अनिवार्यतः होने वाला क्षय क्रेता पर पड़ता है; Sec 41 — जिस क्रेता ने पहले परीक्षा नहीं की, वह अनुरूपता जाँचने हेतु व्यक्तिभूक्त अवसर पाने का हक़दार है।

स्वीकृति — Sec 42: क्रेता ने स्वीकार कर लिया माना जाएगा जब वह (a) विक्रेता को स्वीकृति की सूचना दे, (b) माल के साथ ऐसा कोई कार्य करे जो विक्रेता के स्वामित्व से असंगत हो, अथवा (c) अस्वीकृति की सूचना दिए बिना व्यक्तिभूक्त समय से आगे माल रखे रहे; **Sec 43:** जो क्रेता विधिपूर्वक माल लेने से मना करे, वह उसे लौटाने को आबद्ध नहीं — इनकार की सूचना पर्याप्त है; **Sec 44:** जो क्रेता अनुरोध के बाद व्यक्तिभूक्त समय में सुपुर्दगी न ले, वह हुई हानि तथा देखभाल एवं अभिरक्षा के व्यक्तिभूक्त प्रभार का दायी है (जहाँ इनकार repudiation के तुल्य हो, वहाँ विक्रेता के अधिकार अप्रभावित रहते हैं)।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 42 के स्वीकृति-नियम अक्षरशः कंठस्थ कीजिए: क्रेता तब स्वीकार करता है जब वह (a) स्वीकृति की सूचना दे, (b) माल के साथ विक्रेता के स्वामित्व से असंगत कोई कार्य करे, अथवा (c) अस्वीकृति की सूचना बिना व्यक्तिभूक्त समय से आगे माल रखे रहे।
- Sec. 2(2) की सुपुर्दगी की परिभाषा (‘ऋब्जे का स्वैच्छिक अन्तरण’) तथा उसके तीन प्रकार — actual, symbolic, constructive — सीखिए।

- Secs. 33-41 के 13 सुपुर्दगी-नियमों की धारावार सूची तैयार रखिए, जिसमें ये भी हों: क्रेता सुपुर्दगी माँगे (Sec. 35), व्यय विक्रेता पर (Sec. 36(5)), अस्वीकृत माल लौटाने को क्रेता आबद्ध नहीं (Sec. 43), सुपुर्दगी लेने से इनकार पर क्रेता का दायित्व (Sec. 44)।

TQ 4.1 • RTP 2019-May [6] • Descriptive • --- • Pg 371

LEVEL I

स्मरण (Remembering)

सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- Sec. 37 की गलत मात्रा चारों उप-नियमों सहित समझाइए: कम सुपुर्दगी — अस्वीकार करे अथवा स्वीकार कर संविदा-दर पर भुगतान करे; अधिक — संविदा की मात्रा लेकर शेष अस्वीकार करे, या पूरा अस्वीकार करे, या पूरा संविदा-दर पर ले; मिला-जुला माल — अनुरूप स्वीकार कर शेष अस्वीकार करे, या पूरा अस्वीकार करे; ये सब व्यापार-प्रथा/विशेष agreement के अधीन (Sec. 37(4))।
- आंशिक सुपुर्दगी का प्रभाव (Sec. 34) समझाइए: सम्पूर्ण की सुपुर्दगी के क्रम में की गई आंशिक सुपुर्दगी सम्पूर्ण की सुपुर्दगी है, पर पृथक् करने के आशय वाली नहीं; तथा Sec. 36(1) के स्थान-सम्बन्धी नियम (बिका माल — विक्रय के समय जहाँ था; agreement to sell — करार के समय जहाँ था; भावी माल — विनिर्माण का स्थान)।

TQ 4.3 • PYQ 2024-Sep [6] (c) (ii) • Descriptive • 3M • Pg 372

LEVEL I

समझ (Understanding)

सरल

TQ 4.4 • MTP 2025-Apr S1 [6] (c) • Descriptive • 7M • Pg 373

LEVEL I

समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 4 प्रश्न

- Sec. 37(3) के मिश्रित-विवरण वाले प्रश्नों का अभ्यास कीजिए (25 सही कुर्सियाँ + 25 गलत; कम सुपुर्द टमाटर): क्रेता के विकल्प बताइए और यह भी कि स्वीकार करने पर संविदा-दर पर भुगतान करना ही होगा।
- Sec. 36(3) तीसरे पक्ष के कब्जे पर लगाइए: सुपुर्दगी तभी पूर्ण होती है जब वह तीसरा व्यक्ति (गोदाम-रक्षक) क्रेता के समक्ष स्वीकार करे कि वह उसी की ओर से माल रख रहा है — यह attornment ही constructive delivery है।
- अदत्त-विक्रेता जैसी परिस्थिति में (उधार पर सुपुर्द माल, क्रेता भुगतान से मना करे) Secs. 31-32 के कर्तव्यों से तर्क कीजिए और विक्रेता के व्यक्तिगत उपचारों पर निष्कर्ष दीजिए — मूल्य, नुकसानी तथा ब्याज का वाद।

TQ 4.2 • RTP 2022-Nov [6] (ii) • Descriptive • --- • Pg 371

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 4.2 • PYQ 2023-Dec [5] (a) (ii) • Case Scenario • 2M • Pg 374

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 4.1 • PYQ 2018-May [5] (a) • Case Scenario • 6M • Pg 374

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 4.3 • RTP 2024-Sep [13] • Case Scenario • --- • Pg 375

LEVEL II

अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

इकाई 3.4: अदत्त विक्रेता (Unpaid Seller)

Unpaid Seller

P2-C3-U3.4 • महत्त्व C • अध्याय में Rank 4 • श्रेणी C • अध्याय के 16.5% प्रश्न • 17 प्रश्न

विषय 1: अदत्त विक्रेता (Unpaid Seller — Section 45)

P2-C3-U3.4-T01

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 3.4 का §4.1 पढ़िए: Section 45(1) के वे दो खंड जो विक्रेता को 'अदत्त' बनाते हैं, तथा Section 45(2) के अधीन 'विक्रेता' में कौन गिने जाते हैं।

नोट्स

Section 45(1) — विक्रेता 'अदत्त' कब: (a) जहाँ **सम्पूर्ण मूल्य** न चुकाया गया हो और न ही उसकी निविदा हुई हो, और विक्रेता को मूल्य के लिए तत्काल वाद-अधिकार प्राप्त हो; अथवा (b) जहाँ **bill of exchange अथवा अन्य परक्राम्य लिखत** शर्तयुक्त भुगतान के रूप में लिया गया हो और लिखत के अनादर अथवा अन्यथा के कारण वह शर्त पूरी न हुई हो।

Section 45(2) — 'विक्रेता' कौन: इस पद में वह हर व्यक्ति सम्मिलित है जो विक्रेता की स्थिति में हो — जैसे विक्रेता का वह अभिकर्ता जिसे bill of lading पृष्ठांकित किया गया हो, अथवा ऐसा consignor या अभिकर्ता जिसने स्वयं मूल्य चुकाया हो या जो उसके लिए सीधे उत्तरदायी हो।

उदाहरण: X माल ₹50,000 में बेचता है, Y ₹40,000 चुकाकर शेष नहीं देता — X अदत्त विक्रेता है। P माल ₹60,000 में बेचकर पूरे मूल्य का cheque लेता है, जो प्रस्तुति पर अनादृत हो जाता है — P अदत्त विक्रेता है।

विषय 2: अदत्त विक्रेता के अधिकार (Section 46)

P2-C3-U3.4-T02

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 3.4 का §4.2 पढ़िए: Section 46(1) द्वारा प्रदत्त तीन अधिकार तथा Section 46(2) के अधीन वह अतिरिक्त अधिकार जो सम्पत्ति न जाने की दशा में मिलता है।

नोट्स

Section 46(1): यद्यपि माल की सम्पत्ति क्रेता को चली गई हो, फिर भी अदत्त विक्रेता को विधि के विवक्षण से ये अधिकार प्राप्त हैं — (a) जब तक माल उसके कब्जे में है, मूल्य के लिए उस पर lien; (b) **क्रेता के दिवालियापन** की दशा में, कब्जा छोड़ देने के बाद **माल को मार्ग में रोकने** का अधिकार; तथा (c) अधिनियम द्वारा परिसीमित **पुनर्विक्रय का अधिकार**।

Section 46(2): जहाँ माल की सम्पत्ति क्रेता को **न गई हो**, वहाँ अदत्त विक्रेता को अपने अन्य उपचारों के अतिरिक्त **सुपुर्दगी रोक रखने** का अधिकार है, जो उसके lien तथा मार्ग में रोक के अधिकारों के समान एवं उनके समव्यापी है।

दो दिशाएँ: ये अधिकार **माल के विरुद्ध** भी चलते हैं (lien, मार्ग में रोक, पुनर्विक्रय) और **क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत रूप से** भी (मूल्य, नुक़सानी एवं ब्याज का वाद) — उत्तर लिखते समय दोनों शीर्षक अलग रखिए।

विषय 3: माल के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार

P2-C3-U3.4-T03

पहले पढ़ें Unit 4 'Unpaid Seller' पढ़िए — शीर्षक 4.1-4.3: अदत्त विक्रेता की परिभाषा (Sec. 45), Sec. 46 के अधीन अधिकार, विक्रेता का lien (Secs. 47-49), मार्ग में रोक (Secs. 50-52), क्रेता द्वारा उप-विक्रय या गिरवी का प्रभाव (Sec. 53) तथा पुनर्विक्रय का अधिकार (Sec. 54)।

नोट्स

Sec 45(1) अदत्त विक्रेता: विक्रेता तब अदत्त माना जाता है जब (a) “the whole of the price has not been paid or tendered” और उसे मूल्य के लिए तत्काल वाद-अधिकार हो, अथवा (b) शर्तयुक्त भुगतान के रूप में लिया गया bill of exchange या अन्य परक्राम्य लिखत अनादृत हो जाए; ‘विक्रेता’ में हर वह व्यक्ति सम्मिलित है जो विक्रेता की स्थिति में हो — वह अभिकर्ता जिसे bill of lading पृष्ठांकित हो, वह consignor जिसने मूल्य चुकाया हो या जो उसके लिए उत्तरदायी हो [Sec 45(2)]; **Sec 46 की योजना:** माल के विरुद्ध — (i) क़ब्ज़े में रहते lien, (ii) क्रेता के दिवालियापन पर मार्ग में रोक, (iii) पुनर्विक्रय; जहाँ सम्पत्ति गई ही न हो — सुपुर्दगी रोक रखने का अधिकार ('quasi-lien'), जो lien तथा मार्ग में रोक के समान एवं समव्यापी है।

Lien (Secs 47-49): क़ब्ज़े में रहते मूल्य के लिए माल रोक रखने का क़ब्ज़ा-आधारित अधिकार, जो केवल तब प्रयोज्य है जब (a) विक्रय उधार की शर्त के बिना हो, (b) उधार-विक्रय हो पर अवधि बीत चुकी हो, अथवा (c) क्रेता दिवालिया हो; यह तब भी उपलब्ध है जब विक्रेता क्रेता के अभिकर्ता/bailee के रूप में माल रखे हो; आंशिक सुपुर्दगी — शेष पर lien बना रहता है, जब तक परिस्थितियाँ अधित्यजन न दर्शाएँ (Sec 48); **समाप्ति (Sec 49):** (i) व्ययन का अधिकार आरक्षित किए बिना वाहक/bailee को सुपुर्दगी, (ii) क्रेता या उसका अभिकर्ता विधिपूर्वक क़ब्ज़ा पा ले, (iii) अधित्यजन, (iv) estoppel — किन्तु केवल इसलिए lien समाप्त **नहीं** होता कि विक्रेता ने मूल्य की डिक्री प्राप्त कर ली है।

मार्ग में रोक (Secs 50-52): माल को मार्ग में रोकने, क़ब्ज़ा पुनः पाने तथा मूल्य चुकने तक रखे रहने का अधिकार; **शर्तें (Sec 50):** विक्रेता अदत्त हो + क़ब्ज़ा छोड़ चुका हो + माल मार्ग में हो + क्रेता दिवालिया हो; **Sec 51 अवधि:** सम्प्रेषण हेतु वाहक/bailee को सुपुर्दगी से लेकर तब तक जब तक क्रेता या उसका अभिकर्ता सुपुर्दगी न ले ले — मार्ग समाप्त होता है क्रेता के सुपुर्दगी लेने से, पहुँचने से पूर्व अवरोधन से, वाहक द्वारा क्रेता के समक्ष स्वीकृति (attornment) से, वाहक द्वारा सुपुर्दगी देने से दोषपूर्ण इनकार से, क्रेता द्वारा किराये पर लिए वाहक या chartered जहाज़ को सुपुर्दगी से, तथा क्रेता को आंशिक सुपुर्दगी से शेष का भी मार्ग समाप्त हो जाता है; क्रेता के अभिकर्ता द्वारा माल अपने ट्रक पर लदवा लेने के बाद रेल अधिकारी उसे नहीं रोक सकते; **Sec 52:** यह वास्तविक क़ब्ज़ा लेकर, अथवा वाहक या उसके principal को सूचना देकर (इतने समय में कि वह संसूचित की जा सके) किया जाता है — वाहक को विक्रेता के निदेशानुसार माल लौटाना होगा, और पुनः सुपुर्दगी के व्यय विक्रेता पर; इससे संविदा विखंडित नहीं होती — क्रेता मूल्य चुकाकर माल का दावा अब

भी कर सकता है।

lien का अधिकार	मार्ग में रोक का अधिकार
सार — कब्ज़ा बनाए रखना	सार — कब्ज़ा पुनः प्राप्त करना
विक्रेता का माल पर कब्ज़ा होना आवश्यक	विक्रेता कब्ज़ा छोड़ चुका; माल वाहक के पास; क्रेता को मिला नहीं
क्रेता के दिवालिया न होने पर भी प्रयोज्य	केवल तभी प्रयोज्य जब क्रेता दिवालिया हो
माल विक्रेता के कब्ज़े से निकलते ही समाप्त	माल क्रेता को सुपुर्द होते ही समाप्त
जहाँ मार्ग में रोक आरम्भ होती है, वहाँ lien समाप्त	lien समाप्त होते ही आरम्भ — यह lien का ही विस्तार है

Sec 53 क्रेता द्वारा उप-विक्रय अथवा गिरवी: इससे lien/मार्ग में रोक विफल नहीं होते — दूसरा क्रेता पहले से बेहतर स्थिति में नहीं हो सकता; **अपवाद:** (a) विक्रेता ने क्रेता के विक्रय, बन्धक अथवा व्ययन पर सम्मति दी हो (Mount D.F. Ltd vs Jay & Jay — मूल्य उप-विक्रय की प्राप्ति से देय था, अतः lien विफल); (b) document of title (bill of lading, railway receipt, delivery order) क्रेता को अन्तरित हुआ हो और उसने उसे ऐसे व्यक्ति को अन्तरित कर दिया हो जो सद्भावपूर्वक तथा मूल्य देकर ले — विक्रय द्वारा अन्तरण lien/रोक को पूर्णतः विफल कर देता है, जबकि गिरवी द्वारा केवल pledgee के अधिकारों के अधीन (pledgee से यह अपेक्षा की जा सकती है कि वह पहले गिरवी रखने वाले का अन्य माल/प्रतिभूतियाँ समाप्त करे)।

पुनर्विक्रय (Sec 54) — चार दशाएँ: (i) नाशवान माल — पुनर्विक्रय की सूचना आवश्यक नहीं; (ii) पुनर्विक्रय के आशय की सूचना देने तथा क्रेता के युक्तियुक्त समय में भुगतान न करने के बाद — विक्रेता कमी (संविदा-मूल्य - पुनर्विक्रय-मूल्य) नुकसानी के रूप में वसूल सकता है और कोई अधिशेष लाभ रख सकता है; सूचना बिना वह हानि वसूल नहीं कर सकता और लाभ मूल क्रेता को लौटाना होगा [Sec 54(2)]; (iii) lien/रोक का प्रयोग करने के बाद पुनर्विक्रय — बाद वाले क्रेता को मूल क्रेता के विरुद्ध अच्छा हक़ मिलता है, सूचना के बिना भी; (iv) क्रेता के व्यतिक्रम पर पुनर्विक्रय का अधिकार संविदा में व्यक्त रूप से आरक्षित हो — तब सूचना आवश्यक नहीं, फिर भी नुकसानी वसूली योग्य।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 45(1) की परिभाषा कंठस्थ कीजिए: विक्रेता तब 'अदत्त' है जब सम्पूर्ण मूल्य न चुकाया गया हो और न उसकी निविदा हुई हो, अथवा शर्तयुक्त भुगतान के रूप में लिया गया परक्राम्य लिखत अनादृत हो जाए।
- Sec. 54 के पुनर्विक्रय की दशाएँ सीखिए: (i) नाशवान माल — सूचना आवश्यक नहीं; (ii) पुनर्विक्रय के आशय की सूचना तथा क्रेता के युक्तियुक्त समय में भुगतान न करने के बाद; (iii) lien/रोक के प्रयोग के बाद पुनर्विक्रय नए क्रेता को सूचना बिना भी अच्छा हक़ देता है; (iv) संविदा में पुनर्विक्रय के अधिकार का व्यक्त आरक्षण।
- सूचना के परिणाम स्मरण रखिए: सूचना देकर विक्रेता कमी को नुकसानी के रूप में वसूल सकता है तथा अधिशेष रख सकता है; सूचना बिना वह हानि वसूल नहीं कर सकता और लाभ मूल क्रेता को लौटाना होगा [Sec. 54(2)]।

TQ 3.3 · PYQ 2026-Jan [6] (c) (ii) · Descriptive · 4M · Pg 380

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- Sec. 46 की योजना समझाइए: माल के विरुद्ध — lien, मार्ग में रोक, पुनर्विक्रय (तथा सम्पत्ति न जाने पर सुपुर्दगी रोक रखने का 'quasi-lien'); 6 अंकों के 'माल के विरुद्ध अधिकार' वाले प्रश्न हेतु यही वर्गीकरण बनाने को तैयार रहिए।
- lien (Sec. 47): मूल्य के लिए माल रोक रखने का क़ब्ज़ा-आधारित अधिकार, जो केवल तब प्रयोज्य है जब (a) नक़द विक्रय हो, (b) उधार की अवधि बीत चुकी हो, अथवा (c) क्रेता दिवालिया हो; विक्रेता क्रेता के अभिकर्ता/bailee के रूप में भी माल रोके रख सकता है।
- lien की समाप्ति (Sec. 49): व्ययन का अधिकार आरक्षित किए बिना वाहक को सुपुर्दगी, क्रेता/अभिकर्ता का विधिपूर्वक क़ब्ज़ा पाना, अधित्यजन, estoppel — किन्तु केवल मूल्य की डिक्री मिल जाने से lien समाप्त नहीं होता।
- lien (क़ब्ज़ा बनाए रखना, दिवालियापन आवश्यक नहीं) तथा मार्ग में रोक (क़ब्ज़ा पुनः पाना, केवल क्रेता के दिवालियापन पर; lien समाप्त होते ही आरम्भ) का पाँच-बिन्दु अन्तर साधिए।

TQ 3.1 · PYQ 2019-Nov [4] (a) · Descriptive · 6M · Pg 378

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 3.2 · PYQ 2023-Dec [4] (a) · Descriptive · 6M · Pg 379

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 6 प्रश्न

- मार्ग की अवधि वाले प्रश्नों का अभ्यास कीजिए (Secs. 50–51): मार्ग तब समाप्त होता है जब क्रेता या उसका अभिकर्ता वाहक से सुपुर्दगी ले ले — अतः क्रेता के अभिकर्ता द्वारा माल अपने ट्रक पर लदवा लेने के बाद रेल अधिकारी उसे नहीं रोक सकते; आंशिक सुपुर्दगी, अवरोधन, वाहक की स्वीकृति/attornment तथा क्रेता द्वारा chartered वाहक भी मार्ग समाप्त कर देते हैं।
- मार्ग में रोक वाले उत्तर Sec. 50 की शर्तों के चारों ओर गढ़िए: विक्रेता अदत्त + क़ब्ज़ा छोड़ चुका + माल मार्ग में + क्रेता दिवालिया; Sec. 52 के अधीन वाहक या उसके principal को सूचना; पुनः सुपुर्दगी के व्यय विक्रेता पर।
- Sec. 53 लगाइए: क्रेता द्वारा उप-विक्रय अथवा गिरवी से lien/रोक विफल नहीं होते, जब तक विक्रेता ने उस पर सम्मति न दी हो अथवा कोई document of title (railway receipt, delivery order) मूल्य देने वाले सद्दावी उप-क्रेता को अन्तरित न हुआ हो — विक्रय द्वारा अन्तरण अधिकार को पूर्णतः विफल करता है, गिरवी द्वारा केवल pledgee के अधिकारों के अधीन।
- बँटी हुई खेप वाले तथ्यों में (450 बोरियाँ transport से + 50 क्रेता स्वयं ले गया) प्रत्येक भाग को अलग देखिए: रोक केवल उसी माल पर चलती है जो अब भी मार्ग में है; सुपुर्द हो चुके माल के लिए विक्रेता को व्यक्तिगत उपचारों पर लौटना होगा।

CSQ 3.1 · MTP 2020-Oct [5] (i) · Case Scenario · 6M · Pg 382

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.2 · PYQ 2021-Dec [5] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 383

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.3 · MTP 2023-May [5] (a) · Case Scenario · 6M · Pg 384

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.4 · RTP 2024-Jun [12] · Case Scenario · --- · Pg 385

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.5 · PYQ 2024-Sep [5] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 386

LEVEL II

मध्यम

विषय 4: क्रेता के विरुद्ध अदत्त विक्रेता के अधिकार (Sections 55-61)

P2-C3-U3.4-T04

पहले पढ़ें शीर्षक 4.4 'Rights of Unpaid Seller Against the Buyer (Sections 55-61)' पढ़िए — ये rights in personam हैं: मूल्य का वाद (Sec. 55), अस्वीकृति पर नुक़सानी (Sec. 56), नियत तिथि से पूर्व repudiation (Sec. 60) तथा ब्याज का वाद (Sec. 61)।

नोट्स

चार व्यक्तिगत उपचार: (1) **मूल्य का वाद:** Sec 55(1) — सम्पत्ति जा चुकी हो और क्रेता दोषपूर्ण रूप से भुगतान में उपेक्षा करे/मना करे (विक्रय-संविदा); Sec 55(2) — मूल्य किसी निश्चित दिन को देय हो, सुपुर्दगी से निरपेक्ष: तब वाद चलता है चाहे सम्पत्ति गई हो और न माल विनियोजित हुआ हो (agreement to sell); (2) **Sec 56 अस्वीकृति पर नुक़सानी** — क्रेता दोषपूर्ण रूप से स्वीकार करने एवं भुगतान करने में उपेक्षा करे/मना करे; माप Sec 73, Indian Contract Act, 1872 के अनुसार; (3) **Sec 60 नियत तिथि से पूर्व repudiation** — विक्रेता संविदा को विखंडित मानकर नुक़सानी का वाद ला सकता है ('पूर्वप्रत्याशित भंग का नियम'); (4) **Sec 61 ब्याज** — agreement के अनुसार, भुगतान देय होने की तिथि से, अन्यथा क्रेता को सूचित की गई तिथि से; न्यायालय माल की निविदा की तिथि से अथवा जिस तिथि को मूल्य देय था उससे ब्याज दे सकता है।

In rem बनाम in personam: माल के विरुद्ध अधिकार (lien, रोक, पुनर्विक्रय) माल से जुड़े रहते हैं; क्रेता के विरुद्ध व्यक्तिगत अधिकार विक्रय-संविदा के भंग पर विक्रेता के उपचार हैं — ये माल वाले अधिकारों के अतिरिक्त हैं और क़ब्ज़ा छूट जाने के बाद यही एकमात्र बचते हैं।

प्रचलित परिस्थिति (SM): माल 15 दिन के उधार पर बेचकर सुपुर्द कर दिया गया, क्रेता देय तिथि पर मना कर दे — विक्रेता Sec 45(1) के अधीन अदत्त विक्रेता है; माल सुपुर्द हो जाने से माल वाले अधिकार समाप्त; अब वह केवल मूल्य का वाद (Sec 55), अस्वीकृति पर नुक़सानी (Sec 56) तथा ब्याज (Sec 61) ही ला सकता है; जहाँ माल अब भी विक्रेता के क़ब्ज़े में हो और उधार की अवधि बीत चुकी हो/क्रेता दिवालिया हो, वहाँ lien (Sec 47) को इन व्यक्तिगत उपचारों के साथ जोड़िए।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- चारों व्यक्तिगत उपचार धाराओं सहित समझाइए: मूल्य का वाद [Sec. 55(1) जहाँ सम्पत्ति जा चुकी हो; Sec. 55(2) जहाँ मूल्य निश्चित दिन को देय हो, सुपुर्दगी से निरपेक्ष], अस्वीकृति पर नुक़सानी (Sec. 56, माप Indian Contract Act, 1872 की Sec. 73 के अनुसार), पूर्वप्रत्याशित भंग (Sec. 60) तथा ब्याज (Sec. 61)।
- माल के विरुद्ध अधिकारों (in rem) को क्रेता के विरुद्ध अधिकारों (in personam) से अलग कीजिए — बाद वाले संविदा-भंग पर विक्रेता के उपचार हैं और माल सुपुर्द हो जाने के बाद भी उपलब्ध रहते हैं।

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 1 प्रश्न

- प्रचलित परिस्थिति का अभ्यास कीजिए (उधार पर बेचा और सुपुर्द किया माल, क्रेता देय तिथि पर भुगतान से मना करे): पहले Sec. 45 के अधीन अदत्त-विक्रेता की स्थिति सिद्ध कीजिए, फिर बताइए कि क्रेता छूट जाने से माल वाले अधिकार समाप्त हैं, और अन्त में मूल्य का वाद (Sec. 55), अस्वीकृति पर नुक़सानी (Sec. 56) तथा ब्याज (Sec. 61) पर निष्कर्ष दीजिए।
- जहाँ माल अब भी विक्रेता के गोदाम में हो और मूल्य अदत्त हो, वहाँ lien (Sec. 47) को व्यक्तिगत उपचारों के साथ जोड़िए — माल के विरुद्ध अधिकार चुनने से पहले क्रेता जाँच लीजिए।

CSQ 4.1 · PYQ 2018-Nov [5] (a) · Case Scenario · 6M · Pg 389

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 5: विक्रेता के विरुद्ध क्रेता के उपचार

P2-C3-U3.4-T05

पहले पढ़ें शीर्षक 4.5 'Remedies of Buyer Against the Seller' पढ़िए — असुपुर्दगी पर नुक़सानी (Sec. 57), विनिर्दिष्ट पालन का वाद (Sec. 58), आश्वासन-भंग (Sec. 59), नियत तिथि से पूर्व repudiation (Sec. 60) तथा ब्याज का वाद (Sec. 61)।

नोट्स

क्रेता के पाँच उपचार: (1) **Sec 57 असुपुर्दगी पर नुक़सानी** — विक्रेता दोषपूर्ण रूप से सुपुर्दगी में उपेक्षा करे/मना करे (₹10,500 में ख़रीदे जूते, जिनका पुनर्विक्रय ₹11,000 में होना था: नुक़सानी ₹500 प्रति जोड़ी, अर्थात् संविदा-मूल्य/पुनर्विक्रय-मूल्य का अन्तर); (2) **Sec 58 विनिर्दिष्ट पालन**; (3) **Sec 59 आश्वासन-भंग** — क्रेता माल अस्वीकार नहीं कर सकता, किन्तु (i) भंग को मूल्य घटाने या समाप्त करने में प्रस्तुत कर सकता है, अथवा (ii) नुक़सानी का वाद ला सकता है; (4) **Sec 60 नियत तिथि से पूर्व repudiation** — संविदा को विद्यमान मानकर प्रतीक्षा करे, अथवा विखंडित मानकर नुक़सानी का वाद लाए; (5) **Sec 61 ब्याज/विशेष नुक़सानी** — जहाँ प्रतिफल विफल हुआ हो वहाँ चुकाया धन वसूल करे; न्यायालय मूल्य की वापसी पर भुगतान की तिथि से ब्याज दे सकता है।

Sec 58 विनिर्दिष्ट पालन — अर्थ: विक्रेता के भंग पर क्रेता न्यायालय से माल की वास्तविक सुपुर्दगी करवाने की प्रार्थना कर सकता है; **शर्तें:** (a) संविदा विशिष्ट अथवा अभिनिश्चित माल की हो; (b) न्यायालय की शक्ति Specific Relief Act, 1963 के अधीन; (c) आदेश वहाँ जहाँ नुक़सानी पर्याप्त उपचार न हो; (d) अनुमति वहाँ जहाँ माल अनन्य या विशेष प्रकृति का हो — जैसे मुग़लकालीन दुर्लभ चित्र।

धाराएँ तैयार रखिए: असुपुर्दगी 57, विनिर्दिष्ट पालन 58, आश्वासन 59, पूर्वप्रत्याशित भंग 60, ब्याज 61 — यह विक्रेता के Secs 55-61 वाले उपचारों का क्रेता-पक्षीय दर्पण है।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- विनिर्दिष्ट पालन के वाद (Sec. 58) का अर्थ कंठस्थ कीजिए: विक्रेता के भंग पर क्रेता न्यायालय से माल की वास्तविक सुपुर्दगी करवाने की प्रार्थना कर सकता है।

- उसकी शर्तें अक्षरशः सीखिए: (a) संविदा विशिष्ट अथवा अभिनिश्चित माल की हो; (b) न्यायालय की शक्ति Specific Relief Act, 1963 के अधीन; (c) आदेश वहाँ जहाँ नुकसानी पर्याप्त उपचार न हो; (d) अनुमति वहाँ जहाँ माल अनन्य या विशेष प्रकृति का हो (जैसे दुर्लभ मुगलकालीन चित्र)।
- क्रेता के उपचारों की पूरी सूची धाराओं सहित तैयार रखिए: असुपुर्दगी पर नुकसानी (Sec. 57), विनिर्दिष्ट पालन (Sec. 58), आश्वासन-भंग — मूल्य में कमी/समाप्ति अथवा नुकसानी (Sec. 59), पूर्वप्रत्याशित भंग (Sec. 60), ब्याज/विशेष नुकसानी (Sec. 61)।

TQ 5.1 · PYQ 2026-Jan [6] (c) (i) · Descriptive · 3M · Pg 390

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

विषय 6: नीलामी विक्रय (Auction Sale — Section 64)

P2-C3-U3.4-T06

पहले पढ़ें शीर्षक 4.6 'Auction Sale (Section 64)' पढ़िए — नीलामी विक्रय के छह विधिक नियम: lots में विक्रय, हथौड़ा गिरने से पूर्णता, बोली वापस लेना, विक्रेता का आरक्षित बोली-अधिकार, बिना सूचना दिए विक्रेता की बोली, आरक्षित मूल्य तथा दिखावटी बोली।

नोट्स

अर्थ: सम्पत्ति बेचने की वह रीति जिसमें सार्वजनिक रूप से बोलियाँ आमंत्रित की जाती हैं और माल उच्चतम बोली लगाने वाले को बेचा जाता है; auctioneer विक्रेता का अभिकर्ता है और Law of Agency से शासित होता है, किन्तु वह अपनी स्वयं की सम्पत्ति principal के रूप में, बिना प्रकट किए भी बेच सकता है।

Sec 64 — छह नियम: (a) माल lots में हो — प्रत्येक lot प्रथम-दृष्टया पृथक् विक्रय-संविदा की विषय-वस्तु है; (b) विक्रय तब पूर्ण जब auctioneer हथौड़ा गिराकर अथवा अन्य प्रचलित रीति से पूर्णता की घोषणा करे — ऐसी घोषणा तक कोई भी बोली लगाने वाला अपनी बोली वापस ले सकता है; (c) बोली लगाने का अधिकार विक्रेता द्वारा या उसकी ओर से व्यक्त रूप से आरक्षित किया जा सकता है — तब विक्रेता अथवा उसकी ओर से कोई एक व्यक्ति बोली लगा सकता है (d) जहाँ विक्रय को विक्रेता के बोली-अधिकार के अधीन अधिसूचित न किया गया हो — वहाँ विक्रेता का स्वयं बोली लगाना या किसी को बोली हेतु लगाना, तथा auctioneer का जानते हुए ऐसी बोली लेना विधिविरुद्ध है; इसका उल्लंघन करने वाले विक्रय को क्रेता कपटपूर्ण मान सकता है; (e) विक्रय को आरक्षित अथवा upset मूल्य के अधीन अधिसूचित किया जा सकता है; (f) मूल्य बढ़ाने हेतु दिखावटी बोली लगाना विक्रय को क्रेता के विकल्प पर शून्यकरणीय बना देता है।

सम्पत्ति हथौड़ा गिरने पर जाती है (SM Example 12): कार Q को knock down हुई, जिसने लिख दिया कि उसका cheque clear होने तक स्वामित्व नहीं जाएगा, फिर clear होने से पहले ही उसने R को बेच दी — अभिनिर्धारित हुआ कि सम्पत्ति हथौड़ा गिरते ही चली गई थी, अतः R को अच्छा हक मिला; विक्रय तथा उप-विक्रय दोनों वैध।

टूटे हथौड़े वाला मामला (SM): गिरते समय हथौड़ा टूट गया और प्राचीन घड़ी क्षतिग्रस्त हो गई — पूर्णता की विधिमान्य घोषणा हुई ही नहीं (हथौड़े का अपनी सामान्य स्थिति में आना आवश्यक है), अतः विक्रय अपूर्ण है, हानि विक्रेता पर पड़ती है और उच्चतम बोली लगाने वाली (Deepa) संविदा अकृत कर सकती है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 64 के नियम कारण सहित समझाइए: (a) प्रत्येक lot प्रथम-दृष्टया पृथक् विक्रय-संविदा है; (b) विक्रय तब पूर्ण जब auctioneer हथौड़ा गिराकर अथवा अन्य प्रचलित रीति से पूर्णता की घोषणा करे — तब तक कोई भी बोली वापस ले सकता है; (c) बोली का अधिकार विक्रेता द्वारा या उसकी ओर से व्यक्ति रूप से आरक्षित किया जा सकता है।
- कपट वाले नियम भी लीजिए: जहाँ विक्रय विक्रेता के बोली-अधिकार के अधीन अधिसूचित न हो, वहाँ विक्रेता न स्वयं बोली लगा सकता है, न किसी को लगवा सकता है, और उल्लंघन होने पर क्रेता विक्रय को कपटपूर्ण मान सकता है; मूल्य बढ़ाने हेतु दिखावटी बोली विक्रय को क्रेता के विकल्प पर शून्यकरणीय बनाती है; विक्रय को आरक्षित/upset मूल्य के अधीन अधिसूचित किया जा सकता है।

TQ 6.1 · PYQ 2024-Sep [6] (c) (i) · Descriptive · 4M · Pg 391

LEVEL I
समझ (Understanding)**सरल****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 3 प्रश्न

- 'विक्रय कब पूर्ण हुआ' वाले प्रश्नों का अभ्यास कीजिए: सम्पत्ति हथौड़ा गिरने पर जाती है, भुगतान या सुपुर्दगी पर नहीं — अतः हथौड़ा गिरने के बाद उच्चतम बोली लगाने वाले द्वारा किया गया उप-विक्रय वैध है (SM Example 12)।
- टूटे हथौड़े वाला मामला लगाइए: यदि गिरते समय हथौड़ा टूट जाए और माल क्षतिग्रस्त हो जाए, तो पूर्णता की विधिमान्य घोषणा हुई ही नहीं, अतः विक्रय अपूर्ण है, हानि विक्रेता की है और बोली लगाने वाला संविदा अकृत कर सकता है।
- जहाँ पूर्णता की कोई प्रचलित रीति अधिसूचित हो (हथौड़ा तथा घोषणा), वहाँ विक्रय उसी प्रथा के अनुसार ही पूर्ण होता है — उससे पहले किसी भी समय बोली वापस ली जा सकती है।

CSQ 6.1 · PYQ 2023-Jun [5] (a) (i) · Case Scenario · 2M · Pg 393

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**सरल**

CSQ 6.4 · PYQ 2025-May [5] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 396

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**सरल**

CSQ 6.3 · MTP 2024-Jun [5] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 395

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम****विश्लेषण (Analysis)** बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 1 प्रश्न

- बहु-मुद्दा नीलामी परिस्थितियों पर कार्य कीजिए (बोली-अधिकार अधिसूचित नहीं + विक्रेता का अभिकर्ता बोली लगाए + दिखावटी बोली): मुद्दे अलग कीजिए — विक्रेता की बोली की विधिमान्यता, विक्रय को कपटपूर्ण/शून्यकरणीय मानने का क्रेता का विकल्प, तथा हथौड़ा गिरने से पूर्णता — और प्रत्येक पर Sec. 64 के खंडों से निष्कर्ष दीजिए।
- Sec. 64 को सम्पत्ति/जोखिम के अन्तरण से जोड़िए: पहले तय कीजिए कि हथौड़ा गिरा था या नहीं; स्वामित्व तथा जोखिम (नीलामी के दौरान क्षति) के प्रश्न उसी एक तथ्य से निकलते हैं।

CSQ 6.2 · PYQ 2024-Jun [5] (a) · Case Scenario · 7M · Pg 393

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)**कठिन**

विषय 7: विक्रय-संविदा में बढ़े या घटे करों का समावेश (Section 64A)

P2-C3-U3.4-T07

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 3.4 का §4.7 पढ़िए: Section 64A, तथा संविदा एवं पालन के बीच कर में हुआ परिवर्तन कौन उठाएगा।

नोट्स

Section 64A: जहाँ कोई कर **संविदा होने के बाद किन्तु उसके पालन से पूर्व** अधिरोपित, बढ़ाया, घटाया अथवा छोड़ा जाए, और संविदा में कर के भुगतान के विषय में कोई शर्त न हो, वहाँ पक्षकार माल के **मूल्य का पुनःसमायोजन** करने के हकदार हो जाते हैं।

कौन-से कर: माल पर **customs अथवा excise** का कोई शुल्क, तथा माल के **विक्रय या क्रय पर कोई कर**।

प्रभाव एवं अपवर्जन: कर बढ़ने पर क्रेता बढ़ा हुआ मूल्य चुकाता है और कर घटने पर उसे लाभ मिलता है, अतः विक्रेता बढ़ा हुआ कर मूल्य में जोड़ सकता है। यह उपबन्ध **विपरीत agreement द्वारा अपवर्जित** किया जा सकता है — कराधान के विषय में पक्षकार कुछ भी तय करने को स्वतन्त्र हैं।

अध्याय 4

भारतीय साझेदारी अधिनियम, 1932 (The Indian Partnership Act, 1932)

24 विषय • 104 वर्गीकृत प्रश्न • महत्त्व: A

ICAI कौशल प्रोफाइल Level I 5-20% • Level II 80-95% — यह अध्याय है **सिद्धान्त-प्रधान**

Level I — स्मरण एवं समझ	57.5%	379 में से 218 अंक
Level II — अनुप्रयोग एवं विश्लेषण	42.5%	379 में से 161 अंक

इकाई 4.1: साझेदारी की सामान्य प्रकृति (General Nature of a Partnership)

General Nature of a Partnership

P2-C4-U4.1 • महत्त्व D • अध्याय में Rank 2 • श्रेणी A • अध्याय के 25.0% प्रश्न • 26 प्रश्न

विषय 1: 'Partnership', 'Partner', 'Firm' तथा 'Firm Name' की परिभाषा (Section 4)

P2-C4-U4.1-T01

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 4.1 का §1.1 पढ़िए: Section 4 की partnership की परिभाषा तथा उससे तय होने वाले तीन शब्द — partner, firm और firm name।

नोट्स

Section 4 — partnership: “‘Partnership’ is the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all.” यह शब्दावली अक्षरशः याद कीजिए; तत्त्वों, असली कसौटी अथवा साझेदारी के प्रकारों पर पूछा गया हर प्रश्न इसी पर खड़ा है।

तीन शब्द: जो व्यक्ति परस्पर साझेदारी में आबद्ध हुए हैं, वे व्यक्तिगत रूप से ‘partners’ तथा सामूहिक रूप से ‘a firm’ कहलाते हैं, और जिस नाम से उनका व्यवसाय चलाया जाता है वह ‘firm name’ है।

परिभाषा में क्या-क्या समाया है: वे पाँच तत्त्व जिनका एक साथ होना साझेदारी उत्पन्न होने से पहले अनिवार्य है — दो या अधिक व्यक्तियों का association, उन सबके बीच agreement, कोई business, उस business के profits बाँटने का agreement, तथा वह business सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा **acting for all** चलाया जाना (यही mutual-agency वाला तत्त्व है, और यही असली कसौटी है)।

विषय 2: साझेदारी के तत्त्व (Elements of Partnership)

P2-C4-U4.1-T02

पहले पढ़ें Indian Partnership Act, 1932 की Unit 1 'General Nature of Partnership' पढ़िए — शीर्षक 1.1 (Sec. 4 की partnership, partner, firm, firm name की परिभाषाएँ) तथा 1.2 (पाँच अनिवार्य तत्त्व), साथ में KD Kamath & Co. का Supreme Court निर्णय।

नोट्स

Sec 4 की परिभाषाएँ (SM): 'Partnership' है "the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all"; इसमें आने वाले व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से 'partners', सामूहिक रूप से 'a firm', और जिस नाम से व्यवसाय चले वह 'firm name'।

एक साथ विद्यमान पाँच तत्त्व: (1) **दो या अधिक व्यक्तियों का association** — केवल वे व्यक्ति जिन्हें विधि मान्यता देती है: कोई firm स्वयं partner नहीं बन सकती; minor partner नहीं बन सकता, किन्तु सभी partners की सम्मति से benefits में प्रवेश पा सकता है; अधिकतम 50 partners [Sec 464, Companies Act, 2013 सहपठित Companies (Miscellaneous) Rules, 2014]; (2) **agreement** — स्वेच्छिक एवं संविदात्मक, व्यक्त अथवा आचरण से विवक्षित, मौखिक या लिखित — status से नहीं; (3) **business** — इसमें हर trade, occupation और profession आता है, जो 'acquisition of gains' के उद्देश्य से चलाया जाए — कोई charitable संस्था या club साझेदारी में नहीं चलाया जा सकता; (4) **profits का बँटवारा** — अनिवार्य है (जहाँ सारा लाभ अकेला एक व्यक्ति ले, वहाँ साझेदारी नहीं), किन्तु LOSSES बँटने का agreement अनिवार्य नहीं — एक या अधिक partners सारी हानि उठा सकते हैं; (5) **business सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा acting for all चलाया जाना** — mutual agency, यही मूल सिद्धान्त है।

Mutual agency: व्यवसाय चलाने वाला प्रत्येक partner शेष सबका principal भी है और agent भी — वह अपने कार्यों से उन्हें आबद्ध करता है और उनके कार्यों से स्वयं आबद्ध होता है, इसीलिए firm का लेनदार किसी भी एक partner से वसूली कर सकता है; **KD Kamath & Co. (SC):** दो अनिवार्य शर्तें — (1) व्यवसाय के profits तथा losses दोनों बँटने का agreement, (2) business सबके द्वारा या किसी एक के द्वारा acting for all चलाया जाना (Sec 4); agreement द्वारा किसी एक partner को विशेष अधिकार एवं नियंत्रण देना, अथवा केवल एक ही partner का bank accounts चलाना/उधार लेना, साझेदारी को नष्ट नहीं करता।

तथ्य-प्रतिरूप (provision → facts → conclusion): profits समान रूप से बँटे पर सारी हानि अकेला X उठाए — फिर भी साझेदारी है (हानि बँटना अनिवार्य नहीं); प्रकाशक लेखक को शुद्ध लाभ का आधा दे — साझेदारी नहीं, क्योंकि mutual agency नहीं है, अतः कागज़ का व्यापारी (तीसरा पक्ष) लेखक को दायी नहीं ठहरा सकता; भूमि अथवा किराये पर उठी चाय की दुकान से co-owners का किराया बँटना — न business है न mutual agency, अतः यह co-ownership है, साझेदारी नहीं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 4 की परिभाषा ज्यों-की-त्यों लिखिए — 'the relation between persons who have agreed to share the profits of a business carried on by all or any of them acting for all' — और फिर एक साथ विद्यमान पाँचों तत्त्व समझाइए: दो या अधिक व्यक्तियों का association, agreement, business, profits का बँटवारा, mutual agency।

- किन्हीं दो तत्त्वों को गहराई से समझाने को तैयार रहिए: जैसे agreement (स्वैच्छिक एवं संविदात्मक, व्यक्त या विवक्षित, status से नहीं; minor partner नहीं बन सकता पर benefits में प्रवेश पा सकता है; Sec. 464 Companies Act, 2013 सहपठित Rules के अनुसार अधिकतम 50 partners) तथा mutual agency (प्रत्येक partner principal भी और agent भी — KD Kamath & Co. के अनुसार यही मूल सिद्धान्त)।
- जाल पहचानिए: losses बाँटना अनिवार्य नहीं है (एक ही partner सारी हानि उठा सकता है), और 'business' में acquisition of gains के उद्देश्य से चलाया गया हर trade, occupation एवं profession आता है।

TQ 2.1 · PYQ 2021-Dec [3] (a) · Descriptive · 6M · Pg 398

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 3 प्रश्न

- 'क्या यह साझेदारी है?' वाले तथ्य-प्रतिरूपों का अभ्यास कीजिए: profits समान रूप से बाँटें पर हानि अकेला एक उठाए — फिर भी साझेदारी (हानि बाँटना अनिवार्य नहीं); प्रकाशक लेखक को शुद्ध लाभ का आधा दे — साझेदारी नहीं, क्योंकि mutual agency अनुपस्थित है, अतः तीसरे पक्ष लेखक पर वाद नहीं ला सकते।
- Co-ownership वाले तथ्य (मित्र मिलकर flat किराये पर उठाएँ और किराया बाँटें) — साझेदारी नहीं: संयुक्त रूप से धारित सम्पत्ति से gross returns बाँटने में न कोई business है, न mutual agency।
- उत्तर provision → facts → conclusion के क्रम में लिखिए: Sec. 4 उद्धृत कीजिए, पाँचों तत्त्वों को तथ्यों पर कसिए, और जो तत्त्व अनुपस्थित है (प्रायः business अथवा mutual agency) उसी को कारण बनाकर निष्कर्ष दीजिए।

CSQ 2.1 · PYQ 2023-Dec [4] (b) · Case Scenario · 6M · Pg 400

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 2.2 · RTP 2024-Jun [14] · Case Scenario · --- · Pg 401

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 2.3 · PYQ 2026-Jan [3] (a) (i) · Case Scenario · 3M · Pg 402

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 3: साझेदारी की असली कसौटी (True Test of Partnership)

P2-C4-U4.1-T03

पहले पढ़ें शीर्षक 1.3 'True Test of Partnership' पढ़िए — Sec. 6 (साझेदारी का अस्तित्व तय करने की रीति), Sec. 5 (साझेदारी contract से उत्पन्न होती है, status से नहीं), Sec. 6 के profit-sharing अपवाद, तथा Santiranjan Das Gupta v. Dasyran Murzamull के कारक।

नोट्स

असली कसौटी: mutual agency, न कि profits का बाँटवारा — profit-sharing केवल prima facie साक्ष्य है, निर्णायक नहीं; संयुक्त अथवा सामान्य हित में धारित सम्पत्ति से उत्पन्न profits या gross returns बाँटने मात्र से धारक partners नहीं बन जाते; साझेदारी का अस्तित्व सिद्ध करने के लिए चाहिए — (1) सभी सम्बन्धित व्यक्तियों के बीच agreement, (2) किसी business के profits बाँटने का agreement, (3) वह business सबके द्वारा या किसी एक के

द्वारा acting for all चलाया जाना।

Sec 5 — contract से, status से नहीं: साझेदारी का सम्बन्ध contract से उत्पन्न होता है, status से नहीं; Hindu Undivided Family के सदस्य जो उसी रूप में पारिवारिक व्यवसाय चला रहे हों, अथवा Burmese Buddhist पति-पत्नी जो उसी रूप में व्यवसाय चला रहे हों, partners NOT हैं।

Sec 6 के अपवाद — लाभ का हिस्सा या लाभ से जुड़ा भुगतान पाने मात्र से कोई partner नहीं बन जाता: (a) व्यवसाय में लगे या लगने वाले व्यक्तियों को धन उधार देने वाला (ऋण चुकने तक लेनदार का contingent हिस्सा), (b) पारिश्रमिक के रूप में पाने वाला servant अथवा agent, (c) मृत partner की विधवा या सन्तान जो annuity के रूप में पाए, (d) व्यवसाय का पूर्व स्वामी या सह-स्वामी, जो goodwill अथवा उसके अंश की बिक्री के प्रतिफल के रूप में पाए।

Sec 6 — निर्धारण की रीति: पक्षकारों के बीच के वास्तविक सम्बन्ध पर ध्यान दिया जाएगा, जैसा सभी सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेकर प्रकट हो — लिखित/मौखिक agreement, पक्षकारों का वास्तविक आशय एवं आचरण तथा आस-पास की परिस्थितियों का संचयी प्रभाव; **Santiranjan Das Gupta v. Dasyran Murzamull (SC):** वहाँ साझेदारी नहीं जहाँ (a) शर्तों का कोई अभिलेख न रखा गया हो, (b) व्यवसाय के खाते दोनों पक्षों के लिए खुले न हों, (c) firm के नाम से कोई bank account न हो, (d) Deputy Director of Procurement को कोई लिखित सूचना न दी गई हो।

कसौटी लगाना: firm की ओर से किसी एक partner का कार्य सबको आबद्ध करता है — जहाँ लाभ-लक्षी समूह में mutual agency विद्यमान हो, वहाँ साझेदारी मानी जा सकती है; लाभ के अनुसार घटता-बढ़ता पारिश्रमिक पाने वाला ठेकेदार/कर्मचारी मात्र servant/agent है, mutual agency नहीं, अतः साझेदारी नहीं; किसी एक partner में विशेष नियंत्रण होना साझेदारी का खंडन नहीं करता, बशर्ते profit-sharing और mutual agency विद्यमान हों (KD Kamath & Co.)।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- कंठस्थ कीजिए कि साझेदारी की असली/निर्णायक कसौटी mutual agency है — profit sharing नहीं; profit sharing तो केवल prima facie साक्ष्य है।
- वे प्राप्तियाँ गिनाइए जो अपने-आप किसी को partner नहीं बनातीं: (a) लाभ का हिस्सा पाने वाला धन-उधारदाता, (b) पारिश्रमिक पाने वाला servant या agent, (c) annuity पाने वाली मृत partner की विधवा या सन्तान, (d) goodwill की बिक्री का प्रतिफल पाने वाला पूर्व स्वामी।
- Sec. 5 स्मरण रखिए: पारिवारिक व्यवसाय चलाने वाले HUF सदस्य तथा Burmese Buddhist पति-पत्नी partners नहीं हैं — साझेदारी contract से उत्पन्न होती है, status से नहीं।

TQ 3.1 · MTP 2019-Oct [6] (b) · Descriptive · 4M · Pg 403

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 3 प्रश्न

- Sec. 6 समझाइए: पक्षकारों के वास्तविक सम्बन्ध पर ध्यान देना होगा, जैसा सभी सुसंगत तथ्यों को एक साथ लेकर प्रकट हो — agreement, आशय, आचरण तथा आस-पास की परिस्थितियाँ संचयी रूप से।

- 'business carried on by all or any of them acting for all' पर चर्चा कीजिए: प्रत्येक partner principal भी है और agent भी; किसी एक partner में विशेष नियंत्रण होने से साझेदारी नष्ट नहीं होती, यदि profits बाँटने का agreement तथा mutual agency विद्यमान हों (KD Kamath & Co.)।
- समझाइए कि 'profits बाँटना निर्णायक साक्ष्य क्यों नहीं' — इसे Sec. 6 के अपवादों से तथा इस नियम से जोड़िए कि संयुक्त सम्पत्ति से gross returns बाँटने पर साझेदारी नहीं बनती।

TQ 3.2 · PYQ 2021-Jan [3] (b) · Descriptive · 4M · Pg 404	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.3 · PYQ 2021-Dec [6] (b) · Descriptive · 4M · Pg 404	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.4 · MTP 2025-Dec S1 [1] (c) · Descriptive · 6M · Pg 405	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 5 प्रश्न

- व्यवस्थाओं का वर्गीकरण अभ्यास कीजिए: संयुक्त स्वामित्व वाली कार/चाय की दुकान किराये पर देकर आय बाँटना → co-ownership, साझेदारी नहीं (न business, न mutual agency); 12-12 partners वाली दो फर्म मिलकर किसी joint venture का लाभ बाँटें → Sec. 4/6 पर कसकर association of persons के रूप में परखिए।
- धन-उधारदाता को लाभ का हिस्सा (ऋण चुकने तक 25% हिस्सा) वाले तथ्यों पर Sec. 6 का अपवाद लगाइए: लेनदार का contingent हिस्सा उसे partner नहीं बनाता।
- ठेकेदार/उप-ठेकेदार अथवा नियोक्ता-कर्मचारी वाले तथ्यों में दिखाइए कि mutual agency अनुपस्थित है — लाभ के अनुसार घटा-बढ़ता भुगतान मात्र पारिश्रमिक है; निष्कर्ष Sec. 6 की संचयी-तथ्य कसौटी से दीजिए।

CSQ 3.2 · MTP 2024-Aug [3] (a) (iii) · Case Scenario · 2M · Pg 408	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 3.3 · PYQ 2026-Jan [3] (a) (ii) · Case Scenario · 2M · Pg 409	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 3.5 · PYQ 2026-Jan [3] (a) (iii) · Case Scenario · 2M · Pg 410	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	सरल
CSQ 3.1 · PYQ 2021-Dec [4] (b) · Case Scenario · 6M · Pg 407	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.4 · RTP 2026-Jan [15] · Case Scenario · --- · Pg 409	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विषय 4: साझेदारी तथा अन्य संगठन-रूपों में अन्तर (Partnership Distinguished from Other Forms of Organisation)

P2-C4-U4.1-T04

पहले पढ़ें शीर्षक 1.4 'Partnership Distinguished from Other Forms of Organisation' पढ़िए — साझेदारी बनाम joint stock company, club, Hindu Undivided Family, co-ownership तथा association के तालिकाबद्ध अन्तर।

नोट्स

आधारवार अन्तर (SM की तालिकाएँ): साझेदारी बनाम joint stock company, club, HUF, co-ownership तथा association — जितने अंक हों उतने आधार लिखिए; **club के साथ:** club स्वास्थ्य, मनोरंजन जैसे हितकारी प्रयोजनों को बढ़ावा देता है, लाभ को नहीं; सदस्य दूसरे सदस्यों का agent नहीं होता और club की सम्पत्ति में उसका कोई हित नहीं; सदस्यता बदलने से club का अस्तित्व प्रभावित नहीं होता; **association के साथ:** association किसी सामाजिक उद्देश्य से जन्म लेता है (charitable/religious society, mutual insurance, trade protection) और उसमें लाभ कमाने-बाँटने का उद्देश्य नहीं होता; यह भी ध्यान रखिए कि firm Indian Partnership Act, 1932 से शासित है और अधिकतम 50 partners, जबकि HUF का व्यवसाय Hindu Law से शासित है और सदस्य-संख्या असीमित।

Partnership	Joint Stock Company
firm का partners से भिन्न कोई विधिक अस्तित्व नहीं	सदस्यों से भिन्न पृथक् विधिक इकाई (Salomon v. Salomon)
प्रत्येक partner firm तथा अन्य partners का agent है	सदस्य न company का agent है, न अन्य सदस्यों का
partners का दायित्व असीमित — निजी सम्पत्ति भी दायी	दायित्व shares पर अदत्त राशि (अथवा guarantee) तक सीमित
सभी partners की सम्मति बिना हिस्सा हस्तान्तरणीय नहीं	Articles के अधीन shares हस्तान्तरणीय; सूचीबद्ध हों तो प्रायः स्वतन्त्र
पंजीकरण अनिवार्य नहीं; अधिकतम 50 partners	पंजीकरण बिना अस्तित्व नहीं; private ≤200, public पर कोई सीमा नहीं
partner की मृत्यु, सेवानिवृत्ति या दिवालियापन से firm विघटित	शाश्वत उत्तराधिकार; समापन NCLT द्वारा अथवा नाम काटकर

Partnership	Hindu Undivided Family
अनिवार्यतः agreement से सृजित	अधिकार status से, अर्थात् परिवार में जन्म से
प्रत्येक partner अपने कार्य से firm को आबद्ध कर सकता है	केवल Karta को पारिवारिक व्यवसाय आबद्ध करने का अधिकार
प्रत्येक partner का दायित्व असीमित	केवल Karta का दायित्व असीमित; coparceners लाभ में हिस्से तक
partner की मृत्यु से सामान्यतः firm विघटित	सदस्य की मृत्यु से पारिवारिक व्यवसाय विघटित नहीं
minor partner नहीं बन सकता; सभी partners की सम्मति से benefits में प्रवेश	minor जन्म से ही पैतृक व्यवसाय का सदस्य हो जाता है

agreement से प्रत्येक partner का हिस्सा निश्चित	किसी coparcener का हिस्सा निश्चित नहीं; जन्म/मृत्यु से घटता-बढ़ता है
Partnership	Co-ownership
सदैव contract से उत्पन्न — व्यक्त अथवा विवक्षित	agreement से अथवा विधि के प्रवर्तन से, जैसे उत्तराधिकार
partner अन्य partners का agent होता है	co-owner अन्य co-owners का agent नहीं होता
हित की समानता — profits एवं losses बाँटना अनिवार्य	इसमें profits एवं losses बाँटना आवश्यक नहीं
हिस्सा केवल सभी partners की सम्मति से हस्तान्तरित	co-owner अपना हित दूसरों की सम्मति बिना हस्तान्तरित कर सकता है

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 3 प्रश्न

- Partnership बनाम HUF में कम-से-कम ये आधार साध लीजिए: सृजन की रीति (agreement बनाम status/जन्म), अधिकार (प्रत्येक partner firm को आबद्ध करता है बनाम केवल Karta), दायित्व (सभी partners असीमित बनाम केवल Karta असीमित), मृत्यु (firm विघटित बनाम कोई प्रभाव नहीं), minor की स्थिति, शासी विधि, तथा हिस्सा (निश्चित बनाम घटता-बढ़ता)।
- Partnership बनाम Joint Stock Company: पृथक् विधिक इकाई नहीं बनाम पृथक् इकाई (Salomon v. Salomon), mutual agency बनाम कोई नहीं, असीमित बनाम सीमित दायित्व, हिस्सा हस्तान्तरण में सभी partners की सम्मति बनाम स्वतन्त्र हस्तान्तरण, पंजीकरण वैकल्पिक बनाम अनिवार्य, agreement से विघटन बनाम शाश्वत उत्तराधिकार, अधिकतम 50 partners बनाम 200/असीमित सदस्य।
- Partnership बनाम Co-ownership: साझेदारी केवल contract से उत्पन्न होती है जबकि co-ownership विधि के प्रवर्तन से भी (उत्तराधिकार); co-owner दूसरों का agent नहीं होता; co-ownership में लाभ बाँटना आवश्यक नहीं; co-owner अपना हित दूसरों की सम्मति बिना हस्तान्तरित कर सकता है।
- ये 2-6 अंकों के 'distinguish between' प्रश्नों के रूप में आते हैं — आधारवार तालिकाएँ तैयार रखिए और जितने अंक हों उतने बिन्दु लिखिए।

TQ 4.1 · MTP 2019-Oct [3] (a) · Distinguish Between · 2M · Pg 412

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

TQ 4.2 · MTP 2022-Jun [3] (i) · Distinguish Between · 6M · Pg 414

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

TQ 4.3 · PYQ 2022-Nov [6] (b) · Distinguish Between · 4M · Pg 416

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

विषय 5: साझेदारी के प्रकार (Kinds of Partnerships)

P2-C4-U4.1-T05

पहले पढ़ें शीर्षक 1.5 'Kinds of Partnerships' पढ़िए — partnership at will (Sec. 7), नियत अवधि की साझेदारी, particular partnership तथा general partnership, साथ ही Partnership Deed एवं उसकी अन्तर्वस्तु वाला अनुच्छेद।

नोट्स

चार प्रकार: अवधि की दृष्टि से — partnership at will तथा नियत अवधि की साझेदारी; व्यवसाय के विस्तार की दृष्टि से — particular partnership तथा general partnership।

Partnership at will (Sec 7) — दो शर्तें, दोनों आवश्यक: (1) साझेदारी की अवधि के लिए कोई नियत काल तय न हुआ हो, तथा (2) साझेदारी समाप्त करने के विषय में कोई उपबन्ध न किया गया हो; कोई भी partner शेष सभी partners को विघटन के अपने आशय की लिखित सूचना देकर इसे विघटित कर सकता है; नियत अवधि की साझेदारी यदि अवधि बीतने के बाद भी चलती रहे तो वह partnership at will बन जाती है।

अन्य प्रकार: नियत अवधि: अवधि contract से तय — नियत काल बीतने पर समाप्त; **particular partnership:** किसी एक साहस या उपक्रम के लिए बनी — agreement के अधीन, उस साहस के पूरा होते ही विघटित; **general partnership:** व्यवसाय के सामान्य रूप के सम्बन्ध में गठित — दायित्व किसी एक साहस तक सीमित नहीं (particular partnership तथा LLP से तुलना कीजिए)।

Partnership deed — अर्थ एवं औपचारिकताएँ: वह लिखित दस्तावेज़ जिसमें partners के परस्पर सम्बन्ध की शर्तें एवं निबन्धन हों; कोई विशेष औपचारिकता आवश्यक नहीं — agreement मौखिक या लिखित हो सकता है, पर भावी विवाद टालने के लिए लिखित होना वांछनीय है; deed सावधानी से draft हो और Stamp Act, 1899 के अनुसार मुद्रांकित हो; जहाँ साझेदारी में अचल सम्पत्ति सम्मिलित हो, वहाँ लिखत का लिखित, मुद्रांकित तथा Registration Act के अधीन पंजीकृत होना अनिवार्य है।

Deed की बारह अन्तर्वस्तुएँ: (1) firm का नाम (2) सभी partners के नाम (3) व्यवसाय का स्वरूप एवं स्थान (4) प्रारम्भ की तिथि (5) अवधि (6) प्रत्येक partner का पूँजी-अंशदान (7) लाभ-विभाजन अनुपात (8) partner का प्रवेश एवं सेवानिवृत्ति (9) पूँजी, आहरण एवं ऋणों पर ब्याज की दरें (10) विघटन पर खातों का निपटारा (11) partners को देय वेतन/commission (12) कर्तव्य के घोर भंग अथवा कपट पर partner का निष्कासन — firm अपनी आवश्यकता के अनुसार उपबन्ध जोड़ या हटा सकती है।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए - 5 प्रश्न

- Partnership at will (Sec. 7): तब, जब (i) अवधि के लिए कोई नियत काल तय न हो, तथा (ii) साझेदारी समाप्त करने के विषय में कोई उपबन्ध न हो; कोई भी partner शेष सबको लिखित सूचना देकर विघटित कर सकता है; नियत अवधि की साझेदारी अवधि बीतने के बाद चलती रहे तो partnership at will बन जाती है।
- दोहराने योग्य परिभाषाएँ: नियत अवधि की साझेदारी (अवधि contract से नियत, अवधि बीतने पर समाप्त); particular partnership (एक ही साहस/उपक्रम के लिए, उसके पूरा होते ही विघटित); general partnership (व्यवसाय के सामान्य रूप हेतु गठित — दायित्व किसी एक साहस तक सीमित नहीं)।

- partnership deed की 12 अन्तर्वस्तुओं की सूची कंठस्थ कीजिए (firm का नाम, partners के नाम, व्यवसाय का स्वरूप एवं स्थान, प्रारम्भ तिथि, अवधि, पूँजी-अंशदान, लाभ-विभाजन अनुपात, प्रवेश/सेवानिवृत्ति, पूँजी/आहरण/ऋणों पर ब्याज दरें, विघटन पर निपटारा, वेतन/commission, निष्कासन खंड) तथा draft सम्बन्धी बिन्दु — लिखित होना अनिवार्य नहीं, Stamp Act, 1899 के अनुसार मुद्रांकन, और अचल सम्पत्ति हो तो पंजीकरण।

TQ 5.1 · PYQ 2020-Nov [3] (a) (i) · Descriptive · 2M · Pg 417	LEVEL I स्मरण (Remembering)	सरल
TQ 5.2 · PYQ 2021-Jan [3] (a) (i) · Descriptive · 2M · Pg 418	LEVEL I स्मरण (Remembering)	सरल
TQ 5.3 · PYQ 2022-May [3] (a) (I) · Descriptive · 2M · Pg 418	LEVEL I स्मरण (Remembering)	सरल
TQ 5.4 · MTP 2022-Nov S1 [6] (ii) · Descriptive · 4M · Pg 419	LEVEL I स्मरण (Remembering)	सरल
TQ 5.6 · RTP 2026-May [17] (d) · Descriptive · --- · Pg 421	LEVEL I स्मरण (Remembering)	सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- समझाइए कि partnership deed क्या है (partners के परस्पर सम्बन्ध की शर्तों का लिखित दस्तावेज़), लिखित होना अनिवार्य न होते हुए भी वांछनीय क्यों है (भावी विवाद टलते हैं, साक्ष्य-मूल्य मिलता है) तथा उसका महत्त्व क्या है — 7 अंकों का संयुक्त 'meaning + significance + contents' प्रश्न अपेक्षित है।
- औपचारिकताओं पर तर्क कर सकिए: साझेदारी के agreement के लिए कोई विशेष औपचारिकता आवश्यक नहीं (मौखिक या लिखित), किन्तु deed का Stamp Act, 1899 के अधीन मुद्रांकित होना आवश्यक है, और जहाँ साझेदारी में अचल सम्पत्ति सम्मिलित हो वहाँ लिखत लिखित, मुद्रांकित तथा Registration Act के अधीन पंजीकृत होनी चाहिए।

TQ 5.5 · MTP 2025-May S2 [5] (b) · Descriptive · 7M · Pg 420	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
--	--------------------------------	-------

विषय 6: साझेदारों के प्रकार (Types of Partners)

P2-C4-U4.1-T06

पहले पढ़ें शीर्षक 1.6 'Types of Partners' पढ़िए — active/ostensible, sleeping/dormant, nominal, केवल लाभ में साझेदार, sub-partner, incoming, outgoing तथा partner by holding out (Sec. 28)।

नोट्स

आठ प्रकार: active/actual/ostensible, sleeping/dormant, nominal, केवल लाभ में साझेदार, sub-partner, incoming, outgoing/retiring, तथा partner by holding out (Sec 28)।

Active/sleeping/nominal: **active (ostensible):** वह partner जो agreement से सक्रिय रूप से व्यवसाय चलाता है — साधारण अनुक्रम के सभी कार्यों के लिए शेष का agent; सेवानिवृत्ति पर बाद के कार्यों के दायित्व से बचने हेतु public notice देना अनिवार्य; **sleeping (dormant):** वह partner जो agreement से है पर सक्रिय भाग नहीं लेता

— profits एवं losses बाँटता है, firm के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति दायी, किन्तु सेवानिवृत्ति पर public notice आवश्यक नहीं; **nominal**: बिना किसी वास्तविक हित के केवल अपना नाम देता है — न पूँजी, न लाभ में हिस्सा, न प्रबन्ध में भाग, फिर भी firm के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति दायी (लाभ-रहित nominal partner के विरुद्ध लेनदार का वाद सफल होता है)।

केवल लाभ में/sub/incoming/outgoing: केवल लाभ में साझेदार: हानि के दायित्व बिना लाभ बाँटता है — फिर भी firm के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति दायी; **sub-partner**: वह बाहरी व्यक्ति जिसके साथ कोई partner अपना ही हिस्सा बाँटने का करार करे — न उसे firm के विरुद्ध कोई अधिकार, न firm के ऋणों का दायित्व; **incoming**: सभी विद्यमान partners की सम्मति से प्रवेश — अपने प्रवेश से पूर्व firm के किसी कार्य के लिए दायी नहीं; **outgoing (retiring)**: अपनी सेवानिवृत्ति की public notice दिए जाने तक firm के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति दायी बना रहता है।

Partner by holding out — Sec 28 (estoppel): जहाँ कोई व्यक्ति स्वयं को partner बताए, अथवा जानते हुए स्वयं को partner बताया जाने दे (जबकि वस्तुतः वह partner नहीं है), वहाँ वह उस हर व्यक्ति के प्रति partner की भाँति दायी है जिसने ऐसे अभ्यावेदन के भरोसे firm को उधार दिया; कपटपूर्ण आशय सिद्ध करना आवश्यक नहीं, और दायित्व केवल वही व्यक्ति प्रवर्तित करा सकता है जिसके समक्ष अभ्यावेदन हुआ और जिसने उस पर कार्य किया — partner बताकर परिचय कराया गया और मौन रहा manager उस व्यापारी के प्रति दायी ठहराया गया जिसने उधार पर TV sets दिए।

सेवानिवृत्त partner तक विस्तार: Sec 28 उस पूर्व partner पर भी लागू होता है जो उचित public notice दिए बिना सेवानिवृत्त हुआ — S सेवानिवृत्त हो गया पर उसका नाम firm के letterheads पर चलता रहा: S उन लेनदारों के प्रति partner by holding out के रूप में दायी है जिन्होंने उसे partner मानकर उधार दिया; उत्तर का ढाँचा — Sec 28 की शर्तें → अभ्यावेदन/public notice की चूक → उसी भरोसे पर उधार → दायित्व।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Nominal partner: बिना किसी वास्तविक हित के firm को अपना नाम देता है — न पूँजी, न लाभ में हिस्सा, न प्रबन्ध में भाग, किन्तु firm के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति दायी।
- प्रत्येक प्रकार की एक-पंक्ति परिभाषा दायित्व-बिन्दु सहित रखिए: sleeping/dormant (profits एवं losses बाँटता है, तीसरे पक्षों के प्रति दायी, सेवानिवृत्ति पर public notice आवश्यक नहीं), केवल लाभ में साझेदार, sub-partner (firm के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं, firm के प्रति कोई दायित्व नहीं), incoming (प्रवेश से पूर्व के कार्यों के लिए दायी नहीं), outgoing (सेवानिवृत्ति की public notice तक दायी)।

TQ 6.1 · PYQ 2025-Jan [5] (b) (i) · Descriptive · 2M · Pg 421

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Partner by holding out / estoppel (Sec. 28) समझाइए: जो व्यक्ति स्वयं को partner बताए अथवा जानते हुए बताया जाने दे, वह उस हर व्यक्ति के प्रति partner की भाँति दायी है जिसने उस अभ्यावेदन के भरोसे firm को उधार दिया; कपटपूर्ण आशय सिद्ध करना आवश्यक नहीं, और दायित्व केवल वही प्रवर्तित करा सकता है जिसके समक्ष अभ्यावेदन हुआ।

- सेवानिवृत्त partners तक विस्तार भी बताइए: जो partner public notice दिए बिना सेवानिवृत्त हो, वह उन लेनदारों के प्रति holding out से दायी बना रहता है जो उसे अब भी partner मानकर उधार देते हैं।

TQ 6.2 · PYQ 2025-Jan [5] (b) (i) · Descriptive · 4M · Pg 422

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 2 प्रश्न

- nominal-partner वाले वादों का अभ्यास कीजिए (लेनदार ऐसे nominal partner पर वाद लाए जो लाभ में कोई हिस्सा नहीं लेता): निष्कर्ष यही कि लाभ-हिस्सा न होने पर भी वह firm के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति दायी है।
- बिना सूचना सेवानिवृत्ति वाले तथ्यों पर Sec. 28 लगाइए (सेवानिवृत्त partner का नाम letterhead पर बना रहा, आपूर्तिकर्ता उसे partner मानकर व्यवहार करता रहा): वह partner by holding out के रूप में दायी है; ढाँचा — Sec. 28 की शर्तें → अभ्यावेदन/public notice की चूक → उसी भरोसे पर उधार → दायित्व।

CSQ 6.1 · RTP 2022-Nov [10] · Case Scenario · ---- · Pg 423

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 6.2 · PYQ 2025-Sep [5] (b) (i) · Case Scenario · 3M · Pg 424

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

इकाई 4.2: साझेदारों के पारस्परिक सम्बन्ध (Relations of Partners)

Relations of Partners

P2-C4-U4.2 · महत्त्व A · अध्याय में Rank 1 · श्रेणी A · अध्याय के 54.8% प्रश्न · 57 प्रश्न

विषय 1: साझेदारों का परस्पर सम्बन्ध (Relation of Partners to One Another)

P2-C4-U4.2-T01

पहले पढ़ें शीर्षक 2.1 'Relation of Partners to One Another' पढ़िए: सामान्य कर्तव्य (Sec. 9), कपट पर क्षतिपूर्ति (Sec. 10), contract द्वारा अधिकार/कर्तव्य (Sec. 11), व्यवसाय का संचालन (Sec. 12) तथा पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व (Sec. 13)।

नोट्स

Sec 9 (सामान्य कर्तव्य): व्यवसाय को अधिकतम सामान्य लाभ के लिए चलाना, किसी भी partner अथवा उसके विधिक प्रतिनिधियों को firm से जुड़ी हर बात के सच्चे खाते एवं पूरी जानकारी देना, तथा परम सद्भाव (utmost good faith) बरतना; **Sec 10:** व्यवसाय के संचालन में कपट करने वाला partner firm की हानि की पूर्ति करेगा; **Sec 11:** पारस्परिक अधिकार/कर्तव्य contract से तय हो सकते हैं (व्यक्त अथवा व्यवहार-क्रम से विवक्षित) और सबकी सम्मति से बदले जा सकते हैं — यह उपबन्ध भी वैध है कि partner रहते हुए कोई अन्य व्यवसाय नहीं करेगा, Sec 27, Contract Act के होते हुए भी।

Sec 12 (व्यवसाय का संचालन, contract के अधीन): (a) प्रत्येक partner व्यवसाय के संचालन में भाग ले सकता है;

(b) अपने कर्तव्यों पर परिश्रमपूर्वक ध्यान देने को आबद्ध है; (c) साधारण विषय बहुमत से तय (सद्भावपूर्वक, हर partner को सुनकर), किन्तु व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन बिना सभी partners की सम्मति के नहीं; (d) प्रत्येक partner — सक्रिय हो या निष्क्रिय — firm की किसी भी पुस्तक तक पहुँच, निरीक्षण एवं प्रतिलिपि (सद्भावपूर्वक) कर सकता है; (e) partner की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी/विधिक प्रतिनिधि अथवा उनके प्राधिकृत अभिकर्ता पुस्तकों तक पहुँच, निरीक्षण एवं प्रतिलिपि कर सकते हैं।

Sec 13 (पारस्परिक अधिकार एवं दायित्व, सब contract के अधीन): (a) व्यवसाय में भाग लेने का कोई पारिश्रमिक नहीं (केवल agreement अथवा firm की निरन्तर प्रथा/रूढ़ि से दावा योग्य); (b) profits में समान हिस्सा, losses में समान अंशदान; (c) पूँजी पर ब्याज केवल लाभ में से देय; (d) तय पूँजी से अधिक दिए गए advances पर 6% वार्षिक ब्याज — यह विघटन के बाद भी भुगतान तक चलता है, जबकि पूँजी पर ब्याज विघटन पर रुक जाता है; (e) व्यवसाय के साधारण एवं उचित संचालन में किए गए भुगतानों/दायित्वों तथा firm को हानि से बचाने हेतु किए गए विवेकपूर्ण आपात कार्यों के लिए firm partner को क्षतिपूर्ति देगी; (f) व्यवसाय के संचालन में अपनी साशय उपेक्षा से हुई हानि के लिए partner firm को क्षतिपूर्ति देगा।

जाल: deed मौन हो तो लाभ-विभाजन की समानता मानी जाती है, चाहे पूँजी-अंशदान असमान हों — लाभ-अनुपात और पूँजी-अनुपात में कोई सम्बन्ध नहीं; असमान हिस्से सिद्ध करने का भार उसी पक्ष पर है जो ऐसा कहे।

Sec 18 का द्वैध स्वरूप: partner वस्तुतः principal और agent दोनों का स्वरूप धारण करता है — जहाँ तक वह सामान्य कार्य में अपने लिए कार्य करता है वहाँ principal, और जहाँ तक अपने partners के लिए करता है वहाँ agent; किसी साधारण agent के विपरीत उसका साझेदारी की समस्त सम्पत्ति, व्यवसाय एवं दायित्वों में शेष partners के साथ हित-समुदाय (community of interest) होता है।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 2 प्रश्न

- Sec. 12 के अधिकार: व्यवसाय में भाग लेना; परामर्श लिया जाना — साधारण विषय बहुमत से, व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन हेतु सभी की सम्मति; पुस्तकों तक पहुँच/निरीक्षण/प्रतिलिपि; partner की मृत्यु पर उत्तराधिकारियों का पुस्तकें देखने का अधिकार।
- Sec. 13 की सूची: कोई पारिश्रमिक नहीं; profits/losses समान; पूँजी पर ब्याज केवल लाभ में से; advances पर 6% वार्षिक ब्याज; firm partner को क्षतिपूर्ति दे [13(e)]; साशय उपेक्षा पर partner firm को क्षतिपूर्ति दे [13(f)]। ये सब 'subject to contract between the partners' हैं।

TQ 1.1 · PYQ 2023-Jun [6] (b) · Descriptive · 4M · Pg 431

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

TQ 1.4 · PYQ 2026-Jan [5] (b) (i) · Descriptive · 4M · Pg 434

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- दोतरफ़ा क्षतिपूर्ति समझाइए: Sec. 13(e) (साधारण एवं उचित संचालन + विवेकपूर्ण व्यक्ति के आपात कार्य) बनाम Sec. 13(f)/Sec. 10 (साशय उपेक्षा, कपट)।
- 'partner principal तथा agent दोनों का स्वरूप धारण करता है' (Sec. 18) साध लीजिए: अपने लिए principal, सह-partners के लिए agent; साधारण agent के विपरीत उसका हित-समुदाय होता है।

- जाल: पूँजी-अंशदान असमान होने पर भी लाभ-हिस्से की समानता मानी जाती है।

TQ 1.2 · PYQ 2025-May [1] (c) (ii) {C} · Descriptive · 6M · Pg 433	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 1.3 · MTP 2025-Dec S1 [5] (b) · Descriptive · 7M · Pg 433	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 3 प्रश्न

- Sec. 12(c) का अभ्यास कीजिए: नित्य के मतभेद बहुमत से; व्यवसाय के स्वरूप में परिवर्तन (अथवा तय प्रतिबन्ध) के लिए सर्वसम्मति आवश्यक — provision → facts → conclusion।
- Sec. 13(a)/(b)/(d) का अभ्यास कीजिए: deed मौन हो तो पारिश्रमिक के दावे अस्वीकार कीजिए, असमान पूँजी होते हुए भी लाभ समान मानिए, तथा पूँजी से अधिक दिए advances पर 6% वार्षिक ब्याज दीजिए।

CSQ 1.1 · MTP 2024-Apr [3] (a) · Case Scenario · 7M · Pg 436	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 1.2 · RTP 2024-Jun [13] · Case Scenario · --- · Pg 437	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 1.3 · RTP 2025-May [13] · Case Scenario · --- · Pg 437	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विषय 2: साझेदारी सम्पत्ति (Partnership Property — Section 14)

P2-C4-U4.2-T02

पहले पढ़ें शीर्षक 2.2 'Partnership Property' पढ़िए — Sec. 14 (firm की सम्पत्ति में क्या-क्या आता है, goodwill) तथा Sec. 15 (firm की सम्पत्ति का केवल firm के प्रयोजनों में उपयोग)।

नोट्स

Sec 14 — firm की सम्पत्ति (विपरीत agreement न हो तो): (i) अंशदान के रूप में सामान्य कोष में लाई गई समस्त सम्पत्ति, अधिकार एवं हित; (ii) firm द्वारा या firm के लिए, अथवा firm के व्यवसाय के प्रयोजनों से और उसके अनुक्रम में अर्जित या क्रय की गई समस्त सम्पत्ति, अधिकार एवं हित; (iii) व्यवसाय की goodwill।

Goodwill (SM): “the value of the reputation of a business house in respect of profits expected in future over and above the normal level of profits earned by undertaking belonging to the same class of business”; यह firm की सम्पत्ति का भाग है और पृथक् रूप से अथवा अन्य परिसंपत्तियों के साथ बेची जा सकती है; विघटन पर प्रत्येक partner (विपरीत agreement न हो तो) goodwill को सबके हित में बिकवा सकता है; क्रेता यह agreement ले सकता है कि कोई partner नियत अवधि/स्थानीय सीमा के भीतर वैसा व्यवसाय नहीं करेगा — यदि युक्तियुक्त हो तो Sec 27, Contract Act के होते हुए भी वैध।

आशय की कसौटी: कोई सम्पत्ति firm की है या नहीं, यह अन्ततः partners के वास्तविक आशय/agreement पर निर्भर है — किसी partner की निजी सम्पत्ति मात्र firm के व्यवसाय में प्रयुक्त होने से agreement बिना firm की

सम्पत्ति नहीं बन जाती; इसके विपरीत firm के धन से firm द्वारा या firm के लिए अर्जित सम्पत्ति Sec 14 के भीतर आती है; partners agreement द्वारा (सद्भावपूर्वक हो तो प्रभावी) किसी partner की पृथक् सम्पत्ति को साझेदारी सम्पत्ति में बदल सकते हैं — क्रम इस प्रकार रखिए: किसका धन, फिर वास्तविक आशय, फिर Sec 14 की उपधारणा।

Sec 15 (उपयोग): firm की सम्पत्ति केवल firm के प्रयोजनों के लिए धारित एवं प्रयुक्त होनी चाहिए; साझेदारी के चलते किसी partner का firm की विशिष्ट परिसंपत्तियों में कोई स्वामित्व-हित नहीं होता — उसे केवल अपने लाभ-हिस्से का अधिकार है और यह देखने का कि सभी परिसंपत्तियाँ साझेदारी के प्रयोजनों में ही लगें; firm की सम्पत्ति अपने निजी लाभ के लिए प्रयोग करने वाले partner को firm को हिसाब देना होगा।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- Sec. 14 के अधीन firm की सम्पत्ति की तीन मर्दे कंठस्थ कीजिए: (i) सामान्य कोष में लाई गई सम्पत्ति, (ii) firm द्वारा/firm के लिए अथवा उसके व्यवसाय के अनुक्रम में अर्जित सम्पत्ति, (iii) व्यवसाय की goodwill।
- Goodwill की परिभाषा: किसी व्यवसाय की ख्याति का वह मूल्य जो उसी वर्ग के उपक्रमों के सामान्य लाभ से ऊपर भविष्य में अपेक्षित लाभों के सन्दर्भ में हो; विघटन पर प्रत्येक partner उसकी बिक्री पर ज़ोर दे सकता है, और क्रेता Sec. 27, Contract Act के होते हुए भी युक्तियुक्त प्रतिबन्ध-वाचा ले सकता है।

TQ 2.1 • PYQ 2019-Nov [3] (Or) (a) (ii) • Descriptive • 2M • Pg 438

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- Sec. 15 वाली परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए: firm की सम्पत्ति केवल firm के प्रयोजनों के लिए धारित एवं प्रयुक्त हो — जो partner firm की परिसंपत्तियाँ/सामग्री निजी लाभ के लिए प्रयोग करे, उसे firm को हिसाब देना होगा।
- उत्तर का ढाँचा: Sec. 14/15 का नियम बताइए, तथ्यों पर partners का वास्तविक आशय कसिए, निष्कर्ष दीजिए।

CSQ 2.2 • PYQ 2026-May [3] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 440

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए • 1 प्रश्न

- आशय बनाम धन के स्रोत को सुलझाइए: partner के अपने नाम से खरीदी गई पर firm के धन से चुकाई गई सम्पत्ति firm की सम्पत्ति मानी जाती है, जबकि partner की अपनी सम्पत्ति जो मात्र firm के व्यवसाय में प्रयुक्त हो, firm की नहीं होती।
- क्रम से चलिए: किसका धन लगा, फिर partners का वास्तविक आशय/agreement, फिर Sec. 14 की उपधारणा लगाकर निष्कर्ष दीजिए कि परिसंपत्ति का स्वामी कौन है (जैसे firm के धन से खरीदे गए shares)।

CSQ 2.1 • MTP 2025-Apr S1 [3] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 439

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

मध्यम

विषय 3: साझेदारों द्वारा अर्जित व्यक्तिगत लाभ (Personal Profit Earned by Partners — Section 16)

P2-C4-U4.2-T03

पहले पढ़ें Sec. 16 पर शीर्षक 2.3 पढ़िए: firm के लेन-देनों से मिले व्यक्तिगत लाभ का हिसाब देने का कर्तव्य, firm की सम्पत्ति/नाम/व्यावसायिक सम्पत्तियों का उपयोग, तथा प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के लाभ (sugar-refining एवं salt-import के उदाहरणों सहित)।

नोट्स

Sec 16 (contract के अधीन): (a) यदि कोई partner firm के किसी लेन-देन से, अथवा firm की सम्पत्ति, व्यावसायिक सम्पत्तियों या नाम के उपयोग से अपने लिए कोई लाभ प्राप्त करे, तो उसे उसका हिसाब देकर वह लाभ firm को देना होगा; (b) यदि वह firm के व्यवसाय जैसा ही और उससे प्रतिस्पर्धी कोई व्यवसाय चलाए, तो उस व्यवसाय के समस्त लाभों का हिसाब देकर वे firm को देने होंगे।

SM के दृष्टान्त: sugar-refining firm — क्रय का भार सँभालने वाले partner ने बिना प्रकटीकरण अपना ही चीनी-स्टॉक firm को गुप्त-चुप बेच दिया: 16(a) के अधीन उस लाभ का हिसाब देने को आबद्ध; salt-import firm — partner ने उसी प्रकार के नमक के सौदे अपने खाते पर किए: 16(b) के अधीन उन लाभों का हिसाब देने को दायी।

ध्यान रखिए: यह कर्तव्य परम सद्भाव (Sec 9) से निकलता है; दोनों खंड 'subject to contract between the partners' हैं, अतः partners इसके विपरीत तय कर सकते हैं; किसी अ-प्रतिस्पर्धी पृथक् व्यवसाय के लाभ सौंपने आवश्यक नहीं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- Sec. 16 के दोनों खंड समझाइए: (a) firm के किसी लेन-देन से अथवा firm की सम्पत्ति, व्यावसायिक सम्पत्तियों या नाम के उपयोग से मिले लाभ का हिसाब देकर वह firm को देना होगा; (b) उसी प्रकार के प्रतिस्पर्धी व्यवसाय के लाभ भी सौंपने होंगे।
- स्मरण रखिए कि यह नियम 'subject to contract between the partners' है — partners इसके विपरीत तय कर सकते हैं; इसे परम सद्भाव के कर्तव्य (Sec. 9) से जोड़िए।

TQ 3.1 • PYQ 2019-Jun [3] (Or) (a) (ii) • Descriptive • 2M • Pg 441

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 1 प्रश्न

- प्रचलित प्रतिरूप का अभ्यास कीजिए: क्रय का भार सँभालने वाला partner गुप्त-चुप अपना ही माल firm को दे (चीनी वाला उदाहरण) — Sec. 16(a) के अधीन उस गुप्त लाभ का हिसाब देना होगा।
- जहाँ partner firm से प्रतिस्पर्धी समानान्तर व्यवसाय चलाए, वहाँ निष्कर्ष दीजिए कि Sec. 16(b) के अधीन उन लाभों का हिसाब देना होगा; व्यवसाय अ-प्रतिस्पर्धी हो तो कोई दायित्व नहीं।

CSQ 3.1 • RTP 2024-Jun [16] • Case Scenario • --- • Pg 442

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 4: फर्म में परिवर्तन के पश्चात् साझेदारों के अधिकार एवं कर्तव्य (Section 17)

P2-C4-U4.2-T04

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 4.2 का §2.4 पढ़िए: firm के गठन में परिवर्तन के चार रूप, तथा Section 17 के तीनों खंड।

नोट्स

परिवर्तन के चार रूप: कोई नया partner या partners आ जाएँ; कोई partner या partners मृत्यु अथवा सेवानिवृत्ति से निकल जाएँ; firm उस व्यवसाय से **भिन्न कोई व्यवसाय** चलाने लगे जिसके लिए वह मूलतः बनी थी; अथवा firm अपने लिए नियत **अवधि बीत जाने के बाद** भी व्यवसाय चलाती रहे।

Section 17, partners के बीच contract के अधीन: (a) **firm में परिवर्तन के पश्चात्** — पुनर्गठित firm में partners के पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य, जहाँ तक हो सके, वैसे ही बने रहते हैं जैसे परिवर्तन से ठीक पहले थे; (b) **अवधि बीतने के पश्चात्** — नियत अवधि के लिए गठित firm उस अवधि के बाद चलती रहे तो पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य पूर्ववत् बने रहते हैं, जहाँ तक वे partnership at will के लक्षणों के अनुरूप हों; (c) **जहाँ अतिरिक्त उपक्रम चलाए जाएँ** — उस दूसरे व्यवसाय के सम्बन्ध में पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य वही होंगे जो मूल व्यवसाय के सम्बन्ध में हैं।

शासी शब्द: 'subject to contract between the partners' — Section 17 केवल default देता है, अतः partners का व्यक्त agreement इसे हटा देता है।

विषय 5: तीसरे पक्षों के साथ साझेदारों का सम्बन्ध (Relation of Partners to Third Parties)

P2-C4-U4.2-T05

पहले पढ़ें शीर्षक 2.5 पढ़िए: Sec. 18 (partner firm का agent), Sec. 19 (विवक्षित प्राधिकार तथा वैधानिक अपवर्जन), Sec. 22 (firm को आबद्ध करने वाले कार्य की रीति), Sec. 20 (प्राधिकार का विस्तार/प्रतिबन्ध) तथा Sec. 21 (आपात प्राधिकार)।

नोट्स

Sec 18: इस अधिनियम के अधीन रहते हुए, partner firm के व्यवसाय के प्रयोजन के लिए firm का agent है — यह नियम केवल firm के व्यवसाय हेतु किए गए कार्यों पर लागू होता है, स्वयं partners के आपसी व्यवहारों पर नहीं।

विवक्षित प्राधिकार [Secs 19(1), 22]: partner का कार्य firm को तभी आबद्ध करता है जब (1) वह उसी प्रकार के व्यवसाय से सम्बन्धित हो जैसा firm चलाती है, (2) वह ऐसे व्यवसाय की सामान्य रीति से किया गया हो, तथा (3) वह firm के नाम से, अथवा ऐसी रीति से किया गया हो जो firm को आबद्ध करने का आशय व्यक्त या विवक्षित करे।

Sec 19(2) — आठ वैधानिक अपवर्जन (व्यापार की प्रथा/रूढ़ि न हो तो): (a) firm के किसी विवाद को मध्यस्थता में भेजना; (b) firm की ओर से अपने **निजी नाम** से bank account खोलना; (c) firm के किसी दावे का समझौता करना या उसे छोड़ना; (d) firm की ओर से लाया गया वाद वापस लेना; (e) firm के विरुद्ध किसी वाद में दायित्व स्वीकार करना;

(f) firm के लिए अचल सम्पत्ति अर्जित करना; (g) firm की अचल सम्पत्ति अन्तरित करना; (h) firm की ओर से साझेदारी में प्रवेश करना।

विस्तार व्यवसाय के अनुसार बदलता है: किसी सामान्य वाणिज्यिक/व्यापारिक firm में partner firm की सम्पत्ति गिरवी रख या बेच सकता है, firm के लिए माल खरीद सकता है, धन उधार ले सकता है, संविदा कर तथा ऋण चुका सकता है, और firm के नाम से promissory notes, bills, cheques लिख/बना/हस्ताक्षरित/पृष्ठांकित कर सकता है; किन्तु solicitor-firm के partner द्वारा firm के नाम से promissory note निष्पादित करने से सह-partners आबद्ध नहीं होते — negotiable instruments solicitors का साधारण व्यवसाय नहीं है।

Sec 20: विवक्षित प्राधिकार का विस्तार या प्रतिबन्ध केवल सभी partners की सम्मति से हो सकता है; कोई निजी प्रतिबन्ध तीसरे पक्ष को तभी प्रभावित करता है जब (1) उसे उस प्रतिबन्ध की जानकारी हो, अथवा (2) उसे यह ज्ञात ही न हो कि वह किसी partner से व्यवहार कर रहा है — अतः व्यापारिक firm का partner प्रतिबन्ध से अधिक उधार firm के नाम से ले ले तो firm को उस उधारदाता को चुकाना होगा जो प्रतिबन्ध से अनभिज्ञ था। **Sec 21 (आपात):** partner वे सब कार्य कर सकता है जो साधारण विवेक का व्यक्ति अपने ही मामले में firm को हानि से बचाने के लिए करता, और ऐसे कार्य firm को आबद्ध करते हैं।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- विवक्षित प्राधिकार [Secs. 19(1), 22]: वह कार्य जो firm जैसे व्यवसाय को सामान्य रीति से चलाने के लिए, firm के नाम से अथवा firm को आबद्ध करने का आशय व्यक्त करते हुए किया गया हो।
- Sec. 19(2) के आठ अपवर्जन कंठस्थ कीजिए: विवाद मध्यस्थता में भेजना; निजी नाम से bank account खोलना; दावे का समझौता/त्याग; वाद वापस लेना; वाद में दायित्व स्वीकार करना; अचल सम्पत्ति अर्जित करना; अचल सम्पत्ति अन्तरित करना; firm की ओर से साझेदारी में प्रवेश करना।

TQ 5.1 • PYQ 2021-Jul [3] (a) • Descriptive • 6M • Pg 443

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- समझाइए कि विस्तार व्यवसाय के अनुसार बदलता है: व्यापारिक firm का partner उधार ले सकता है, firm का माल गिरवी रख/बेच सकता है तथा negotiable instruments में व्यवहार कर सकता है; solicitor-firm का partner promissory note पर firm को आबद्ध नहीं कर सकता।
- Sec. 20 का जाल: कोई निजी प्रतिबन्ध तीसरे पक्ष को तभी बाँधता है जब उसे उसकी जानकारी हो, अथवा उसे यह पता ही न हो कि वह किसी partner से व्यवहार कर रहा है।

TQ 5.2 • PYQ 2025-May [5] (b) • Descriptive • 7M • Pg 444

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

CSQ 5.4 • PYQ 2023-Dec [3] (a) • Case Scenario • 6M • Pg 448

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए - 5 प्रश्न

- उधार वाली परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए: व्यापारिक firm का partner firm के नाम से उधार लेकर उसका दुरुपयोग करे — प्रतिबन्ध से अनभिज्ञ उधारदाता के प्रति firm दायी (Secs. 19, 20, 22); partner के अपने नाम से अथवा साधारण व्यवसाय से बाहर किया गया कार्य firm को आबद्ध नहीं करता।
- उत्तर का प्रारूप: कार्य पहचानिए, विवक्षित प्राधिकार की तीनों शर्तें तथा Sec. 19(2) की सूची कसिए, फिर दायित्व तय कीजिए; विवेकपूर्ण आपात कार्यों के लिए Sec. 21 का प्रयोग कीजिए।

CSQ 5.1 • MTP 2019-Oct [4] (b) • Case Scenario • 6M • Pg 445	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.2 • MTP 2021-Apr [4] (b) • Case Scenario • 6M • Pg 446	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.3 • RTP 2023-Jun [13] • Case Scenario • --- • Pg 447	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.5 • PYQ 2024-Sep [3] (a) (i) • Case Scenario • 3M • Pg 449	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 5.6 • MTP 2025-Aug S2 [3] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 450	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विषय 6: किसी साझेदार द्वारा की गई स्वीकृति का प्रभाव (Section 23)

P2-C4-U4.2-T06

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें इकाई 4.2 का §2.6 पढ़िए: किसी एक partner की स्वीकृति अथवा अभ्यावेदन firm को कब आबद्ध करता है, और उस नियम की सीमाएँ क्या हैं।

नोट्स

Section 23: partners परस्पर एक-दूसरे के agent होने के नाते आबद्धकारी स्वीकृतियाँ कर सकते हैं — किन्तु **केवल** साझेदारी के लेन-देनों के सम्बन्ध में तथा **व्यवसाय के साधारण अनुक्रम में**।

सीमा: किसी partner की स्वीकृति या अभ्यावेदन firm को आबद्ध **नहीं** करेगा यदि उस विषय पर उसका प्राधिकार सीमित हो **और दूसरे पक्ष को उस प्रतिबन्ध की जानकारी हो**। धारा स्वीकृतियों को **firm के विरुद्ध** साक्ष्य बताती है — अर्थात् वे तब प्रभावी होती हैं जब तीसरे पक्ष उन्हें प्रस्तुत करें, और स्वयं partners के आपसी विवादों में उनका वही प्रभाव न भी हो।

उदाहरण: X और Y motorcycle के spare parts का व्यापार करते हैं; Z, X के यह कहने पर कि अमुक part उसकी Yamaha के लिए उपयुक्त है, वह part खरीद लेता है, जबकि Y को इस लेन-देन की जानकारी नहीं। part अनुपयुक्त निकलता है और motorcycle को क्षति पहुँचती है — X और Y **दोनों** Z के प्रति उस हानि के लिए उत्तरदायी हैं।

विषय 7: कार्यरत साझेदार को दी गई सूचना का प्रभाव (Section 24)

P2-C4-U4.2-T07

पहले पढ़ें शीर्षक 2.7 पढ़िए: Sec. 24 — जो partner व्यवसाय में नित्य कार्य करता हो, उसे firm के कार्यों से सम्बन्धित विषयों पर दी गई सूचना firm को दी गई सूचना मानी जाती है; अपवाद केवल वहाँ जहाँ उसी partner द्वारा अथवा उसकी सम्मति से firm पर कपट हुआ हो।

नोट्स

Sec 24: जो partner firm के व्यवसाय में नित्य कार्य करता हो, उसे firm के कार्यों से सम्बन्धित विषयों पर दी गई सूचना firm को दी गई सूचना के रूप में प्रभावी होती है — ठीक वैसे ही जैसे agent को दी गई सूचना उसके principal को दी गई मानी जाती है।

तीन शर्तें: सूचना (i) किसी कार्यरत/सक्रिय partner को हो — sleeping partner को नहीं, (ii) वास्तविक हो, आन्वयिक (constructive) नहीं, तथा (iii) firm के कार्यों से सम्बन्धित हो; तभी वह firm को दी गई सूचना मानी जाएगी।

एकमात्र अपवाद — firm पर कपट: जो उसी partner द्वारा अथवा उसकी सम्मति से किया गया हो; जैसे वह partner जो विक्रेता से मिलकर खरीदे गए माल का दोष छिपा ले — उसका ज्ञान firm पर आरोपित नहीं होगा, और दोष पकड़ में आने पर शेष partners माल अस्वीकार कर सकते हैं।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- Sec. 24 की शर्तें कंठस्थ कीजिए: सूचना (i) किसी कार्यरत/सक्रिय partner को हो (sleeping partner को नहीं), (ii) वास्तविक हो, आन्वयिक नहीं, तथा (iii) firm के कार्यों से सम्बन्धित हो — तभी वह firm को सूचना मानी जाएगी।
- एकमात्र अपवाद: उसी partner द्वारा अथवा उसकी सम्मति से firm पर किया गया कपट (जैसे विक्रेता से मिलकर दोष छिपाने वाला partner)।

TQ 7.1 • PYQ 2019-Jun [3] (a) (i) • Descriptive • 2M • Pg 452

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

विषय 8: तीसरे पक्षों के प्रति दायित्व (Sections 25 से 27)

P2-C4-U4.2-T08

पहले पढ़ें शीर्षक 2.8 पढ़िए: Sec. 25 (firm के कार्यों के लिए प्रत्येक partner का संयुक्त एवं पृथक् दायित्व), Sec. 26 (partner के दोषपूर्ण कार्यों के लिए firm का दायित्व) तथा Sec. 27 (partners द्वारा दुरुपयोग पर firm का दायित्व, खंड (a) एवं (b))।

नोट्स

Sec 25: प्रत्येक partner, जब तक वह partner है, firm के सभी कार्यों के लिए शेष सभी partners के साथ संयुक्त रूप से (JOINTLY) तथा पृथक् रूप से भी (SEVERALLY) दायी है; “act of a firm” का अर्थ है सभी partners द्वारा, अथवा

firm के किसी partner या agent द्वारा किया गया वह कार्य या लोप जिससे firm द्वारा या firm के विरुद्ध प्रवर्तनीय कोई अधिकार उत्पन्न हो — sleeping partners भी इस दायित्व से नहीं बच सकते।

Sec 26 (दोषपूर्ण कार्य): किसी partner के दोषपूर्ण कार्य से तीसरे पक्ष को हुई हानि/क्षति के लिए firm उतनी ही सीमा तक दायी है जितना वह partner, बशर्ते वह कार्य (a) firm के व्यवसाय के साधारण अनुक्रम में, अथवा (b) partners के प्राधिकार से किया गया हो — SM का उदाहरण: कोयला खान के managing partner ने उपेक्षापूर्वक shaft बिना घेरे छोड़ दी और एक श्रमिक घायल हुआ, तो सह-partner भी दायी ठहराया गया; यदि कार्य स्वयं प्राधिकृत/साधारण अनुक्रम में था, तो उसे करने की रीति दोषपूर्ण होना महत्वपूर्ण नहीं।

Sec 27 (दुरुपयोग) — दो खंड: (a) partner अपने **आभासी प्राधिकार** के भीतर कार्य करते हुए किसी तीसरे पक्ष का धन/सम्पत्ति प्राप्त करे और उसका दुरुपयोग करे — यहाँ firm की अभिरक्षा में होना आवश्यक नहीं; (b) firm की **अभिरक्षा में रखे धन/सम्पत्ति** का किसी partner द्वारा दुरुपयोग; दोनों ही दशाओं में firm दायी है।

सीमा: यदि प्राप्ति partner के आभासी प्राधिकार से बाहर थी तो वह firm द्वारा प्राप्ति नहीं मानी जाएगी — शेष partners तब तक दायी नहीं जब तक वह धन उनके कब्जे में या उनके नियंत्रण में न आ गया हो; अन्यथा प्राप्ति को (a) या (b) में वर्गीकृत कीजिए और सभी partners को संयुक्त एवं पृथक् रूप से दायी ठहराइए।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- Sec. 25 समझाइए: प्रत्येक partner, जब तक वह partner है, firm के सभी कार्यों के लिए शेष सबके साथ संयुक्त रूप से तथा पृथक् रूप से भी दायी है — 'act of firm' का अर्थ वह कार्य/लोप जिससे firm द्वारा या firm के विरुद्ध प्रवर्तनीय अधिकार उत्पन्न हो।
- Sec. 26 समझाइए: partner के दोषपूर्ण कार्य से तीसरे पक्ष को हुई हानि/क्षति के लिए firm उतनी ही सीमा तक दायी है जितना वह partner, बशर्ते कार्य व्यवसाय के साधारण अनुक्रम में अथवा partners के प्राधिकार से हुआ हो।
- Sec. 27(a) और 27(b) में अन्तर कीजिए: (a) आभासी प्राधिकार के भीतर कार्य करते हुए partner धन/सम्पत्ति प्राप्त कर दुरुपयोग करे — firm की अभिरक्षा आवश्यक नहीं; (b) firm की अभिरक्षा में रखे धन/सम्पत्ति का किसी partner द्वारा दुरुपयोग — दोनों में firm दायी।

TQ 8.2 · PYQ 2021-Jan [6] (b) · Descriptive · 2M · Pg 453

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

TQ 8.1 · PYQ 2020-Nov [6] (b) · Descriptive · 4M · Pg 452

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 2 प्रश्न

- ऐसी परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए जहाँ कोई partner साधारण अनुक्रम में ग्राहक से प्राप्त धन का दुरुपयोग कर दे — firm (sleeping partner सहित) दायी है; sleeping partners Sec. 25 के दायित्व से नहीं बच सकते।
- ढाँचा: प्राप्ति को Sec. 27 के खंड (a) अथवा (b) में रखिए, साधारण अनुक्रम/प्राधिकार की पुष्टि कीजिए, और निष्कर्ष दीजिए कि सभी partners संयुक्त एवं पृथक् रूप से दायी हैं।

CSQ 8.1 · PYQ 2024-Jun [3] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 455

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 9: साझेदार के हित के अन्तरिती के अधिकार (Section 29)

P2-C4-U4.2-T09

पहले पढ़ें Sec. 29 पर शीर्षक 2.9 पढ़िए: विक्रय, बन्धक अथवा भार द्वारा partner के हित का अन्तरण, firm के चलते रहते अन्तरिती के सीमित अधिकार, तथा विघटन/सेवानिवृत्ति पर उसके अधिकार; इसे Sec. 31 से जोड़िए (सबकी सम्मति बिना कोई नया partner नहीं)।

नोट्स

अन्तरण की रीतियाँ: partner का हिस्सा किसी भी अन्य सम्पत्ति की भाँति अन्तरणीय है — विक्रय, बन्धक अथवा भार द्वारा; यह विद्यमान हित तथा मूर्त सम्पत्ति है जिसे समनुदेशित किया जा सकता है, किन्तु अन्तरिती partner नहीं बन जाता: साझेदारी पारस्परिक विश्वास पर टिकी है और Sec 31 के अनुसार सभी partners की सम्मति बिना किसी व्यक्ति को partner नहीं बनाया जा सकता।

firm के चलते रहते: अन्तरिती को यह अधिकार **नहीं** है कि (a) व्यवसाय के संचालन में हस्तक्षेप करे, (b) खातों की माँग करे, अथवा (c) पुस्तकों का निरीक्षण करे; उसे **केवल** अन्तरक partner के लाभ-हिस्से को पाने का अधिकार है और वह partners द्वारा स्वीकृत लाभ-लेखा मानने को आबद्ध है — लाभ कम दिखाए जाने का सन्देह होने पर भी वह खातों को चुनौती नहीं दे सकता।

firm के विघटन अथवा अन्तरक partner की सेवानिवृत्ति पर: अन्तरिती को शेष partners के विरुद्ध यह अधिकार है कि (a) वह हिस्सा पाए जिसका अन्तरक partner हक़दार था, तथा (b) उस हिस्से के निर्धारण हेतु विघटन की तिथि से लेखा प्राप्त करे।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 3 प्रश्न

- अन्तरण की रीतियाँ: partner के हित का विक्रय, बन्धक अथवा भार — यह हित समनुदेशनीय सम्पत्ति है, किन्तु अन्तरण से अन्तरिती partner नहीं बन जाता।
- firm के चलते रहते अन्तरिती न व्यवसाय के संचालन में हस्तक्षेप कर सकता है, न खातों की माँग, न पुस्तकों का निरीक्षण; उसे केवल अन्तरक partner का लाभ-हिस्सा मिलता है और partners द्वारा स्वीकृत खाते मानने होते हैं।
- विघटन अथवा अन्तरक partner की सेवानिवृत्ति पर: अन्तरिती को वह परिसंपत्ति-हिस्सा मिलता है जिसका अन्तरक हक़दार था, तथा विघटन की तिथि से लेखा।

TQ 9.1 • MTP 2022-Nov S1 [3] (i) • Descriptive • 4M • Pg 458

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

TQ 9.4 • PYQ 2026-Jan [1] (c) (ii) {C} • Descriptive • 4M • Pg 460

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

TQ 9.2 • RTP 2026-Jan [17] • Descriptive • --- • Pg 459

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- कारण समझाइए: साझेदारी पारस्परिक विश्वास पर टिकी है, अतः Sec. 31 के अनुसार सभी partners की सम्मति बिना किसी व्यक्ति को partner नहीं बनाया जा सकता — कोई अन्तरण firm पर नया partner नहीं थोप सकता।
- जाल: firm के चलते रहते अन्तरिती खातों को चुनौती नहीं दे सकता, चाहे उसे लाभ कम दिखाए जाने का सन्देह ही क्यों न हो।

TQ 9.3 · PYQ 2026-Jan [1] (c) (i) {C} · Descriptive · 2M · Pg 460

LEVEL I
समझ (Understanding)**सरल****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 2 प्रश्न

- ऐसी परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए जहाँ कोई partner निजी ऋण चुकाने के लिए अपना हिस्सा बेच दे — क्रेता Sec. 29 के अधीन अन्तरिती बनता है, partner नहीं, जब तक सभी partners Sec. 31 के अधीन सम्मति न दें।
- उत्तर का प्रारूप: firm के चलते रहते बनाम विघटन पर अन्तरिती के अधिकार बताइए, तथ्यों पर लागू कीजिए, और निष्कर्ष दीजिए कि अन्तरिती क्या माँग सकता है और क्या नहीं।

CSQ 9.1 · PYQ 2021-Jul [4] (b) · Case Scenario · 6M · Pg 461

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 9.2 · RTP 2021-Nov [14] · Case Scenario · ---- · Pg 462

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम****विषय 10: साझेदारी के लाभों में प्रविष्ट अवयस्क (Section 30)**

P2-C4-U4.2-T10

पहले पढ़ें Sec. 30 पर शीर्षक 2.10 पढ़िए: अवयस्क partner नहीं बन सकता (अवयस्क के साथ संविदा शून्य है), किन्तु सभी partners की सम्मति से साझेदारी के लाभों में प्रविष्ट किया जा सकता है; उसके अधिकार, वयस्कता से पूर्व एवं पश्चात् दायित्व, तथा 6 माह का विकल्प।

नोट्स

नियम: अवयस्क का agreement शून्य है (मात्र शून्यकरणीय नहीं), अतः वह partner नहीं बन सकता — साझेदारी contract पर आधारित है; किन्तु Sec 30 के अधीन वह **सभी** partners की सम्मति से साझेदारी के **लाभों** में प्रविष्ट किया जा सकता है, अर्थात् उसे लाभ में हिस्सा वैध रूप से दिया जा सकता है।

अधिकार: firm के लाभों एवं सम्पत्ति में उसका तय हिस्सा; firm के **खातों** तक पहुँच, निरीक्षण एवं प्रतिलिपि (शेष पुस्तकों तक नहीं); वह partners पर खातों अथवा अपने हिस्से के भुगतान के लिए वाद ला सकता है, किन्तु केवल तभी जब वह firm से अपना सम्बन्ध तोड़ रहा हो।

वयस्कता से पूर्व दायित्व: केवल firm के लाभों एवं सम्पत्ति में उसके हिस्से तक सीमित; अवयस्कता के दौरान हुए firm के ऋणों का कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं; उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता — firm दिवालिया हो तो उसका हिस्सा Official Receiver/Assignee में निहित हो जाता है (आनुपातिक रूप से वसूली योग्य)।

विकल्प [Sec 30(5)]: वयस्क होने के 6 माह के भीतर, अथवा यह जानकारी मिलने के 6 माह के भीतर कि उसे लाभों में

प्रविष्ट किया गया था — इनमें से **जो बाद में हो** — उसे public notice देकर यह चुनना होगा कि वह partner बनेगा या नहीं; सूचना न देने पर वह उन छह माह की समाप्ति पर **partner बन जाता है** (Registrar को भी सूचना देनी होती है)।

परिणाम [Sec 30(7)]: यदि वह partner बन जाए (चुनकर अथवा चूक से) — तो वह लाभों में प्रविष्ट किए जाने की तिथि से firm के **सभी** कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी है, और उसका हिस्सा वही रहता है जो अवयस्कता में था; यदि वह बाहर रहना चुने — तो public notice की तिथि तक उसके अधिकार/दायित्व अवयस्क वाले ही रहते हैं, उस तिथि के बाद firm के कार्यों के लिए उसका हिस्सा दायी नहीं, और वह सम्पत्ति एवं लाभ में अपने हिस्से के लिए partners पर वाद ला सकता है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 3 प्रश्न

- समझाइए कि अवयस्क partner क्यों नहीं बन सकता — साझेदारी contract पर आधारित है और अवयस्क का agreement आरम्भ से ही शून्य है; फिर भी Sec. 30 सभी partners की सम्मति से उसे साझेदारी के लाभों में प्रविष्ट करने की अनुमति देती है।
- अधिकार: लाभों एवं सम्पत्ति में तय हिस्सा; खातों तक पहुँच, निरीक्षण एवं प्रतिलिपि (शेष पुस्तकों तक नहीं); खातों/हिस्से के लिए वाद केवल तभी जब वह firm से सम्बन्ध तोड़ रहा हो।
- वयस्कता से पूर्व दायित्व: लाभों एवं सम्पत्ति में हिस्से तक सीमित; कोई व्यक्तिगत दायित्व नहीं; उसे दिवालिया घोषित नहीं किया जा सकता (firm दिवालिया हो तो हिस्सा Official Receiver में निहित)।

TQ 10.1 · PYQ 2022-May [3] (a) (ii) · Descriptive · 4M · Pg 463

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 10.2 · PYQ 2025-Jan [1] (c) {C} · Descriptive · 6M · Pg 464

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 10.3 · PYQ 2026-May [5] (b) · Descriptive · 7M · Pg 465

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 1 प्रश्न

- विकल्प का नियम अभ्यास कीजिए: वयस्क होने के, अथवा प्रवेश की जानकारी मिलने के 6 माह के भीतर (जो बाद में हो) उसे public notice देकर बताना होगा कि वह partner बनेगा या नहीं; चूक होने पर वह छह माह बीतते ही partner बन जाता है।
- यदि वह partner बन जाए (चुनकर या चूक से), तो लाभों में प्रविष्ट किए जाने की तिथि से firm के सभी कार्यों के लिए तीसरे पक्षों के प्रति व्यक्तिगत रूप से दायी है; यदि बाहर रहना चुने, तो public notice की तिथि के बाद के कार्यों के लिए उसका हिस्सा दायी नहीं और वह अपने हिस्से के लिए वाद ला सकता है।

CSQ 10.1 · PYQ 2019-Nov [4] (b) · Case Scenario · 6M · Pg 466

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 11: साझेदार के आने और जाने के विधिक परिणाम (Sections 31–35)

P2-C4-U4.2-T11

पहले पढ़ें पुनर्गठन पर शीर्षक 2.11 पढ़िए: प्रवेश (Sec. 31), सेवानिवृत्ति (Sec. 32), निष्कासन (Sec. 33), दिवालियापन (Sec. 34) तथा मृत्यु (Sec. 35), public-notice के नियमों सहित।

नोट्स

Sec 31 (प्रवेश): contract तथा Sec 30 के अधीन रहते हुए, सभी विद्यमान partners की सम्मति बिना कोई नया partner नहीं; नए partner का दायित्व सामान्यतः प्रवेश की तिथि से आरम्भ होता है; पुराने ऋण उस पर केवल **NOVATION** से आते हैं — नई firm (उसे मिलाकर) पुराने ऋण अपने ऊपर ले और लेनदार भी नई firm को अपना ऋणी स्वीकार करें; केवल partners के आपसी agreement से लेनदारों को उसके विरुद्ध कोई अधिकार नहीं मिलता; Sec 31 दो-partner वाली firm पर लागू नहीं, जो एक partner की मृत्यु पर स्वतः विघटित हो जाती है।

Sec 32 (सेवानिवृत्ति): रीतियाँ — (a) शेष सभी partners की सम्मति, (b) व्यक्त agreement, (c) partnership at will में शेष सभी partners को लिखित सूचना; **सेवानिवृत्ति से पूर्व** के कार्यों से उन्मुक्ति केवल तीसरे पक्ष तथा पुनर्गठित firm के साथ agreement से (जो तीसरे पक्ष को सेवानिवृत्ति की जानकारी होने के बाद के व्यवहार-क्रम से विवक्षित भी हो सकती है); **बाद के** कार्यों के लिए वह तथा शेष partners सेवानिवृत्ति की **PUBLIC NOTICE** तक दायी रहते हैं (सूचना वह स्वयं अथवा पुनर्गठित firm का कोई partner दे सकता है) — परन्तुक: वह उस तीसरे पक्ष के प्रति दायी नहीं जिसने उसे partner जाने बिना firm से व्यवहार किया (Vishnu Chandra v. Chandrika Prasad: सेवानिवृत्ति से साझेदारी का व्यवसाय समाप्त नहीं हो जाता)।

Sec 33 (निष्कासन): वैध तभी जब (i) निष्कासन की शक्ति partners के बीच contract में विद्यमान हो, (ii) उसका प्रयोग बहुमत से हो, तथा (iii) सद्भावपूर्वक हो — सद्भाव की कसौटी: निष्कासन साझेदारी के हित में हो, partner को सूचना दी गई हो, तथा सुनवाई का अवसर मिला हो; अन्यथा निष्कासन **शून्य एवं अकृत** है (अवैध निष्कासन से partnership at will भी समाप्त नहीं होती); निष्कासित partner के अधिकार/दायित्व सेवानिवृत्त partner जैसे होते हैं [Secs 32(2)-(4) लागू]।

Sec 34 (दिवालियापन): partner adjudication के आदेश की **तिथि** को partner नहीं रह जाता, चाहे firm विघटित हो या न हो; उसके बाद न उसकी सम्पदा firm के कार्यों के लिए दायी, न firm उसके कार्यों के लिए; कोई public notice आवश्यक **नहीं**। **Sec 35 (मृत्यु):** deed में विपरीत उपबन्ध न हो तो firm विघटित हो जाती है (केवल दो partners हों तो सदैव विघटित); सम्पदा मृत्यु के **बाद** किए गए firm के कार्यों के लिए दायी नहीं, और जनता या व्यवहारियों को कोई सूचना आवश्यक नहीं।

मृत्यु वाला जाल (SM उदाहरण): माल का आदेश X के जीवनकाल में दिया गया पर सुपुर्दगी उसकी मृत्यु के बाद हुई — उसके जीवनकाल में कोई ऋण देय नहीं हुआ था, अतः X की सम्पदा दायी **नहीं** है; लेनदार को केवल जीवित partners के विरुद्ध तथा उनके हाथ में आई साझेदारी परिसंपत्तियों के विरुद्ध व्यक्तिगत डिक्री मिलती है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 4 प्रश्न

- सेवानिवृत्ति (Sec. 32): सबकी सम्मति से, व्यक्त agreement से, अथवा partnership at will में लिखित सूचना से; पूर्व के कार्यों से उन्मुक्ति हेतु तीसरे पक्ष तथा पुनर्गठित firm के साथ agreement आवश्यक; बाद के कार्यों के लिए public notice तक दायी।
- निष्कासन (Sec. 33): contract में शक्ति, बहुमत से प्रयोग, तथा सद्भाव (firm का हित + सूचना + सुनवाई) — अन्यथा शून्य एवं अकृत।

- दिवालियापन (Sec. 34): partner adjudication की तिथि को ही partner नहीं रह जाता; इसके बाद सम्पदा और firm एक-दूसरे के कार्यों के लिए दायी नहीं; public notice आवश्यक नहीं। मृत्यु (Sec. 35): सम्पदा मृत्यु के बाद के कार्यों के लिए दायी नहीं; कोई सूचना आवश्यक नहीं; दो-partner वाली firm विघटित हो जाती है।

TQ 11.1 • PYQ 2019-Nov [3] (b) • Descriptive • 4M • Pg 467	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 11.2 • RTP 2019-Nov [12] • Descriptive • --- • Pg 468	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 11.3 • PYQ 2022-Nov [3] (a) • Descriptive • 6M • Pg 469	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 11.4 • PYQ 2024-Sep [1] (c) {C} • Descriptive • 4M • Pg 470	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 10 प्रश्न

- नया partner (Sec. 31): दायित्व केवल प्रवेश से; पुराने ऋण उस पर केवल novation से — नई firm तथा लेनदारों, दोनों की सम्मति से।
- मृत्यु से पहले आदेशित पर बाद में सुपुर्द माल: मृतक के जीवनकाल में कोई ऋण नहीं — सम्पदा दायी नहीं; वाद केवल जीवित partners पर।
- बिना public notice सेवानिवृत्ति: सेवानिवृत्त partner बाद के कार्यों के लिए दायी, सिवाय उन तीसरे पक्षों के जिन्होंने उसे कभी partner जाना ही नहीं।

CSQ 11.1 • PYQ 2018-Nov [4] (b) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 472	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 11.2 • RTP 2018-Nov [8] (i) • Case Scenario • --- • Pg 473	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 11.3 • RTP 2019-May [7] (ii) • Case Scenario • --- • Pg 473	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 11.4 • PYQ 2019-Jun [4] (b) • Case Scenario • 6M • Pg 474	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 11.5 • PYQ 2021-Jan [4] (b) • Case Scenario • 6M • Pg 475	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 11.6 • PYQ 2022-May [4] (b) • Case Scenario • 6M • Pg 477	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 11.7 • RTP 2022-Nov [11] • Case Scenario • --- • Pg 478	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 11.9 • PYQ 2024-Sep [3] (a) (ii) • Case Scenario • 4M • Pg 479	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 11.10 • PYQ 2025-May [3] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 481	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 11.12 • PYQ 2025-Sep [5] (b) (ii) • Case Scenario • 4M • Pg 485	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाए · 2 प्रश्न

- बहु-मुद्दा परिस्थितियों में (सेवानिवृत्ति/पूरे हित का अन्तरण + public notice नहीं + बाद के व्यवहार) सबसे पहले यह तय कीजिए कि partner कब और किस रीति से हटा।
- फिर प्रत्येक तीसरे पक्ष की जानकारी कसिए और दावे-दर-दावे Secs. 32(3), 45 तथा holding-out लागू कीजिए।

CSQ 11.8 · PYQ 2023-Jun [4] (b) · Case Scenario · 6M · Pg 479

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)**मध्यम**

CSQ 11.11 · PYQ 2025-Sep [3] (a) · Case Scenario · 7M · Pg 482

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)**कठिन****विषय 12: निवर्तमान साझेदार का प्रतिस्पर्धी व्यवसाय चलाने का अधिकार (Section 36)**

P2-C4-U4.2-T12

पहले पढ़ें Sec. 36 पर शीर्षक 2.12 पढ़िए: निवर्तमान partner प्रतिस्पर्धी व्यवसाय चला भी सकता है और उसका विज्ञापन भी कर सकता है — तीन वैधानिक प्रतिबन्धों तथा किसी व्यक्तिगत restraint agreement के अधीन।

नोट्स

Sec 36 का नियम: निवर्तमान partner firm से प्रतिस्पर्धी व्यवसाय चला सकता है और उसका विज्ञापन भी कर सकता है, किन्तु विपरीत contract न हो तो वह (a) firm का नाम प्रयोग नहीं कर सकता, (b) स्वयं को firm का व्यवसाय चलाने वाला नहीं बता सकता, तथा (c) उन व्यक्तियों से ग्राहकी नहीं माँग सकता जो उसके partner न रह जाने से पहले firm से व्यवहार करते थे।

Restraint agreement: वह अपने partners से यह करार कर सकता है कि partner न रहने पर वह नियत अवधि अथवा नियत स्थानीय सीमाओं के भीतर वैसा व्यवसाय नहीं करेगा — यदि लगाए गए प्रतिबन्ध व्यक्तिगत हों तो Sec 27, Contract Act के होते हुए भी वैध।

प्रयोग: सेवानिवृत्त partner का पास ही वैसी दुकान खोलना और उसका विज्ञापन करना विधिसम्मत है; दायित्व केवल तब बनता है जब वह firm का नाम प्रयोग करे, स्वयं को firm का व्यवसाय चलाने वाला बताए, अथवा पुराने ग्राहकों से ग्राहकी माँगे — प्रत्येक कार्य को अलग-अलग कसकर निष्कर्ष दीजिए।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाए · 1 प्रश्न

- नियम उसके तीनों प्रतिबन्धों सहित समझाए: निवर्तमान partner प्रतिस्पर्धा कर सकता है और विज्ञापन भी, किन्तु (विपरीत contract न हो तो) न firm का नाम प्रयोग कर सकता है, न स्वयं को firm का व्यवसाय चलाने वाला बता सकता है, न उन ग्राहकों से ग्राहकी माँग सकता है जो उसके जाने से पहले firm से व्यवहार करते थे।
- Restraint agreements: partners तय कर सकते हैं कि निवर्तमान partner नियत अवधि/स्थानीय सीमाओं में वैसा व्यवसाय नहीं करेगा — प्रतिबन्ध व्यक्तिगत हों तो Sec. 27, Contract Act के होते हुए भी वैध।

TQ 12.1 · PYQ 2025-May [1] (c) (i) {C} · Descriptive · 6M · Pg 486

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम**

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए - 1 प्रश्न

- ऐसी परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए जहाँ सेवानिवृत्त partner पास ही वैसी दुकान खोल ले: प्रतिस्पर्धी व्यवसाय खोलना और उसका विज्ञापन करना Sec. 36 के अधीन विधिसम्मत है।
- दायित्व केवल तब बनता है जब वह firm का नाम प्रयोग करे, स्वयं को firm का व्यवसाय चलाने वाला बताए, अथवा पुराने ग्राहकों से ग्राहकी माँगे — प्रत्येक कार्य अलग कसकर निष्कर्ष दीजिए।

CSQ 12.1 · PYQ 2020-Nov [4] (b) · Case Scenario · 6M · Pg 487

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 13: कुछ दशाओं में निवर्तमान साझेदार का बाद के लाभों में हिस्सा पाने का अधिकार (Section 37)

P2-C4-U4.2-T13

पहले पढ़ें Sec. 37 पर शीर्षक 2.13 पढ़िए: जहाँ कोई partner मर जाए अथवा हट जाए और शेष partners खातों के अन्तिम निपटारे बिना firm की सम्पत्ति से व्यवसाय चलाते रहें, तथा खरीद-विकल्प (buy-out) वाला परन्तुक।

नोट्स

Sec 37 का नियम: जहाँ कोई partner मर गया हो अथवा अन्यथा partner न रह गया हो और जीवित/निरन्तर partners खातों के किसी **अन्तिम निपटारे बिना** firm की **सम्पत्ति** से व्यवसाय चलाते रहें, वहाँ विपरीत contract न हो तो निवर्तमान partner अथवा उसकी सम्पदा को, **उसके अथवा उसके प्रतिनिधियों के विकल्प पर**, इनमें से एक का अधिकार है — (i) हटने के बाद के लाभों का वह हिस्सा जो firm की सम्पत्ति में उसके हिस्से के उपयोग से आरोप्य हो, अथवा (ii) firm की सम्पत्ति में उसके हिस्से की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज।

परन्तुक (buy-out): जहाँ contract जीवित/निरन्तर partners को मृत/निवर्तमान partner का हित खरीदने का विकल्प देता हो और वह विकल्प **विधिवत् प्रयुक्त** हो, वहाँ आगे लाभ का कोई हिस्सा देय नहीं; किन्तु जो partner विकल्प का प्रयोग करने का दावा करे पर उसकी शर्तों का सभी तात्त्विक बातों में पालन न करे, वह Sec 37 के अधीन हिसाब देने को दायी है।

SM के उदाहरण: A (3/8 हिस्सा) दिवालिया हो गया, B और C उसका हिस्सा चुकाए बिना तथा खाते निपटाए बिना व्यवसाय चलाते रहे — A की सम्पदा को दिवालियापन से अन्तिम परिसमापन तक के लाभों का 3/8 मिलेगा; जहाँ C अपना हिस्सा बेचकर सेवानिवृत्त हुआ और A तथा B तय मूल्य नहीं चुका सके, वहाँ वह मूल्य हटने की तिथि से विशुद्ध ऋण है, जो ब्याज सहित वसूली योग्य है।

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए - 3 प्रश्न

- मूल नियम लागू कीजिए: विपरीत contract न हो तो निवर्तमान partner/सम्पदा इनमें से एक चुन सकती है — firm की सम्पत्ति में उसके हिस्से के उपयोग से आरोप्य, हटने के बाद के लाभों का हिस्सा, अथवा उसके हिस्से की राशि पर 6% वार्षिक ब्याज; विकल्प उसी का/उसके प्रतिनिधियों का है।

- परन्तुक: यदि contract निरन्तर partners को निवर्तमान partner का हित खरीदने का विकल्प दे और वह विधिवत् प्रयुक्त हो, तो आगे लाभ का हिस्सा देय नहीं; किन्तु तात्त्विक बातों में पालन न होने पर Sec. 37 के अधीन हिसाब देने का दायित्व फिर जीवित हो जाता है।
- उत्तर का प्रारूप: उसका हिस्सा निकालिए/पहचानिए (जैसे सम्पत्ति का 10%), पुष्टि कीजिए कि व्यवसाय बिना निपटारे चलता रहा, दोनों विकल्प बताइए, और दावेदार के विकल्प पर निष्कर्ष दीजिए।

CSQ 13.1 · PYQ 2018-Nov [4] (b) (i) · Case Scenario · 3M · Pg 488

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 13.2 · RTP 2020-May [19] · Case Scenario · --- · Pg 489

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 13.3 · PYQ 2024-Sep [3] (a) (iii) · Case Scenario · 4M · Pg 490

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 14: फर्म में परिवर्तन से चालू प्रत्याभूति का प्रतिसंहरण (Section 38)

P2-C4-U4.2-T14

पहले पढ़ें Sec. 38 पर शीर्षक 2.14 पढ़िए: firm को अथवा किसी तीसरे पक्ष को दी गई चालू प्रत्याभूति पर firm के गठन में परिवर्तन का प्रभाव।

नोट्स

Sec 38 (SM): “a continuing guarantee given to a firm or to third party in respect of the transaction of a firm is, in the absence of an agreement to the contrary, revoked as to future transactions from the date of any change in the constitution of the firm.”

ध्यान रखिए: प्रतिसंहरण स्वतः होता है और केवल **भविष्योन्मुख** है — पूर्व के लेन-देन प्रत्याभूति के दायरे में बने रहते हैं; किसी partner का प्रवेश, सेवानिवृत्ति, निष्कासन, दिवालियापन अथवा मृत्यु — हर एक firm के ‘गठन में परिवर्तन’ है।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 38 कंठस्थ कीजिए: firm को, अथवा किसी तीसरे पक्ष को firm के लेन-देनों के सम्बन्ध में दी गई चालू प्रत्याभूति, विपरीत agreement न हो तो, firm के गठन में किसी भी परिवर्तन की तिथि से **भावी** लेन-देनों के सम्बन्ध में प्रतिसंहृत हो जाती है।
- ध्यान रखिए: प्रतिसंहरण स्वतः और केवल भविष्योन्मुख है — पूर्व के लेन-देन दायरे में बने रहते हैं; किसी का प्रवेश, सेवानिवृत्ति, मृत्यु आदि ‘गठन में परिवर्तन’ है।

TQ 14.1 · PYQ 2019-Nov [3] (a) (i) · Descriptive · 2M · Pg 492

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

इकाई 4.3: फर्म का पंजीकरण एवं विघटन (Registration and Dissolution of

Firm)

Registration and Dissolution of Firm

P2-C4-U4.3 · महत्त्व B · अध्याय में Rank 3 · श्रेणी C · अध्याय के 20.2% प्रश्न · 21 प्रश्न

विषय 1: फर्मों का पंजीकरण (Registration of Firms)

P2-C4-U4.3-T01

पहले पढ़ें शीर्षक 3.1 पढ़िए: पंजीकरण हेतु आवेदन (Sec. 58) — विवरण की अन्तर्वस्तु, हस्ताक्षर/सत्यापन, firm के नाम में वर्जित शब्द; Registrar द्वारा पंजीकरण (Sec. 59) तथा शास्ति पर विलम्बित पंजीकरण (Sec. 59A-1)।

नोट्स

Sec 58 की प्रक्रिया: पंजीकरण **किसी भी समय** कराया जा सकता है — उस क्षेत्र के Registrar को, जहाँ व्यवसाय का कोई स्थान स्थित है या प्रस्तावित है, डाक से भेजकर अथवा परिदत्त करके, विहित प्ररूप में विहित फ़ीस सहित वह विवरण देना होगा जिसमें हो (a) firm का नाम, (b) व्यवसाय का स्थान अथवा प्रधान स्थान, (c) व्यवसाय के अन्य स्थानों के नाम, (d) प्रत्येक partner के सम्मिलित होने की तिथि, (e) partners के पूरे नाम एवं स्थायी पते, तथा (f) firm की अवधि — इस पर **सभी** partners अथवा उनके विशेष रूप से प्राधिकृत अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हों, और प्रत्येक हस्ताक्षरकर्ता उसे विहित रीति से सत्यापित करे।

नाम पर प्रतिबन्ध: firm के नाम में 'Crown', 'Emperor', 'Empress', 'Empire', 'Imperial', 'King', 'Queen', 'Royal' अथवा ऐसे शब्द नहीं होने चाहिए जो सरकार की मंजूरी, अनुमोदन या संरक्षण व्यक्त या विवक्षित करें — केवल State Government की लिखित आदेश द्वारा दी गई सम्मति से ही ऐसा सम्भव है।

Sec 59: जब Registrar को समाधान हो जाए कि Sec 58 का पालन हुआ है, तब वह विवरण की प्रविष्टि Register of Firms में अभिलिखित करता है, विवरण फ़ाइल करता है और पंजीकरण-प्रमाणपत्र जारी करता है; किन्तु पंजीकरण उसी क्षण **पूर्ण** माना जाता है जब फ़ीस एवं विवरणों सहित पूर्ण आवेदन परिदत्त हो जाए — प्रविष्टि अभिलिखित करना तो Registrar का नैतिक कर्तव्य मात्र है; वाद दायर होने के बाद भी पंजीकरण सम्भव है, किन्तु तब वह वाद वापस लेकर पंजीकरण के पश्चात् नया वाद लाना होगा।

Sec 59A-1 (विलम्बित पंजीकरण): यदि विवरण Sec 58(1A) की अवधि के भीतर परिदत्त न हो, तो भी firm का पंजीकरण हो सकता है — विलम्ब के प्रति वर्ष अथवा उसके भाग के लिए ₹100 शास्ति देकर।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 58 की प्रक्रिया समझाइए: व्यवसाय-स्थान वाले क्षेत्र के Registrar को विहित प्ररूप में विहित फ़ीस सहित विवरण, जिसमें firm का नाम, प्रधान एवं अन्य व्यवसाय-स्थान, प्रत्येक partner के सम्मिलित होने की तिथि, partners के पूरे नाम एवं स्थायी पते, तथा firm की अवधि हो; इस पर सभी partners अथवा उनके विशेष रूप से प्राधिकृत अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर हों और वह विधिवत् सत्यापित हो।

- Sec. 59: समाधान होने पर Registrar प्रविष्टि Register of Firms में अभिलिखित करता है और विवरण फ़ाइल करता है; किन्तु पंजीकरण उसी क्षण पूर्ण माना जाता है जब फ़ीस सहित पूर्ण आवेदन परिदत्त हो जाए — अभिलेखन नैतिक कर्तव्य मात्र है। विलम्बित पंजीकरण: विलम्ब के प्रति वर्ष ₹100 शास्ति (Sec. 59A-1)।
- नाम पर प्रतिबन्ध स्मरण रखिए: 'Crown', 'Emperor', 'Empress', 'Empire', 'Imperial', 'King', 'Queen', 'Royal' अथवा सरकारी मंजूरी विवक्षित करने वाले शब्द नहीं — केवल State Government की लिखित सम्मति से।

TQ 1.1 · PYQ 2023-Jun [3] (a) · Descriptive · 6M · Pg 494

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 2: पंजीकरण न कराने के परिणाम (Section 69)

P2-C4-U4.3-T02

पहले पढ़ें Sec. 69 पर शीर्षक 3.2 पढ़िए: पंजीकरण न कराने की नियोग्यताएँ, वे अधिकार जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तथा Example 1 — गठन में परिवर्तन के बाद पंजीकृत firm के वाद (Sec. 69(2) की दो शर्तों)।

नोट्स

स्थिति: English विधि के विपरीत भारत में पंजीकरण अनिवार्य **नहीं** है और न पंजीकरण न कराने पर कोई शास्ति है, किन्तु Sec 69 की नियोग्यताएँ पंजीकरण की ओर 'प्रेरक दबाव' बनाती हैं।

नियोग्यताएँ: (i) संविदा-भंग पर firm द्वारा या उसकी ओर से किसी तीसरे पक्ष के विरुद्ध कोई वाद नहीं, जब तक firm पंजीकृत न हो **तथा** वाद लाने वाले व्यक्ति Register of Firms में partners के रूप में दर्ज हों या रहे हों; (ii) तीसरे पक्ष द्वारा वाद लाए जाने पर ₹100 से अधिक का set-off (अथवा संविदात्मक अधिकार प्रवर्तित कराने की अन्य कार्यवाही) का दावा नहीं; (iii) अपंजीकृत firm का व्यथित partner न firm पर वाद ला सकता है, न किसी सह-partner पर; (iv) फिर भी कोई तीसरा पक्ष अपंजीकृत firm पर वाद ला **सकता** है।

जिन अधिकारों पर प्रभाव नहीं: (1) तीसरे पक्षों का firm अथवा किसी partner पर वाद लाने का अधिकार; (2) partners का विघटन के लिए, विघटित firm के खातों के लिए, अथवा विघटित firm की सम्पत्ति के वसूलीकरण के लिए वाद लाने का अधिकार; (3) दिवालिया partner की सम्पत्ति वसूलने तथा वाद लाने की Official Assignee/Court के Receiver की शक्तियाँ; (4) ₹100 से अनधिक के वाद/set-off; (5) मृत partner के विधिक प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों द्वारा खातों अथवा firm की सम्पत्ति के वसूलीकरण के वाद।

Sec 69(2) की दो-शर्ती कसौटी (SM Example 1): वाद तभी चलने योग्य है जब वह (i) किसी **पंजीकृत** firm द्वारा अथवा उसकी ओर से लाया गया हो, और (ii) वाद लाने वाले व्यक्ति Register of Firms में partners के रूप में दर्ज हों — अतः A की मृत्यु के बाद B और C बिना नए पंजीकरण के firm के नाम से वाद ला सकते हैं; किन्तु यदि कोई **नया** partner D (जो register में दर्ज नहीं) जुड़ गया हो तो वाद विफल हो जाएगा: 'वाद लाने वाले व्यक्ति' से अभिप्राय वे व्यक्ति हैं जिनके नाम register में हैं और जो वाद की तिथि पर सभी partners हैं।

प्रयोग: प्रत्येक दावे को वर्गीकृत कीजिए — कौन वाद ला रहा है (firm/partner/तीसरा पक्ष) और किसके लिए (संविदा-दावा, set-off, विघटन/खाते, ₹100 तक का दावा) — फिर उस पर सुमेल नियोग्यता या अपवाद लगाइए; अपंजीकृत firm का बेचे गए माल के मूल्य का वाद चलने योग्य नहीं, यद्यपि क्रेता तब भी firm पर वाद ला सकता है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- पंजीकरण वैकल्पिक है और शास्ति भी नहीं, किन्तु Sec. 69 की नियोग्यताएँ 'प्रेरक दबाव' बनाती हैं: firm/partners का तीसरे पक्षों के विरुद्ध संविदा पर कोई वाद नहीं; ₹100 से अधिक का set-off या अन्य कार्यवाही नहीं; व्यथित partner न firm पर वाद ला सकता है न सह-partners पर।
- अपवाद कंठस्थ कीजिए: तीसरे पक्ष firm/partners पर वाद ला **सकते** हैं; partners विघटन, खातों अथवा विघटित firm की सम्पत्ति के वसूलीकरण के लिए वाद ला सकते हैं; Official Assignee/Receiver की शक्तियाँ; ₹100 तक के वाद/set-off।

TQ 2.1 · PYQ 2024-Jun [1] (c) {C} · Descriptive · 6M · Pg 495

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 2 प्रश्न

- Sec. 69(2) की दो-शर्ती कसौटी लगाइए — वाद किसी **पंजीकृत** firm का हो और वाद लाने वाले Register of Firms में दर्ज हों: मृत्यु/सेवानिवृत्ति के बाद शेष दर्ज partners बिना नए पंजीकरण के वाद ला सकते हैं; किन्तु register में दर्ज न हुआ नया partner जुड़ जाए तो वाद विफल।
- अपंजीकृत firm का संविदा पर वाद (जैसे बेचे गए माल का मूल्य): चलने योग्य नहीं, यद्यपि विपक्षी तब भी firm पर वाद ला सकता है।

CSQ 2.1 · RTP 2019-May [7] (i) · Case Scenario · --- · Pg 496

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 2.2 · RTP 2022-May [13] · Case Scenario · --- · Pg 497

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम****विश्लेषण (Analysis)** बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 1 प्रश्न

- बहु-भागी maintainability वाले प्रश्नों में पहले हर दावे को वर्गीकृत कीजिए: कौन वाद ला रहा है (firm / partner / तीसरा पक्ष) और किसके लिए (संविदा-दावा, set-off, विघटन/खाते, ₹100 तक का दावा)।
- फिर प्रत्येक दावे पर अलग-अलग Sec. 69 की सुमेल नियोग्यता अथवा अपवाद लगाइए — जैसे अपंजीकृत firm के विरुद्ध तीसरे पक्ष का वाद तब भी चलता है जब स्वयं firm का वाद विफल हो।

CSQ 2.3 · PYQ 2025-Sep [1] (c) {C} · Case Scenario · 6M · Pg 498

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)**मध्यम****विषय 3: फर्म का विघटन (Sections 39–47)**

P2-C4-U4.3-T03

पहले पढ़ें शीर्षक 3.3 पढ़िए: Sec. 39 का अर्थ, 'firm का विघटन' बनाम 'साझेदारी का विघटन' की तालिका, तथा रीतियाँ — agreement (Sec. 40), अनिवार्य (Sec. 41), आकस्मिकताएँ (Sec. 42), सूचना (Sec. 43), न्यायालय द्वारा (Sec. 44)।

नोट्स

Sec 39: "the dissolution of partnership between all partners of a firm is called the 'dissolution of the

firm” — जहाँ केवल कोई partner हटे (सेवानिवृत्ति, मृत्यु, दिवालियापन, विकृतचित्तता) और शेष व्यवसाय चलाते रहें, वहाँ मात्र **साझेदारी** का विघटन (पुनर्गठन) है, firm का नहीं।

फर्म का विघटन	साझेदारी का विघटन
साझेदारी में चल रहा व्यवसाय बन्द हो जाता है	व्यवसाय चलता रहता है; केवल firm का पुनर्गठन
समापन — परिसंपत्तियों की वसूली, देयताओं का निपटारा	केवल परिसंपत्तियों एवं देयताओं का पुनर्मूल्यांकन
न्यायालय द्वारा आदेशित हो सकता है	न्यायालय द्वारा कभी आदेशित नहीं
इसमें साझेदारी का विघटन अनिवार्यतः समाहित है	इसमें firm का विघटन हो भी सकता है, नहीं भी
firm की पुस्तकों का अन्तिम समापन	पुस्तकों का अन्तिम समापन नहीं

न्यायालय के बिना विघटन की रीतियाँ: Sec 40 (agreement): सभी partners की सम्मति से, अथवा उनके बीच पहले से किए गए contract के अनुसार; Sec 41 (अनिवार्य): ऐसी घटना पर जिससे firm का व्यवसाय (अथवा उसका साझेदारी में चलाया जाना) विधिविरुद्ध हो जाए — किन्तु जहाँ कई पृथक् साहस/उपक्रम चलाए जा रहे हों, वहाँ एक के विधिविरुद्ध होने से firm विधिसम्मत उपक्रमों के सम्बन्ध में विघटित नहीं होती; तथा जहाँ सभी, अथवा एक को छोड़कर सभी, partners दिवालिया न्यायनिर्णीत हो जाएँ; Sec 42 (आकस्मिकताएँ, contract के अधीन): नियत अवधि की समाप्ति, साहस/उपक्रम का पूरा होना, किसी partner की मृत्यु, किसी partner का दिवालिया न्यायनिर्णीत होना; Sec 43 (सूचना): partnership at will में किसी भी partner द्वारा शेष सबको लिखित सूचना से — विघटन सूचना में उल्लिखित तिथि से, और तिथि न हो तो सूचना संसूचित होने की तिथि से।

Sec 44 — न्यायालय के सात आधार (किसी partner के वाद पर): (a) विकृतचित्तता (वाद अन्य partners अथवा विकृतचित्त partner के next friend द्वारा; अस्थायी रुग्णता, जैसे कुछ सप्ताह का typhoid, कोई आधार नहीं); (b) वाद लाने वाले से भिन्न किसी partner की स्थायी असमर्थता; (c) ऐसा दुराचरण जो व्यवसाय को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता हो (आवश्यक नहीं कि वह व्यवसाय से ही सम्बन्धित हो — व्यवसाय की प्रकृति देखी जाएगी); (d) प्रबन्ध/संचालन सम्बन्धी agreements का साशय अथवा लगातार भंग — गबन, गलत खाते रखना, अनुमत से अधिक नकदी रखना, खाते दिखाने से इनकार; (e) अपने सम्पूर्ण हित का किसी तीसरे पक्ष को अन्तरण, अथवा भू-राजस्व की बकाया के लिए हिस्से पर भार/उसकी बिक्री; (f) व्यवसाय हानि के बिना चलाया ही न जा सके (यह आधार नियत अवधि बीतने से पहले भी उपलब्ध है); (g) न्यायसंगत एवं साम्यपूर्ण — प्रबन्ध में गतिरोध, partners में बोलचाल बन्द, substratum का लोप, किसी partner का stock exchange पर सट्टा।

जाँच-बिन्दु: आधार (b)-(e) वाद लाने वाले partner से भिन्न किसी partner से सम्बन्धित होने चाहिए (विकृतचित्तता अपवाद है — वहाँ स्वयं विकृतचित्त partner का next friend भी वाद ला सकता है); मिश्रित तथ्यों में निष्कर्ष से पहले हर तथ्य को Sec 44 के उसके विशिष्ट खंड से मिलाइए।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 2 प्रश्न

- Sec. 44 के सात आधार: विकृतचित्तता; स्थायी असमर्थता; व्यवसाय को प्रभावित करने वाला दुराचरण; साशय/लगातार भंग; सम्पूर्ण हित का अन्तरण; व्यवसाय केवल हानि पर ही चल सके; न्यायसंगत एवं साम्यपूर्ण (गतिरोध, बोलचाल बन्द, substratum का लोप, stock exchange पर सट्टा)।
- Sec. 39: सभी partners के बीच साझेदारी का विघटन = firm का विघटन।

TQ 3.5 · PYQ 2026-Jan [5] (b) (ii) · Descriptive · 3M · Pg 503

LEVEL I
स्मरण (Remembering)**सरल**

TQ 3.3 · PYQ 2024-Sep [5] (b) · Descriptive · 7M · Pg 501

LEVEL I
स्मरण (Remembering)**मध्यम****समझ (Understanding)** कारण सहित समझाइए · 5 प्रश्न

- firm बनाम साझेदारी का विघटन: समापन तथा पुस्तकों का अन्तिम बन्द होना, बनाम केवल पुनर्गठन जिसमें व्यवसाय चलता रहता है; न्यायालय केवल firm के विघटन का आदेश दे सकता है।
- न्यायालय के बिना रीतियाँ: सबकी सम्मति/contract (Sec. 40); व्यवसाय विधिविरुद्ध हो जाने अथवा सभी/एक को छोड़कर सभी partners के दिवालिया होने पर अनिवार्य (Sec. 41); आकस्मिकताएँ — अवधि की समाप्ति, साहस का पूरा होना, मृत्यु, दिवालियापन, contract के अधीन (Sec. 42); partnership at will में लिखित सूचना, जो सूचना में दी तिथि से अथवा संसूचना की तिथि से प्रभावी (Sec. 43)।

TQ 3.1 · MTP 2021-Mar [6] (b) · Descriptive · 5M · Pg 499

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम**

TQ 3.2 · PYQ 2024-Jun [5] (b) · Descriptive · 7M · Pg 500

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम**

TQ 3.4 · RTP 2024-Sep [16] · Descriptive · --- · Pg 502

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम**

CSQ 3.4 · PYQ 2025-Jan [5] (b) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 508

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम**

CSQ 3.6 · PYQ 2026-May [1] (c) {C} · Case Scenario · 6M · Pg 509

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 4 प्रश्न

- Sec. 41 वाली परिस्थिति: कोई विधि firm के व्यापार पर रोक लगा दे तो विघटन अनिवार्य; किन्तु जहाँ firm के कई उपक्रम हों, वहाँ एक के विधिविरुद्ध होने से वह विधिसम्मत उपक्रमों के सम्बन्ध में विघटित नहीं होती।
- नियत अवधि की firm लगातार हानि पर चल रही हो: partners अवधि बीतने से पहले भी Sec. 44(f) के अधीन वाद ला सकते हैं।

CSQ 3.1 · RTP 2021-Nov [15] · Case Scenario · --- · Pg 505

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.2 · RTP 2022-Nov [12] · Case Scenario · --- · Pg 506

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 3.3 · PYQ 2024-Jun [3] (a) (I) · Case Scenario · 4M · Pg 507

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 3.7 · PYQ 2026-May [3] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 510

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाए · 1 प्रश्न

- मिश्रित तथ्यों में (विकृतचित्ता + दुराचरण + गलत खाते) निष्कर्ष से पहले हर तथ्य को Sec. 44 के उसके विशिष्ट खंड से मिलाइए।
- जाँचिए कि प्रत्येक आधार वाद लाने वाले से भिन्न किसी partner से सम्बन्धित है (विकृतचित्ता अपवाद), और अस्थायी रुग्णता को विघटन का आधार मत मानिए।

CSQ 3.5 · RTP 2026-Jan [16] · Case Scenario · --- · Pg 508

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

विषय 4: विघटन के परिणाम (Sections 45-55)

P2-C4-U4.3-T04

पहले पढ़ें शीर्षक 3.4 पढ़िए: public notice तक चालू दायित्व (Sec. 45), व्यवसाय के समापन का अधिकार (Sec. 46), समापन हेतु चालू प्राधिकार (Sec. 47), खातों के निपटारे की रीति (Sec. 48) तथा firm के ऋण बनाम पृथक् ऋणों का भुगतान (Sec. 49)।

नोट्स

Sec 45 (चालू दायित्व): विघटन के बावजूद partners तीसरे पक्षों के प्रति उस हर कार्य के लिए partners की भाँति दायी रहते हैं जो विघटन से पहले किया गया होता तो firm का कार्य होता — जब तक **PUBLIC NOTICE** न दी जाए (जो कोई भी partner दे सकता है); इसका दोहरा प्रयोजन है: विघटन की सूचना न रखने वाले तीसरे पक्षों की रक्षा तथा विघटित firm के partners को चालू दायित्व से बचाना; SM उदाहरण: X विघटन-विलेख के बाद पर public notice से पहले firm के नाम से उधार लेता है — अनभिज्ञ उधारदाता R के प्रति Y भी दायी है।

Sec 45 के अपवाद: सूचना न होने पर भी बाद के कार्यों का दायित्व इन पर नहीं आता — (a) मृत partner की सम्पदा, (b) दिवालिया partner, अथवा (c) ऐसा dormant partner जिसे firm से व्यवहार करने वाला व्यक्ति partner के रूप में जानता ही न हो।

Sec 46: विघटन पर प्रत्येक partner (अथवा उसका प्रतिनिधि) शेष सबके विरुद्ध यह अधिकार रखता है कि firm की सम्पत्ति firm के ऋणों एवं देयताओं के भुगतान में लगाई जाए और अधिशेष partners में उनके अधिकारों के अनुसार बाँटा जाए; **Sec 47:** firm को आबद्ध करने का प्रत्येक partner का प्राधिकार तथा पारस्परिक अधिकार/बाध्यताएँ विघटन के बाद भी **उतनी सीमा तक** बनी रहती हैं जितनी कार्यों के समापन तथा आरम्भ हो चुके पर अधूरे लेन-देनों को पूरा करने के लिए आवश्यक हो — परन्तु: दिवालिया न्यायनिर्णीत partner के कार्यों से firm कभी आबद्ध नहीं होती (यद्यपि जो स्वयं को उस दिवालिया का partner बताए वह दायी बना रहता है)।

Sec 48 (खातों का निपटारा, agreement के अधीन): हानियाँ, पूँजी की कमी सहित, पहले लाभों में से, फिर पूँजी में से, और अन्त में partners द्वारा व्यक्तिगत रूप से उनके लाभ-विभाजन अनुपात में चुकाई जाएँगी; परिसंपत्तियाँ (पूँजी

की कमी पूरी करने हेतु दी गई राशियों सहित) इस क्रम में लगेंगी — (a) तीसरे पक्षों के प्रति firm के ऋण चुकाने में, (b) प्रत्येक partner को advances (जो पूँजी से भिन्न हैं) के मद में देय राशि आनुपातिक रूप से चुकाने में, (c) प्रत्येक partner को पूँजी के मद में देय राशि आनुपातिक रूप से चुकाने में, (d) शेष लाभ-विभाजन अनुपात में बाँटने में; SM उदाहरण: X की पूँजी ₹6,60,000, Y की ₹40,000, परिसंपत्तियाँ ₹2,00,000 — ₹5,00,000 की कमी Y तथा X की सम्पदा में **समान रूप से** बँटेगी (दोनों समान लाभ-भागी), जब तक deed यह न कहे कि अधिशेष परिसंपत्तियाँ पूँजी-अनुपात में जाएँगी।

Sec 49 (firm के ऋण बनाम पृथक् ऋण): firm की सम्पत्ति **पहले** firm के ऋणों में लगेगी, और प्रत्येक partner का अधिशेष हिस्सा तब उसके पृथक् ऋणों में लगेगा अथवा उसे चुकाया जाएगा; किसी partner की पृथक् सम्पत्ति **पहले** उसके पृथक् ऋणों में लगेगी, और अधिशेष firm के ऋणों में।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 2 प्रश्न

- Sec. 48 का क्रम कंठस्थ कीजिए: पूँजी की कमी सहित हानियाँ पहले लाभों में से, फिर पूँजी में से, अन्त में partners द्वारा लाभ-विभाजन अनुपात में; परिसंपत्तियाँ इस क्रम में — (a) तीसरे पक्षों के ऋण, (b) partners के advances आनुपातिक रूप से, (c) पूँजी आनुपातिक रूप से, (d) शेष लाभ-विभाजन अनुपात में।
- Sec. 49: firm की सम्पत्ति पहले firm के ऋणों में, अधिशेष partners के पृथक् ऋणों में; पृथक् सम्पत्ति पहले पृथक् ऋणों में, अधिशेष firm के ऋणों में।

TQ 4.1 · PYQ 2023-Dec [6] (b) · Descriptive · 4M · Pg 511

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

TQ 4.2 · MTP 2025-May S2 [1] (c) (i) · Descriptive · 4M · Pg 512

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- Sec. 46 समझाइए (प्रत्येक partner को यह अधिकार कि firm की सम्पत्ति ऋणों में लगे और अधिशेष बँटे) तथा Sec. 47 (विघटन के बाद भी partners का प्राधिकार उतना ही बना रहता है जितना समापन एवं अधूरे लेन-देन पूरे करने हेतु आवश्यक — किन्तु दिवालिया partner के कार्यों के लिए नहीं)।
- Sec. 45 का दोहरा प्रयोजन समझाइए: विघटन की सूचना न रखने वाले तीसरे पक्षों की रक्षा, तथा partners को चालू दायित्व से बचाव।

TQ 4.3 · MTP 2025-Aug S2 [5] (b) · Descriptive · 7M · Pg 513

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 45 वाली परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए: कोई partner विघटन के बाद पर public notice से पहले firm के नाम से उधार ले या खरीद करे — सभी partners अनभिज्ञ तीसरे पक्ष के प्रति दायी बने रहते हैं।
- अपवाद लगाइए: मृत partner की सम्पदा, दिवालिया partner, अथवा ऐसे dormant partner पर कोई दायित्व नहीं जिसे firm से व्यवहार करने वाला जानता ही न हो।

CSQ 4.1 · RTP 2024-Jun [15] · Case Scenario · --- · Pg 514

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

अध्याय 5

सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम, 2008 (The Limited Liability Partnership Act, 2008)

4 विषय · 29 वर्गीकृत प्रश्न · महत्त्व: B

ICAI कौशल प्रोफाइल Level I 5-20% · Level II 80-95% — यह अध्याय है **सिद्धान्त-प्रधान**

Level I — स्मरण एवं समझ	92.1%	114 में से 105 अंक
Level II — अनुप्रयोग एवं विश्लेषण	7.9%	114 में से 9 अंक

विषय 1: सीमित दायित्व साझेदारी — अर्थ एवं अवधारणा (LLP: Meaning and Concept)

P2-C5-U5-T01

पहले पढ़ें अध्याय का परिचय तथा शीर्षक 1 पढ़िए: LLP एक hybrid के रूप में, Sec. 2(1) की परिभाषाएँ — designated partner (j), LLP agreement (o), small LLP (ta) — तथा Secs. 4 (Partnership Act लागू नहीं), 5 (कौन partner हो सकता है), 6 (न्यूनतम partners), 7 (designated partners)।

नोट्स

अवधारणा (hybrid): LLP [Sec 2(1)(n): “a partnership formed and registered under this Act”] एक वैकल्पिक कॉर्पोरेट व्यावसायिक वाहन है जो कम अनुपालन-लागत पर company जैसा **सीमित दायित्व** देता है और साथ ही आपसी agreement से आन्तरिक ढाँचा गढ़ने की साझेदारी जैसी **लचीलापन** भी — LLP स्वयं अपनी सम्पूर्ण परिसंपत्तियों की सीमा तक दायी है, partners का दायित्व सीमित; इसमें कॉर्पोरेट तथा साझेदारी-फर्म, दोनों ढाँचों के तत्त्व हैं, इसीलिए इसे ‘company और partnership के बीच का hybrid’ कहते हैं; **Sec 4:** Indian Partnership Act, 1932 LLPs पर लागू **नहीं** होता; यह अधिनियम 81 धाराओं तथा 4 अनुसूचियों का है (First — agreement न हो तो पारस्परिक अधिकार/कर्तव्य; Second/Third/Fourth — firm/private company/unlisted public company का LLP में रूपान्तरण), प्रशासन MCA तथा ROC द्वारा, और इसे LLP (Amendment) Act, 2021 से संशोधित किया गया।

मुख्य परिभाषाएँ: Designated partner [Sec 2(1)(j)]: “any partner designated as such pursuant to section 7”; LLP agreement [Sec 2(1)(o)]: LLP के partners के बीच अथवा LLP और उसके partners के बीच का कोई भी **लिखित** agreement, जो पारस्परिक अधिकार एवं कर्तव्य तय करे; Small LLP [Sec 2(1)(ta)]: अंशदान ₹25 लाख से अनधिक (विहित रूप से ₹5 करोड़ तक किया जा सकता है) **तथा** ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के Statement of Accounts and Solvency के अनुसार टर्नओवर ₹40 लाख से अनधिक (विहित रूप से ₹50 करोड़ तक), अथवा ऐसी अन्य विहित अपेक्षाएँ।

Sec 5 (कौन partner हो सकता है): कोई भी व्यक्ति (individual) अथवा body corporate; किन्तु कोई व्यक्ति **असमर्थ** है यदि (a) किसी सक्षम न्यायालय ने उसे विकृतचित्त पाया हो और वह निष्कर्ष प्रवृत्त हो, (b) वह अनुमोचित

दिवालिया हो, अथवा (c) उसे दिवालिया न्यायनिर्णीत कराने का आवेदन लम्बित हो।

Sec 6 (न्यूनतम partners): प्रत्येक LLP में कम-से-कम दो partners होंगे; यदि संख्या दो से नीचे चली जाए और व्यवसाय छह माह से अधिक चलता रहे, तो वह एकमात्र partner जो इस तथ्य को जानता है, उन छह माह के पश्चात् की अवधि में LLP द्वारा उपगत बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी है।

Sec 7 (designated partners — अनिवार्य): कम-से-कम दो designated partners, जो व्यक्ति हों, और उनमें कम-से-कम एक भारत में निवासी हो (वित्तीय वर्ष में 120 दिन से अन्यून प्रवास); जहाँ सभी partners bodies corporate हों (अथवा मिश्रण हो), वहाँ ऐसे निकायों के partner या नामनिर्दिष्ट कम-से-कम दो व्यक्ति designated partners के रूप में कार्य करेंगे — निवासी/अनिवासी मिश्रण में जाँचिए कि एक designated partner 120-दिन की कसौटी पूरी करता है; और यह भी ध्यान रखिए कि व्यवसाय विधिपूर्ण होना चाहिए और लाभ की दृष्टि से चलाया जाना चाहिए, अतः LLP धर्मार्थ अथवा अ-आर्थिक प्रयोजनों के लिए नहीं बनाई जा सकती।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 4 प्रश्न

- Sec. 5: कोई भी व्यक्ति अथवा body corporate partner हो सकता है, सिवाय ऐसे व्यक्ति के जो न्यायालय द्वारा विकृतचित्त पाया गया हो, अनुन्मोचित दिवालिया हो, अथवा जिसका दिवालियापन का आवेदन लम्बित हो।
- Sec. 6: न्यूनतम दो partners; छह माह से अधिक दो से कम रहें तो जानकार एकमात्र partner उस अवधि की बाध्यताओं के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी।
- Small LLP [Sec. 2(1)(ta)]: अंशदान $\leq$ ₹25 लाख तथा पूर्ववर्ती वर्ष का टर्नओवर $\leq$ ₹40 लाख (विहित रूप से ₹5 करोड़/₹50 करोड़ तक)।

TQ 1.1 · RTP 2019-May [9] · Descriptive · --- · Pg 518	LEVEL I स्मरण (Remembering)	सरल
TQ 1.2 · MTP 2024-Jun [2] (c) (i) · Descriptive · 3M · Pg 521	LEVEL I स्मरण (Remembering)	सरल
TQ 1.4 · MTP 2024-Dec [2] (c) (ii) · Descriptive · 2M · Pg 522	LEVEL I स्मरण (Remembering)	सरल
TQ 1.8 · PYQ 2026-Jan [2] (c) (ii) · Descriptive · 2M · Pg 525	LEVEL I स्मरण (Remembering)	सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 5 प्रश्न

- hybrid समझाइए: company जैसा सीमित दायित्व (LLP अपनी सम्पूर्ण परिसंपत्तियों तक दायी, partners केवल तय अंशदान तक) और साझेदारी जैसा लचीलापन (agreement-आधारित आन्तरिक ढाँचा); Partnership Act, 1932 अपवर्जित (Sec. 4)।
- Designated partners [Secs. 2(1)(j), 7]: अनिवार्य — कम-से-कम दो व्यक्ति, जिनमें एक भारत में निवासी (वित्तीय वर्ष में 120 दिन का प्रवास); सभी partners bodies corporate हों तो उनके दो व्यक्ति-नामनिर्देशिती कार्य करेंगे।

TQ 1.5 · PYQ 2025-May [2] (c) (i) · Descriptive · 3M · Pg 523	LEVEL I समझ (Understanding)	सरल
---	--------------------------------	-----

TQ 1.9 • PYQ 2026-May [2] (c) (ii) • Descriptive • 3M • Pg 526	LEVEL I समझ (Understanding)	सरल
TQ 1.3 • MTP 2024-Jul [2] (c) • Descriptive • 6M • Pg 522	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 1.6 • MTP 2025-Aug S2 [2] (c) • Descriptive • 6M • Pg 523	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 1.7 • MTP 2025-Aug S2 [4] (c) • Descriptive • 6M • Pg 525	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 2 प्रश्न

- 'धर्मार्थ LLP' वाला प्रतिरूप: LLP के लिए विधिपूर्ण व्यवसाय चाहिए, वह भी **लाभ** की दृष्टि से — निःशुल्क विद्यालय अथवा अ-लाभकारी उद्देश्य हेतु गठन से इनकार कीजिए।
- निवासी/अनिवासी मिश्रण में वैधता का निष्कर्ष देने से पहले जाँचिए कि दो व्यक्ति designated partners हैं और उनमें एक 120-दिन की निवास-कसौटी पूरी करता है।

CSQ 1.1 • PYQ 2025-May [2] (c) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 527	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 1.2 • PYQ 2025-Sep [2] (c) • Case Scenario • 6M • Pg 528	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विषय 2: LLP के लक्षण (Characteristics of LLP)

P2-C5-U5-T02

पहले पढ़ें शीर्षक 2 'Characteristics of LLP' पढ़िए: सोलह लक्षण (body corporate, शाश्वत उत्तराधिकार, पृथक् विधिक इकाई, mutual agency, LLP agreement, कृत्रिम विधिक व्यक्ति, common seal, सीमित दायित्व, प्रबन्ध, partners की संख्या-सीमा, केवल लाभ हेतु व्यवसाय, अन्वेषण, compromise/arrangement, रूपान्तरण, e-filing, विदेशी LLPs) तथा LLP रूप के लाभ।

नोट्स

सोलह लक्षण: (1) body corporate [Secs 2(1)(d), 3]; (2) शाश्वत उत्तराधिकार — partners की मृत्यु, विकृतचित्तता, सेवानिवृत्ति अथवा दिवालियापन से उसका अस्तित्व प्रभावित नहीं होता; (3) पृथक् विधिक इकाई — अपनी सम्पूर्ण परिसंपत्तियों की सीमा तक दायी, partners का दायित्व तय अंशदान (मूर्त या अमूर्त) तक सीमित, LLP के लेनदार केवल LLP के लेनदार हैं; (4) mutual agency; (5) पारस्परिक अधिकार/कर्तव्य LLP agreement से शासित (agreement न हो तो LLP Act के उपबन्ध लागू); (6) कृत्रिम विधिक व्यक्ति; (7) common seal (वैकल्पिक); (8) सीमित दायित्व; (9) प्रबन्ध — सभी partners प्रबन्ध के हक़दार, किन्तु विधिक अनुपालनों के लिए केवल **designated** partners उत्तरदायी; (10) न्यूनतम 2 partners, **कोई अधिकतम सीमा नहीं**; (11) केवल लाभ हेतु व्यवसाय — कोई धर्मार्थ LLP नहीं; (12) अन्वेषण — केन्द्र सरकार कार्यकलापों का अन्वेषण करा सकती है; (13) अधिनियम के अनुसार compromise/arrangement, जिसमें merger एवं amalgamation सम्मिलित; (14) firm, private company अथवा unlisted public company का LLP में रूपान्तरण; (15) दस्तावेज़ों का e-filing www.mca.gov.in पर, किसी partner/designated partner के digital signature से; (16) विदेशी LLPs [Sec 2(1)(m)] — भारत के बाहर

बनी/निगमित/पंजीकृत, जिसका भारत में व्यवसाय-स्थान हो; कोई विदेशी LLP भारतीय LLP में partner हो सकती है।

LLP वाली mutual agency: प्रत्येक partner LLP के व्यवसाय के लिए **केवल LLP** का agent है, अन्य partners का नहीं — कोई partner अन्य partners के स्वतन्त्र अथवा अप्राधिकृत कार्यों के लिए दायी नहीं, अतः किसी एक partner के दोषपूर्ण व्यावसायिक निर्णयों या दुराचरण से उत्पन्न संयुक्त दायित्व से शेष partners सुरक्षित रहते हैं।

कृत्रिम विधिक व्यक्ति: विधिक प्रक्रिया से सृजित और किसी व्यक्ति के समस्त अधिकारों से युक्त — वह सब कुछ कर सकती है जो कोई प्राकृत व्यक्ति करता है, **सिवाय** जेल भेजे जाने, शपथ लेने, विवाह/विवाह-विच्छेद करने, अथवा CA या चिकित्सा जैसे विद्या-व्यवसाय का अभ्यास करने के; यह अदृश्य, अमूर्त एवं अमर है (विधि से ही विघटित होती है), किन्तु **काल्पनिक नहीं**, क्योंकि उसका वास्तविक अस्तित्व है।

Common seal [Sec 14(c)]: अनिवार्य नहीं — LLP चाहे तो रख **सकती** है; अपनाई जाए तो वह किसी उत्तरदायी अधिकारी की अभिरक्षा में रहती है और कम-से-कम 2 designated partners की उपस्थिति में लगाई जाती है।

लाभ: agreement के आधार पर गठन एवं संचालन; विस्तृत विधिक/प्रक्रियात्मक अपेक्षाओं के बिना लचीलापन; गठन सरल; सभी partners को सीमित दायित्व; लचीली पूँजी-संरचना; विघटन सरल — अतः यह व्यवसायियों, लघु उद्यमों तथा venture-capital निवेश के लिए उपयुक्त वाहन है।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- लक्षण इन खूँटियों के साथ कंठस्थ कीजिए: body corporate, पृथक् विधिक इकाई, शाश्वत उत्तराधिकार [Secs. 2(1)(d), 3]; दायित्व तय अंशदान तक सीमित; न्यूनतम 2 partners, कोई अधिकतम नहीं; अनुपालनों के लिए केवल designated partners उत्तरदायी; केवल लाभ हेतु व्यवसाय; firm/private company/unlisted public company का रूपान्तरण; e-filing www.mca.gov.in पर।
- LLP company और partnership के बीच का hybrid है — कॉर्पोरेट ढाँचा और साझेदारी-फर्म का लचीलापन, दोनों।

TQ 2.2 · PYQ 2024-Jun [2] (c) · Descriptive · 6M · Pg 530

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 3 प्रश्न

- LLP वाली mutual agency: प्रत्येक partner केवल LLP का agent है, अन्य partners का नहीं — partner के प्राधिकृत कार्यों से LLP आबद्ध होती है, किन्तु वहाँ नहीं जहाँ उसके पास प्राधिकार न हो और तीसरा पक्ष यह जानता हो; partners एक-दूसरे के अप्राधिकृत कार्यों से सुरक्षित रहते हैं।
- कृत्रिम विधिक व्यक्ति: विधिक प्रक्रिया से सृजित, व्यक्ति के अधिकारों सहित — संविदा कर सकती है और सम्पत्ति रख सकती है, पर न जेल भेजी जा सकती है, न शपथ ले सकती है, न विवाह कर सकती है, न किसी विद्या-व्यवसाय का अभ्यास; अदृश्य, अमूर्त, अमर — किन्तु काल्पनिक नहीं।
- Common seal [Sec. 14(c)]: वैकल्पिक; अपनाई जाए तो उत्तरदायी अधिकारी के पास रहे और कम-से-कम 2 designated partners के समक्ष लगाई जाए।
- लाभ: गठन एवं विघटन सरल, सभी को सीमित दायित्व, लचीली पूँजी-संरचना, agreement-आधारित अभिशासन।

TQ 2.4 • RTP 2026-May [18] • Descriptive • --- • Pg 532	LEVEL I समझ (Understanding)	सरल
TQ 2.1 • PYQ 2019-Nov [2] (b) • Descriptive • 5M • Pg 529	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 2.3 • MTP 2025-May S2 [2] (c) • Descriptive • 6M • Pg 531	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

विषय 3: LLP का निगमन (Incorporation of LLP)

P2-C5-U5-T03

पहले पढ़ें शीर्षक 3 'Incorporation of LLP' पढ़िए (Secs. 11-17: incorporation document, पंजीकरण, पंजीकृत कार्यालय, पंजीकरण का प्रभाव, नाम सम्बन्धी उपबन्ध); साथ में जुड़े हुए परीक्षित उपबन्ध भी दोहराइए — partners में परिवर्तन (Sec. 25), लेखा-पुस्तकें एवं अंकेक्षण (Sec. 34), कपट (Sec. 30) तथा Tribunal द्वारा समापन (Sec. 64)।

नोट्स

Sec 11 (incorporation document): दो या अधिक व्यक्ति, जो **विधिपूर्ण** व्यवसाय **लाभ की दृष्टि से** चलाने हेतु सम्बद्ध हों, incorporation document पर अपने नाम अभिदत्त करते हैं, जो विहित फ़ीस सहित उस **राज्य** के Registrar के पास फ़ाइल किया जाता है जहाँ पंजीकृत कार्यालय होना है; इसमें नाम, प्रस्तावित व्यवसाय, पंजीकृत कार्यालय का पता, तथा partners एवं designated partners के नाम/पते होते हैं; इसके साथ गठन में लगे किसी advocate/Company Secretary/Chartered Accountant/Cost Accountant का **तथा** किसी अभिदाता का अनुपालन-कथन लगता है; जो व्यक्ति वह कथन यह जानते हुए करे कि वह मिथ्या है, अथवा उसके सत्य होने का विश्वास न रखते हुए करे: 2 वर्ष तक का कारावास **तथा** ₹10,000 से ₹5 लाख तक जुर्माना।

Sec 12 (पंजीकरण): Sec 11(1)(b)-(c) का अनुपालन होने पर Registrar **14 दिन** के भीतर incorporation document पंजीकृत करेगा और निगमन-प्रमाणपत्र (हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित) जारी करेगा, जो इस बात का **निश्चायक** साक्ष्य है कि LLP उसी नाम से निगमित है। **Sec 14 (प्रभाव):** LLP अपने नाम से समर्थ है — (a) वाद लाने एवं वाद लाए जाने में, (b) चल/अचल, मूर्त/अमूर्त सम्पत्ति अर्जित करने, रखने, धारित करने तथा विकसित या व्ययनित करने में, (c) चाहे तो common seal रखने में, (d) वे अन्य कार्य करने एवं सहने में जो bodies corporate विधिपूर्वक कर सकते हैं।

Sec 13 (पंजीकृत कार्यालय): अनिवार्य — वह कार्यालय जहाँ सभी संसूचनाएँ/सूचनाएँ भेजी जाएँ; पंजीकृत कार्यालय का परिवर्तन Registrar के पास सूचना फ़ाइल होने पर **ही** प्रभावी होता है; उल्लंघन पर शास्ति: व्यतिक्रम के प्रति दिन ₹500, अधिकतम ₹50,000 — LLP **तथा** प्रत्येक partner पर।

नाम सम्बन्धी उपबन्ध: Sec 15: नाम के अन्त में 'limited liability partnership' अथवा 'LLP' होना चाहिए; ऐसा कोई नाम पंजीकृत नहीं होगा जिसे केन्द्र सरकार अवांछनीय समझे अथवा जो किसी अन्य LLP, company या पंजीकृत trade mark के समरूप या उससे अत्यन्त मिलता-जुलता हो; **Sec 16:** Registrar आवेदित नाम को सूचना की तिथि से **3 माह** तक आरक्षित रख सकता है; **Sec 17:** केन्द्र सरकार समरूप/अत्यन्त मिलते-जुलते नाम वाली LLP को 3 माह के भीतर नाम बदलने का निदेश दे सकती है (trade-mark स्वामी का आवेदन निगमन/नाम-परिवर्तन के 3 वर्ष के भीतर); व्यतिक्रम पर केन्द्र सरकार नया नाम आवंटित कर देती है।

जुड़े हुए परीक्षित उपबन्ध (इस उद्धरण से बाहर — सामान्य रूप से स्मरण रखिए): Sec 25: partner अपने

नाम/पते में परिवर्तन की सूचना LLP को 15 दिन के भीतर दे; LLP किसी partner के जुड़ने या हटने की सूचना Registrar के पास 30 दिन के भीतर फ़ाइल करे; **Sec 30 (कपट)**: जहाँ व्यवसाय लेनदारों/अन्यों को धोखा देने के आशय से चलाया जाए, वहाँ LLP तथा प्रत्येक जानकार partner का दायित्व **असीमित** हो जाता है (यदि partner ने LLP की जानकारी/प्राधिकार के बिना कार्य किया हो तो LLP दायी नहीं); **Sec 34**: पंजीकृत कार्यालय में उचित लेखा-पुस्तकें तथा वित्तीय वर्षान्त के छह माह के भीतर वार्षिक Statement of Account and Solvency; विहित के अनुसार लघु टर्नओवर/अंशदान पर अंकेक्षण से छूट; **Sec 64**: Tribunal LLP का समापन कर सकता है — जहाँ LLP स्वयं ऐसा तय करे, partners छह माह से अधिक दो से कम रहें, वह भारत की प्रभुता/अखंडता के विरुद्ध कार्य करे, लगातार पाँच वित्तीय वर्षों तक फ़ाइलिंग में व्यतिक्रम करे, अथवा ऐसा करना न्यायसंगत एवं साम्यपूर्ण हो।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 5 प्रश्न

- Sec. 14 के प्रभाव: LLP अपने नाम से वाद ला सकती और वाद झेल सकती है; सम्पत्ति अर्जित, धारित एवं व्ययनित कर सकती है; चाहे तो common seal रख सकती है; bodies corporate के सभी कार्य कर सकती है।
- Sec. 13 पंजीकृत कार्यालय: अनिवार्य; परिवर्तन सूचना फ़ाइल होने पर ही प्रभावी; शास्ति ₹500 प्रति दिन, अधिकतम ₹50,000 — LLP तथा प्रत्येक partner पर।
- Sec. 34: पुस्तकें पंजीकृत कार्यालय में; वर्षान्त के छह माह के भीतर Statement of Account and Solvency; टर्नओवर ≤ ₹40 लाख अथवा अंशदान ≤ ₹25 लाख हो तो अंकेक्षण से छूट।
- Sec. 64 के समापन-आधार: LLP स्वयं तय करे; partners छह माह तक दो से कम; प्रभुता के विरुद्ध कार्य; लगातार पाँच वर्षों की फ़ाइलिंग-चूक; न्यायसंगत एवं साम्यपूर्ण।

TQ 3.8 • MTP 2024-Jun [2] (c) (ii) • Descriptive • 3M • Pg 538	LEVEL I स्मरण (Remembering)	सरल
TQ 3.1 • PYQ 2020-Nov [2] (b) • Descriptive • 5M • Pg 532	LEVEL I स्मरण (Remembering)	मध्यम
TQ 3.2 • PYQ 2021-Jan [2] (b) • Descriptive • 5M • Pg 533	LEVEL I स्मरण (Remembering)	मध्यम
TQ 3.3 • PYQ 2021-Dec [2] (b) • Descriptive • 5M • Pg 534	LEVEL I स्मरण (Remembering)	मध्यम
TQ 3.5 • RTP 2022-Nov [13] • Descriptive • --- • Pg 536	LEVEL I स्मरण (Remembering)	मध्यम

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 7 प्रश्न

- Secs. 11-12: incorporation document दो या अधिक व्यक्तियों द्वारा अभिदत्त, राज्य के Registrar के पास advocate/CS/CA/Cost Accountant तथा एक अभिदाता के अनुपालन-कथन सहित फ़ाइल (मिथ्या कथन: 2 वर्ष कारावास, ₹10,000-5 लाख जुर्माना); पंजीकरण 14 दिन में; प्रमाणपत्र निश्चयक।
- कपट (Sec. 30): धोखा देने का आशय होने पर LLP तथा प्रत्येक जानकार partner का दायित्व असीमित; partner ने LLP की जानकारी/प्राधिकार बिना कार्य किया हो तो LLP बच जाती है।
- Sec. 25: partner नाम/पते का परिवर्तन 15 दिन में सूचित करे; LLP partner के जुड़ने/हटने की सूचना 30 दिन में फ़ाइल करे।

- नाम: 'LLP' प्रत्यय (Sec. 15); आरक्षण 3 माह तक वैध (Sec. 16); समरूप नाम बदलने का निदेश केन्द्र सरकार 3 माह के भीतर दे सकती है (Sec. 17)।

TQ 3.4 · PYQ 2022-May [2] (b) · Descriptive · 5M · Pg 535	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.6 · PYQ 2023-Jun [2] (b) · Descriptive · 5M · Pg 537	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.7 · PYQ 2023-Dec [2] (b) · Descriptive · 5M · Pg 537	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.9 · PYQ 2024-Sep [2] (c) · Descriptive · 6M · Pg 539	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.10 · PYQ 2026-Jan [2] (c) (i) · Descriptive · 4M · Pg 540	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.11 · PYQ 2026-May [2] (c) (i) · Descriptive · 3M · Pg 541	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
CSQ 3.1 · PYQ 2025-Jan [2] (c) · Case Scenario · 6M · Pg 542	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

विषय 4: अन्य संगठन-रूपों से अन्तर (Differences With Other Forms of Organisation)

P2-C5-U5-T04

पहले पढ़ें शीर्षक 4 पढ़िए: LLP तथा साझेदारी फर्म के बीच तालिकाबद्ध 15 अन्तर, तथा LLP एवं limited liability company के बीच 8 अन्तर।

नोट्स

दिशा: SM में LLP तथा साझेदारी फर्म के 15 अन्तर और LLP तथा limited liability company के 8 अन्तर तालिकाबद्ध हैं — नीचे अधिक अंक देने वाले आधार हैं; परामर्श वाले उत्तरों में सीमित दायित्व, शाश्वत उत्तराधिकार तथा अनिवार्य पंजीकरण से मिलने वाली विश्वसनीयता — ये तीनों परम्परागत firm की तुलना में LLP के पक्ष में जाते हैं।

LLP	साझेदारी फर्म
LLP Act, 2008 से शासित; body corporate, पृथक् विधिक इकाई	Indian Partnership Act, 1932; न पृथक् विधिक इकाई, न body corporate
पंजीकरण से सृजित — अनिवार्य; अपने ही नाम से वाद लाती एवं वाद झेलती है	agreement से सृजित; पंजीकरण ऐच्छिक (केवल पंजीकृत firm ही तीसरे पक्षों पर वाद ला सकती है)
शाश्वत उत्तराधिकार — partners की मृत्यु/विकृतचित्तता/सेवानिवृत्ति/दिवालियापन का कोई प्रभाव नहीं	शाश्वत उत्तराधिकार नहीं — ऐसी घटनाएँ अस्तित्व को प्रभावित कर सकती हैं

दायित्व तय अंशदान तक सीमित, साशय कपट को छोड़कर; 'LLP' प्रत्यय अनिवार्य	दायित्व असीमित, partners की निजी सम्पत्ति तक; कोई भी नाम रखा जा सकता है
partner केवल LLP का agent; अनुपालनों के लिए केवल designated partners दायी	partner firm तथा सह-partners दोनों को आबद्ध करता है; अनुपालनों के लिए सभी partners दायी
वार्षिक लेखे, solvency statement तथा return फ़ाइल; विदेशी नागरिक अनुमत; minor नहीं	कोई वार्षिक फ़ाइलिंग नहीं; विदेशी नागरिक partner नहीं हो सकते; minor लाभों में प्रविष्ट हो सकता है

LLP बनाम limited liability company — आगे के अन्तर: आन्तरिक अभिशासन partners के agreement से बनाम statute (Companies Act, 2013) से विनियमित; अंशदाता **partners** बनाम **सदस्य**/shareholders; न्यूनतम 2 partners और **कोई अधिकतम नहीं** बनाम private company 2-200 सदस्य, public company न्यूनतम 7; दायित्व तय अंशदान तक सीमित (साशय कपट को छोड़कर) बनाम धारित shares पर **अदत्त** राशि तक; प्रबन्ध partners द्वारा, जिनमें agreement से प्राधिकृत designated partners भी, बनाम shareholders द्वारा निर्वाचित **directors** का board; न्यूनतम 2 designated partners बनाम 2 directors (private)/3 directors (public); नाम-प्रत्यय 'LLP' बनाम 'Limited'/'Private Limited'।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- LLP बनाम साझेदारी फर्म अधिक अंक देने वाले आधारों पर साधिए: शासी अधिनियम (LLP Act, 2008 बनाम Partnership Act, 1932); body corporate/पृथक् इकाई बनाम पृथक् इकाई नहीं; पंजीकरण अनिवार्य बनाम ऐच्छिक; शाश्वत उत्तराधिकार बनाम नहीं; दायित्व अंशदान तक सीमित बनाम असीमित; केवल LLP का agent बनाम firm एवं सह-partners का; designated partners, common seal, वार्षिक फ़ाइलिंग, विदेशी नागरिक अनुमत, तथा minor LLP के लाभों में प्रविष्ट नहीं हो सकता।
- LLP बनाम LLC/company साधिए: आन्तरिक अभिशासन agreement से बनाम statute (Companies Act, 2013) से; partners बनाम सदस्य/shareholders; कोई अधिकतम partners नहीं बनाम private company में 200 की सीमा; दायित्व तय अंशदान तक बनाम shares पर अदत्त राशि तक; प्रबन्ध partners/designated partners द्वारा बनाम निर्वाचित board of directors द्वारा; न्यूनतम 2 designated partners बनाम 2/3 directors।
- परामर्श वाले प्रश्नों में (परम्परागत firm बनाम LLP) परिणामों से तर्क कीजिए: सीमित दायित्व, शाश्वत उत्तराधिकार तथा अनिवार्य पंजीकरण की विश्वसनीयता LLP के पक्ष में जाती है; फिर सिफ़ारिश के साथ निष्कर्ष दीजिए।

TQ 4.1 · PYQ 2022-Nov [2] (b) · Descriptive · 5M · Pg 544

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

CSQ 4.1 · RTP 2024-Jun [18] · Case Scenario · --- · Pg 546

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अध्याय 6

कम्पनी अधिनियम, 2013 (The Companies Act, 2013)

10 विषय · 80 वर्गीकृत प्रश्न · महत्त्व: A

ICAI कौशल प्रोफाइल Level I 5-20% · Level II 80-95% — यह अध्याय है **सिद्धान्त-प्रधान**

Level I — स्मरण एवं समझ

40.3%

310 में से 125 अंक

Level II — अनुप्रयोग एवं विश्लेषण

59.7%

310 में से 185 अंक

विषय 1: कम्पनी का अर्थ एवं उसके लक्षण (Company: Meaning & its Features)

P2-C6-U6-T01

पहले पढ़ें Companies Act, 2013 वाले अध्याय में 'Company: Meaning and its Features' पढ़िए — Sec. 2(20) की परिभाषा, Haney की परिभाषा, तथा पाँच लक्षण (पृथक् विधिक इकाई, शाश्वत उत्तराधिकार, सीमित दायित्व, कृत्रिम विधिक व्यक्ति, common seal), साथ ही Companies (Amendment) Act, 2015 का वह परिवर्तन जिसने Sec. 9 के अधीन common seal को वैकल्पिक बना दिया।

नोट्स

Sec 2(20) (SM): "Company means a company incorporated under this Act or under any previous company law"; **Haney:** "A company is an incorporated association, which is an artificial person created by law, having a separate entity, with a perpetual succession and a common seal."

पाँच लक्षण: (1) पृथक् विधिक इकाई (2) शाश्वत उत्तराधिकार (3) सीमित दायित्व (4) कृत्रिम विधिक व्यक्ति (5) common seal — जो अब वैकल्पिक है।

पृथक् विधिक इकाई: पंजीकरण होते ही कम्पनी सदस्यों से भिन्न एक व्यक्ति है — सम्पत्ति रख सकती है, bank account खोल सकती है, ऋण जुटा सकती है, संविदा कर सकती है; सदस्य उससे संविदा कर सकते हैं; **Salomon vs. Salomon; Macaura vs. Northern Assurance** — shareholder का कम्पनी की लकड़ी में कोई बीमा-योग्य हित नहीं था, अतः अपने नाम से किया गया उसका बीमा-दावा विफल रहा।

शाश्वत उत्तराधिकार एवं सीमित दायित्व: सदस्य मर सकते हैं या बदल सकते हैं, पर कम्पनी तब तक चलती है जब तक विधि द्वारा उसका समापन न हो (जहाँ सातों सदस्य एक विमान दुर्घटना में मारे गए, वहाँ भी कम्पनी बची रही — साझेदारी के विपरीत), shares उत्तराधिकारियों को संक्रान्त हो जाते हैं; दायित्व shares के अदत्त मूल्य तक सीमित (guarantee company — प्रत्याभूत राशि तक, केवल समापन पर; unlimited company — असीमित)।

कृत्रिम विधिक व्यक्ति एवं seal: विधि द्वारा सृजित, कार्य केवल मानवीय माध्यम (directors) से करती है, अपने नाम से संविदा कर सकती है तथा वाद ला एवं झेल सकती है, किन्तु न जेल भेजी जा सकती है, न शपथ ले सकती है, न विवाह कर सकती है, न किसी विद्या-व्यवसाय का अभ्यास; Companies (Amendment) Act, 2015 ने Sec 9 से common seal हटा दिया — seal न हो तो प्राधिकार दो directors द्वारा, अथवा एक director तथा Company Secretary (जहाँ

नियुक्त हो) द्वारा।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- Sec. 2(20) कंठस्थ कीजिए: 'company means a company incorporated under this Act or under any previous company law', तथा साथ में Haney की परिभाषा।
- Companies (Amendment) Act, 2015 से common seal वैकल्पिक है; कम्पनी के पास seal न हो तो प्राधिकार दो directors द्वारा, अथवा एक director तथा Company Secretary (जहाँ नियुक्त हो) द्वारा।
- लक्षण गिनाइए: पृथक् विधिक इकाई, शाश्वत उत्तराधिकार, सीमित दायित्व, कृत्रिम विधिक व्यक्ति, common seal (वैकल्पिक)।

TQ 1.1 • PYQ 2025-Jan [3] (b) (ii) • Descriptive • 2M • Pg 550

LEVEL I
स्मरण (Remembering)**सरल****समझ (Understanding)** कारण सहित समझाइए • 3 प्रश्न

- पृथक् विधिक इकाई Salomon vs. Salomon तथा Macaura vs. Northern Assurance से समझाइए (सदस्य का कम्पनी की सम्पत्ति में कोई बीमा-योग्य हित नहीं)।
- 'कृत्रिम विधिक व्यक्ति' समझाइए: विधि द्वारा सृजित, कार्य केवल मानवीय माध्यम (directors) से, संविदा/वाद कर सकती है, किन्तु न विवाह, न शपथ, न कारावास।
- सीमित दायित्व: सदस्य केवल shares के अदत्त मूल्य तक दायी (guarantee कम्पनियों में प्रत्याभूत राशि तक)।

TQ 1.3 • PYQ 2026-Jan [2] (b) (i) • Descriptive • 3M • Pg 552

LEVEL I
समझ (Understanding)**सरल**

TQ 1.2 • MTP 2025-Aug S1 [2] (b) (i) • Descriptive • 7M • Pg 551

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम**

CSQ 1.4 • PYQ 2025-Sep [1] (b) {C} • Case Scenario • --- • Pg 555

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 3 प्रश्न

- शाश्वत उत्तराधिकार वाली परिस्थितियों का अभ्यास कीजिए: सभी/अधिकांश सदस्यों की मृत्यु से कम्पनी समाप्त नहीं होती — shares विधिक उत्तराधिकारियों को संक्रान्त होते हैं और कम्पनी चलती रहती है (साझेदारी से तुलना कीजिए)।
- दस्तावेज़-अधिप्रमाणन वाली परिस्थितियों में 2015 के बाद का नियम लगाइए: share certificates आदि बिना seal भी वैध रूप से निर्गत होते हैं, यदि उन पर दो directors अथवा एक director तथा CS के हस्ताक्षर हों।
- उत्तर का प्रारूप: लक्षण/उपबन्ध बताइए, तथ्यों पर लागू कीजिए, और कम्पनी के बने रहने अथवा कार्य की वैधता पर निष्कर्ष दीजिए।

CSQ 1.1 • MTP 2024-Apr [3] (b) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 553

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 1.2 • PYQ 2024-Jun [3] (b) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 554

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

विषय 2: निगमित आवरण का सिद्धान्त (Corporate Veil Theory)

P2-C6-U6-T02

पहले पढ़ें 'Corporate Veil Theory' पढ़िए — Salomon vs. Salomon & Co. Ltd. का स्वतन्त्र निगमित व्यक्तित्व का सिद्धान्त तथा वे पाँच परिस्थितियाँ जिनमें न्यायालय निगमित आवरण उठाते हैं।

नोट्स

निगमित आवरण: कम्पनी की पहचान उसके सदस्यों से पृथक् है — सदस्य कम्पनी के ऋणों एवं व्यतिक्रमों से सुरक्षित रहते हैं ('corporate insulation'); इसकी नींव Salomon vs. Salomon & Co. Ltd. में पड़ी: "The Company is at law a different person altogether from the subscribers to the memorandum" — अतः Salomon, यद्यपि एकल स्वामी था, व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं ठहराया गया और अपने debentures पर प्रतिभूत लेनदार के रूप में गिना गया।

आवरण उठाना (lifting the veil): कम्पनी रूपी विधिक व्यक्ति के पीछे देखना — निगमित इकाई की उपेक्षा करके विधिक मुखौटे के पीछे की वास्तविकताओं पर ध्यान देना; न्यायालय इसे केवल उपयुक्त परिस्थितियों में करते हैं, जब नियंत्रण (मात्र स्वामित्व नहीं) का प्रश्न हो।

आवरण उठाने के पाँच आधार: (1) शत्रु-स्वरूप तय करने हेतु — Daimler Co. vs. Continental Tyre & Rubber Co.; (2) राजस्व/कर की रक्षा हेतु — Dinshaw Maneckjee Petit: लाभांश/ब्याज की आय बाँटने के लिए बनाई गई निजी कम्पनियाँ दिखावा मात्र थीं, आवरण उठाकर वास्तविक स्वामी ढूँढा गया; (3) किसी विधिक बाध्यता से बचने पर — Workmen vs. Associated Rubber Industries: श्रमिकों का bonus घटाने हेतु shares पूर्ण स्वामित्व वाली subsidiary को अन्तरित किए गए, आवरण भेदा गया; (4) subsidiaries को agents के रूप में बनाना — Merchandise Transport vs. British Transport Commission: vehicle licences पाने के लिए बनी subsidiary, parent एवं subsidiary एक ही वाणिज्यिक इकाई मानी गई; (5) कपट/अनुचित आचरण अथवा विधि को विफल करने पर — Gilford Motor Co. vs. Horne।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- निगमित आवरण समझाइए = सदस्य कम्पनी की देयताओं से सुरक्षित रहते हैं ('corporate insulation'); Salomon के मामले ने कम्पनी को सदस्यों से भिन्न व्यक्ति सिद्ध किया।
- 'आवरण उठाना' का अर्थ है निगमित इकाई की उपेक्षा करके उसके पीछे की वास्तविकताएँ देखना — यह केवल तब होता है जब नियंत्रण (मात्र स्वामित्व नहीं) प्रश्नगत हो।
- पाँचों आधार कंठस्थ कीजिए: शत्रु-स्वरूप तय करना (Daimler vs. Continental Tyre); राजस्व/कर की रक्षा; विधिक बाध्यता से बचाव; subsidiaries को agents के रूप में बनाना; कपट/अनुचित आचरण अथवा विधि को विफल करना।

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 9 प्रश्न

- तथ्यों को अग्रणी मामले से मिलाइए: कर बचाने हेतु आय को निजी कम्पनियों में बाँटना = Dinshaw Maneckjee Petit; non-solicitation वाचा से बचने हेतु भूतपूर्व कर्मचारी की कम्पनी = Gilford Motor vs. Horne; vehicle licences पाने हेतु बनी subsidiary = Merchandise Transport vs. British Transport Commission; श्रमिकों का bonus घटाने हेतु shares subsidiary को अन्तर्गत करना = Workmen vs. Associated Rubber Industries।
- Salomon जैसे तथ्य (एकल स्वामी की कम्पनी, स्वामी को प्रतिभूत debentures) — आवरण नहीं उठेगा; shareholder व्यक्तिगत रूप से दायी नहीं और प्रतिभूत लेनदार के रूप में गिना जा सकता है।
- ढाँचा: Salomon का नियम बताइए → आकृष्ट होने वाला अपवाद पहचानिए → लागू कीजिए → निष्कर्ष दीजिए कि सदस्य/नियंत्रक व्यक्तिगत रूप से दायी हैं या नहीं।

CSQ 2.1 · PYQ 2019-Nov [6] (c) · Case Scenario · 3M · Pg 558	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 2.2 · RTP 2022-May [17] · Case Scenario · --- · Pg 559	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 2.3 · RTP 2022-Nov [14] · Case Scenario · --- · Pg 560	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 2.4 · MTP 2023-May [6] (c) · Case Scenario · 3M · Pg 561	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 2.5 · RTP 2024-Jun [19] · Case Scenario · --- · Pg 562	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 2.6 · MTP 2024-Jul [2] (b) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 563	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 2.7 · MTP 2024-Aug [2] (b) · Case Scenario · 7M · Pg 564	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 2.8 · PYQ 2026-Jan [1] (b) {C} · Case Scenario · 7M · Pg 565	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 2.9 · RTP 2026-May [19] · Case Scenario · --- · Pg 566	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विषय 3: अधिनियम के अधीन कम्पनियों के वर्ग (Classes of Companies)

P2-C6-U6-T03

पहले पढ़ें 'Classes of Companies under the Act' पढ़िए — दायित्व के आधार पर (Secs. 2(22), 2(21), 2(92)), सदस्यों के आधार पर (OPC 2(62), private 2(68), public 2(71), small 2(85)), नियंत्रण के आधार पर (holding 2(46), subsidiary 2(87), associate 2(6)), पूँजी तक पहुँच के आधार पर (listed 2(52)), तथा अन्य कम्पनियाँ (government 2(45), foreign 2(42), Section 8, dormant Sec. 455)।

नोट्स

दायित्व के आधार पर: shares द्वारा सीमित [Sec 2(22)] — दायित्व MOA द्वारा shares पर अदत्त राशि तक सीमित, जिसकी माँग कभी भी हो सकती है; guarantee द्वारा सीमित [Sec 2(21)] — MOA में वचनबद्ध राशि तक सीमित,

जिसकी माँग केवल समापन पर; unlimited [Sec 2(92)] — कोई सीमा नहीं, किन्तु सदस्यता समाप्त होते ही दायित्व समाप्त।

सदस्यों के आधार पर: OPC [Sec 2(62)] एक सदस्य — MOA में नामनिर्देशिती का नाम, उसकी पूर्व लिखित सम्मति सहित; केवल ऐसा प्राकृत व्यक्ति जो भारतीय नागरिक हो और 'resident in India' हो (ठीक पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में ≥ 120 दिन प्रवास); कोई minor नहीं; एक व्यक्ति एक ही OPC; न Sec 8 कम्पनी बन सकती है/में रूपान्तरित हो सकती है, न NBFC कार्यकलाप कर सकती है; private [Sec 2(68)] — न्यूनतम 2, अधिकतम 200 सदस्य (संयुक्त धारक = एक; वर्तमान एवं भूतपूर्व कर्मचारी-सदस्य अपवर्जित), shares के अन्तरण पर प्रतिबन्ध, जनता को आमंत्रण वर्जित; public [Sec 2(71)] — न्यूनतम 7, कोई अधिकतम नहीं, और किसी public company की private subsidiary अपने private articles के होते हुए भी public मानी जाती है; small [Sec 2(85)] — ऐसी private company जिसकी प्रदत्त पूँजी $\leq ₹4$ करोड़ **तथा** टर्नओवर $\leq ₹40$ करोड़ हो, और जो कभी भी holding/subsidiary, Sec 8 अथवा किसी विशेष अधिनियम वाली कम्पनी न हो।

नियंत्रण के आधार पर: holding [Sec 2(46)]; subsidiary [Sec 2(87)] — holding company Board की संरचना नियंत्रित करती हो (अधिकांश directors नियुक्त/हटा सकती हो), अथवा अकेले या अपनी अन्य subsidiaries के साथ कुल मतदान-शक्ति के आधे से अधिक का प्रयोग/नियंत्रण करती हो (subsidiary की subsidiary भी subsidiary है); associate [Sec 2(6)] — महत्वपूर्ण प्रभाव (कुल मतदान-शक्ति के कम-से-कम 20% का नियंत्रण, अथवा किसी agreement के अधीन व्यावसायिक निर्णयों का नियंत्रण/उनमें भागीदारी) किन्तु subsidiary नहीं; इसमें joint venture भी आता है।

पूँजी तक पहुँच के आधार पर: listed [Sec 2(52)] — जिसकी कोई भी प्रतिभूति किसी मान्यताप्राप्त stock exchange पर सूचीबद्ध हो; unlisted — इसके अतिरिक्त कोई भी कम्पनी।

अन्य कम्पनियाँ: Government company [Sec 2(45)] — प्रदत्त शेयर-पूँजी का $\geq 51\%$ केन्द्र सरकार, राज्य सरकार(ओं) अथवा दोनों के पास (DVRs हों तो 'प्रदत्त शेयर-पूँजी' को कुल मतदान-शक्ति पढ़ा जाएगा), इसमें उसकी subsidiary भी सम्मिलित; foreign company [Sec 2(42)] — भारत के बाहर निगमित **तथा** भारत में व्यवसाय-स्थान (स्वयं/अभिकर्ता द्वारा, भौतिक या इलेक्ट्रॉनिक) **तथा** भारत में कोई व्यावसायिक कार्यकलाप; Sec 8 (धर्मार्थ) — केन्द्र सरकार का licence, नाम में 'Ltd/Pvt Ltd' नहीं, लाभ उद्देश्यों में ही लगेंगे, कोई लाभांश नहीं, बैठक की 14 स्पष्ट दिन की सूचना, कोई firm भी सदस्य हो सकती है, उल्लंघन/कपट पर licence प्रतिसंहरणीय; dormant [Sec 455] — भावी परियोजना हेतु अथवा कोई परिसंपत्ति/बौद्धिक सम्पदा रखने हेतु बनी, जिसमें कोई महत्वपूर्ण लेखांकन लेन-देन न हो, अथवा निष्क्रिय कम्पनी — Registrar को आवेदन पर।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Listed company [Sec. 2(52)]: जिसकी कोई प्रतिभूति किसी मान्यताप्राप्त stock exchange पर सूचीबद्ध हो; unlisted = इसके अतिरिक्त कोई भी कम्पनी।
- मुख्य अंक: private में अधिकतम 200 सदस्य; public में न्यूनतम 7; small company की प्रदत्त पूँजी $\leq ₹4$ करोड़ **तथा** टर्नओवर $\leq ₹40$ करोड़; associate = महत्वपूर्ण प्रभाव, मतदान-शक्ति $\geq 20\%$; government company $\geq 51\%$ प्रदत्त पूँजी।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 6 प्रश्न

- OPC [Sec. 2(62)]: एक सदस्य; MOA में नामनिर्देशिती (पूर्व लिखित सम्मति सहित); केवल प्राकृत व्यक्ति, भारतीय नागरिक, पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भारत में ≥ 120 दिन; कोई minor नहीं; न Sec. 8 कम्पनी बन सकती/में रूपान्तरित हो सकती है, न NBFC कार्यकलाप।
- Section 8 की सुविधाएँ: नाम में 'Ltd/Pvt Ltd' नहीं, केन्द्र सरकार का licence, लाभ उद्देश्यों में ही, कोई लाभांश नहीं, बैठक की 14 दिन की सूचना, firm भी सदस्य हो सकती है; licence प्रतिसंहरणीय।
- नियंत्रण: subsidiary [Sec. 2(87)] = holding company Board की संरचना नियंत्रित करे अथवा कुल मतदान-शक्ति के आधे से अधिक (अन्य subsidiaries के माध्यम से भी); associate [Sec. 2(6)] = महत्वपूर्ण प्रभाव, subsidiary नहीं; guarantee बनाम shares — दायित्व केवल समापन पर माँगा जा सकता है बनाम कभी भी।

TQ 3.8 · PYQ 2026-Jan [2] (b) (ii) · Descriptive · 4M · Pg 574	LEVEL I समझ (Understanding)	सरल
TQ 3.1 · PYQ 2018-May [5] (b) · Descriptive · 6M · Pg 567	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.2 · PYQ 2020-Nov [5] (b) · Descriptive · 6M · Pg 569	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.3 · PYQ 2021-Jul [5] (b) · Descriptive · 6M · Pg 570	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.5 · MTP 2022-Nov S1 [5] (ii) · Descriptive · 6M · Pg 571	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम
TQ 3.7 · PYQ 2024-Jun [2] (b) · Descriptive · 7M · Pg 573	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 23 प्रश्न

- Foreign company [Sec. 2(42)]: भारत के बाहर निगमित + भारत में व्यवसाय-स्थान (स्वयं/अभिकर्ता, भौतिक/इलेक्ट्रॉनिक) + भारत में व्यावसायिक कार्यकलाप — दोनों अंग लगाइए।
- Government company: प्रदत्त पूँजी का 51% केन्द्र/राज्य/दोनों के पास; DVRs हों तो इसे कुल मतदान-शक्ति पढ़िए — पुनर्गणना कीजिए।
- Sec. 8 कम्पनी लाभ कमाए तो उसे उद्देश्यों में ही लगाना होगा; लाभांश घोषित करना licence का उल्लंघन है — प्रतिसंहरण तथा शास्तियाँ।

TQ 3.6 · PYQ 2022-Nov [6] (c) · Descriptive · 3M · Pg 572	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.1 · PYQ 2018-Nov [1] (b) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 576	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.4 · PYQ 2021-Jan [6] (c) · Case Scenario · 3M · Pg 579	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.5 · PYQ 2021-Jul [1] (b) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 579	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.6 · PYQ 2021-Dec [6] (c) · Case Scenario · 3M · Pg 580	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

CSQ 3.8 • PYQ 2022-Nov [5] (b) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 581	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.9 • PYQ 2023-Jun [6] (c) • Case Scenario • 3M • Pg 582	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.11 • PYQ 2023-Dec [6] (c) • Case Scenario • 3M • Pg 584	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.13 • MTP 2024-May [1] (b) (ii) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 586	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.15 • PYQ 2024-Jun [3] (b) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 588	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.16 • MTP 2024-Jul [2] (b) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 589	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.17 • PYQ 2024-Sep [1] (b) (i) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 591	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.18 • PYQ 2024-Sep [1] (b) (ii) {C} • Case Scenario • 3M • Pg 593	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.19 • RTP 2024-Sep [20] • Case Scenario • --- • Pg 594	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.20 • PYQ 2025-Jan [1] (b) (i) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 594	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.21 • PYQ 2025-Jan [3] (b) (i) • Case Scenario • 5M • Pg 596	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.22 • PYQ 2025-May [1] (b) (i) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 597	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.23 • PYQ 2025-May [1] (b) (ii) {C} • Case Scenario • 3M • Pg 598	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.24 • PYQ 2025-May [3] (b) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 599	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.26 • RTP 2026-Jan [20] • Case Scenario • --- • Pg 601	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.27 • PYQ 2026-Jan [3] (b) (i) • Case Scenario • 3M • Pg 602	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.28 • PYQ 2026-Jan [3] (b) (ii) • Case Scenario • 2M • Pg 603	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.29 • PYQ 2026-Jan [3] (b) (iii) • Case Scenario • 2M • Pg 604	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए • 9 प्रश्न

- सदस्य-गणना वाले प्रश्न: 200 की सीमा लगाते समय वर्तमान/भूतपूर्व कर्मचारी-सदस्य अपवर्जित कीजिए और संयुक्त धारकों को एक गिनिए — फिर private स्थिति पर निष्कर्ष दीजिए।
- मानी हुई public: किसी public company की private subsidiary अपने private articles के होते हुए भी public है [Sec. 2(71) का परन्तुक] — पहले holding की शृंखला सुलझाइए।
- Small company के अपवाद: holding/subsidiary, Sec. 8 तथा विशेष अधिनियम वाली कम्पनियाँ कभी small company नहीं हो सकतीं।

CSQ 3.2 • PYQ 2019-Jun [6] (c) • Case Scenario • 3M • Pg 577	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 3.3 • PYQ 2021-Jan [1] (b) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 577	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 3.7 • PYQ 2022-May [6] (c) • Case Scenario • 3M • Pg 581	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 3.10 • PYQ 2023-Dec [1] (b) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 583	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	मध्यम
CSQ 3.12 • MTP 2025-Aug [1] (b) • Case Scenario • 7M • Pg 585	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन
CSQ 3.14 • PYQ 2024-Jun [1] (b) {C} • Case Scenario • 7M • Pg 587	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन
CSQ 3.25 • PYQ 2025-Sep [3] (b) • Case Scenario • 7M • Pg 600	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन
CSQ 3.30 • PYQ 2026-May [1] (b) {C} • Case Scenario • 7M • Pg 605	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन
CSQ 3.31 • PYQ 2026-May [3] (b) • Case Scenario • 7M • Pg 607	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन

विषय 4: कम्पनी के पंजीकरण/निगमन की रीति (Mode of Registration/Incorporation)

P2-C6-U6-T04

पहले पढ़ें 'Mode of Registration/Incorporation of Company' पढ़िए — promoter [Sec. 2(69)], गठन [Sec. 3], निगमन की प्रक्रिया एवं दस्तावेज़ [Sec. 7], पंजीकरण का प्रभाव [Sec. 9] तथा memorandum एवं articles का प्रभाव [Sec. 10], साथ में SPICe।

नोट्स

Promoter [Sec 2(69)]: वह व्यक्ति जो (a) prospectus में promoter बताया गया हो अथवा धारा 92 के वार्षिक विवरणी में चिह्नित हो, अथवा (b) shareholder, director या अन्यथा के रूप में कम्पनी के कार्यकलापों पर प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष नियंत्रण रखता हो, अथवा (c) जिसकी सलाह/निदेश/अनुदेश के अनुसार Board कार्य करने का अभ्यस्त हो; जो व्यक्ति केवल व्यावसायिक हैसियत में कार्य करते हैं (solicitor, banker, accountant), वे promoter नहीं; **Sec 3 गठन:** public — 7 या अधिक, private — 2 या अधिक, OPC — एक व्यक्ति।

Sec 7(1) — Registrar के पास फ़ाइलिंग: (1) सभी अभिदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित MOA तथा AOA; (2) गठन में लगे किसी व्यवसायी (advocate/CA/cost accountant/practising CS) तथा articles में नामित किसी व्यक्ति की घोषणा कि अधिनियम की सभी अपेक्षाएँ पूरी हैं; (3) प्रत्येक अभिदाता तथा प्रथम directors की घोषणा — कि वे संवर्धन/गठन/प्रबन्धन सम्बन्धी किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं, विगत पाँच वर्षों में कपट/कदाचार/कर्तव्य-भंग के दोषी नहीं, तथा दस्तावेज़ शुद्ध, पूर्ण एवं सत्य हैं; (4) पंजीकृत कार्यालय स्थापित होने तक पत्राचार का पता; (5) अभिदाताओं का विवरण, पहचान के प्रमाण सहित; (6) प्रथम directors का विवरण DIN सहित, अन्य फर्मों/निकायों में उनके हित, तथा कार्य करने की सम्मति।

पंजीकरण पर: Registrar निगमन-प्रमाणपत्र जारी करता है और प्रमाणपत्र में दी गई तिथि से Corporate Identity Number (CIN) आवंटित करता है; कम्पनी को फ़ाइल किए गए सभी दस्तावेज़ों की प्रतियाँ विघटन तक सुरक्षित रखनी होती हैं; निगमन के समय अथवा उसके बाद मिथ्या/अशुद्ध जानकारी देना या तथ्य छिपाना Sec 447 के अधीन कपट का दायित्व लाता है, और Tribunal प्रबन्धन को विनियमित कर सकता है, सदस्यों का दायित्व असीमित कर सकता है, नाम हटा सकता है अथवा समापन का आदेश दे सकता है; **SPICE:** MCA का Simplified Proforma for Incorporating Company Electronically, जो फ़ाइलिंग सरल बनाता है।

Sec 9 का प्रभाव: निगमन की तिथि से अभिदाता तथा भावी सदस्य memorandum में दिए नाम से एक body corporate बन जाते हैं, जिसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त है तथा सम्पत्ति अर्जित करने, धारित करने एवं व्ययनित करने, संविदा करने, और अपने ही नाम से वाद लाने एवं वाद झेलने की शक्ति है।

Sec 10 का प्रभाव: पंजीकृत MOA तथा AOA कम्पनी एवं उसके सदस्यों को इस प्रकार आबद्ध करते हैं मानो उन पर कम्पनी तथा प्रत्येक सदस्य ने हस्ताक्षर किए हों, और मानो वह उनके सभी उपबन्धों के पालन का agreement हो; इनके अधीन किसी सदस्य द्वारा देय समस्त धनराशि उसकी ओर से कम्पनी को देय ऋण है।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए • 1 प्रश्न

- Sec. 7(1) की फ़ाइलिंग गिनाइए: सभी अभिदाताओं द्वारा हस्ताक्षरित MOA तथा AOA; व्यवसायी (advocate/CA/CMA/CS) तथा articles में नामित व्यक्ति की घोषणा; अभिदाताओं/प्रथम directors की घोषणा (कोई दोषसिद्धि नहीं, विगत 5 वर्षों में कोई कपट नहीं, दस्तावेज़ सत्य); पत्राचार का पता; अभिदाताओं का विवरण; प्रथम directors का विवरण DIN तथा उनके हित/सम्पत्ति सहित।
- पंजीकरण के बाद: निगमन-प्रमाणपत्र जारी तथा Corporate Identity Number (CIN) आवंटित; दस्तावेज़ों की प्रतियाँ विघटन तक सुरक्षित; मिथ्या जानकारी Sec. 447 के अधीन कपट का दायित्व लाती है।

TQ 4.2 • MTP 2025-Apr S1 [2] (b) • Descriptive • 7M • Pg 609

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- Sec. 10: पंजीकृत MOA तथा AOA कम्पनी एवं उसके सदस्यों को ऐसे आबद्ध करते हैं मानो दोनों ने उन पर हस्ताक्षर किए हों, और मानो वह उनके सभी उपबन्धों के पालन का agreement हो; इनके अधीन सदस्य द्वारा देय धन कम्पनी को देय ऋण है।
- Sec. 9 का प्रभाव: प्रमाणपत्र में दी गई तिथि से अभिदाता एक body corporate बन जाते हैं, जिसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त है और जो सम्पत्ति रख सकती है, संविदा कर सकती है तथा अपने नाम से वाद ला एवं झेल सकती है।

TQ 4.1 • PYQ 2024-Sep [2] (b) (ii) • Descriptive • 7M • Pg 608

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 5: पूँजी का वर्गीकरण (Classification of Capital)

P2-C6-U6-T05

पहले पढ़ें 'Classification of Capital' पढ़िए — nominal/authorised [Sec. 2(8)], issued [Sec. 2(50)], subscribed

[Sec. 2(86)], called-up [Sec. 2(15)] तथा paid-up पूँजी, और साथ ही shares की प्रकृति (Secs. 44 एवं 45)।

नोट्स

पूँजी की सीढ़ी: authorised/nominal [Sec 2(8)] — memorandum द्वारा प्राधिकृत अधिकतम शेयर-पूँजी, जिस पर stamp duty दी जाती है; issued [Sec 2(50)] — वह भाग जो अभिदान हेतु निर्गत हुआ, जिसमें रोकड़ से भिन्न प्रतिफल पर आवंटित shares भी सम्मिलित; subscribed [Sec 2(86)] — वह भाग जो तत्समय सदस्यों द्वारा अभिदत्त है; called-up [Sec 2(15)] — वह भाग जिसका भुगतान माँगा गया है; paid-up — प्रदत्त अथवा प्रदत्त के रूप में जमा की गई कुल राशि = called-up पूँजी घटा calls in arrears।

Share की प्रकृति (Borland's Trustee vs. Steel Bros.): “a share is not a sum of money but is an interest measured by a sum of money and made up of various rights contained in the contract” — shareholders विधि की दृष्टि से उपक्रम अथवा उसकी परिसंपत्तियों के अंश-स्वामी नहीं होते।

Sec 44: किसी सदस्य के shares, debentures तथा अन्य हित चल सम्पत्ति हैं, जो articles में दी गई रीति से अन्तरणीय हैं; **Sec 45:** प्रत्येक share अपनी विशिष्ट संख्या से पहचाना जाएगा — सिवाय उन shares के जो dematerialised (depository) रूप में धारित हैं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- सीढ़ी समझाइए: authorised = MOA में कथित अधिकतम पूँजी; issued = अभिदान हेतु प्रस्तुत भाग (रोकड़ से भिन्न प्रतिफल वाले shares सहित); subscribed = सदस्यों द्वारा लिया गया भाग; called-up = जिसका भुगतान माँगा गया; paid-up = called-up घटा calls in arrears।
- Shares की प्रकृति: share कोई धनराशि नहीं, बल्कि धनराशि से मापा गया वह हित है जो संविदा में निहित अधिकारों से बना है (Borland's Trustee vs. Steel Bros.) — shareholders कम्पनी की परिसंपत्तियों के सह-स्वामी नहीं होते।
- Sec. 44: shares चल सम्पत्ति हैं, articles में दी गई रीति से अन्तरणीय; Sec. 45: प्रत्येक share पर विशिष्ट संख्या अनिवार्य, सिवाय depository (dematerialised) रूप में धारित shares के।

TQ 5.1 · PYQ 2021-Dec [5] (b) · Descriptive · 6M · Pg 610

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 5.2 · MTP 2025-Aug S2 [2] (b) · Descriptive · 7M · Pg 612

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 6: अंश (Shares)

P2-C6-U6-T06

पहले पढ़ें 'Shares' पढ़िए — Sec. 2(84) की परिभाषा तथा Sec. 43 के अंश-पूँजी के प्रकार: equity (मताधिकार सहित अथवा विभेदी अधिकारों सहित) एवं preference share capital, उस स्पष्टीकरण सहित जो बताता है कि पूँजी कब preference पूँजी होती है।

नोट्स

Sec 2(84): 'share' का अर्थ है कम्पनी की अंश-पूँजी में एक अंश, और इसमें stock भी सम्मिलित है — यह कम्पनी में shareholder के हित का माप है।

Sec 43 के प्रकार: shares द्वारा सीमित कम्पनी की अंश-पूँजी दो प्रकार की होती है — (i) equity share capital, जो या तो मताधिकार सहित हो या विहित नियमों के अनुसार लाभांश, मतदान अथवा अन्यथा के विषय में विभेदी अधिकारों सहित हो (DVRs, जैसे Tata Motors की 2008 वाली 'A' shares: 10 shares = 1 मत, पर 5 प्रतिशत-बिन्दु अधिक लाभांश), तथा (ii) preference share capital; **अपवाद:** जहाँ किसी private company के MOA/AOA ऐसा उपबन्ध करें, वहाँ Sec 43 लागू नहीं होता।

Sec 43 का स्पष्टीकरण: 'preference share capital' = निर्गत पूँजी का वह भाग जो (a) लाभांश के भुगतान — नियत राशि अथवा नियत दर पर — तथा (b) समापन पर/पूँजी लौटाने पर पूँजी की वापसी — इन दोनों में अधिमान का अधिकार रखता हो; 'equity share capital' = वह समस्त अंश-पूँजी जो preference share capital नहीं है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- Sec. 43: shares द्वारा सीमित कम्पनी की अंश-पूँजी दो प्रकार की — equity share capital (मताधिकार सहित, अथवा विहित नियमों के अनुसार लाभांश/मतदान में विभेदी अधिकारों सहित) तथा preference share capital; वह अपवाद भी ध्यान रखिए जहाँ private company के MOA/AOA Sec. 43 को अपवर्जित कर देते हैं।
- पूँजी 'preference' तब है जब उसमें (a) लाभांश के भुगतान (नियत राशि या नियत दर) तथा (b) समापन पर पूँजी की वापसी — दोनों में अधिमान का अधिकार हो; equity capital = वह समस्त पूँजी जो preference नहीं है।
- DVR equity तथा preference shares में अन्तर कीजिए: DVR धारक equity shareholders ही हैं, जिनके मतदान/लाभांश अधिकार भिन्न हैं (जैसे Tata Motors की 'A' shares), जबकि preference shareholders को लाभांश एवं वापसी में अधिमान मिलता है पर मताधिकार सामान्यतः सीमित रहता है।

TQ 6.2 · PYQ 2026-May [2] (b) (i) · Distinguish Between · 3M · Pg 614

LEVEL I
समझ (Understanding)**सरल**

TQ 6.1 · PYQ 2023-Dec [5] (b) · Descriptive · 6M · Pg 613

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम****विषय 7: पार्षद सीमानियम (Memorandum of Association)**

P2-C6-U6-T07

पहले पढ़ें 'Memorandum of Association' पढ़िए — MOA कम्पनी के चार्टर के रूप में, Sec. 4 की अन्तर्वस्तु तथा Schedule I की Tables A से E के प्ररूप, और MOA के पंजीकरण का प्रयोजन (Sec. 399 के अधीन लोक दस्तावेज़)।

नोट्स

कम्पनी का चार्टर: MOA कम्पनी का संविधान तथा उसकी शक्तियों का विस्तार परिभाषित करता है — आवश्यकता कितनी ही अनिवार्य क्यों न हो, कम्पनी उससे विचलित नहीं हो सकती; उससे परे कोई संविदा या व्यवसाय कम्पनी के लिए

ultra vires तथा शून्य है।

अन्तर्वस्तु [Sec 4]: (1) Name clause — अन्तिम शब्द 'Limited'/'Private Limited' (Sec 8 कम्पनियों पर लागू नहीं); (2) Registered Office clause — राज्य; (3) Object clause — उद्देश्य तथा उनके संवर्धन के विषय; (4) Liability clause — shares/guarantee द्वारा सीमित अथवा असीमित; (5) Capital clause — नियत राशि के shares में विभाजित प्राधिकृत पूँजी (अंश-पूँजी न हो तो आवश्यक नहीं); (6) Association/Subscription clause — प्रत्येक अभिदाता कम-से-कम एक share लेता है; OPC में नामनिर्देशिती का नाम भी जुड़ता है; minor अभिदाता नहीं हो सकता (संरक्षक व्यक्तिगत हैसियत से हस्ताक्षर करता है)।

प्ररूप एवं स्थिति: MOA Schedule I की Tables A से E के प्ररूपों में होना चाहिए (A — shares; B — guarantee, अंश-पूँजी रहित; C — guarantee, अंश-पूँजी सहित; D — असीमित; E — असीमित, अंश-पूँजी सहित) और उसमें अधिनियम के विरुद्ध कुछ नहीं हो सकता; यह Sec 399 के अधीन लोक दस्तावेज़ है, अतः कम्पनी से संविदा करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा है कि वह उसकी अन्तर्वस्तु जानता है — पंजीकरण से shareholders, लेनदार तथा बाहरी व्यक्ति कम्पनी की शक्तियाँ एवं अनुमत कार्यकलाप जान पाते हैं।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- 'कम्पनी का चार्टर': MOA उसका संविधान तथा शक्तियों का विस्तार परिभाषित करता है; कम्पनी उससे विचलित नहीं हो सकती — उससे परे के कार्य ultra vires एवं शून्य हैं।
- अन्तर्वस्तु [Sec. 4]: Name clause (Ltd/Pvt Ltd; Sec. 8 कम्पनियों पर लागू नहीं), Registered Office clause (राज्य), Object clause, Liability clause (shares/guarantee द्वारा सीमित अथवा असीमित), Capital clause (प्राधिकृत पूँजी; अंश-पूँजी न हो तो आवश्यक नहीं) तथा Association/Subscription clause; OPC में नामनिर्देशन खंड भी जुड़ता है।
- पंजीकरण का प्रयोजन: shareholders तथा बाहरी व्यक्तियों को कम्पनी की शक्तियाँ दिखाना; कम्पनी से व्यवहार करने वाले हर व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा कि वह उसकी अन्तर्वस्तु जानता है (लोक दस्तावेज़, Sec. 399); MOA Tables A-E के अनुसार हो और अधिनियम का विरोध न करे।

TQ 7.1 · PYQ 2019-Nov [5] (b) · Descriptive · 6M · Pg 615

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 8: शक्ति-बाह्यता का सिद्धान्त (Doctrine of Ultra Vires)

P2-C6-U6-T08

पहले पढ़ें 'Doctrine of Ultra Vires' पढ़िए — अर्थ ('शक्तियों से परे'), Ashbury Railway Carriage & Iron Co. vs. Riche, ultra vires कार्यों के परिणाम, तथा अनुसमर्थन पर चार-बिन्दु सार।

नोट्स

अर्थ: ultra vires = "beyond (their) powers" — memorandum के उद्देश्यों से परे कोई कार्य या संविदा पूर्णतः शून्य एवं निष्प्रभावी है, कम्पनी पर आबद्धकर नहीं; कम्पनी न उस पर वाद ला सकती है, न वाद झेल सकती है, और चूँकि

MOA लोक दस्तावेज़ है, इसलिए बाहरी व्यक्ति के बारे में यह माना जाता है कि वह कम्पनी की शक्तियाँ जानता है।

Ashbury Railway Carriage & Iron Co. vs. Riche (1875): रेल-डिब्बों के उद्देश्य वाली कम्पनी ने Belgium में एक रेल-लाइन के निर्माण को वित्त दिया; संविदा को शून्य एवं अकृत माना गया, यद्यपि उसका विशेष संकल्प से अनुसमर्थन हुआ था — 'general contractors' को मुख्य व्यवसाय के साथ पढ़ा गया; कोई ultra vires संविदा estoppel, मौन स्वीकृति, समय बीतने, विलम्ब अथवा अनुसमर्थन से कभी intra vires नहीं बन सकती।

चार-बिन्दु सार: (1) जो कार्य object clause अथवा statute से प्राधिकृत न हो — वह कम्पनी के लिए ultra vires, शून्य एवं अकृत; (2) कम्पनी के लिए ultra vires — सभी shareholders की सर्वसम्मति से भी अनुसमर्थित नहीं हो सकता; (3) directors के लिए ultra vires पर कम्पनी के लिए intra vires — सदस्य साधारण सभा में संकल्प द्वारा अनुसमर्थित कर सकते हैं; (4) articles के लिए ultra vires — विशेष संकल्प द्वारा articles बदलकर अनुसमर्थित किया जा सकता है।

उधारदाता के सीमित उपचार: यदि ultra vires ऋण का धन अब भी अव्ययित है, तो कम्पनी को उसे हाथ से न जाने देने का निषेधादेश (कम्पनी कभी स्वामी बनती ही नहीं — उधारदाता सम्पत्ति उसी रूप में वापस लेता है); यदि उससे विधिपूर्ण ऋण चुकाए गए हैं, तो उधारदाता चुकाए गए लेनदार की स्थिति में प्रतिस्थापित (subrogated) होकर उतनी सीमा तक वसूली करता है।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- कम्पनी के लिए ultra vires = MOA के object clause से परे कार्य: शून्य एवं अकृत, आबद्धकर नहीं, और सभी shareholders की सर्वसम्मति से भी अनुसमर्थित नहीं (Ashbury vs. Riche)।
- ultra vires की श्रेणियाँ: directors के लिए ultra vires पर कम्पनी के लिए intra vires — सदस्य साधारण सभा में अनुसमर्थित कर सकते हैं; articles के लिए ultra vires — विशेष संकल्प से AOA बदलकर अनुसमर्थित।
- परिणाम: कम्पनी न उस लेन-देन पर वाद ला सकती है, न वाद झेल सकती है; बाहरी व्यक्ति के बारे में यह माना जाता है कि वह MOA जानता है (लोक दस्तावेज़), अतः वह ultra vires संविदा प्रवर्तित नहीं करा सकता।

TQ 8.1 · PYQ 2022-May [5] (b) · Descriptive · 6M · Pg 616

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 4 प्रश्न

- MOA की उधार-सीमा से अधिक उधार लेना (जैसे ₹30 करोड़ की सीमा के विरुद्ध ₹36 करोड़): अतिरिक्त उधार ultra vires एवं शून्य है — उधारदाता उस पर कम्पनी पर वाद नहीं ला सकता।
- उधारदाता के सीमित उपचार: जो धन अब भी पहचान-योग्य/अव्ययित है, उसे कम्पनी के हाथ से जाने से रोकने का निषेधादेश (कम्पनी कभी स्वामी बनती ही नहीं), तथा जितनी सीमा तक उस ऋण से विधिपूर्ण ऋण चुके, उतनी सीमा तक subrogation।
- object clause से बाहर का व्यवसाय (जैसे MOA में न आने वाली नई व्यापार-शाखा): निषेधादेश से रोका जा सकता है; निष्कर्ष provision → facts → लेन-देन की वैधता के क्रम में दीजिए।

CSQ 8.1 · PYQ 2021-Dec [1] (b) {C} · Case Scenario · 4M · Pg 617

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.2 • PYQ 2024-Sep [3] (b) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 618

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.3 • PYQ 2025-May [3] (b) (i) • Case Scenario • 4M • Pg 620

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 8.4 • RTP 2026-Jan [19] • Case Scenario • --- • Pg 621

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 9: पार्षद अन्तर्नियम (Articles of Association)

P2-C6-U6-T09

पहले पढ़ें 'Articles of Association' पढ़िए — AOA आन्तरिक विनियमों/उपविधियों के रूप में, Sec. 5 (अन्तर्वस्तु, entrenchment, Schedule I की Tables F से J के model articles), Sec. 10 का आबद्धकारी प्रभाव, तथा MOA बनाम AOA का अन्तर।

नोट्स

स्वरूप: AOA आन्तरिक प्रबन्ध के नियम, विनियम एवं उपविधियाँ हैं (Guinness vs. Land Corporation of Ireland); Ashbury Carriage vs. Riche में Lord Cairns के अनुसार, “the articles play a part subsidiary to memorandum of association” — ये शासी निकाय के कर्तव्य, अधिकार एवं शक्तियाँ तथा व्यवसाय चलाने की रीति परिभाषित करते हैं।

Sec 5: articles में प्रबन्ध सम्बन्धी विनियम तथा विहित एवं अतिरिक्त विषय होते हैं; **entrenchment:** विनिर्दिष्ट articles केवल ऐसी शर्तों पर बदले जा सकें जो विशेष संकल्प से भी अधिक कठोर हों — यह गठन के समय किया जाता है, अथवा बाद में सभी सदस्यों के agreement से (private company) / विशेष संकल्प से (public company), और इसकी सूचना Registrar को दी जाती है; प्ररूप Schedule I की Tables F से J के अनुसार; model articles वहाँ तक लागू रहते हैं जहाँ तक उन्हें अपवर्जित/संशोधित न किया गया हो।

आबद्धकारी बल [Sec 10]: पंजीकृत articles कम्पनी तथा सदस्यों को ऐसे आबद्ध करते हैं मानो प्रत्येक ने उन पर हस्ताक्षर किए हों — ये कम्पनी और सदस्यों के बीच प्रवर्तनीय हैं, किन्तु बाहरी व्यक्तियों के साथ कोई संविदा नहीं बनाते (articles में नामित कोई बाहरी व्यक्ति, जैसे विधिक सलाहकार, उन पर वाद नहीं ला सकता); कम्पनी को अधिनियम तथा MOA के अधीन रहते हुए विशेष संकल्प द्वारा अपने articles बदलने की पूर्ण शक्ति है।

पार्षद सीमानियम (MOA)	पार्षद अन्तर्नियम (AOA)
कम्पनी के उद्देश्य परिभाषित एवं परिसीमित करता है	आन्तरिक प्रबन्ध के नियम; उद्देश्य कैसे प्राप्त हों
कम्पनी का बाहरी जगत् से सम्बन्ध	कम्पनी तथा उसके सदस्यों के बीच सम्बन्ध
परिवर्तन केवल अधिनियम के अनुसार — प्रायः Regional Director/Tribunal के अनुमोदन से	परिवर्तन केवल विशेष संकल्प से
MOA से परे कार्य शून्य; सर्वसम्मति से भी अनुसमर्थित	AOA के लिए ultra vires कार्य विशेष संकल्प से

नहीं

अनुसमर्थित

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- Sec. 5: articles में प्रबन्ध सम्बन्धी विनियम, विहित विषय तथा कोई भी अतिरिक्त विषय होते हैं; entrenchment उपबन्ध विनिर्दिष्ट articles को केवल विशेष संकल्प से अधिक कठोर शर्तों पर बदलने देते हैं — यह गठन के समय, अथवा बाद में **सभी** सदस्यों से (private co.) / विशेष संकल्प से (public co.) किया जाता है, सूचना Registrar को देकर।
- AOA, MOA के अधीनस्थ हैं (Ashbury Carriage vs. Riche); ये शासी निकाय के कर्तव्य, अधिकार एवं शक्तियाँ तथा व्यवसाय चलाने की रीति परिभाषित करते हैं।
- MOA बनाम AOA: उद्देश्य बनाम आन्तरिक नियम; बाहरी जगत् से सम्बन्ध बनाम सदस्यों से सम्बन्ध; MOA के परिवर्तन में वैधानिक अनुमोदन, AOA केवल विशेष संकल्प से; MOA के लिए ultra vires कार्य शून्य एवं अ-अनुसमर्थनीय, AOA के लिए ultra vires कार्य विशेष संकल्प से अनुसमर्थनीय।

TQ 9.1 • PYQ 2025-Jan [2] (b) • Descriptive • 7M • Pg 622

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम**

TQ 9.2 • PYQ 2025-Sep [2] (b) • Descriptive • 7M • Pg 624

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 3 प्रश्न

- Sec. 10: पंजीकृत articles कम्पनी तथा सदस्यों को ऐसे आबद्ध करते हैं मानो प्रत्येक ने हस्ताक्षर किए हों — articles के खंड (जैसे किसी दिवालिया सदस्य के shares की बिक्री) कम्पनी और सदस्यों के बीच प्रवर्तित कीजिए।
- बाहरी व्यक्ति वाली परिस्थितियाँ (जैसे articles में नामित विधिक सलाहकार): articles कम्पनी और बाहरी व्यक्तियों के बीच कोई संविदा नहीं बनाते — बाहरी व्यक्ति उन पर वाद नहीं ला सकता।
- परिवर्तन वाली परिस्थितियाँ (जैसे गणपूर्ति के नियम बदलना): कम्पनी को अधिनियम तथा MOA के अधीन रहते हुए विशेष संकल्प से articles बदलने की शक्ति है।

CSQ 9.1 • MTP 2023-Nov [5] (b) • Case Scenario • 6M • Pg 625

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 9.2 • PYQ 2025-Jan [1] (b) (ii) {C} • Case Scenario • 3M • Pg 626

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 9.3 • RTP 2025-May [18] • Case Scenario • --- • Pg 627

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम****विषय 10: आन्तरिक प्रबन्ध का सिद्धान्त (Doctrine of Indoor Management)**

P2-C6-U6-T10

पहले पढ़ें 'Doctrine of Indoor Management' पढ़िए — आन्वयिक सूचना का सिद्धान्त (Sec. 399 के लोक दस्तावेज़), उसके अपवाद के रूप में Turquand का नियम (Royal British Bank vs. Turquand), तथा indoor management के तीन अपवाद।

नोट्स

आन्वयिक सूचना: MOA, AOA तथा पंजीकृत दस्तावेज़ (विशेष संकल्पों सहित) लोक दस्तावेज़ हैं जो निरीक्षण के लिए खुले हैं [Sec 399] — कम्पनी से व्यवहार करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा है कि उसने उन्हें पढ़ा **तथा** उनके सही परिप्रेक्ष्य में समझा है; कम्पनी अथवा directors की शक्तियों से परे की संविदा उसे कम्पनी के विरुद्ध कोई अधिकार नहीं देती।

आन्तरिक प्रबन्ध (Turquand का नियम): यही वह अपवाद है जो **बाहरी व्यक्तियों** की रक्षा करता है — आन्वयिक सूचना कभी आन्तरिक कार्यकलापों तक नहीं फैलती; यदि कोई कार्य MOA/AOA से प्राधिकृत है, तो बाहरी व्यक्ति यह मान सकता है कि भीतर की सारी विस्तृत औपचारिकताएँ (जैसे संकल्प पारित होना) पूरी की जा चुकी हैं; Royal British Bank vs. Turquand — दो directors द्वारा seal के अधीन हस्ताक्षरित bond वैध माना गया, यद्यपि किसी उधार-संकल्प में राशि विनिर्दिष्ट नहीं थी: कम्पनी के भीतर के मामले कम्पनी की अपनी समस्या हैं।

तीन अपवाद: (1) अनियमितता की वास्तविक या आन्वयिक जानकारी — Howard vs. Patent Ivory Manufacturing Co., Morris v Kanssen; (2) अनियमितता का सन्देह/उपेक्षा — असामान्य लेन-देन बाहरी व्यक्ति को जाँच करने के लिए बाध्य करते हैं: Anand Bihari Lal vs. Dinshaw & Co. (कम्पनी की सम्पत्ति का उसके accountant द्वारा अन्तरण शून्य), Haughton & Co. vs. Nothard, Lowe & Wills; (3) कूटरचना — पूर्णतः अकृत: Ruben v Great Fingall Consolidated (secretary ने share certificate पर directors के हस्ताक्षर बनाए; कम्पनी विबन्धित नहीं हुई)।

जाल: आन्वयिक सूचना **कम्पनी** की रक्षा बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध करती है; आन्तरिक प्रबन्ध सद्भावपूर्वक कार्य करने वाले **बाहरी व्यक्तियों** की रक्षा कम्पनी के विरुद्ध करता है — दोनों को उलटिए मत।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Turquand के नियम की सीमाएँ: (a) अनियमितता की वास्तविक या आन्वयिक जानकारी; (b) अनियमितता का सन्देह/उपेक्षा — असामान्य लेन-देन बाहरी व्यक्ति को जाँच के लिए बाध्य करते हैं; (c) कूटरचना — पूर्णतः अकृत।
- मामलों की खूँटियाँ: जानकारी — Howard vs. Patent Ivory Mfg. Co., Morris v Kanssen; सन्देह — Anand Bihari Lal vs. Dinshaw & Co., Haughton vs. Nothard, Lowe & Wills; कूटरचना — Ruben v Great Fingall Consolidated।

TQ 10.1 · PYQ 2018-May [6] (c) · Descriptive · 3M · Pg 628

LEVEL I

स्मरण (Remembering)

सरल**समझ (Understanding)** कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- आन्वयिक सूचना: MOA/AOA तथा पंजीकृत दस्तावेज़ लोक दस्तावेज़ हैं (Sec. 399); कम्पनी से व्यवहार करने वाले हर व्यक्ति के बारे में यह उपधारणा कि उसने उन्हें पढ़ा **तथा** समझा है।
- आन्तरिक प्रबन्ध वह अपवाद है जो **बाहरी व्यक्तियों** की रक्षा करता है: वे मान सकते हैं कि भीतर की औपचारिकताएँ (जैसे संकल्प पारित होना) पूरी हो चुकी हैं — कम्पनी के भीतर के मामले कम्पनी की अपनी समस्या हैं (Turquand का नियम)।
- जाल: आन्वयिक सूचना कम्पनी की रक्षा बाहरी व्यक्तियों के विरुद्ध करती है; आन्तरिक प्रबन्ध बाहरी व्यक्तियों की रक्षा कम्पनी के विरुद्ध करता है — उलटिए मत।

TQ 10.3 • PYQ 2026-May [2] (b) (ii) • Descriptive • 4M • Pg 632	LEVEL I समझ (Understanding)	सरल
TQ 10.2 • PYQ 2025-May [2] (b) • Descriptive • --- • Pg 628	LEVEL I समझ (Understanding)	मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 4 प्रश्न

- उधार वाली परिस्थितियाँ (articles board को एक सीमा तक/संकल्प के अधीन ऋण की अनुमति दें): सद्भावी उधारदाता यह मान सकता है कि संकल्प पारित हुआ था और वसूली कर सकता है — Turquand उद्धृत कीजिए।
- अप्राधिकृत अधिकारी को भुगतान (जैसे बक्राया ऐसे accountant/cashier को चुकाना जो भाग जाए): आभासी प्राधिकार से बाहर का लेन-देन भुगतानकर्ता को जाँच के लिए बाध्य करता है — indoor management उसकी रक्षा नहीं करता।
- ढाँचा: आन्वयिक सूचना का नियम → indoor management का अपवाद → तथ्यों को तीनों सीमाओं पर कसिए → निष्कर्ष दीजिए कि हानि कौन उठाएगा।

CSQ 10.1 • PYQ 2018-Nov [6] (c) • Case Scenario • 3M • Pg 633	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 10.2 • PYQ 2022-May [1] (b) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 634	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 10.3 • PYQ 2022-Nov [1] (b) {C} • Case Scenario • 4M • Pg 634	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 10.4 • RTP 2023-Jun [19] • Case Scenario • --- • Pg 636	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

अध्याय 7

परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 (The Negotiable Instruments Act, 1881)

9 विषय • 57 वर्गीकृत प्रश्न • महत्त्व: B

ICAI कौशल प्रोफाइल Level I 5-20% • Level II 80-95% — यह अध्याय है **सिद्धान्त-प्रधान**

Level I — स्मरण एवं समझ	40.8%	228 में से 93 अंक
Level II — अनुप्रयोग एवं विश्लेषण	59.2%	228 में से 135 अंक

विषय 1: परक्राम्य लिखतों का अर्थ (Meaning of Negotiable Instruments)

P2-C7-U7-T01

पहले पढ़ें Negotiable Instruments Act, 1881 वाले अध्याय में 'Meaning of Negotiable Instruments' पढ़िए — Sec. 13 (promissory note, bill of exchange, cheque — order अथवा bearer को देय) तथा परक्राम्य लिखतों के आठ अनिवार्य लक्षण।

नोट्स

कोई वैधानिक परिभाषा नहीं: अधिनियम 'negotiable instrument' को परिभाषित नहीं करता; Sec 13 केवल तीन प्रकार देता है — promissory note, bill of exchange तथा cheque, जो या तो order को देय हों या bearer को; Hundis, Treasury Bills, Bearer Debentures, Railway Receipts, Delivery Orders, Bills of Lading वाणिज्यिक प्रथा/रूढ़ि अथवा अन्य अधिनियमितियों से परक्राम्य हैं।

अवधारणा: ऐसा लिखत (दस्तावेज़) जो मात्र परिदान से, अथवा पृष्ठांकन एवं परिदान से, स्वतन्त्र रूप से अन्तरणीय हो; उसमें निहित सम्पत्ति मूल्य देकर लेने वाले सद्भावी अन्तरिती को पहुँच जाती है।

Order को देय [Sec 13]: जब उसमें ऐसा देय होना अभिव्यक्त हो, अथवा वह किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को देय हो और अन्तरण वर्जित करने वाले शब्द न हों; **bearer को देय:** जब ऐसा देय होना अभिव्यक्त हो, अथवा जब उस पर एकमात्र/अन्तिम पृष्ठांकन रिक्त (in blank) पृष्ठांकन हो।

आठ लक्षण: (1) अनिवार्यतः लिखित; (2) हस्ताक्षरित; (3) स्वतन्त्र रूप से अन्तरणीय; (4) धारक का हक दोषों से मुक्त; (5) तुष्टि होने तक कितनी भी बार अन्तरणीय; (6) केवल धन देने का अशर्त वचन/आदेश; (7) देय राशि, भुगतान के समय तथा payee की निश्चितता; (8) परिदान अनिवार्य — मात्र लिख देने से कोई दायित्व नहीं बनता।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- अधिनियम 'negotiable instrument' को परिभाषित नहीं करता; Sec. 13 केवल तीन प्रकार गिनाती है — promissory note, bill of exchange तथा cheque, जो order या bearer को देय हों; hundis, treasury bills, bearer debentures आदि प्रथा/रूढ़ि से परक्राम्य हैं।
- आठों लक्षण समझाइए: लिखित; हस्ताक्षरित; स्वतन्त्र रूप से अन्तरणीय; धारक का हक दोषों से मुक्त; कितनी भी बार अन्तरणीय; केवल धन देने का अशर्त वचन/आदेश; राशि, समय एवं payee की निश्चितता; परिदान अनिवार्य।
- Order को देय = ऐसा देय होना अभिव्यक्त हो, अथवा किसी विनिर्दिष्ट व्यक्ति को देय हो और अन्तरण वर्जित करने वाले शब्द न हों; bearer को देय = ऐसा देय होना अभिव्यक्त हो, अथवा एकमात्र/अन्तिम पृष्ठांकन रिक्त हो।

TQ 1.1 · MTP 2025-May S2 [4] (b) · Descriptive · 7M · Pg 642

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

विषय 2: वचन-पत्र (Promissory Note)

P2-C7-U7-T02

पहले पढ़ें 'Promissory Note' पढ़िए — Sec. 4 की परिभाषा, पक्षकार (maker तथा payee) एवं अनिवार्य लक्षण (a) से (h), साथ ही RBI Act, 1934 की Sec. 31 का वह निषेध जो bearer को देय notes पर लगता है।

नोट्स

Sec 4 (SM): "A 'promissory note' is an instrument in writing (not being a bank-note or a currency-note) containing an unconditional undertaking signed by the maker, to pay a certain sum of money only to, or to the order of, a certain person, or to the bearer of the instrument." **पक्षकार:** maker (ऋणी, जिसका हस्ताक्षर अनिवार्य) तथा payee।

अनिवार्य लक्षण (a)-(h): लिखित होना (मौखिक वचन पर्याप्त नहीं); व्यक्त वचन — "Mr B, I.O.U ₹1,000" मात्र अभिस्वीकृति है, अवैध; निश्चित एवं अशर्त — "₹500 seven days after my marriage with C" अवैध, किन्तु "₹500 on D's death" वैध (घटना निश्चित रूप से होने वाली है); maker द्वारा हस्ताक्षरित; केवल धन (₹500 तथा मेरा काला घोड़ा — अवैध); निश्चित राशि ("₹500 and all other sums due" अवैध, किन्तु ₹500 पर 12% वार्षिक ब्याज वैध, क्योंकि अभिनिश्चय है); maker तथा payee निश्चित, सुनिश्चित एवं भिन्न व्यक्ति; Indian Stamp Act के अनुसार उचित रूप से मुद्रांकित, और stamp विधिवत् रद्द किया हुआ।

Sec 31, RBI Act 1934: कोई promissory note bearer को देय नहीं बनाया जा सकता — केवल Reserve Bank अथवा केन्द्र सरकार ही 'payable to bearer' लिखत निर्गत कर सकते हैं; अतः "I promise to pay a sum of ₹10,000 after three months", जिसमें कोई payee नामित न हो, एक bearer लिखत है — अवैध तथा अप्रवर्तनीय।

उत्तर का प्रतिरूप: Sec 4 उद्धृत कीजिए, प्रत्येक अनिवार्य लक्षण को लिखत की शब्दावली पर कसिए, और जो लक्षण विफल हो (शर्तयुक्त वचन, payee अनिश्चित, धन के साथ माल, राशि अनिश्चित) उसी का नाम लेकर वैध/अवैध का निष्कर्ष दीजिए।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 4 कंठस्थ कीजिए: ऐसा लिखित लिखत (जो bank-note या currency-note न हो) जिसमें maker द्वारा हस्ताक्षरित अशर्त वचन हो कि वह केवल एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित व्यक्ति को, उसके order को, अथवा bearer को देगा।
- अनिवार्य लक्षण: लिखित; व्यक्त वचन (मात्र अभिस्वीकृति/IOU पर्याप्त नहीं); निश्चित एवं अशर्त; maker द्वारा हस्ताक्षरित; केवल धन; निश्चित राशि; maker एवं payee निश्चित तथा भिन्न; उचित रूप से मुद्रांकित।
- RBI Act, 1934 की Sec. 31 के अनुसार केवल RBI/केन्द्र सरकार ही bearer को देय promissory note निर्गत कर सकते हैं।

TQ 2.3 · PYQ 2026-Jan [4] (b) · Descriptive · 7M · Pg 645

LEVEL I
स्मरण (Remembering)**मध्यम****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 3 प्रश्न

- वैधता को अनिवार्य लक्षणों पर कसिए: 'I promise to pay ₹10,000 after three months' जिसमें कोई payee नामित न हो — अवैध (payee अनिश्चित); शर्तयुक्त वचन (विवाह पर देय) अवैध, किन्तु निश्चित घटना से जुड़े वचन (D की मृत्यु पर) वैध।
- जिस लिखत में भुगतान का समय न लिखा हो, वह माँग पर देय माना जाता है — फिर भी वैध note है।
- उत्तर का प्रतिरूप: Sec. 4 उद्धृत कीजिए → प्रत्येक लक्षण को शब्दावली पर कसिए → उसी विशिष्ट लक्षण का नाम लेकर वैध/अवैध का निष्कर्ष दीजिए जो विफल हुआ (जैसे payee की अनिश्चितता, धन के साथ माल का वचन, अनिश्चित राशि)।

TQ 2.1 · MTP 2024-Jul [6] (a) (ii) · Descriptive · 3M · Pg 644

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**सरल**

TQ 2.2 · PYQ 2021-Dec [3] (c) (i) · Descriptive · 4M · Pg 644

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 2.1 · PYQ 2020-Nov [5] (Or) (a) (i) · Case Scenario · 3M · Pg 646

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम****विषय 3: विनिमय-पत्र (Bills of Exchange)**

P2-C7-U7-T03

पहले पढ़ें 'Bills of Exchange' पढ़िए — Sec. 5 की परिभाषा, तीन पक्षकार (drawer, drawee/acceptor, payee), अनिवार्य लक्षण, तथा promissory note एवं bill of exchange के तालिकाबद्ध अन्तर।

नोट्स

Sec 5 (SM): "A 'bill of exchange' is an instrument in writing containing an unconditional order, signed by the maker, directing a certain person to pay a certain sum of money only to, or to the order of, a certain person or to the bearer of the instrument."

तीन पक्षकार: drawer (बिल का लेखक); drawee (वह व्यक्ति जिस पर बिल लिखा गया — स्वीकृति देते ही acceptor बन जाता है, जिसका दायित्व प्राथमिक एवं अशर्त होता है); payee; तीनों का भिन्न व्यक्ति होना आवश्यक नहीं — एक ही व्यक्ति दो भूमिकाएँ निभा सकता है, किन्तु किसी भी दशा में दो भिन्न व्यक्ति अवश्य होने चाहिए।

अनिवार्य लक्षण: लिखित; भुगतान का व्यक्त आदेश; निश्चित एवं अशर्त; drawer द्वारा हस्ताक्षरित; drawer, drawee

तथा payee निश्चित; राशि निश्चित; केवल धन; मुद्रांकित; RBI Act की Sec 31 के अनुसार कोई बिल माँग पर bearer को देय नहीं हो सकता — “On demand pay to bearer ₹500” अवैध, किन्तु “On demand pay to A or order” वैध।

P/N बनाम BOE का अन्तर: note दो पक्षकारों का वचन है जिसमें स्वीकृति की आवश्यकता नहीं; bill तीन पक्षकारों का आदेश है जिसमें स्वीकृति आवश्यक है —

वचन-पत्र (Promissory Note)	विनिमय-पत्र (Bill of Exchange)
इसमें धन देने का वचन होता है	इसमें भुगतान करने का आदेश होता है
2 पक्षकार: maker तथा payee	3 पक्षकार: drawer, drawee तथा payee
स्वीकृति आवश्यक नहीं — जिस पर भुगतान का दायित्व है, वही हस्ताक्षर करता है	drawee से स्वीकृति आवश्यक
bearer को देय कभी नहीं बनाया जा सकता	bearer को देय हो सकता है, किन्तु माँग पर bearer को कभी नहीं

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 1 प्रश्न

- Sec. 5: ऐसा लिखित लिखत जिसमें maker द्वारा हस्ताक्षरित अर्थात् **आदेश** हो, जो किसी निश्चित व्यक्ति को निदेश दे कि वह केवल एक निश्चित धनराशि किसी निश्चित व्यक्ति को, उसके order को, अथवा bearer को दे।
- P/N बनाम BOE: वचन बनाम आदेश; 2 पक्षकार (maker, payee) बनाम 3 (drawer, drawee, payee); note में स्वीकृति आवश्यक नहीं, बिल में drawee की स्वीकृति आवश्यक; note कभी bearer को देय नहीं हो सकता, बिल हो सकता है (किन्तु **माँग पर** bearer को कभी नहीं — Sec. 31, RBI Act)।
- Acceptor का दायित्व प्राथमिक एवं अर्थात् है; drawer का गौण/शर्तयुक्त।

TQ 3.1 • PYQ 2025-May [4] (b) (ii) • Distinguish Between • 4M • Pg 647

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 5 प्रश्न

- काल्पनिक नाम तथा एक ही व्यक्ति वाली परिस्थितियाँ: drawer, drawee और payee का तीन भिन्न व्यक्ति होना आवश्यक नहीं, किन्तु कम-से-कम दो भिन्न व्यक्ति अवश्य होने चाहिए — इसी आधार पर बिल की वैधता कसिए।
- कूटरचित पृष्ठांकन वाली परिस्थितियाँ (चोरी हुआ order cheque/bill): कूटरचना कोई हक नहीं देती और पूर्णतः अकृत है — बाद के indorsees को कोई अधिकार नहीं मिलते; इसकी तुलना रिक्त पृष्ठांकन से कीजिए, जो लिखत को bearer को देय बना देता है और मात्र परिदान से अन्तरणीय।
- ‘after sight’ देय बिल स्वीकृति हेतु प्रस्तुति से चलते हैं — परिपक्वता की गणना तथा विलम्बित प्रस्तुति के प्रभाव का अभ्यास कीजिए (Sec. 61: व्यक्तिगत समय में प्रस्तुत कीजिए, अन्यथा पक्षकार उन्मोचित हो जाते हैं)।

CSQ 3.5 • PYQ 2025-Sep [6] (a) (i) • Case Scenario • 3M • Pg 652

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 3.1 · PYQ 2019-Nov [1] (d) {C} · Case Scenario · 3M · Pg 648	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.2 · PYQ 2019-Nov [2] (d) · Case Scenario · 3M · Pg 649	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.3 · PYQ 2021-Jan [1] (d) {C} · Case Scenario · 3M · Pg 650	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 3.4 · PYQ 2021-Dec [1] (d) {C} · Case Scenario · 3M · Pg 650	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विषय 4: चेक (Cheque)

P2-C7-U7-T04

पहले पढ़ें 'Cheque [Section 6]' पढ़िए — चेक एक ऐसा bill of exchange जो किसी विनिर्दिष्ट banker पर लिखा जाए और माँग पर देय हो, जिसमें electronic cheques तथा truncated cheques भी सम्मिलित हैं, और पक्षकार (drawer, drawee bank, payee)।

नोट्स

Sec 6 (SM): "A 'cheque' is a bill of exchange drawn on a specified banker and not expressed to be payable otherwise than on demand and it includes the electronic image of a truncated cheque and a cheque in the electronic form."

अनिवार्य लक्षण: bill of exchange के सभी लक्षण + किसी विनिर्दिष्ट banker पर लिखा जाना + माँग पर देय होना (जब भी धारक प्रस्तुत करना चाहे); न मुद्रांकन आवश्यक, न स्वीकृति; सभी cheques बिल हैं, पर सभी बिल cheque नहीं; "banker" में banker के रूप में कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति तथा कोई भी post office savings bank सम्मिलित है [Sec 3]।

पक्षकार: drawer — लेखक/ऋणी, जिसका दायित्व प्राथमिक एवं शर्तयुक्त; drawee — सदैव वह विनिर्दिष्ट bank जो भुगतान करता है; payee — वह व्यक्ति जिसके पक्ष में निर्गत (स्वयं drawer भी हो सकता है, अथवा कोई तीसरा पक्ष); "drawee in case of need" — बिल/पृष्ठांकन में नामित वह अतिरिक्त व्यक्ति जिसके पास आवश्यकता पड़ने पर जाया जाए।

इलेक्ट्रॉनिक रूप: cheque in electronic form — जो किसी computer resource से लिखा जाए और किसी सुरक्षित प्रणाली में digital signature (biometric सहित या रहित) अथवा electronic signature से हस्ताक्षरित हो (IT Act, 2000 के अर्थ लागू); truncated cheque — वह cheque जिसे clearing चक्र के दौरान clearing house या bank ने, इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबिम्ब बनते ही, छोटा (truncate) कर दिया हो, जिससे cheque की आगे की भौतिक आवाजाही की जगह वही प्रतिबिम्ब चले।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 6 कंठस्थ कीजिए: चेक वह bill of exchange है जो किसी विनिर्दिष्ट banker पर लिखा जाए और जिसे माँग पर देय होने के अतिरिक्त किसी और रूप में देय न बताया गया हो; इसमें truncated cheque का इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबिम्ब तथा इलेक्ट्रॉनिक रूप का चेक भी सम्मिलित है।

- अनिवार्य लक्षण: bill of exchange के सभी लक्षण + विनिर्दिष्ट banker पर लिखा जाना + माँग पर देय; चेक में न मुद्रांकन आवश्यक, न स्वीकृति; drawer का दायित्व प्राथमिक एवं शर्तयुक्त; 'banker' में post office savings bank भी सम्मिलित [Sec. 3]।
- 'cheque in electronic form' (सुरक्षित प्रणाली में digital/electronic signature) तथा 'truncated cheque' (clearing के दौरान भौतिक आवाजाही के स्थान पर इलेक्ट्रॉनिक प्रतिबिम्ब) की परिभाषाएँ।

TQ 4.1 · MTP 2024-Aug [4] (b) · Descriptive · 7M · Pg 652

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 5 प्रश्न

- उपहार-चेक वाली परिस्थितियाँ: दानग्रहीता धारक तो है, किन्तु holder in due course **नहीं** (कोई प्रतिफल नहीं); वह उपहार-चेक के अनादर पर drawer पर वाद नहीं ला सकता, क्योंकि कोई विधितः प्रवर्तनीय ऋण है ही नहीं।
- खोए हुए bearer/रिक्त-पृष्ठांकित चेक: पाने वाला ऐसे व्यक्ति को अच्छा हक दे सकता है जो मूल्य देकर सद्भावपूर्वक ले, और भुगतान करने वाले banker को payment in due course से उन्मुक्ति मिल जाती है — हानि वास्तविक स्वामी को उठानी पड़ती है।
- Minor वाली परिस्थितियाँ: कोई minor चेक इस प्रकार लिख/पृष्ठांकित कर सकता है कि स्वयं को छोड़कर शेष सभी पक्षकार आबद्ध हों — indorsee पूर्ववर्ती/अन्य पक्षकारों पर प्रवर्तन करा सकता है, minor पर नहीं।

CSQ 4.1 · PYQ 2018-May [2] (c) · Case Scenario · 4M · Pg 653

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 4.2 · PYQ 2018-Nov [2] (c) · Case Scenario · 4M · Pg 654

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 4.3 · PYQ 2018-Nov [2] (d) · Case Scenario · 4M · Pg 655

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 4.4 · PYQ 2020-Nov [5] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 656

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 4.5 · PYQ 2022-May [2] (d) · Case Scenario · 3M · Pg 656

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विषय 5: परक्राम्य लिखतों का वर्गीकरण (Classification of Negotiable Instruments)

P2-C7-U7-T05

पहले पढ़ें 'Classification of Negotiable Instruments' पढ़िए — bearer/order लिखत [Sec. 13], देशी/विदेशी लिखत [Secs. 11, 12, 134], तथा अपूर्ण (inchoate) [Sec. 20] एवं द्व्यर्थक (ambiguous) [Sec. 17] लिखत।

नोट्स

Bearer बनाम order [Sec 13]: bearer — payee का नाम रिक्त, अथवा नाम के साथ "or bearer", अथवा अन्तिम पृष्ठांकन रिक्त; परक्रामण मात्र परिदान से; order — किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति या उसके order को, अथवा किसी व्यक्ति के order को देय, अथवा अन्तिम पृष्ठांकन पूर्ण (in full); परक्रामण पृष्ठांकन एवं परिदान से।

देशी (Inland) [Sec 11]: भारत में लिखा या बनाया गया **तथा** (भारत में देय हो **अथवा** भारत में निवासी किसी व्यक्ति पर लिखा गया हो) — Mumbai में Mathura के व्यापारी पर लिखा बिल देशी ही है, चाहे उसकी स्वीकृति London में देय हो; Agra में लिखा और Delhi में देय बिल देशी है, चाहे drawee New York का व्यापारी हो; कोई देशी लिखत विदेश में पृष्ठांकित होने पर भी देशी ही रहता है; **विदेशी (Foreign) [Sec 12]:** जो लिखत देशी नहीं, वह विदेशी।

Sec 134 (विदेशी लिखत): maker/drawer का दायित्व उस स्थान की विधि से शासित जहाँ उसने लिखत बनाया; acceptor तथा indorser का दायित्व उस स्थान की विधि से जहाँ वह देय है — Berkley में लिखा (15%) और Washington में देय स्वीकृत बिल (6%): acceptor 6% देगा, drawer 15%।

अपूर्ण (Inchoate) [Sec 20]: हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित, किन्तु पूर्णतः/अंशतः रिक्त — हस्ताक्षरकर्ता धारक को यह प्रथम-दृष्ट्या प्राधिकार देता है कि वह उसे stamp की सीमा में आने वाली किसी भी राशि के लिए पूरा कर ले; यह नियम estoppel पर टिका है; साधारण धारक केवल उतनी ही राशि वसूल पाता है जितनी हस्ताक्षरकर्ता का आशय था, जबकि holder in due course stamp की सीमा के भीतर कोई भी राशि; किन्तु परिदान नहीं तो दायित्व नहीं — drawer से चुराई गई रिक्त स्वीकृति ₹20,000 भरकर प्रयोग की गई, तो वह हस्ताक्षरकर्ता को holder in due course के प्रति भी आबद्ध नहीं करती।

द्व्यर्थक (Ambiguous) [Sec 17]: ऐसा लिखत जिसे promissory note भी माना जा सके और bill of exchange भी — धारक अपने विकल्प पर उसे इनमें से कुछ भी मान सकता है, और विकल्प एक बार प्रयुक्त हो जाने पर लिखत उसके बाद उसी रूप में माना जाता है (वह बदल नहीं सकता)।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 2 प्रश्न

- Bearer: payee रिक्त, अथवा 'or bearer', अथवा अन्तिम पृष्ठांकन रिक्त — परक्रामण मात्र परिदान से; order: किसी व्यक्ति/उसके order को देय, अथवा अन्तिम पृष्ठांकन पूर्ण — पृष्ठांकन तथा परिदान दोनों।
- देशी [Sec. 11]: भारत में लिखा/बनाया **तथा** (भारत में देय **अथवा** भारत में निवासी व्यक्ति पर लिखा); विदेशी [Sec. 12]: जो देशी नहीं, वह विदेशी।
- अपूर्ण [Sec. 20]: हस्ताक्षरित, मुद्रांकित किन्तु पूर्णतः/अंशतः रिक्त; द्व्यर्थक [Sec. 17]: जिसे P/N या BOE दोनों माना जा सके — धारक एक बार विकल्प चुनता है और फिर उसी से बँध जाता है।

TQ 5.3 · RTP 2026-Jan [23] · Descriptive · --- · Pg 659

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

TQ 5.2 · PYQ 2025-Sep [4] (b) · Descriptive · 7M · Pg 658

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 1 प्रश्न

- अपूर्ण लिखत estoppel पर टिके हैं: साधारण धारक केवल उतनी राशि वसूलता है जितनी हस्ताक्षरकर्ता का आशय था; holder in due course stamp की सीमा में आने वाली कोई भी राशि — किन्तु परिदान बिना कोई दायित्व नहीं।
- कोई देशी लिखत विदेश में पृष्ठांकित होने पर भी देशी ही रहता है; Sec. 134 के अधीन विदेशी लिखत का drawer बनाने के स्थान की विधि से दायी है, तथा acceptor/indorser भुगतान के स्थान की विधि से।

TQ 5.1 · MTP 2025-Jan [4] (b) · Descriptive · 7M · Pg 657

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 4 प्रश्न

- तीन तथ्यों से वर्गीकरण कीजिए — कहाँ लिखा गया, कहाँ देय है, drawee कहाँ निवासी है: भारत में किसी भारतीय निवासी पर लिखा लिखत देशी है, चाहे विदेश में देय हो; भारत में लिखा और भारत में देय लिखत देशी है, चाहे drawee विदेश में रहता हो।
- रिक्त हस्ताक्षरित चेक: Sec. 20 — अधिक राशि भरने वाला साधारण धारक आशयित राशि से अधिक वसूल नहीं कर सकता; holder in due course कर सकता है (stamp की सीमा के भीतर)।

CSQ 5.2 · PYQ 2021-Dec [3] (c) (ii) · Case Scenario · 4M · Pg 661

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

सरल

CSQ 5.1 · PYQ 2020-Nov [1] (d) · Case Scenario · 4M · Pg 660

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 5.3 · PYQ 2024-Sep [6] (a) (ii) · Case Scenario · 3M · Pg 662

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 5.4 · RTP 2026-Jan [22] · Case Scenario · --- · Pg 663

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाइए · 1 प्रश्न

- बहु-लिखत वैधता वाले प्रश्न: पहले प्रत्येक को Sec. 4/5/6 के अनिवार्य लक्षणों पर कसिए (अशर्त? राशि निश्चित? payee निश्चित?), फिर वर्गीकरण कीजिए — दोनों चरण अलग-अलग रखिए।
- ‘माँग पर bearer को देय’ वाला जाल: cheques के लिए वैध, bills/notes के लिए अवैध (Sec. 31, RBI Act)।

CSQ 5.5 · PYQ 2026-May [6] (a) · Case Scenario · 7M · Pg 664

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

विषय 6: परक्राम्य लिखतों का परक्रामण/अन्तरण (Negotiation of Negotiable Instruments)

P2-C7-U7-T06

पहले पढ़ें ‘Negotiation (Transfer) of Negotiable Instruments’ पढ़िए — Sec. 14 (परक्रामण), Sec. 46 (परिदान, वास्तविक एवं आन्वयिक), Sec. 47 (bearer लिखतों का परिदान से परक्रामण), Sec. 48 (order लिखतों हेतु पृष्ठांकन के साथ परिदान) तथा Sec. 57 (विधिक प्रतिनिधि अ-परिदत्त पृष्ठांकन पूरा नहीं कर सकता)।

नोट्स

Sec 14: परक्रामण = किसी लिखत का ऐसा अन्तरण जिससे अन्तरिती उसका धारक बन जाए (स्वामित्व का अन्तरण);
रीतियाँ: bearer लिखत — मात्र परिदान से [Sec 47]; order लिखत — धारक के पृष्ठांकन एवं परिदान से [Sec 48];
 दोनों Sec 58 के अधीन (विधिविरुद्ध रूप से प्राप्त लिखत)।

परिदान [Sec 46]: bearer तथा order — दोनों प्रकार के लिखतों के लिए अनिवार्य, बनाने/लिखने के समय भी और

परक्रामण के समय भी; यह स्वैच्छिक होना चाहिए और उसका उद्देश्य सम्पत्ति अन्तरित करना होना चाहिए; यह वास्तविक (हाथ बदलना) अथवा आन्वयिक (indorsee के अभिकर्ता/क्लर्क/सेवक को परिदान, अथवा पृष्ठांकन के बाद indorser का उसे indorsee के अभिकर्ता के रूप में रखना) हो सकता है; परिदान तक संविदा अपूर्ण एवं प्रतिसंहरणीय रहती है — कटे हुए note का आधा भाग डाक से भेजना पूरे का आन्वयिक परिदान नहीं है।

शर्तयुक्त परिदान: जो लिखत शर्त पर अथवा किसी विशेष प्रयोजन से परिदत्त हो, वह अन्तरिती को कोई सम्पत्ति नहीं देता, चाहे पृष्ठांकित ही क्यों न हो — जब तक वह किसी holder in due course को परक्रान्त न हो जाए; निकटवर्ती पक्षकारों के बीच शर्तयुक्त/विशेष-प्रयोजन वाला परिदान सिद्ध किया जा सकता है।

परिदान बिना पृष्ठांकन [Sec 57]: अधिकार पृष्ठांकन के बाद परिदान पर ही जाते हैं — Y ने X का चेक Z को पृष्ठांकित किया पर उसे अपनी दराज़ में रखे रखा; Y की मृत्यु पर वह चेक पाने वाला Z धारक नहीं है; मृत indorser का विधिक प्रतिनिधि मात्र परिदान से परक्रामण पूरा नहीं कर सकता (वह मृतक का अभिकर्ता नहीं है); इसकी तुलना indorsee के अभिकर्ता को किए गए परिदान से कीजिए, जो अच्छा परिदान है — जहाँ note उसके अभिकर्ता को परिदत्त हुआ, वहाँ Arjun वसूली कर सका।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- Sec. 14: परक्रामण = लिखत का ऐसा अन्तरण कि अन्तरिती उसका धारक बन जाए; bearer — परिदान से [Sec. 47]; order — पृष्ठांकन एवं परिदान से [Sec. 48]।
- Sec. 46: परिदान bearer तथा order — दोनों के लिए अनिवार्य; यह स्वैच्छिक हो, सम्पत्ति अन्तरित करने के आशय से हो, और वास्तविक या आन्वयिक हो सकता है (indorsee के अभिकर्ता को परिदान, अथवा indorser का उसे indorsee के अभिकर्ता के रूप में रखना); परिदान तक संविदा अपूर्ण एवं प्रतिसंहरणीय।
- शर्तयुक्त/विशेष-प्रयोजन वाला परिदान कोई सम्पत्ति नहीं देता, सिवाय holder in due course के पक्ष में।

TQ 6.1 · PYQ 2025-May [4] (b) (I) · Descriptive · 3M · Pg 665

LEVEL I
समझ (Understanding)

सरल

TQ 6.2 · PYQ 2026-May [4] (b) · Descriptive · 7M · Pg 666

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 3 प्रश्न

- परिदान बिना पृष्ठांकन: ऐसा indorsee जिसे लिखत मात्र मिल गया हो (जैसे मृत indorser की दराज़ में), धारक नहीं है; Sec. 57 के अधीन विधिक प्रतिनिधि उस लिखत का परक्रामण मात्र परिदान से पूरा नहीं कर सकता जिसे मृतक ने पृष्ठांकित तो किया पर परिदत्त नहीं किया।
- ढाँचा: bearer है या order? → प्रयुक्त रीति → परिदान स्वैच्छिक था? → निष्कर्ष कि अन्तरिती धारक बना या नहीं और वाद ला सकता है या नहीं।

CSQ 6.3 · MTP 2024-Aug [6] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 668

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 6.4 · PYQ 2024-Sep [6] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 669

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

CSQ 6.5 · PYQ 2025-Jan [6] (a) (i) · Case Scenario · 4M · Pg 670

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)

मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाए · 2 प्रश्न

- परिपक्वता के **बाद** अन्तरित accommodation bill: अन्तरिती holder in due course नहीं हो सकता और दोषों के अधीन ही लेता है — प्रत्येक पक्षकार का दायित्व क्रमवार निकालिए।
- भरे हुए रिक्त चेक पर 'Not negotiable' crossing: अन्तरिती को अपने अन्तरक से बेहतर हक़ नहीं मिलता — इसे Sec. 20 (प्राधिकार से अधिक भरी गई राशि) के साथ जोड़कर तय कीजिए कि कौन क्या वसूल करेगा।
- पहले यह सुलझाए: प्रतिफल था? अन्तरण परिपक्वता से पहले हुआ या बाद? परिदान पूरा हुआ? — फिर धारक बनाम holder-in-due-course के अधिकार लगाइए।

CSQ 6.1 · PYQ 2020-Nov [3] (d) · Case Scenario · 3M · Pg 667

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

मध्यम

CSQ 6.2 · PYQ 2021-Jul [1] (d) {C} · Case Scenario · 3M · Pg 668

LEVEL II
विश्लेषण (Analysis)

कठिन

विषय 7: खाते में अपर्याप्त धनराशि के कारण चेकों का अनादर (Sections 138 से 142)

P2-C7-U7-T07

पहले पढ़ें 'Dishonour of Cheques for Insufficiency of Funds in the Accounts [Sections 138 to 142]' पढ़िए — Sec. 138 के अपराध के अवयव एवं शर्तें, Sec. 139 की उपधारणा, Sec. 140, साथ ही 'Rules of Compensation' (Sec. 117) तथा noting/protest।

नोट्स

Sec 138 का अपराध: drawer के खाते पर किसी विधितः प्रवर्तनीय ऋण अथवा अन्य दायित्व के पूर्ण या आंशिक उन्मोचन हेतु लिखा गया चेक, जो इस कारण अदत्त लौट आए कि धनराशि अपर्याप्त है अथवा वह bank के साथ हुई व्यवस्था से अधिक है — दंड: 2 वर्ष तक कारावास, अथवा चेक की राशि के दुगुने तक जुर्माना, अथवा दोनों; उपहार या दान के रूप में, प्रतिभूति के रूप में, मात्र नैतिक बाध्यता हेतु, अथवा अवैध प्रतिफल पर दिए गए चेक इस धारा से बाहर हैं।

तीन पूर्ववर्ती शर्तें: (a) चेक उसके लिखे जाने की तिथि से 3 माह के भीतर, अथवा उसकी वैधता-अवधि के भीतर — जो पहले हो — प्रस्तुत हो; (b) payee/holder in due course वापसी की सूचना मिलने के 30 दिन के भीतर drawer को लिखित सूचना देकर भुगतान माँगे; (c) drawer सूचना मिलने के 15 दिन के भीतर भुगतान करने में विफल रहे — परिवाद 45 दिन (30 + 15) बीतने के बाद ही।

Sec 139: यह खंडनीय उपधारणा कि धारक ने चेक किसी ऋण/दायित्व के उन्मोचन हेतु प्राप्त किया — साक्ष्य का भार अभियुक्त drawer पर चला जाता है; **Sec 140:** यह प्रतिरक्षा नहीं कि drawer को चेक अनादृत होने की आशंका का कोई कारण नहीं था।

Stop payment/post-dated: bank को दिए गए stop-payment अनुदेश भी Sec 138 को आकृष्ट करते हैं, चाहे खाते में धन हो या न हो (Bholenath का मामला — चेक निर्गत होते ही Sec 139 की उपधारणा लागू); post-dated चेक उसी

तिथि को लिखा गया माना जाता है जो उस पर अंकित है, और 3 माह उसी तिथि से गिने जाते हैं।

Sec 117 प्रतिकर: धारक देय राशि तथा प्रस्तुति, noting एवं protest में उचित रूप से किए गए व्यय पाने का हकदार है; आरोपित व्यक्ति अन्यत्र रहता हो — राशि प्रचलित विनिमय दर पर; भुगतान करने वाला indorser वह राशि भुगतान की तिथि से निविदा/वसूली तक 18% वार्षिक ब्याज सहित तथा समस्त व्यय सहित वसूल करता है; हकदार पक्ष दायी पक्ष पर दर्शनी/माँग पर देय बिल लिख सकता है, जिसके साथ अनादृत लिखत तथा protest (यदि हो) संलग्न हो।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 2 प्रश्न

- Sec. 138: 2 वर्ष तक कारावास, अथवा चेक की राशि के दुगुने तक जुर्माना, अथवा दोनों; शर्तें — चेक की तिथि से 3 माह (या वैधता, जो पहले हो) के भीतर प्रस्तुति, वापसी-ज्ञापन के 30 दिन के भीतर माँग-सूचना, तथा सूचना के 15 दिन के भीतर drawer का भुगतान न करना।
- Noting = Notary Public द्वारा अनादर का अभिलेखन (तथ्य, तिथि, कारण, प्रभार); protest = औपचारिक नोटरी प्रमाणपत्र; बेहतर प्रतिभूति हेतु protest = परिपक्वता से पूर्व acceptor का दिवालिया होना/साख डगमगाना।
- Sec. 117: देय राशि + प्रस्तुति, noting एवं protest के व्यय; भुगतान करने वाला indorser 18% वार्षिक ब्याज सहित वसूलता है।

TQ 7.3 · PYQ 2019-May [2] (d) · Descriptive · 3M · Pg 674

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

सरल

TQ 7.5 · PYQ 2025-Jan [4] (b) · Descriptive · 7M · Pg 677

LEVEL I
स्मरण (Remembering)

मध्यम

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए · 2 प्रश्न

- चेक किसी **विधितः प्रवर्तनीय** ऋण अथवा दायित्व के उन्मोचन हेतु होना चाहिए — उपहार, दान, प्रतिभूति, नैतिक बाध्यता अथवा अवैध प्रतिफल पर दिए गए चेक Sec. 138 से **बाहर** हैं।
- Sec. 139: यह खंडनीय उपधारणा कि चेक किसी ऋण के उन्मोचन हेतु था — भार drawer पर चला जाता है; Sec. 140: 'चेक बाउंस होने की आशंका का कोई कारण नहीं था' कोई प्रतिरक्षा नहीं।
- अ-स्वीकृति से अनादर: drawee स्वीकृति देने से मना करे/शर्तयुक्त स्वीकृति दे, न मिले, अथवा असमर्थ हो।

TQ 7.2 · PYQ 2018-Nov [6] (d) · Descriptive · 5M · Pg 673

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

TQ 7.4 · PYQ 2024-Sep [4] (b) · Descriptive · 8M · Pg 675

LEVEL I
समझ (Understanding)

मध्यम

अनुप्रयोग (Application) प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए · 12 प्रश्न

- Stop-payment पर भी Sec. 138 आकृष्ट होती है (Sec. 139 की उपधारणा लागू); post-dated चेक उसी तिथि को 'लिखा' माना जाता है जो उस पर अंकित है — 3 माह उसी तिथि से गिनीए।
- उपहार/दान के चेक: कोई विधितः प्रवर्तनीय ऋण नहीं, अतः अनादर अपराध **नहीं**।
- समय-गणना वाले प्रश्न: वैधता के भीतर प्रस्तुति, 30 दिन की सूचना, 15 दिन की भुगतान-अवधि — वाद-हेतुक 15 दिन बीतने के बाद ही उत्पन्न होता है।

TQ 7.1 • PYQ 2018-May [2] (d) • Descriptive • 4M • Pg 672	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.1 • PYQ 2019-May [1] (e) {C} • Case Scenario • 3M • Pg 678	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.2 • PYQ 2019-May [3] (c) (i) • Case Scenario • 2M • Pg 678	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.3 • PYQ 2021-Jul [2] (d) • Case Scenario • 3M • Pg 679	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.4 • PYQ 2022-May [3] (c) • Case Scenario • 4M • Pg 680	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.5 • PYQ 2022-Nov [1] (d) {C} • Case Scenario • 3M • Pg 681	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.6 • PYQ 2022-Nov [3] (c) • Case Scenario • 4M • Pg 682	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.7 • MTP 2024-May [6] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 683	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.8 • PYQ 2024-Jun [6] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 684	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.9 • RTP 2024-Jun [22] • Case Scenario • --- • Pg 685	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.10 • RTP 2024-Sep [22] • Case Scenario • --- • Pg 686	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम
CSQ 7.12 • PYQ 2026-Jan [6] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 688	LEVEL II अनुप्रयोग (Application)	मध्यम

विश्लेषण (Analysis) बहु-मुद्दा परिस्थितियाँ सुलझाए • 1 प्रश्न

- कालातीत ऋण: विधित: प्रवर्तनीय नहीं → सभी समय-सीमाएँ पूरी होने पर भी Sec. 138 विफल — पहले प्रवर्तनीयता जाँचिए, फिर प्रक्रियात्मक अंग।
- प्रतिफल (accommodation/उपहार), वैधता तथा सूचना-अवधियों को मिलाने वाले बहु-मुद्दा प्रश्नों में सारभूत अवयव (ऋण + अपर्याप्तता) को तीनों प्रक्रियात्मक शर्तों से अलग कीजिए, तभी निष्कर्ष दीजिए।

CSQ 7.11 • PYQ 2025-May [6] (a) • Case Scenario • 7M • Pg 687	LEVEL II विश्लेषण (Analysis)	कठिन
---	---------------------------------	------

विषय 8: लिखतों की प्रस्तुति (Presentment of Instruments)

P2-C7-U7-T08

पहले पढ़ें 'Presentment of Instruments' पढ़िए — स्वीकृति हेतु प्रस्तुति [Sec. 61], दर्शन हेतु note [Sec. 62], drawee के 48 घंटे [Sec. 63], भुगतान हेतु प्रस्तुति [Secs. 64 से 75A] तथा प्रस्तुति कब अनावश्यक [Sec. 76]।

नोट्स

Sec 61 (स्वीकृति — दर्शन के बाद देय बिल): लिखे जाने के बाद युक्तियुक्त समय के भीतर, किसी कार्य-दिवस को कार्य-समय में drawee को प्रस्तुत कीजिए; चूक होने पर कोई भी पक्षकार चूक करने वाले के प्रति दायी नहीं; युक्तियुक्त खोज के बाद भी drawee न मिले — बिल अनादृत; यदि drawee को किसी विशेष स्थान पर प्रस्तुत करने का निदेश हो तो वहीं प्रस्तुत कीजिए; जहाँ प्राधिकृत हो, वहाँ पंजीकृत डाक पर्याप्त है; **Sec 63:** धारक को drawee को स्वीकृति पर विचार करने हेतु 48 घंटे (लोक अवकाश छोड़कर) देने होंगे।

Sec 62 (दर्शन हेतु note): दर्शन के बाद नियत अवधि पर देय promissory note को maker के समक्ष दर्शन हेतु युक्तियुक्त समय में, कार्य-दिवस को कार्य-समय में प्रस्तुत करना होगा; चूक होने पर कोई पक्षकार चूक करने वाले के प्रति दायी नहीं।

भुगतान [Secs 64-75A]: Sec 64 — maker (P/N), acceptor (BOE) अथवा drawee (cheque) को प्रस्तुत कीजिए, अन्यथा शेष पक्षकार उस धारक के प्रति दायी नहीं; अपवाद — माँग पर देय ऐसा note जो किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर देय न हो, maker को दायी ठहराने के लिए प्रस्तुति आवश्यक नहीं; Sec 65 — सामान्य कार्य-समय (banker: banking hours); Sec 66 — तिथि/दर्शन के बाद देय लिखत परिपक्वता पर प्रस्तुत; Sec 67 — किशतों वाले notes प्रत्येक किशत-तिथि के तीसरे दिन; Secs 68-70 — विनिर्दिष्ट स्थान पर, अन्यथा व्यवसाय-स्थान/सामान्य निवास पर; Sec 71 — कोई ज्ञात स्थान न हो: जहाँ भी मिले; Sec 74 — माँग पर देय लिखत युक्तियुक्त समय में; Sec 75A — विलम्ब क्षम्य यदि वह धारक के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों से हुआ हो, और कारण हटते ही युक्तियुक्त समय में प्रस्तुत किया जाए।

Sec 76 (प्रस्तुति अनावश्यक — लिखत नियत तिथि को अनादृत माना जाएगा): (1) maker/drawee/acceptor जान-बूझकर प्रस्तुति रोके; (2) लिखत उसके व्यवसाय-स्थान पर देय हो और वह उसे कार्य-दिवस को कार्य-समय में बन्द रखे; (3) विनिर्दिष्ट स्थान पर कार्य-समय में कोई उपस्थित न हो; (4) लिखत किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर देय न हो और वह उचित खोज के बाद भी न मिले; (5) पक्षकार ने प्रस्तुति न होने पर भी भुगतान का वचन दिया हो; (6) परिपक्वता के बाद, प्रस्तुति न होने की जानकारी रखते हुए, पक्षकार आंशिक भुगतान करे, भुगतान का वचन दे, अथवा चूक का अधित्यजन करे; (7) drawer के विरुद्ध, यदि प्रस्तुति न होने से उसे कोई क्षति न हो सकती हो।

स्मरण (Remembering) कंठस्थ कीजिए · 1 प्रश्न

- Sec. 76 (प्रस्तुति अनावश्यक): प्रस्तुति जान-बूझकर रोकी गई; व्यवसाय-स्थान कार्य-दिवस को बन्द; विनिर्दिष्ट स्थान पर कोई उपस्थित नहीं; उचित खोज के बाद भी पक्षकार न मिले; प्रस्तुति न होने पर भी भुगतान का वचन; परिपक्वता के बाद आंशिक भुगतान/वचन/अधित्यजन; drawer को कोई क्षति ही न हुई हो।
- Sec. 63: drawee को स्वीकृति पर विचार करने हेतु 48 घंटे (लोक अवकाश छोड़कर); Sec. 66: तिथि/दर्शन के बाद देय लिखत परिपक्वता पर प्रस्तुत; Sec. 67: किशतों वाले notes — प्रत्येक किशत-तिथि के तीसरे दिन।
- Sec. 62: दर्शन के बाद नियत अवधि पर देय note को दर्शन हेतु युक्तियुक्त समय में, कार्य-दिवस को कार्य-समय में प्रस्तुत करना होगा; चूक होने पर उस धारक के प्रति पक्षकार उन्मोचित।

समझ (Understanding) कारण सहित समझाइए • 2 प्रश्न

- Sec. 64: लिखत भुगतान हेतु maker/acceptor/drawee को प्रस्तुत करने होंगे; चूक होने पर **शेष** पक्षकार उस धारक के प्रति दायी नहीं; अपवाद — माँग पर देय ऐसा note जो किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर देय न हो, maker को दायी ठहराने हेतु प्रस्तुति की आवश्यकता नहीं।
- Sec. 61 (स्वीकृति — दर्शन के बाद देय बिल): युक्तियुक्त समय में, कार्य-समय में, कार्य-दिवस को प्रस्तुत कीजिए; युक्तियुक्त खोज के बाद drawee न मिले = अनादर; विलम्ब Sec. 75A के अधीन क्षम्य, यदि वह धारक के नियंत्रण से बाहर हो।

TQ 8.2 • MTP 2025-Apr S1 [4] (b) • Descriptive • 7M • Pg 691

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम**

TQ 8.3 • MTP 2025-Aug S1 [4] (b) • Descriptive • 7M • Pg 692

LEVEL I
समझ (Understanding)**मध्यम****अनुप्रयोग (Application)** प्रावधान को तथ्यों पर लागू कीजिए • 5 प्रश्न

- विनिर्दिष्ट स्थान रहित, माँग पर देय note: प्रस्तुति न होने से maker उन्मोचित नहीं होता (Sec. 64 का अपवाद)।
- नियत तिथि से पूर्व की गई प्रस्तुति अवैध है — drawee उचित रूप से मना कर सकता है; परिपक्वता पर पुनः प्रस्तुत कीजिए (Sec. 66); विलम्बित प्रस्तुति indorsers को उन्मोचित कर सकती है, maker/acceptor को नहीं।
- स्वीकृति हेतु भेजा गया बिल: मौन को अनादर मानने से पहले 48 घंटे दीजिए; उत्तर provision → तिथियाँ/तथ्य → कौन उन्मोचित हुआ, इस क्रम में दीजिए।

CSQ 8.1 • RTP 2024-Jun [23] • Case Scenario • --- • Pg 693

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 8.2 • MTP 2024-Aug [6] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 694

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 8.3 • PYQ 2025-Jan [6] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 694

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 8.4 • MTP 2025-May S2 [6] (a) (ii) • Case Scenario • 3M • Pg 695

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम**

CSQ 8.5 • PYQ 2025-Sep [6] (a) (ii) • Case Scenario • --- • Pg 696

LEVEL II
अनुप्रयोग (Application)**मध्यम****विषय 9: प्रतिकर के नियम (Rules of Compensation)**

P2-C7-U7-T09

अवधारणा आधार — अभी तक कोई परीक्षा प्रश्न नहीं • पूर्ण तैयारी के लिए आवश्यक

पहले पढ़ें अध्याय 7 का §9 पढ़िए: Section 117 तथा वे पाँच नियम जो promissory note, bill of exchange अथवा cheque के अनादर पर प्रतिकर तय करते हैं।

नोट्स

Section 117 — धारक: धारक **लिखत पर देय राशि** का, तथा साथ ही उसे **प्रस्तुत करने, noting एवं protest** करने में उचित रूप से किए गए व्ययों का हक़दार है।

भिन्न स्थान: जहाँ आरोपित व्यक्ति उस स्थान से भिन्न स्थान पर रहता हो जहाँ लिखत देय था, वहाँ धारक वह राशि दोनों स्थानों के बीच की **प्रचलित विनिमय दर** पर पाने का हक़दार है; यही नियम endorser तथा आरोपित व्यक्ति के बीच भी लागू होता है जब वे भिन्न स्थानों पर रहते हों।

भुगतान करने वाला endorser: जो endorser दायी होते हुए देय राशि चुका चुका है, वह उस राशि को **18% वार्षिक ब्याज** सहित — भुगतान की तिथि से निविदा या वसूली तक — तथा अनादर एवं भुगतान से हुए समस्त व्ययों सहित पाने का हक़दार है।

पुनः बिल लिखना: प्रतिकर का हक़दार पक्ष दायी पक्ष पर देय राशि तथा उचित रूप से किए गए व्ययों के लिए दर्शनी अथवा माँग पर देय **बिल लिख** सकता है; उस बिल के साथ अनादृत लिखत तथा protest (यदि हो) संलग्न होना चाहिए, और यदि वह बिल भी अनादृत हो जाए तो उसका अनादर करने वाला पक्ष उसी प्रकार प्रतिकर देने को दायी है जैसे मूल बिल पर।